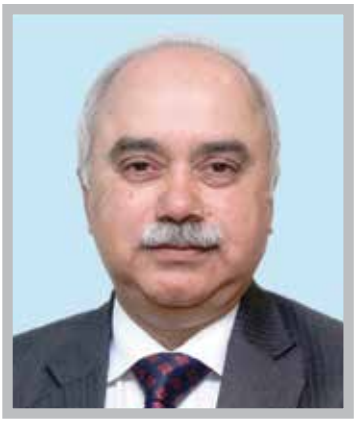


वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2016-17

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालयः चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. महाराष्ट्र
CENTRAL BANK OF INDIA
Central Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Maharashtra

विषय-सूची / Contents

अध्यक्ष एवं प्रबंध का संदेश	02
निदेशक मंडल / Board of Directors	04
नोटिस	07
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	15
निदेशक रिपोर्ट 2016-17	16
प्रबंधतंत्र विचार - विमर्श तथा विश्लेषण	21
कॉर्पोरेट गवर्नेंस	55
सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	76
दिनांक 31 मार्च, 2017 का तुलन पत्र	79
दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता	81
तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाते की अनुसूचियां	83
मुख्य लेखांकन नीतियां	90
लेखों से सम्बन्धित टिप्पणियां	95
दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी	126
दिनांक 31 मार्च, 2017 का समेकित तुलन पत्र	179
प्रॉक्सी फॉर्म	213
Chairman & Managing Director's Message	217
Notice	219
Perfomance Highlights	227
Director's Report 2016-17	228
Management Discussion & Analysis	233
Corporates Governance	266
Auditors' Report to the Members	287
Balance Sheet as on 31 March, 2017	289
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2017	291
Scheduled to Balance Sheet and Profit & Loss Account	293
Principal Accounting Policies	300
Notes Formaing Part of the Accounts	305
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2017	335
Consolidted Balance Sheet as on 31st March, 2017	383
Proxy Form	415
Attendance Form / Entry Form	417



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

हाल ही में समाप्त पिछला वर्ष भी वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक परिदृश्य की दृष्टि से चुनौती पूर्ण ही रहा था.

वर्ष 2016 के दौरान वैश्विक प्रगति की दर में रही मंदी के पश्चात वर्ष 2017 में इसमें तेजी आने की उम्मीद है. भावनात्मक पहलुओं के बढ़ने से यूएस की आर्थिक प्रगति में सुधार के आसार हैं. बेरोजगारी में कमी एवं मुद्रा स्फीति के बढ़ने से विदेशी विनिमय दरों में वृद्धि हुई है. नई सरकार द्वारा अनुमानित वित्तीय प्रोत्साहनों से विकास की सम्भावनाओं को और अधिक बल मिलेगा. डॉलर में मजबूती, बढ़ते हुए संरक्षणवाद इत्यादि के कारण यू.एस. में कुछ हद तक विकास बाधित हुआ है. सतत मौद्रिक प्रोत्साहन के चलते यूरोजोन संतुलित विकास पथ पर कायम रहेगा. इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाएं ''ब्रेक्जिट'' समझौतेके परिणामों पर भी निर्भर होंगी. वृद्धिशील उत्पादन एवं निर्यात, जापानी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ हद तक मददगार रहे हैं. चीन ने पिछले वर्ष अपनी अर्थव्यवस्था को पुन: संतुलित करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था की मन्दी की मार से बचने के लिए घरेलू उपभोग संवर्द्धित विकास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है. वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के कारण कुछ वस्तु निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं को अवश्य फायदा होगा.

भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी के ''अल्पकालिक'' प्रभाव से उबर रही है. नोटबंदी के कारण बैंकिंग सिस्टम में भारी मात्रा में एकत्र हुई जमा राशियों से ऋणों की वृद्धि में सहायता मिलेगी. साथ ही, वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में घोषित अनुकूल उपायों से इस वृद्धि में और भी उछाल आएगा. वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से भी आर्थिक प्रगति में मदद मिलेगी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ष 2017-18 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.2 % रहने संबंधी अपने पूर्वानुमान पर अभी भी कायम है. भारतीय अर्थव्यवस्था की पूर्व में अनुमानित वृद्धि दर भी 6.6% से बढ़कर 6.8% होने का अनुमान है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुद्रा स्फीति घट कर 4.5% रह गयी है, जो कि वर्ष 2015-16 में 4.9% थी. इस दौरान शक्कर एवं दलहनों की कीमतें उच्च स्तर पर बनी रहीं. उपयोगी वस्तुओं की बढ़ती हुई वैश्विक कीमतों एवं मौद्रिक अस्थिरता से मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी का खतरा और भी बढ़ गया है.

दीर्घकालीन मंदी के बाद निर्यात में अनुकूल सुधार हुआ है. तेल के आयात के बढ़ते हुए बिल के कारण आयात में भी वृद्धि हुई है. वर्ष 2016-17 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाते में घाटे का अनुपात लगभग 1% रहने का अनुमान है. अप्रैल से दिसम्बर 2016-17 के दौरान संचयी आधार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रगति की दर दो अंकों में रही है. हाल ही में, पोर्टफोलियों निवेश में भी सकारात्मक रुख देखने को मिला है.

स्थिर सरकार, नीतिगत पहलों, सुधारात्मक उपायों एवं जनसांख्यकीय अनुकूलता के कारण मध्यावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहना संभावित है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कठिन दौर अभी भी जारी है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भुगतान बैंक तथा निजी एवं विदेशी बैंकों जैसी अन्य संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा है. नोटबंदी के कारण बैंकिंग उद्योग में जमा राशियां बढ़ने से नकद आधारित उद्योग प्रभावित हुए है. कॉर्पोरेट तुलन-पत्रों में दबाव की स्थिति के चलते ऋणों में वृद्धि भी मंद रही है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 हमारे बैंक के लिए सुदृढ़ीकरण के साथ चुनौतियों भरा वर्ष रहा है. बैंक ने अपनी कार्य योजना को वसूली पर केंद्रित रखना जारी रखा है, जिससे इस वर्ष के दौरान बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं. दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त पिछले वर्ष में हुई ₹ 1287 करोड़ की नकद वसूली की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त इस वित्तीय वर्ष में नकद वसूली 84.77% की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर ₹ 2378 करोड़ हुई. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त इस वित्तीय वर्ष में ₹ 1183 करोड़ का आस्ति अपग्रेडेशन हुआ, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त पिछले वर्ष में ₹ 608 करोड़ हुआ था. निरंतर बढ़ती अनर्जक आस्तियां एवं

उनका समाधान करना, बैंकिंग उद्योग के समक्ष एक प्रमुख चुनौती है. भारतीय रिजर्व बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की विशिष्टताओं में संशोधन किया है तथा बैंकों पर निगरानी रखने के लिए आस्ति गुणवत्ता एवं लाभप्रदता पर जोर देने के साथ साथ तीनों जोखिमों की सीमा रेखा को भी परिभाषित किया है. वसूली प्रक्रिया की गति को बढ़ाने में दिवालियापन सुधार कानून 2016 एक स्वागतयोग्य कदम है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 449679 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 456336 करोड़ था. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक की जमाराशियां 11.45% बढ़कर ₹ 296671 करोड़ हो गयी है. कुल जमा राशियों में कासा का प्रतिशत, जो पिछले वर्ष 35.48% था, वह इस वर्ष बढ़कर 39.20 % हो गया है. बैंक के व्यवसाय में लाभकारी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उच्च लागत जमाओं में काफी कमी की गई है. कुल जमाओं में उच्च लागत जमाओं का अनुपात जो मार्च, 2016 में काफी अधिक 5.56% था, वह मार्च, 2017 में घटकर 3.70% हो गया है. कुल कोर जमाओं में 13.65% की वृद्धि से यह स्पष्ट परिलक्षित हुआ है.

बैंक का परिचालन लाभ वर्ष-दर-वर्ष 16.92% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 3089 करोड़ हुआ, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 2642 करोड़ था. तथापि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्यत: उच्च प्रावधानों के कारण बैंक को ₹ 2439 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंक की जमा लागत घटकर 6.20 % हो गयी, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6.86 % थी. बैंक की शुद्ध ब्याज आय, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 7065 करोड़ थी, वह इस वर्ष घटकर ₹ 6574 करोड़ रह गयी. यद्यपि, बैंक की गैर ब्याज आय, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 1938 करोड़ थी, वह दर वर्ष आधार पर 48.38% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बढ़कर ₹ 2876 करोड़ हो गई है.

पिछले कुछ वर्षों में बैंक के लिए आस्ति गुणवत्ता एक चिंता का विषय बना हुआ है. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में सकल अग्रिमों में सकल एनपीए बढ़कर 17.81% हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 11.95% था. यह वृद्धि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार के लिए आईबीपीसी सहभागिता के माध्यम से ₹ 22991.22 करोड़ की ऋण आस्तियों की बिक्री की वजह से हुई. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए बढ़कर 10.20% हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 7.36% था. आपका बैंक एनपीए प्रबंधन में प्रोएक्टिव रहा है और एनपीए के स्तर को घटाने में यह अपने प्रयास जारी रखेगा. दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रोविजन कवरेज अनुपात बढ़कर 58.43% हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 51.52% था.

मार्च, 2017 को बैंक की कुल 4714 शाखाएं है जिनमें 2/3 शाखाएं ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में हैं और 3677 अतिसूक्ष्म शाखाएं है और यह अपनी पहचान रिटेल बैंक के रूप में बनाएं रखेगा. आपका बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि रिटेल एवं प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियों अब तक की तुलना में और अधिक तेजी से विकास करेगा.

बैंक की दिनांक 31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है.

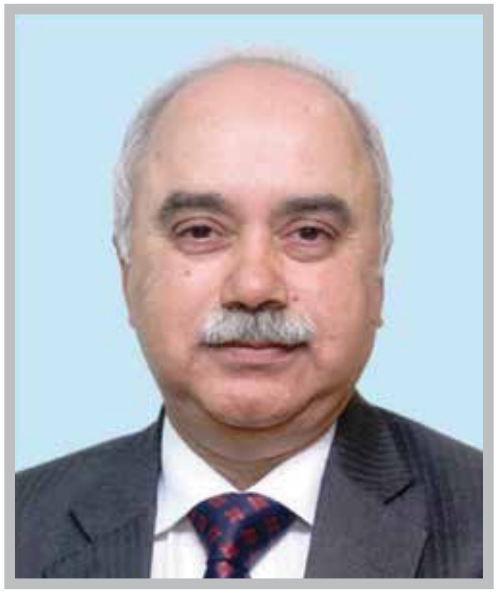
शुभकामनाओं सहित
आपका,

हस्त/-
राजीव ऋषि

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 23 मई, 2017

निदेशक मंडल श्री राजीव ऋषि श्री बी. के. दिवाकर श्री पी. रमण मूर्ती डॉ. सौरभ गर्ग श्री शेखर भटनागर श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय श्री केतुल आर. पटेल श्री एन. नित्यानंद	**BOARD OF DIRECTORS** SHRI RAJEEV RISHI SHRI B.K. DIVAKARA SHRI P. RAMANA MURTHY DR. SAURABH GARG SHRI SHEKHAR BHATNAGAR SHRI SUPRATIM BANDYOPADHYAY SHRI KETUL R. PATEL SHRI N. NITYANANDA
लेखा परीक्षक मै. चांदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय मै. लोढ़ा एण्ड कं. मै. पाठक एच. डी. एण्ड असोशिएट्स मै. एस. के. मेहता एण्ड कं.	**AUDITORS** M/s Chandabhoy & Jassoobhoy M/s Lodha & Co M/s Pathak H.D. & Associates M/s S.K. Mehta & Co.
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुम्बई - 400 083 टेलीफोन नं. : 022-49186270 फैक्स नं. : 022-49186060 ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in	**REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS** Link Intime India Pvt. Limited C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai – 400 083 Tel No. : 022 – 49186270 Fax No. : 022 – 49186060 E-mail ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in
बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी / कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चन्दरमुखी नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021 संपर्क सं. : 022 - 66387818 फैक्स नं. : 022 - 22835198 ई-मेल आईडी : agmcompsec@centralbank.co.in Investors@centralbank.co.in	**ADDRESS FOR CORRESPONDENCE WITH THE BANK** AGM-MBD / Company Secretary and Compliance Officer Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point, Mumbai – 400021 Contact No. : 022 - 66387818 FAX No. : 022 - 22835198 E-mail ID : agmcompsec@centralbank.co.in investors@centralbank.co.in

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



श्री राजीव ऋषि
RAJEEV RISHI

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR



श्री बी. के. दिवाकर
Shri B.K. Divakara

कार्यपालक निदेशक
Executive Director



श्री पी. आर. मूर्ती
Shri P.R. Murthy

कार्यपालक निदेशक
Executive Director



डॉ. सौरभ गर्ग
Dr. Saurabh Garg

भारत सरकार नामित निदेशक
Govt. of India Nominee Director



श्री शेखर भटनागर
Shri Shekhar Bhatnagar

आरबीआई नामित निदेशक
RBI Nominee Director



श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
Shri Supratim Bandyopadhyay

गैर-सरकारी निदेशक
Non-Offcial Director



श्री केतुल आर. पटेल
Shri Ketul Ramubhai Patel

गैर-सरकारी निदेशक
Non-Offcial Director



श्री एन. नित्यानंद
Shri N. Nityananda

गैर-सरकारी निदेशक
Non-Offcial Director

सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चन्दरमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय की 9वीं मंजिल में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

1) दिनांक 31 मार्च 2017 को बैंक का लेखापरीक्षित स्टेंड एलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का स्टेंड एलोन एवं समेकित लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.

2) एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना.

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधनो के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (''योजना'') एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 समय समय पर यथासंशोधित के अनुसार एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और /अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2009 (सेबी (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) यथा अद्यतन संशोधित सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत एवं अन्य आवश्यक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों के तथा अन्य लागू कानूनों के अधीन एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करारों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं जिसे एतदद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे 'बोर्ड' कहा गया है) को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल है जिसे बोर्ड ने अपनी शक्तियों (इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित) के उपयोग के लिए गठित अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से उतनी संख्या में इक्विटी शेयर्स जिनका मूल्य ₹ 6500/- करोड़ (रुपए छः हजार पांच सौ करोड़ केवल) (प्रीमियम, यदि हो, सहित) हो, एक या एकाधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कंपनियों, निजी अथवा सार्वजनिक निवेश संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य उद्योग विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्यनिधियों, पेंशननिधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य निकायों, प्राधिकारियों अथवा निवेशकों की अन्य श्रेणियों जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (तत्समय लागू कानून द्वारा अनुमत निर्गम के उस भाग और उस श्रेणी के व्यक्तियों को पुष्ट आबंटन और/अथवा प्रतियोगी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की शक्ति प्रदान करता है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** अति आबंटन के विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हताप्राप्त संस्थानों को नियोजन ऐसे निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन सार्वजनिक निर्गमन (अर्थात, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और राइट्स इश्यू और/अथवा निजी तौर पर आबंटन द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रस्ताव, निर्गम नियोजन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (''सेबी आईसीडीआर विनियम'') के प्रावधानों तथा भारिबै, सेबी और कोई अन्य प्राधिकारी जो भी लागू हो, द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और यह उस तरीके तथा उन नियमों एवं शर्तों तथा उस समय समयांतरों में किया जाएगा जो निदेशक मंडल द्वारा अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति में उपयुक्त समझा जाता हो.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निदेशक मंडल को सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियम तथा कोई अथवा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने संपूर्ण विवेक से उन निवेशकों जो बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा न हों, को ऐसी कीमत जो आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्धारित कीमत से कम न हों, को इस प्रकार स्वयं तय करने और आवश्यकता पड़ने पर अग्रणी प्रबंधकों और अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्यथा तय करने हेतु प्राधिकृत होगा.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज

के साथ हुए सूचीबद्धता व्यवस्था के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारीकरण), 2000, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड(एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों जिन्हें संयुक्त रूप से (''सक्षम प्राधिकारी'' के तौर संदर्भित किया है) के अनिवार्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/ अथवा स्वीकृतियों के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति देते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, और/ अथवा स्वीकृति (जिन्हें इसमें ''आवश्यक अनुमोदन कहा गया है'') निदेशक मंडल अपनी सम्पूर्ण विवेकाधीन शक्ति के आधार पर समय-समय पर एक अथवा अधिक श्रृखलाओं में वारंट के सिवाय इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों, जो बाद में किसी समय इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनिमय योग्य हैं, को सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमत, नियम एवं शर्तों एवं अन्य प्रकार से तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में यथानिबंधित अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के अनुसार, किसी नियोजन दस्तावेज और अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/%ापनों के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को बोर्ड इस प्रकार निर्गम प्रस्ताव एवं आबंटन कर सकेगा कि बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार अर्हतापात्र संस्थागत नियोजन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निहितार्थों में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा एवं ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णता चुकता होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जायेगा.

बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अधिकतम 5% की छूट पर शेयर, प्रस्तावित करने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण की संगत तारीख, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार तय होगी.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए.

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** कि एनआरआई, एफआईआई एवं/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, यथालागू, के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगा.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** कथित नए इक्विटी शेयर्स, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के अधीन जारी किए जाएंगे और वे सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर्स के समान माने जाएंगे और वे घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई हो, के लिए सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो उनकी घोषणा के समय प्रचलित हैं, के लिए पात्र होंगे.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** किसी भी निर्गम अथवा इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु, निवेशकों की श्रृंखला, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले निर्गम पर प्रीमियम सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के नियमों को निर्धारित करने के लिए, निदेशक मंडल एतदद्वारा प्राधिकृत है और रहेगा तथा उन सभी कार्यों विलेखों व मामलों को करने तथा उन सभी विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों, जो इसके संपूर्ण विवेकाधिकारों में आवश्यक उचित अथवा वांछित हों, का निष्पादन करने तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम आबंटन एवं निर्गम प्राप्तियों के उपयोग के सम्बंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार का प्रश्न, कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान करने तथा सदस्यों के और अधिक अनुमोदन के बिना, बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने संपूर्ण विवेक में उचित एवं आवश्यक समझे जाने के अनुरूप उसके नियमों व शर्तों में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विचलनों, बदलावों, समापनों, जुड़ावों को प्रभावी करने तथा इस प्रस्ताव के द्वारा बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का उपयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** निदेशक मंडल एतदद्वारा किसी भी बुक-रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाजिटरी(रियों), पंजीयक(कों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसी सभी एजेन्सियों, जो इक्विटी/प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्तावों से सम्बंधित अथवा शामिल हैं, के साथ ऐसे सभी ठहरावों को करने एवं उनके निष्पादन के लिए प्राधिकृत है और रहेगा तथा ऐसे सभी संस्थानों एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस अथवा इसी प्रकार की अन्य

मदों हेतु पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेन्सियों के साथ ऐसे सभी ठहरावों, अनुबंधों,%ापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन करने के लिए निदेशक मंडल प्राधिकृत है और रहेगा.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** उपर्युक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं एवं/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर एतदद्वारा निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें शेयर्स/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई है), अंकित मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/वारंट के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयर्स एवं अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन पर प्रीमियम अथवा छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड अथवा बही बंदी की तिथि का निर्धारण तथा अन्य सम्बंधित अथवा प्रासंगिक मामले, भारत एवं/अथवा विदेश में एक अथवा एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता, निदेशक मंडल जो भी अपने संपूर्ण विवेकाधीन उचित समझे, सहित निर्गम(मों) का स्वरूप एवं नियमों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत है और रहेगा.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** इस तरह के उन शेयर्स/प्रतिभूतियों, जो अभिदत्त न हों, को निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक के अंतर्गत उस प्रकार से, जैसा निदेशक मंडल उचित समझे और जैसा विधि द्वारा अनुमत हो, के अनुसार निपटान कर सकेगा.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टत: उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है.''

''**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि** उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.''

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्त/-
(ए. के. दास)
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23.05.2017

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरणी

बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करता व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं.

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते /सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार दिनांक 23 जून, 2017 को सायं: 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस रविवार, 25 जून, 2017 है जो छुट्टी का दिन है.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार दिनांक 23 जून, 2017 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत कर दी जाए, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस रविवार, 25 जून, 2017 है जो छुट्टी का दिन है.

4. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.

5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/ प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में "प्रॉक्सी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि'', जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहिचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.

6. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 27 जून, 2017 (मंगलवार) से दिनांक 30 जून, 2017 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी.

7. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हक़दार नहीं होगा / होगी.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रुप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

8. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा.

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं.

10.1 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अत: शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें. आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है. शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि. साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों.

तदापि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें.

- बैंक का नाम

- शाखा का पता
- बैंक खाता संख्या
- शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- शाखा का आईएफएससी कोड

(अधिमानत: हमें एक निरस्त चेक/ चेक पन्ने की प्रतिलिपि प्रेषित करें).

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेयरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए.

10.2 डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं. हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं. तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरीज़ के पास दर्ज कराए गए पते पर ही लाभांश वारंट (डी.डब्लू.) के द्वारा भेजे गए हैं.

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत/अद्यतन कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था.

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि (जब भी घोषित किया जाय) सीधे जमा की जा सके. इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उपर्युक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं.

11. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या डुप्लीकेट लाभांश/मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.

12. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

I. कंपनी नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के खंड 44 के अनुपालन में बैंक, वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर ई वोटिग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ रिमोंट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

रिमोंट ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

(i) रिमोंट ई-वोटिंग समयावधि मंगलवार दिनांक 27 जून 2017 को प्रात: 10:00 बजे से प्रारंभ हो कर गुरुवार दिनांक 29 जून 2017 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी. इस समयावधि के दौरान शनिवार दिनांक 24 जून 2017 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों, अपने वोट इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

(ii) शेयर धारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें.

(iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.

(iv) अब अपना यूजर आईडी डालें

ए. डीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों के डीपी आईडी के पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी

सी. भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर एंटर करें.

(v) इसके पश्चात प्रदर्शित की गयी सत्यापन छवि को एंटर कर लॉग इन पर क्लिक करें.

(vi) यदि आपके पास शेयर्स डीमेट रूप में हैं एवं आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है एवं पूर्व में आपने किसी कंपनी / संगठन में वोटिंग की है तब आपके वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाए.

(vii) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

	डी मेट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकीय एल्फान्यूमेरिक * पैन एंटर करें. (डीमेट शेयरधारकों के साथ साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे निदर्शित पैन फील्ड में ईजीएम नोटिस के पते के स्टिकर में मुद्रित क्रम संख्या का उपयोग करें.
लाभांश बैंक विवरण	आपके डीमेट खाते अथवा लॉग-इन करने के लिए बैंक के रिकार्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें. यदि वे विवरण बैंक अथवा निक्षेपागार में अभिलेखित नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण अनुदेश (iv) में किए उल्लेख के अनुसार सदस्य आई डी / फोलियो नंबर में प्रविष्ट करें.

(viii) समुचित रूप से उक्त विवरण प्रविष्ट करने के पश्चात, ''सबमिट'' टेब पर क्लिक करें.

(ix) तब ऐसे शेयरधारक, जिनके शेयर्स भौतिक रूप में हैं, उनके लिए सीधा वोटिंग स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगा. तथापि वे सदस्य, जिनके शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं वे "पासवर्ड क्रियेशनह्न मेन्यु में पहुंचेंगे जहां उन्हें नये पास वर्ड फील्ड में अनिवार्यत: लॉग इन पासवर्ड एंटर करना होगा. कृपया नोट करें कि डीमेट शेयर धारकों द्वारा इस पासवर्डका उपयोग अन्य संस्था/कंपनी में यदि मतदान के लिए पात्र हों तो वहां भी संकल्पों की वोटिंग के लिए वे इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकेंगें, बशर्ते कि कंपनी/संस्था, द्वारा सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुना गया हो. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और इसे गोपनीय रखने के लिए पर्याप्त सावधानी वरतें.

(x) भौतिक स्वरूप में शेयरधारित करने वाले सदस्य, अपने विवरण, सिर्फ इस सूचना में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए ही कर सकते हैं.

(xi) संबंधित <कंपनी का नाम> जिस पर आप वोट करना चाहते हों के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें.

(xii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको ''संकल्प विवरण'' एवं इसके समक्ष वोटिंग के लिए हां / नहीं का विकल्प दिखाई देगा. अपनी इच्छानुसार हां अथवा नहीं के विकल्प का चयन करें. हां का विकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति दर्शाता है एवं नहीं का विकल्प आपकी असहमति दर्शाता है.

(xiii) यदि आप संकल्प का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हों तो 'रिजोल्यूशन्स फाइल' लिंक पर क्लिक करें.

(xiv) 'रिजोल्यूशन' का चयन करने के उपरांत, आपने वोट डालने का निर्णय लिया है, ''सबमिट'' पर क्लिक करें. एक कन्फरमेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ''ओ.के.'' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट परिवर्तित करने हेतु ''केंसिल'' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.

(xv) संकल्प पर एक बार अपना वोट 'कन्फर्म' करने के पश्चात आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी.

(xvi) आप वोटिंग पृष्ठ पर ''प्रिन्ट करने के लिए यहां क्लिक करें'' विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिन्ट ले सकते हैं.

(xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल जाता है तब यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन एंटर कर "फॉरगॉट पासवर्ड'' पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा दिये गये विवरण को एंटर करें.

(xviii) शेयर धारक एड्रॉयड आधारित मोबाइल पर उपलब्ध सीडीएसएल मोबाइल एप्प एम-वोटिंग उपयोग कर अपना वोट दे सकते हैं. यह एम-वोटिंग एप्प गुगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. एप्पल एवं विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमश: एप्प स्टोर एवं विंडोज फोन स्टोर से यह एप्प डाउनलोड कर सकते है. कृपया अपने मोबाइल से वोटिंग करते समय मोबाइल एप्प द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनुपालन करें.

(xix) गैर वैयक्तिक शेयरधारक एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉगइन कर अपने आपको कॉर्पोरेट के तौर पर पंजीकृत करना आवश्यक है.
- पंजीकरण फार्म पर संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर उसकी एक स्कैन प्रति helpdesk.evotingindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए.
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग कर अनुपालन प्रयोगकर्ता निर्मित किया जाना चाहिए. अनुपालनकर्ता उपयोगकर्ता उन खातों का लिंक देने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक है.
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के पश्चात वे वोट करने में सक्षम होंगे.
- बोर्ड के संकल्प एवं मुख्तारनामा जिसे अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया गया है, जांचकर्ता द्वारा जांचने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए.

(xx) ई- वोटिंग के मामले में यदि आपकी कोई शंका अथवा मुद्दा है, तो आप वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत पर उपलब्ध आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यू'') एवं ई-वोटिंग के मेन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं.

II कट-ऑफ तारीख दिनांक 24 जून 2017 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरोंधारकों के शेयरों के अनुपात में उनके वोटिंग अधिकार होंगे. तथापि, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.

III एक व्यक्ति, जिनका नाम सदस्यों के पंजीकरण में अथवा जमाकर्ता द्वारा सम्पोषित लाभार्थी स्वामी के पंजीकरण में रिकार्ड किया गया है, कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 24 जून, 2017 को एजीएम में रिमोर्ट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग/पूल की सुविधा के लिए पात्र होंगे.

IV कोई व्यक्ति जो बैंठक की सूचना भेजे जाने के पश्चात सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 24 जून, 2017 को शेयर धारण करते है, उपरोक्त दिए अनुसार यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते है.

V इस सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.

VI ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु ईजेडवाई के श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट्स एवं कोर्पोरेट लीगल एडवाजर को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.

VII जांचकर्ता, न्यूनतम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में मतों के अनब्लॉक करने ई-वोटिंग करने की अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवस से अनधिक अवधि के भीतर होंगे, जो बैंक के रोजगार में नहीं हैं और मतों की जांच रिपोर्ट, चाहे वह पक्ष अथवा विरूद्ध जैसी भी हो, तैयार कर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाएगी.

VIII जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में संकल्प परित करने के 2 दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.

व्याख्यात्मक विवरणी

एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

बासेल III के विनियमन के अनुसार, बैंक को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक सामान्य इक्विटी टीयर - 1 (सीईटी - 1) अनुपात न्यूनतम 5.5% एवं ईक्विटी पूंजी के रूप में 1.88% की पूंजी संरक्षण टियर 1 अनुपात 8.88% एवं समग्र सीआरएआर 10.88% बनाए रखना आवश्यक है. बासेल III की आवश्यकताओं को पूर्ण करने, बैंक की भावी विस्तार योजनाओं एवं तत्परिणामी पूंजी प्रभार, के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने के लिए, अपनी पूंजी में वृद्धि करना आवश्यक है.

अनुमानित वृद्धि के आधार पर, आपके निदेशकों ने ₹ 6500 करोड़ (रुपये छः हजार पांच सौ करोड़) तक की ईक्विटी पूंजी जुटाने करने का निर्णय लिया है एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक प्राधिकारियों एवं सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों सहित सभी लागू विनियमों के अधीन बैंक, ईक्विटी पूंजी उगाही विकल्पों यथा सार्वजनिक निर्गमों (अर्थात अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/अथवा अधिकार निर्गम और/अथवा निजी प्लेसमेंट और/अथवा आर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट्स और/अथवा अन्य किसी माध्यम का उपयोग कर सकता है.

यह विशेष संकल्प बोर्ड को एक या एकाधिक श्रृंखला में उस कीमत अथवा कीमतों तथा ऐसे समय अथवा समयांतरों एवं ऐसे निवेशकों को, जैसा बोर्ड अपने विवेक से उचित समझे, उसके अनुसार ईक्विटी शेयर्स जारी करने की शक्ति चाहता है. ईक्विटी शेयर्स के जारीकरण के विस्तृत नियम एवं शर्तें जब भी बनाए जाएंगे तब उन्हें बोर्ड द्वारा बाजार की प्रचलित स्थिति तथा अन्य संबद्ध घटकों पर ध्यान देते हुए बैंक के विचार से आवश्यक समझे जाने वाले मर्चेंट बैंकर्स, लीड प्रबंधकों, सलाहकारों एवं ऐसे अन्य प्राधिकारियों के परामर्श निर्धारित किया जाएगा.

अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट के माध्यम से उपरोक्तानुसार ईक्विटी शेयर्स जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

i. ईक्विटी शेयर्स के कीमत निर्धारित के प्रयोजन से संगत तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों के अध्याय VIII और/अथवा लागू अन्य विनियमों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में सदस्यों के अनुमोदन की प्राप्ति एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अंतर्गत तत्पश्चात आयोजित उस बैठक की तारीख होगी जिसमें बोर्ड अथवा पूंजी उगाही समिति इक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम को खोलने का निर्णय लिया जाता है.

ii. चूंकि शेयर प्रस्ताव का कीमत निर्धारण बाद के चरणों से पूर्व नहीं किया जा सकता अतः जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत व्यक्त करना सम्भव नहीं है. तथापि, यह समय समय पर संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एण्ड मीटिंग्स) विनियम, 1998 अथवा अन्य दिशानिर्देशों/विनियमों/सहमतियों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे, जो लागू हों अथवा अपेक्षित हों.

iii. पूर्ण दत्त शेयरों का निर्गमन एवं आबंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के निहितार्थ में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को ही किया जाएगा और इनका आबंटन, उपर्युक्त संकल्प के पारित होने की तिथि से 12 महीने के अन्दर किया जाएगा.

iv. प्रस्ताव के विस्तृत नियम एवं शर्तें बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परामर्शकों, अग्रणी प्रबन्धकों एवं हामीदारों और अन्य वांछित ऐसे प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर तय किए जाएंगे.

v. प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार, अतिआबंटन, यदि कोई हो, को मिलाकर इस प्रकार जुटाई गई कुल राशि पिछले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शित बैंक की निवल मालियत के 5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए.

vi. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों द्वारा समय समय पर दी गई अनुमति के अलावा ये बिना प्रतिभूतियां इनके आबंटन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक अंतरण/विक्रय किए जाने के पात्र नहीं होंगी.

vii. आबंटित इक्विटी शेयर डिविडेंड सहित हर प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समकक्ष होंगे.

आपके निदेशकगण इस कार्य सूची के नोटिस में यथा-उल्लेखित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

बैंक के निदेशकगण को बैंक में उनकी वैयक्तिक क्षमता में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक इस संकल्प हेतु सम्बद्ध एवं इच्छुक माना जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्त/-
(ए. के. दास)
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23.05.2017

कुल व्यवसाय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17
कुल व्यवसाय	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)
कुल जमा	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%
कुल ऋण एवं अग्रिम	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)
निवेश	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%
सीडी अनुपात	64.62%	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.62%	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)

लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17
सकल आय	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)
सकल व्यय	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)
परिचालन लाभ	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%
शुद्ध लाभ	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	----	----
निम (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.78	2.51
शुद्ध ब्याज आय	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)
गैर-ब्याज आय	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%

निदेशक रिपोर्ट 2016-17

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद-प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है.

1. कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

- दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 449679 करोड़ रहा जो 31 मार्च, 2016 को ₹ 456336 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक की कुल जमा राशि ₹ 296671 करोड़ हो गयी जो मार्च 2016 में ₹ 266184 करोड़ थी. यह वर्ष-दर-वर्ष 11.45% की वृद्धि दर्शाता है.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक के कुल अग्रिम ₹ 153008 करोड़ रहा, जो मार्च 2016 में ₹ 190152 करोड़ था. यह कमी आईबीपीसी सहभागिता के माध्यम से ₹ 22991.22 करोड़ की ऋण आस्तियों की बिक्री की वजह से हुई.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल आय ₹ 27537 करोड़ हुई जबकि दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹ 27825 करोड़ थी.
- बैंक की गैर-ब्याज आय वर्ष-दर-वर्ष 48.38% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2017 को ₹ 2876 करोड़ हुई जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को ₹ 1938 करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का परिचालन लाभ वर्ष-दर-वर्ष 16.92% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 3089 करोड़ हुआ, जो पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 2642 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही में शुद्ध हानि घटकर ₹ 592 करोड़ हुई जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही में ₹ 898 करोड़ थी. फिर भी दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक को ₹ 2439 करोड़ शुद्ध हानि हुई है.
- वर्ष के दौरान कर्मचारी व्यय ₹ 251 करोड़ की कमी के साथ ₹ 4214 करोड़ हुआ जो पिछले वर्ष ₹ 4465 करोड़ था.
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-II के अंतर्गत) 11.28% था, जिसमें टीयर- I, 7.16% था. पिछले वर्ष यह अनुपात 11.07% था. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-III के अंतर्गत) 10.95% था, जिसमें टीयर-I, 8.62% था. पिछले वर्ष यह अनुपात 10.41% था.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक की शुद्ध मालियत ₹ 14735.84 करोड़ रही.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में नकद वसूली बढ़कर 2378 करोड़ हो गयी जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 1287 करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आस्तियों का उन्नयन सुधरकर ₹ 1183 करोड़ हो गयी जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 608 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में सकल अग्रिमों में सकल एनपीए बढ़कर 17.81% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 11.95% था. यह वृद्धि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार के लिए आईबीपीसी सहभागिता के माध्यम से ₹ 22991.22 करोड़ की ऋण आस्तियों की बिक्री की वजह से हुई.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए बढ़कर 10.20% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 7.36% था.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रोविजन कवरेज अनुपात बढ़कर 58.43% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 51.52% था.
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.51% रहा.

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹ 11.81 करोड़ रहा.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (0.80%) रहा.
- वर्ष 2016-17 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन ₹ 82771 करोड़ से बढ़कर ₹ 88085.80 करोड़ हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5314.80 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है. तथापि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में आधिक्य का फायदा उठाते हुए बैंक ने ₹ 1065 करोड़ के पीएसएलसी तथा ₹ 8761.80 करोड़ आईबीपीसी का विक्रय किया. इस बिक्री के बावजूद प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में ₹ 1621.40 करोड़ का आधिक्य रहा.
- बैंक का कृषि अग्रिम वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 36760 करोड़ से बढ़कर ₹ 37537 करोड़ हो गया जो वर्ष-दर-वर्ष 2.11% की वृद्धि दर्शाता है.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में एमएसएमई अग्रिम ₹ 30701 करोड़ हुआ जो कुल ऋण एवं अग्रिमों का 20.06% है.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रिटेल ऋण ₹ 32008 करोड़ हुआ जो कुल ऋण एवं अग्रिमों का 20.92% है.
- आवास ऋण पोर्टफोलियो ₹12510 करोड़ हुआ जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल रिटेल पोर्टफोलियों का 39.08% है.
- बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), ओड़ीसा (1) एवं असम (1) में स्थापित किए हैं. वर्ष 2016-17 के दौरान, आरसेटी ने 1153 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें 31961 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है. इनमें से 26511 (अर्थात 83%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते एवं स्व-वित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है.
- बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2017 तक 3 राज्यों के 47 जिलों में 1629 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं.
- बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम की जनसंख्या वाले 18,376 गांवों को कवर किया है. बैंक ने ये सभी गांव 6,387 बीसी एजेन्ट के माध्यम से कवर किए हैं. हमने 176 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र भी खोले है. बैंक ने बीसी एवं शाखाओं के माध्यम से 170.89 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते (बीएसबीडीए) खोले है. दिनांक 31 मार्च,2017 को इन खातों में कुल जमा शेष ₹ 2070.14 करोड़ था.
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में, बैंकाश्युरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹17.07 करोड़ हुई.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को पूरे देश में बैंक के नेटवर्क में 4714 शाखाएं, 3677 अति-सूक्ष्म शाखाएं (यूएसबी), 5285 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं.

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2016-17 की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए जा रहे हैं :

₹ करोड़ में

		31.03.2017	31.03.2016	विचलन	%
1	ब्याज आय	24661	25887	(1226)	(4.73)
	-अग्रिम	16283	18978	(2695)	(14.20)
	-निवेश	7372	6474	898	13.87
	-अन्य	1006	435	571	131.26
2	गैर ब्याज आय	2876	1938	938	48.40
3	कुल आय (1+2)	27537	27825	(288)	(1.03)
4	प्रदत्त ब्याज	18087	18822	(735)	(3.90)
	-जमाराशियां	17330	17653	(323)	(1.83)
	-अन्य	757	1169	(412)	(54.43)

		31.03.2017	31.03.2016	विचलन	%
5	परिचालन व्यय	6361	6361	0	0
	-स्थापना	4214	4465	(251)	(5.62)
	-अन्य	2147	1896	251	13.24
6	कुल व्यय (4+5)	24448	25183	(735)	(2.92)
7	स्प्रैड (1-4)	6574	7065	(491)	(6.95)
8	परिचालन लाभ (3-6)	3089	2642	447	16.91
9	प्रावधान	5528	4060	1468	36.15
10	कर के लिए प्रावधान	(1090)	(1251)	161	(12.87)
11	शुद्ध लाभ	(2439)	(1418)	(1021)	(72.00)

3. प्रावधान

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹ 5528 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017	31.03.2016	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(164)	470	(634)
एनपीए के लिए प्रावधान	6216	4913	1303
पुनर्संरचित खातों के लिए प्रावधान	321	(1235)	1556
निवेश के लिए प्रावधान	300	851	(551)
करों के लिए प्रावधान	(1090)	(1251)	161
अन्य	(55)	312	(367)
कुल	5528	4060	1468

4. लाभप्रदता अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2017	31.03.2016
जमाओं की लागत	6.20	6.86
निधियों की लागत	6.27	6.95
अग्रिमों पर आय	9.01	10.09
निवेशों पर आय	7.38	7.46
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.51	2.78
लागत आय अनुपात	67.31	70.65

5. व्यावसायिक अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2017	31.03.2016
ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	8.10	8.85
गैर-ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	0.94	0.66
परिचालन लाभ एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	1.01	0.90
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	(0.80)	(0.48)
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)	11.81	11.95
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	(6.49)	(3.76)

6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संविभाग निम्नानुसार हैं :

	31.03.2017		31.03.2016	
	बासल-II	बासल-III	बासल-II	बासल-III
टियर-I	7.16	8.62	7.44	8.20
टियर-II	4.12	2.33	3.63	2.21
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.28	10.95	11.07	10.41

7. शुद्ध हानि

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 2439 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर पर कोई किसी प्रकार का लाभांश देने की संस्तुति नहीं की है.

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- श्री एस.बी. रोडे अधिकारी कर्मचारी निदेशक, दिनांक 01.04.2016 को कार्य समय की समाप्ति पर अपना निर्धारित कार्यकाल पूर्ण कर कार्य निवृत्त हुए.
- श्री एन. नित्यानंद को दिनांक 21 जून, 2016 से तीन वर्ष की अवधि के लिए सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है.
- श्री गुरबख्श कुमार जोशी, कर्मकार कर्मचारी निदेशक, दिनांक 09.07.2016 को कार्य समय की समाप्ति पर अपना निर्धारित कार्यकाल पूर्ण कर कार्य निवृत्त हुए.
- श्रीमती एन. एस. रत्नप्रभा, अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक दिनांक 18.12.2016 को कार्य समय की समाप्ति पर अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्य निवृत्त हुई.
- श्री आर. के. गोयल, दिनांक 31.12.2016 को बैंक कार्य समय की समाप्ति पर अधिवर्षिता प्राप्त कर बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए.
- श्री पी. रमण मूर्ती को दिनांक 17.02.2017 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है.
- श्री आर. सी. लोढ़ा, दिनांक 28.02.2017 को बैंक कार्य समय की समाप्ति पर अधिवर्षिता प्राप्त कर बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए.

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए श्री एस.बी. रोडे, श्री गुरबख्श कुमार जोशी, श्रीमती एन. एस. रत्नप्रभा, श्री आर. के. गोयल एवं श्री आर. सी. लोढ़ा द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित करता है.

9. पर्दाफाश नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफाश शिकायतों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है. बैंक का 'सेंट विजिल' नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारों की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ मुख्य सतर्कता अधिकारी को ही %ाात होती है. निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं. इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढाने में मदद मिलती है.

10. व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट

व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34 के अंतर्गत निर्धारित है जो बैंक की वेबसाइट (www.centralbankofindia.co.in) पर उपलब्ध है. इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति बैंक के प्रधान कार्यलय में कम्पनी सचिव को लिख कर इसे प्राप्त कर सकता है.

11. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय;

- ❖ महत्त्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- ❖ समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- ❖ भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं; एवं
- ❖ लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर, लेखे तैयार किए गए हैं.
- ❖ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे.
- ❖ सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गयी है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से कार्यरत हैं.

12. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरश: अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है.

13. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है.

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23 मई, 2017

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रबंधतंत्र विचार एवं विश्लेषण

भाग ए: आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2016 के दौरान वैश्विक प्रगति की दर में रही मंदी के पश्चात वर्ष 2017 में इसमें तेजी आने की उम्मीद है. भावनात्मक पहलुओं के बढ़ने से यूएस की आर्थिक प्रगति में सुधार के आसार हैं. बेरोजगारी में कमी एवं मुद्रा स्फीति के बढ़ने से विदेशी विनिमय दरों में वृद्धि हुई है. नई सरकार द्वारा अनुमानित वित्तीय प्रोत्साहनों से विकास की सम्भावनाओं को और अधिक बल मिलेगा. डॉलर में मजबूती, बढ़ते हुए संरक्षणवाद इत्यादि के कारण यू.एस. में काफी हद तक विकास बाधित हुआ है. यूरोजोन सतत मौद्रिक प्रोत्साहन के चलते संतुलित विकास पथ पर कायम रहा है. इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाएं ''ब्रेक्जिट'' समझौते के परिणामों पर भी निर्भर होंगी. वृद्धिशील उत्पादन एवं निर्यात, जापानी अर्थव्यवस्था के लिए काफी मददगार रहे हैं. चीन ने पिछले वर्ष अपनी अर्थव्यवस्था को पुन: संतुलित करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था की मन्दी से बचने के लिए घरेलू उपभोग संवर्द्धित विकास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है. वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के कारण कुछ वस्तु निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं को अवश्य राहत मिलेगी.

भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी के ''अल्पकालिक'' प्रभाव से उबर रही है. नोटबंदी के कारण बैंकिंग सिस्टम में भारी मात्रा में एकत्र हुई जमा राशियों से ऋणों की वृद्धि में सहायता मिलेगी. इसके साथ ही वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में घोषित अनुकूल उपायों से इस वृद्धि में और भी उछाल आएगा. वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से भी आर्थिक प्रगति में मदद मिलेगी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ष 2017-18 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.2% रहने के पूर्वानुमान पर अभी भी कायम है. भारतीय अर्थव्यवस्था की पूर्व में अनुमानित वृद्धि दर भी 6.6% से बढ़कर 6.8% होने का अनुमान है. वित्तीयवर्ष 2016-17 में मुद्रा स्फीति कम होकर 4.5% रह गयी है जो कि वर्ष 2015-16 में 4.9% थी. इस दौरान शक्कर एवं दलहनों की कीमतें उच्च स्तर पर बनी रही. वस्तुओं की बढ़ती हुई वैश्विक कीमतों एवं मौद्रिक अस्थिरता से मुद्रास्फीति का खतरा और भी बढ़ गया है.

दीर्घकालीन मंदी के बाद निर्यात में अनुकूल सुधार हुआ. आयात में वृद्धि तेल के आयात के बढ़ते हुए बिल के कारण हुई है. वर्ष 2016-17 में चालू खाते में घाटे का अनुपात जीडीपी का लगभग 1% रहने का अनुमान है. अप्रैल से दिसम्बर 2016-17 के दौरान संचयी आधार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रगति की दर दो अंकों में रही है. हाल ही में, पोर्टफोलियों निवेश में भी सकारात्मक रुख देखने को मिला है.

स्थिर सरकार, नीतिगत पहलों, सुधारात्मक उपायों एवं कार्यशील जनसांख्यकीय अनुकूलता के कारण मध्यावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहना संभावित है.

बदलता बैंकिंग परिदृश्य

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कठिन दौर अभी भी जारी है. बैंकिंग उद्योग को मुख्य चुनौती निरंतर बढ़ती अनर्जक आस्तियों से है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भुगतान बैंक तथा निजी एवं विदेशी बैंकों जैसी अन्य संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना होगा. नोटबंदी के कारण बैंकिंग उद्योग में जमा राशियां बढ़ने से नकद आधारित उद्योग प्रभावित हुए है. कॉर्पोरेट तुलन-पत्रों में दबाव के चलते ऋणों में वृद्धि भी मंद रही है. भारतीय रिजर्व बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की विशिष्टताओं में संशोधन किया है तथा बैंकों पर निगरानी रखने के लिए आस्ति गुणवत्ता एवं लाभप्रदता पर जोर देने के साथ साथ तीनों जोखिमों की प्रारम्भिक सीमा को भी परिभाषित किया है. वसूली प्रक्रिया की गति को बढ़ाने में दिवालियापन सुधार कानून 2016 एक स्वागतयोग्य कदम है.

भाग बी - बैंक का कार्यनिष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च 2017 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 449679 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष के ₹ 456336 करोड़ में (1.46) प्रतिशत की कमी दर्शाता है. उच्च लागत + सीओडी में ₹ 1452 करोड़ की कमी तथा ₹ 2617 करोड़ के डिस्कॉम अग्रिमों को बांड में परिवर्तित करने तथा ₹ 22991 करोड़ की ऋण आस्तियों (आईबीपीसी) की बिक्री के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान व्यवसाय में ₹ 27060 करोड़ की कमी हुई है, अन्यथा मार्च 2016 पर व्यवसाय वृद्धि दर 4.47% होती.

परिचालन लाभ पिछले वर्ष ₹ 2642 करोड़ की तुलना में ₹ 3089 करोड़ रहा जो कि 16.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. बैंक ने वर्ष 2016-17 में प्रावधानों में वृद्धि के कारण ₹ 2439 करोड़ की शुद्ध हानि दर्शायी है जो पिछले वर्ष ₹ 1418 करोड़ थी.

संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च 2017 को कुल जमा राशि ₹ 296671 करोड़ थी. उच्च लागत की जमा + सीओडी की कुल राशि ₹ 1452 करोड़ को घटाकर देखा जाय तो जमा राशियों में पिछले वर्ष की जमा पर 11.45% की वृद्धि हुई है अन्यथा यह 12% होती. बचत बैंक जमा, वर्ष 2016-17 में 25.00% की वृद्धि के साथ ₹ 103102 करोड़ हो गयी जो पिछले वर्ष ₹ 82485 करोड़ थी. चालू जमा राशि वर्ष 2015-16 के ₹ 11970 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 13207 करोड़ हो गयी. कुल जमा में कासा का प्रतिशत जो पिछले वर्ष 35.48% था वह इस वर्षबढ़कर 39.20 % हो गया है. कुल सकल जमा राशियां वर्ष दर वर्ष 11.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2016-17 में बढ़कर ₹ 290972 करोड़ हो गयी जो वर्ष 2015-16 में ₹ 260101 करोड़ थी. जबकि कोर मियादी जमा 2015-16 के ₹ 156921 करोड़ पर 7.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2016-17 में ₹ 169384 करोड़ के स्तर तक पहुंच गयी.

बैंक में इंड एएस के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं प्रगति

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ एवं तत्पश्चात लेखांकन अवधि के लिए बैंकों में भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) के क्रियान्वयन संबंधी रूपरेखा प्रस्तुत की है. बैंक ने एक इंड-एएस सलाहकार को सेवाओं के लिए नियुक्त किया है, एक कोर इंड-एएस टीम का गठन कर क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया है. इसकी प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में संचालन समिति बनाई गयी है. बैंक का निदेशक मंडल तथा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति इंड-एएस क्रियान्वयन की प्रगति की आवधिक समीक्षा करते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक ने 30 सितम्बर, 2016 को समाप्त छमाही के लिए प्रोफार्मा वित्तीय विवरणी दिनांक 30.11.2016 को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है.

ऋण

मार्च 2017 में बैंक का सकल ऋण ₹ 153008 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष मार्च, 2016 में ₹190152 करोड़ था. यह कमी आईबीपीसी सहभागिता के माध्यम से ₹ 22991.22 करोड़ की ऋण आस्तियों की बिक्री के कारण हुई है.

ऋण निगरानी

- बैंक ने सुपरिभाषित निगरानी नीति शुरू की है, जिसमें एसएमए (विशेष उल्लिखित खाते) प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, इसमें एसएमए प्रबंधन के सभी क्षेत्र, त्वरित चेतावनी संकेतक, निगरानी एवं अनुवर्ती उपाय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली को समाहित किया गया है.
- मई 2011 में निदेशक मंडल द्वारा इस नीति का अनुमोदन किया गया है और दिनांक 1 जुलाई, 2011 से पूरे बैंक में इसे लागू किया गया है. बोर्ड के अनुमोदन के अनुरूप समय-समय पर नीति में संशोधन किए जा रहे हैं.
- महाप्रबंधक के स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत दिनांक 1 अगस्त, 2011 से ऋण निगरानी के लिए एक पृथक वर्टिकल बनाया गया है.
- निगरानी नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय कार्यालय, सभी आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कॉर्पोरेट वित्त शाखाओं के स्तर पर प्रत्येक माह मानक अनियमित/एसएमए खातों की पुनरीक्षा करने के लिए निगरानी समितियां गठित की गई हैं एवं ऋण निगरानी की संपूर्ण कार्रवाई की संगठित पुनरीक्षा माह में एक बार की जाती है.
- निगरानी दक्षता/जागरुकता विकसित करने के लिए, उप क्षेत्रीय प्रबंधकों/ऋण समीक्षा अधिकारियों सहित फील्ड स्टाफ सदस्यों के लिए कई कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं.
- दबावग्रस्त खातों की आस्ति गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए कार्यनीतियां बनाने हेतु, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों में स्थानीय बैठकों का आयोजन किया गया एवं/अथवा फील्ड वसूली टीम/क्षेत्रीय प्रबंधक/आंचलिक प्रबंधक/केन्द्रीय कार्यालय द्वारा एसएमए उधारकर्ताओं के साथ बैठक की गई.
- बैंक ने कॉर्पोरेट, एसएमई, रिटेल तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर रीयलटाइम निगरानी के लिए केन्द्रीकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली एवं पर्यवेक्षण (क्लास) निगरानी मॉड्यूल सॉफ्टवेयर का भी कार्यान्वयन किया है.
- सघन ऋण निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ऑफसाइट निगरानी पर्यवेक्षण प्रणाली हेतु भी कदम उठाए गए हैं.
- ₹ 5 करोड़ एवं उससे अधिक के नए/ऋण सीमा वृद्धि के अग्रिमों में संवितरण पूर्व लेखापरीक्षा तथा ₹ 1 करोड़ एवं उससे अधिक के नए अग्रिमों में संवितरण के 30 दिन के अंदर लेखापरीक्षा करना प्रारंभ किया गया है.
- एसएमए खातों में दिनांक 01.02.2017 से अनुवर्ती कार्रवाई कॉल सेंटर द्वारा की जा रही है.

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण अथवा इतर तुलन-पत्र जोखिम के तुल्य ऋण, में से जो भी अधिक हो, का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किया जाना है. अत: इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह बैंक के लिए अत्यंत महत्व का क्षेत्र है. हमने कृषि, एमएसएमई, आवास, शैक्षिक एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य प्रमुख घटकों में ऋण प्रवाह बढाने पर विशेष ध्यान दिया है. इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत हमारी प्रगति प्रभावपूर्ण रही है.

दिनांक 31.03.2017 को प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है :-

₹ करोड़ में

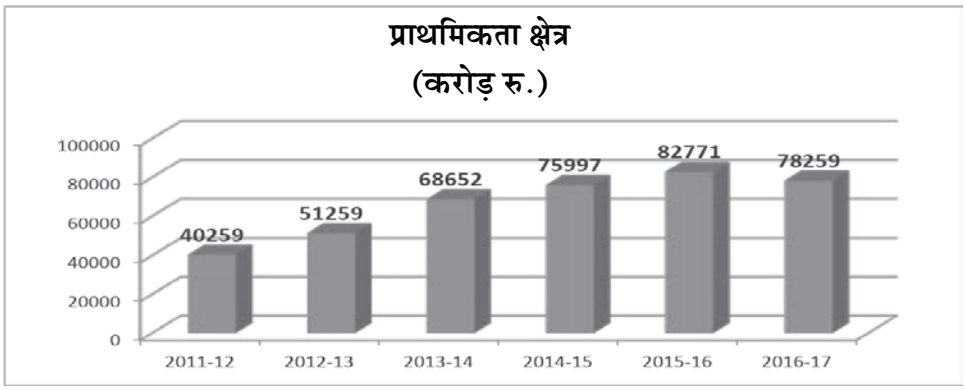
एाढ. सं.	विवरण मार्च 2016	मार्च 2016	मार्च 2017	वृद्धि (%)
	समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी)	199535	206155.21	3.32
1	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (एएनबीसी का प्रतिशत)	82771 (41.48)	78259.00 (37.96*)	(5.45) (3.52)
2	कुल कृषि ऋण (एएनबीसी का प्रतिशत)	36760 (18.42)	37537.00 (18.21)	2.11 (0.21)
3	एमएसएमई	30526	29531.00	(3.26)
4	शैक्षणिक ऋण	3081	1909.00	(38.04)
5	आवास ऋण (₹25.00 लाख तक)	12340	8547.00	(30.74)
6	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	169	94.00	(44.38)
7	नवीकरणीय ऊर्जा	22	8.00	(63.64)
8	सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर	11	10.00	(9.09)

*₹ 1065 करोड़ के पीएसएलसी एवं ₹ 8761.80 करोड़ के आईबीपीसी बिक्री के समायोजन के पश्चात.

नोट : औसत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ₹ 82465.00 करोड़ है जबकि सांविधिक अनिवार्यता (एएनबीसी का 40%) ₹ 80843.61 करोड़ है.

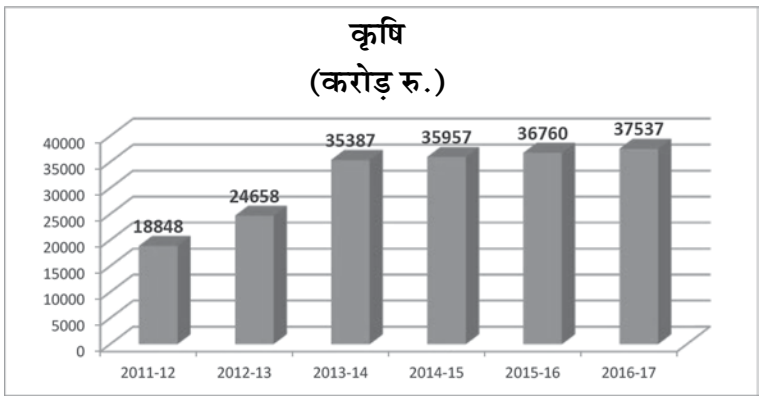
प्राथमिकता क्षेत्र

❖ वर्ष 2016-17 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन बढ़कर ₹ 88085.80 करोड़ हुआ जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5314.80 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है. तथापि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में आधिक्य का फायदा उठाते हुए बैंक ने ₹ 1065 करोड़ के पीएसएलसी तथा ₹ 8761.80 करोड़ आईबीपीसी का विक्रय किया. इस बिक्री के बावजूद प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में ₹ 1621.40 करोड़ का आधिक्य रहा.



कृषि

बैंक का कृषि अग्रिम दिनांक 31.03.2017 को बढ़कर ₹ 37537 करोड़ हो गया जो दिनांक 31.03.2016 को ₹ 36760 करोड़ था. यह वर्ष-दर-वर्ष 2.11% की वृद्धि दर्शाता है. समायोजित शुद्ध बैंकऋण (एएनबीसी) में कृषि ऋण का प्रतिशत 18.21% है. जबकि निर्धारित लक्ष्य 18% है.



कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु की गई नई पहलें :

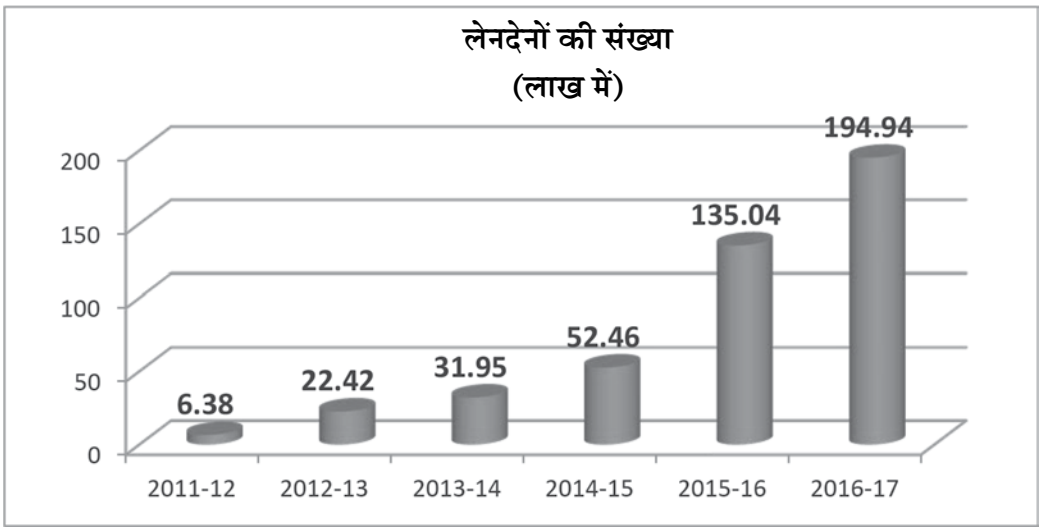
विशिष्ट ऋण अभियान :

- हमारी सभी ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं में कृषि ऋणों का प्रचार एवं नए ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक माह में कम-से-कम एक मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया.

वित्तीय समावेशन (एफआई)

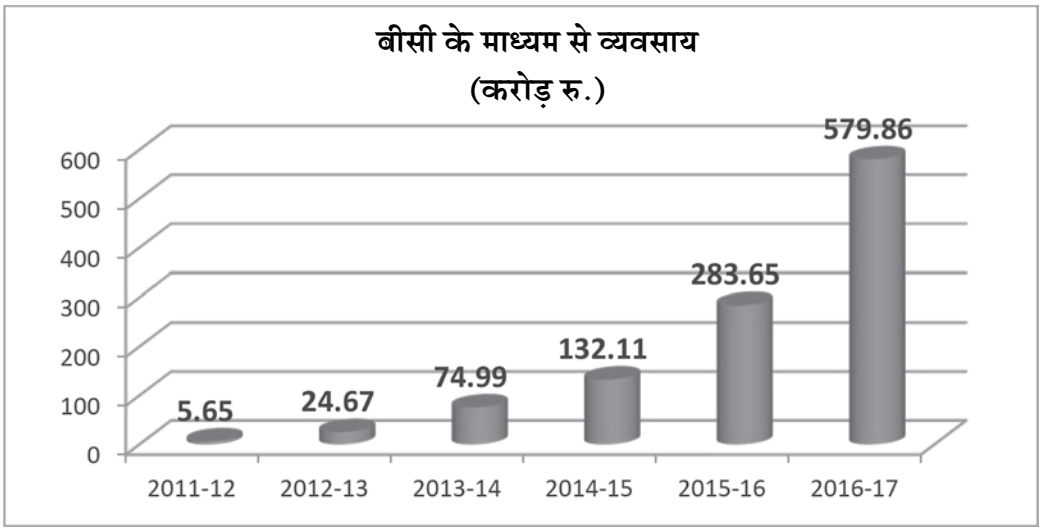
- बैंक ने 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम जनसंख्या के 18,376 गांवों को कवर किया है. बैंक ने इन गांवों को 6,387 बीसी एजेंटों के माध्यम से कवर किया.

1. हमने 176 शहरी वित्तीय समावेशन केन्द्र खोले हैं.
2. लेनदेनों की संख्या:



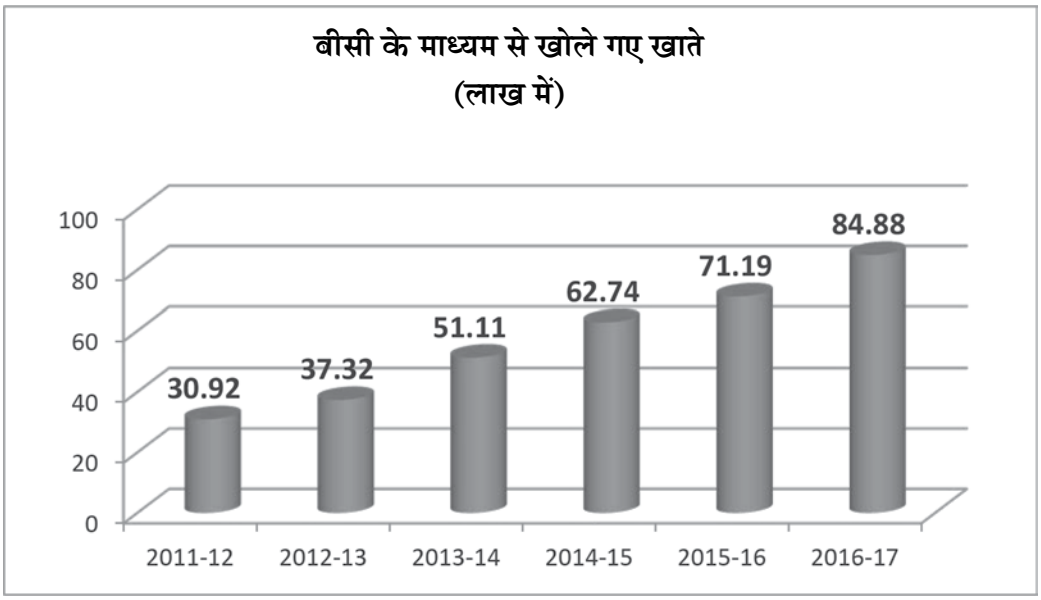
वित्तीय लेनदेनों में बीसी के माध्यमों से खोले गए खातों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में लेनदेन बढ़कर 194.94 लाख (वर्ष दर वर्ष 44.35 % वृद्धि) हो गए जो वित्तवर्ष 2015-16 में 135.04 लाख थे.

3. **बीसी के माध्यम से व्यवसाय**



बीसी के माध्यम से व्यवसाय बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2017 को ₹ 579.86 करोड़ हो गया है जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को ₹ 283.65 करोड़ था: 104.42% की वृद्धि.

4. **बीसी के माध्यम से खाते खोलना:**



बीसी के माध्यम से खोले गए खातों की संख्या दिनांक 31 मार्च, 2016 के 71.19 लाख से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2017 को 84.88 लाख हो गई है: 19.23 % की वृद्धि.

5. बैंक ने अपनी शाखाओं एवं बीसी की माध्यमों से 170.89 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट (बीएसबीडीए) खोले हैं. इन खातों में कुल जमा शेष ₹ 2070.13 करोड़ है.

सामाजिक सुरक्षा योजना (जन-धन से जन-सुरक्षा)

पीएमजेडीवाई की असीम सफलता के बाद, दिनांक 09 मई, 2015 को भारत सरकार द्वारा जन-धन से जन-सुरक्षा की टैगलाइन पर सूक्ष्म बीमा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा सूक्ष्म पेंशनर्स क्षेत्र के अंतर्गत अटल पेंशन योजना(एपीवाई) नामक तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का शुभारम्भ किया गया. इन योजनाओं के अंतर्गत मुख्यत: असंगठित क्षेत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को लक्षित किया गया है, किन्तु अन्य भी पंजीकरण करवा सकते हैं.

सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रगति

योजना	2015-16	2016-17
पीएमजेजेबीवाई	1256559	1284321
पीएमएसबीवाई	2933664	3020463
एपीवाई	54067	86740

एसएसएस के अंतर्गत दावों का निपटान

FY	योजना	बैंक में पंजीकृत बीमा दावों की सं.	कंपनी में प्रस्तुत दावों की सं	निपटाए गए दावों की सं		बैंक में लंखित दावे	कंपनी में लंबित दावों की सं.
				प्रदत्त दावा	निरस्त दावे		
2015-16	**पीएमजेजेबीवाई**	1147	1147	872	28	0	0
	पीएमएसबीवाई	288	288	185	66	0	0
	कुल	**1435**	**1435**	**1057**	**94**	**0**	**0**
2016-17	**पीएमजेजेबीवाई**	2887	2863	2730	46	24	87
	पीएमएसबीवाई	823	818	742	45	5	31
	कुल	**3946**	**3917**	**3677**	**119**	**29**	**121**

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान एफआई-पीएमजेडीवाई की प्रमुख उपलब्धियां

- बीसी आउटलेट के माध्यम से व्यवसाय 104.43 % की वृद्धि के साथ ₹ 283.65 करोड़ से बढ़कर ₹ 579.86 करोड़ हो गया.
- वित्तीय समावेशन व्यवसाय 61.99% की वृद्धि के साथ ₹ 1277.92 करोड़ से बढ़कर ₹ 2070.14 करोड़ हो गया.
- पीएमजेडीआई सक्रिय खातों में आधार सीडिंग 49% से बढकर 83.94% तथा सभी सक्रिय बचत खातों में यह 28% से बढ़कर 74.99% हो गया.
- बीसी-आउटलेट्स के माध्यम से कुल लेनदेनों की संख्या 44.38% की वृद्धि के साथ 135.04 लाख से बढ़कर 194.97 लाख हो गए.
- बीएसबीडी खातों की संख्या 8.67 % की वृद्धि के साथ 157.26 लाख से बढ़कर 170.89 लाख हो गई.
- ₹ 10 लाख से अधिक के व्यवसाय वाले बीसी की संख्या में 104.35% की वृद्धि हुई और ये 758 से बढ़कर 1549 हो गई. इसी प्रकार ₹ 1 करोड़ से अधिक के व्यवसाय वाले बीसी की संख्या में 320% की वृद्धि हुई और ये 10 से बढ़कर 42 हो गए.

अग्रणी बैंक के तहत कार्यनिष्पादन

- हम सात राज्यों यथा; मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महाराष्ट्र(7), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), राजस्थान(3) एवं छतीसगढ़(4) के 51 जिलों में अग्रणी बैंक के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं. हमारी 50% से अधिक एवं लगभग 25% शाखाएं क्रमश: इन राज्यों एवं अग्रणी जिलों में कार्यरत हैं.
- अग्रणी बैंक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, अग्रणी जिला प्रबंधकों के कार्यालयों को पर्याप्त सुविधाओं युक्त बनाया गया है तथा स्टाफ की समुचित व्यवस्था की गई है. साथ ही, अन्य बुनियादी सुविधाएं, यथा-पृथक/अच्छा परिसर, वाहन, कंप्यूटर/लैपटॉप (स्काइप सुविधायुक्त) तथा प्रिंटर, टेलीफोन, इन्टरनेट सुविधा, ई-मेल आईडी, मोबाइल, फैक्स, वेबसाइट की स्थापना इत्यादि भी उपलब्ध कराई गई हैं.

- हमने ग्रामीण इलाकों की आम जनता/लोगों को लोगों को उनसे सम्बंधित हमारे बैंक के विभिन्न उत्पादों से परिचित कराने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड, सेन्ट्रल अर्टिजन क्रेडिट कार्ड, स्वाभिमान/आधार इत्यादि को एलडीएम को प्रदत्त गाड़ियों पर प्रदर्शित किया है.
- वार्षिक ऋण योजना के तहत अग्रणी जिलों में स्थित हमारी शाखाओं का कार्यनिष्पादन 83% रहा है, जबकि सभी बैंकों का कुल मिलाकर अग्रणी जिलों में कार्यनिष्पादन 82% है.
- हमने सशक्तीकरण, युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण एवं ऋण संबद्धता के माध्यम से समन्वित विकास के लिए प्रत्येक अग्रणी जिले में एक-एक गांव का चयन किया है. सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सभी विकासपरक गतिविधियों जैसे वित्तीय शिक्षा/वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आरसेटी में ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह/कृषक क्लब/जेएलजी का गठन, ऋण गतिविधियों का पूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है. अग्रणी जिले के अन्य गांवों में भी इनकी प्रतिकृति दर्शाई जा रही है.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति :

- मध्य प्रदेश राज्य में हमारा बैंक एसएलबीसी का समन्वयक है. वर्ष 2016-17 के दौरान, विभिन्न एजेन्सियों द्वारा सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों सहित विभिन्न पैरामीटरों के अंतर्गत राज्य में की गई प्रगति की समीक्षा तथा उस पर निगरानी रखने हेतु तीन नियमित एसएलबीसी बैठकें आयोजित की गईं. दिनांक 04 मार्च, 2017 को आयोजित पिछली एसएलबीसी की बैठक में सुश्री अंजुली छिब दुiiाल, सचिव डीएफएस, भारत सरकार ने भी सहभागिता की.
- समय समय पर हम बैंकों के मुद्दों को निपटान हेतु भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते रहे है. दिनांक 04 मार्च, 2017 को आयोजित पिछली एसएलबीसी की बैठक में हमने सूचित किया था कि राज्य के कुछ आरटीओ ने बैंकों सहित वाहन वित्त कम्पनियों के लिए ''ट्रेडलाइसेंस'' प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है. हमने इसका पुरजोर प्रतिकार किया है और अब राज्य सरकार ने बैंकों को इससे छूट देने के लिए समुचित निर्देश जारी कर दिए है.
- कुछ जिलों में विभिन्न प्रतिकूलताओं के बावजूद, दिनांक 31 मार्च, 2017 को राज्य का सीडी अनुपात 71.25% रहा है.
- निरंतर अनुवर्तन के कारण मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत बैंकों ने 100% से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिये है.
- वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों के कार्यनिष्पादन पर एसएलबीसी द्वारा सतत निगरानी रखी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य ऋण योजना का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है.
- भारतीय रिजर्व बैंक ने एसएलबीसी के साथ मिलकर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक लक्षित समूह अर्थात बीसी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इत्यादि के लिए सभी 51 एफएलसी पर एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की कार्य-योजना बनाई है.
- इस राज्य के लिए हमारा विज़न है कि ''राज्य का ऐसा सर्वांगीण एवं समन्वित विकास, जिससे सभी नागरिकों का जीवन समृद्ध बने तथा उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ प्रयास करने के अवसर प्राप्त हों और वे राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें''.
- वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य हासिल करने, वित्तीय समावेशन के क्रियान्वयन संबंधी कार्य योजना एवं इन उद्देश्यों की प्राप्ति में भूमिका एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विभिन्न कार्ययोजना पर चर्चा के लिए राज्य के सभी जिला अग्रणी प्रबंधकों का समीक्षा सम्मेलन/ कार्यशाला आयोजित करने में हम अग्रणी रहे है. दिनांक 17.05.2017 को भारिबैं ने एसएलबीसी के साथ मिलकर सभी 51 एलडीएम, एलडीओ और बैंकों, भारिबैं तथा नाबार्ड के डीडीएम का सम्मेलन आयोजित किया.
- बैंकों एवं एलडीएम के साथ सतत अनुवर्ती कार्रवाई के द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य में लगभग एक करोड़ पंजीकरण किए गए.

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

- हमने 7 राज्यों में 48 एफएलसीसी खोले हैं, यथा मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महाराष्ट्र(7), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), राजस्थान(3) एवं छत्तीसगढ़(2).
- इन सभी केन्द्रों द्वारा 6154 आउटडोर विजिट की गई, जिसमें 599252 व्यक्तियों को साक्षरता/परामर्श प्रदान किया गया. इनके अंतर्गत जन-अभियान एवं व्यक्तिगत परामर्श दोनों ही शामिल है.
- लोगों में जागरुकता लाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति और जीवनयापन स्तर में सुधार के अवसर प्रदान करने के लिए बैंक ने उन्हें जन सम्पर्क प्रणाली युक्त गाड़ियां एवं बैंक द्वारा आरम्भ किये गए विभिन्न उत्पादों/योजनाओं को प्रचारित करने के लिए एलसीडी प्रदान किए है. इसके आलावा गांव के दौरों एवं परामर्श प्रदान करते समय शिक्षण सामग्री, किट, किताबें इत्यादि भी उपलब्ध कराई है.

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)

- बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 आरसेटी की स्थापना की है अर्थात मध्य प्रदेश(18), बिहार(9), महाराष्ट्र(6), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), छत्तीसगढ़(2), राजस्थान(1), ओडिसा(1) एवं असम(1).
- वर्ष 2016-17 के दौरान, आरसेटी ने 1153 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 31961 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया. इनमें से, 26511 (83%) प्रशिक्षु बैंक-ऋण के माध्यम से संबद्ध, मजदूरी निपटान एवं स्व-वित्त पोषण से व्यवस्थित किए गए.
- 39 आरसेटी केंद्र को श्रेणी ए,एए, तथा 4 केंद्र को एबी, और सिर्फ 2 केंद्र को बीबी श्रेणी प्रदान की गयी कोई भी आरसेटी सी एवं डी श्रेणी के नहीं हैं.

अन्य पहलें

- आरसेटी तथा एफएलसीसी के प्रचालनों तथा कार्य-प्रणाली पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने के लिए हमारे बैंक द्वारा ''सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान(सीबीआई-एसयूएपीएस) नाम से एक सोसाइटी/ट्रस्ट की स्थापना की गई है.
- आरसेटी तथा एफएलसीसी के मामलों तथा कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण एवं निगरानी रखने हेतु, हमने एक उच्च स्तरीय प्रशासकीय परिषद का गठन किया है, इसमें हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सरंक्षक, कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष एवं महाप्रबंधकगण इसके सदस्य हैं.
- हमने पर्याप्त मानवशक्ति के साथ यथेष्ट दक्षता प्राप्त सेवानिवृत्त वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को आरसेटी निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु अनुबंधित करना प्रारम्भ कर दिया है.
- जिला स्तर पर सभी स्थानीय विकास संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर स्थानीय सलाहकार समितियों तथा प्रशिक्षण समितियों का गठन किया गया है.
- सभी 46 आरसेटी के लिए भवन निर्माण हेतु, हमने एक मॉडल योजना तैयार की है. इन 46 आरसेटी में से 30 आरसेटी भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष में कार्य प्रगति पर है.

एमएसएमई विभाग :

1. कार्यनिष्पादन : (करोड़ ₹)

विवरण	**31.03.2016 (लेखापरीक्षित)**	**31.03.2017 (लेखापरीक्षित)***	**वर्ष-दर-वर्ष % वृद्धि**
सूक्ष्म उद्यम	9155	9397	2.58%
एमएसई	28180	26956	(-)4.34%
एमएसएमई (प्रा.क्षे.)	30526	29531	(-)3.26%
कुल एमएसएमई	31590	30701	(-)2.81%
कुल अग्रिम में एमएसएमई अग्रिम का %	17%	20%**	
भा.रि.बैं. अधिदेश (प्रधानमंत्री कार्यदल)	**31.03.16 (लेखापरीक्षित)**	**31.03.17 (लेखापरीक्षित)**	**लक्ष्य मार्च -17**
सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या	515769	654726	567346
सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत खातों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	20%	27%	10%
भा.रि.बैं. अधिदेश (प्रधानमंत्री कार्यदल)	**31.03.16 (लेखापरीक्षित)**	**31.03.17 (लेखापरीक्षित)**	**लक्ष्य मार्च -17**
एमएसई पोर्टफोलियो (राशि)	28180	26956	35700
एमएसई के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि	6.33%	(-)0.79%	20%
एमएसई ऋण में सूक्ष्म ऋणों का %	35%	33%	60%

(*) ₹ 22991 करोड़ की ऋण आस्तियों की बिक्री में एमएसएमई के आईबीपीसी के भाग ₹ 1637 करोड़ को छोड़कर.

(**) आईबीपीसी सहभागिता के माध्यम से ₹ 22991 करोड़ की ऋण आस्तियों की बिक्री के पश्चात कुल ऋण ₹ 153008 करोड़ का 20%.

सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत कार्य-निष्पादन

दिनांक31.03.16 को सूक्ष्म उद्यम	दिनांक31.03.17 को सूक्ष्म उद्यम	एएनबीसी	दिनांक31.03.16 को को स्थिति	दिनांक31.03.17 को को स्थिति	लक्ष्य मार्च 17 एएनबीसी का 7.5%
9155	9397**	**199535**	**4.59%**	**4.56%ङ**	**15500**

(*) एएनबीसी का 4.56% ₹ 206155 करोड़. उपलब्धि इंडेक्स - 60.76%

(**) आस्ति ऋण की बिक्री के अंतर्गत एमएमएमई का भाग आईबीपीसी को छोड़कर.

संकेतक	**विवरण**
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	➢ सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत हमारे बैंक ने खातों की संख्या के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनिवार्य लक्ष्य 10% को प्राप्त कर लिया है तथा मुद्रा ऋणों के माध्यम से सूक्ष्म खातों में 27% की वृद्धि हासिल की है. ➢ सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य एएनबीसी के 7.50% के समक्ष हमारे बैंक ने मार्च 2017 में 4.56% का लक्ष्य हासिल किया है जो मार्च 2016 में 4.59% था ➢ एमएसई ऋण में सूक्ष्म ऋणों का प्रतिशत 33% है जबकि पीएमटीएफ के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 60% है. संगत अवधि में यह 35% भी था. ➢ सूक्ष्म उद्यम खंड के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 2.64% रही है. (राशिवार) ➢ दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2017 के दौरान एमएसएमई के अंतर्गत 79877 नए खाते खोले गए और उनमें 6710 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी तथा ₹ 5163 करोड़ की राशि संवितरित की गयी. दिनांक 01.01.2017 से 31.03.2017 तक नोटबंदी के पश्चात 24698 नए खाते खोले गए. ₹ 2369 करोड़ स्वीकृत किए गए तथा ₹ 1662 करोड़ संवितरित किए गए. ➢ वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 1776 खातो में सीजीटीएमएसई के अंतर्गत ₹ 46 करोड़ का दावा निपटान हुआ. खातों के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए दावों में अनुमोदित दावों का अनुपात 92% रहा है और राशि के संदर्भ में यह अनुपात 51% रहा है. ➢ पीएमएमवाई के अंतर्गत बैंक की उपलब्धि डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्यों का 75% हासिल हुआ. ₹ 2500 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के समक्ष हमारे बैंक ने मार्च, 2017 तक ₹ 1883 करोड़ का नया संवितरण किया है. ➢ इस वित्त वर्ष में 497 मुद्रा कार्ड जारी किए गए जिनमें 0.64 करोड़ की राशि निहित थी. ➢ स्टैंडअप ऋण खातों के संग्रहण में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में हमारे बैंक का स्थान 5वां रहा. स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत महिलाओं, अजा/अजजा उद्यमियों को ग्रीनफील्ड (नई) परियोजनाओं के लिए 1250 ऋण खाते स्वीकृत किए गए.
पहलें	**एमएसएमई मैन्युअल का अद्यतीकरण :** **फील्ड फंक्शनरियों के लाभार्थ विभाग द्वारा पहली बार एमएसएमई मैन्युअल तैयार किया गया जिसमें एमएसएमई की सभी ऋण योजनाएं, भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश समाहित किए गए. इसे त्वरित संदर्भ हेतु बैंक की इंट्रानेट साइट पर भी अपलोड किया गया है.** **एमएसएमई ऋणों के वर्गीकरण संबंधी अद्यतन मास्टर परिपत्र फील्ड फंक्शनरियों के उपयोग एवं त्वरित संदर्भ हेतु अद्यतन परिपत्र बैंक की इंट्रानेट साइट पर अपलोड किया गया है.**

बढ़ते कदम	पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतीय रिजर्व बैंक एवं पीएमटीएफ द्वारा निर्धारित सूक्ष्म उद्यमों का लक्ष्य एएनबीसी के 7.5% प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों पर बल दिया गया है. ➢ इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, केवीआईसी/पीएमईजीपी योजनाओं एवं सेन्ट वीवर मुद्रा योजना के अंतर्गतवित्त पोषण बढ़ाने पर जोर दिया है. ➢ एमएसएमई क्षेत्र में वित्त पोषण पर जोर देने के लिए 20 नए एसएमई कक्ष नामित किए गए है जो टर्न एराउंड टाइम (टीएटी) कम करने में मदद करेंगे.

रिटेल ऋण

दिनांक 31.03.2017 को रिटेल ऋण योजनाओं में कुल बकाया राशियां ₹ 32008 करोड़ हो गयी. बैंक के कुल अग्रिम में रिटेल पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 20% से अधिक है.

उत्पाद/सेवाएं

1. संभाव्य ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए बैंक ने आम लोगों के लिए सुस्पष्ट विविधतायुक्त 37 स्व-परिपूर्ण उत्पाद प्रस्तुत किए हैं:

क्र.सं.	योजनाओं का नाम
1	सेन्ट होम ऋण योजना.
2	सेन्ट होम डबल प्लस योजना.
3	सेन्ट होम - सीआरजीएफटीएलआईएच योजना
4	सेन्ट होम लोन प्लस
5	सेन्ट अर्नेस्ट मनी वित्तपोषण योजना
6	प्रधानमंत्री आवास योजना
7	सेन्ट मॉर्गेज
8	सेन्ट मॉर्गेज शैक्षिक संस्थान
9	सेन्ट ट्रेड
10	सेन्ट रेंटल
11	सेन्ट शॉप
12	सेन्ट विद्यार्थी
13	कार्यपालकों को एमबीए करने हेतु शैक्षिक ऋण योजना
14	आईआईएमएस एवं 4 प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक ऋण योजना
15	सेन्ट व्हीकल योजना
16	सेन्ट सहयोग
17	सेन्ट डॉक्टर
18	सेन्ट पर्सनल ऋण
19	सेन्ट कॉरपोरेट कर्मचारी ऋण
20	पेंशनधारकों के लिए सेन्ट पर्सनल ऋण
21	सेन्ट सुविधा
22	सेन्ट पर्सनल गोल्ड ऋण योजना

23	शैक्षिक संस्थानों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए पर्सनल ऋण
24	चैनल वित्तपोषण के लिए व्यापक योजना
25	भविष्य में शुल्क प्राप्तियों के विरुद्ध ऋण
26	रिवर्स मॉर्गेज ऋण - 'सेन्ट स्वाभिमान'
27	सेन्ट परम
28	सेन्ट कॉम्बो
29	सेन्ट लिक्विड
30	एचएनआई ग्राहकों के लिए सेन्ट स्कूल
31	तीसरे अथवा चौथे आवास या फ्लैट की खरीदारी के लिए सेन्ट होम ऋण योजना
32	सेन्ट होम लाभार्थियों के लिए ओडी टॉप अप सुविधा
33	बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्डयोजना
34	सेन्ट स्किल ऋण योजना
35	पेंशनधारकों के लिए सेन्ट ओडी सुविधा
36	सेन्ट स्वाभिमानप्लस
37	सेन्ट विद्यार्थी -एन सी जी टी सी गारंटीकृत

ये उत्पाद विभिन्न लक्ष्य समूहों एवं विशिष्ट बाजार खंडों के लिए विविधता से परिपूर्ण हैं.

2. वर्ष के दौरान छह नई योजनाएं प्रारम्भ की गयी जिनमें एक शैक्षणिक ऋण योजना है जिसमें ₹ 7.50 लाख तक सम्पार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋण प्रदान किए जाते है और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी द्वारा ऋण चूक गारंटी कवर उपलब्ध है. उच्च मालियत के ग्राहकों के निवेश के विकल्प के तौर पर तीसरे और अधिक घरों के लिए आवास ऋण योजना, आवास ऋणों में बंधक परिसम्पत्तियों के अवशिष्ट मूल्य पर ओवर ड्राफ्ट सुविधा, उच्च मालियत के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए अल्पावधि स्कूल फीस वित्तपोषण, जिन पेंशनरों को हमारे बैंक से पेंशन संवितरित होती है, उनके लिए अपफ्रंट ओवरड्राफ्ट सुविधा, बिहार के छात्रों के लिए एक शैक्षणिक ऋण योजना जिसमें बिहार सरकार ₹ 4 लाख तक 100% ऋण चूक गारंटी देती है. रिवर्स मॉर्गेज ऋण समर्थित वार्षिकी योजना, सेन्ट स्वाभिमान प्लस को भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से इस योजना को संशोधित कर पुन: प्रारम्भ किया गया. यह स्टार यूनियन डाई-ची लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के सहयोग से हमारे बैंक द्वारा क्रियान्वित एक विशिष्ट योजना है.

3. एक समय के पश्चात लक्षित ग्राहकों में परस्पर व्याप्ति एवं उत्पाद विशिष्टताओं को देखते हुए कुछ योजनाओं को विलीन कर दिया गया है और उन्हें सक्रिय उत्पादों की सूची से हटा दिया गया है. जैसे सेन्ट डेंटिस्ट को सेन्ट डॉक्टर में मिला दिया गया है, कॉरपोरेट कर्मचारियों को व्यक्तिगत ऋण योजना'' एवं ''सेन्ट रत्न'' को ''सेन्ट पर्सनल ऋण'' में, ''व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण योजना को ''सेन्ट स्किल'' में तथा भारत सरकार के निर्णयों के अनुरूप '' राजीव ऋण योजना को ''प्रधानमंत्री आवास योजना'' में मिला दिया गया है.

4. वर्ष के दौरान एक और केंद्रीकृत ऋण प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है. राजस्थान के कोटा में इस केंद्र की स्थापना के पश्चात सीसीपीसी की संख्या 49 हो गयी है जिनसे 1071 शाखाएं जुड़ी हुई है. 55% से अधिक आवास ऋण तथा 50% से अधिक मॉर्गेज/सेन्ट ट्रेड/शैक्षणिक ऋण का प्रसंस्करण सीसीपीसी में किया गया. सभी सीसीपीसी एवं शाखाएं रिटेल ऋण प्रस्तावों का प्रसंस्करण क्लास मॉड्यूल में करते है.

5. विद्यार्थियों से प्राप्त शैक्षणिक ऋण के अनुरोधों का प्रसंस्करण, निपटान एवं निगरानी के लिए हम विद्यालक्ष्मी पोर्टल से जुड़े हैं.

6. वर्ष के दौरान 2.30 लाख नए रिटेल ऋण खाते स्वीकृत किए गए और वर्तमान वर्ष में इनके दुगुने हो जाने का अनुमान है.

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

❖ बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देशभर में फैली 91 प्राधिकृत डीलर ('बी" श्रेणी) शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है. परिचालनीय कुशलता के लिए मुम्बई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है ताकि कोष प्रबन्धन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हासिल की जा सके.

- दिनांक 31.03.2017 को बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो ₹ 5452 करोड़ हो गया जो दि. 31.03.2016 को ₹ 5628 करोड़ था.
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मर्चेंट ट्रेड विदेशी विनिमय का टर्नओवर ₹ 38,269 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 44,027 करोड़ था.
- एनआरई जमा राशि दिनांक 31.03.2016 के रु 3819 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2017 को ₹ 4457 करोड़ हो गया, जो गत वर्ष पर 17% की वृद्धि दर्शाता है.
- एफसीएनआर जमा राशि दिनांक 31.03.2016 को यूएसडी 204.21 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31.03.2017 को यूएसडी 217.86 मिलियन हो गई, जो पिछले वर्ष पर 6.27% की वृद्धि दर्शाता है.

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश

- बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च 2017 को बढ़कर ₹ 93,792 करोड़ हो गया है, जो दिनांक 31 मार्च, 2016 को ₹ 89,895 करोड़ था, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.28% की वृद्धि प्रदर्शित हुई है. दसवर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31.03.2016 के 7.42% की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2017 को 6.66% पर बंद हुआ है.
- वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.5% (अप्रैल, 2016 में .25% एवं अक्टूबर, 2016 में .25%) घटाकर 6.25% कर दिया था एवं पॉलिसी रेट कॉरिडोर अप्रैल 2016 में 1% से संकुचित होकर 0.5% रह गया. इसके परिणामस्वरूप बैंक रेट घटकर 6.75% हो गयी.
- रेपो उधारी सीमा को घटाकर एनडीटीएल के 0.25% तथा मीयादी रेपो को घटाकर एमडीटीएल के 0.75% किया गया. परंतु इन दरों को रेपो रेट के आसपास रखने के उद्देश्य से एनडीटीएल के 1% से अधिक मियादी रेपो एवं रिवर्स रेपो में विवेकपूर्ण विचलन रखा गया. मियादी एलएएफ में उधारी के लिए बैंकों को नीलामी में बोली लगानी पड़ती है.
- अस्थिर बाजार एवं संकटग्रस्त तरलता प्रबंधन परिस्थितियों में, ट्रेजरी ने ₹ 1542 करोड़ का व्यापार लाभ दर्ज किया, जोकि पिछले वर्ष ₹ 587 करोड़ था. अभी यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरों में की गयी कमी एवं नोटबंदी के कारण सिस्टम में जमा हुई अतिरिक्त तरलता के कारण हुआ. निवेश पर प्रतिफल (ट्रेडिंग लाभ के अलावा) वर्ष 2015-16 के 7.46% से घटकर वर्ष 2016-17 के दौरान 7.38% रह गया.
- भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की ₹ 3940 करोड़ की प्रतिभूतियां एएफएस से एचटीएम में अंतरित कर दीं एवं ₹ 8657 करोड़ की राशि, एचटीएम से एफएस में अंतरित की.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का संघटन इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**संघटन**	**31.03.2016**	**31.03.2017**
1.	एसएलआर	66532.69	74070.73
2.	गैर एसएलआर	23362.06	19720.83
	कुल	**89894.75**	**93791.56**

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबन्धन प्रणाली/संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब सुस्थापित जोखिम प्रबन्धन प्रणाली मौजूद है. ऋण, बाजार, तथा परिचालन जोखिमों एवं पिलर II जोखिमों के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबन्धन नीतियों/ प्रथाओं का निदेशक मंडल की जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाता है. उत्पादों की कीमत निर्धारण तथा बाजार की घटनाओं से संबंधित जोखिम मॉडल के निर्धारण संबंधी नीतियों की समीक्षा के साथ समिति नए जोखिमों की पहचान व उनका नियंत्रण भी करती है. कॉरपोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम पैरामीटरों के अनुपालन पर भी समिति द्वारा नियमित निगरानी रखी जाती है.

जोखिम प्रबन्धन संरचना

पैंरिचालन स्तर पर विभिन्न समितियां, यथा बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता समिति(आल्को), ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम नीति समिति(सीआरपीसी) तथा परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति(ओआरसीओ) गठित की गई है. जिसमें शीर्ष प्रबन्धतंत्र टीम के सदस्य शामिल हैं.

- ये समितियां बैंक विभिन्न परिचालनों के अंतर्गत जोखिम के स्तर के निगरानी एवं निर्धारण के लिए वर्ष भर नियमित बैठकें करती हैं तथा आवश्यकतानुरूप उचित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय लागू करती हैं.
- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंक ने वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक श्रेणी के अधिकारियों को "जोखिम प्रबन्धक'' के तौर पर अभिचिन्हित किया है. ये जोखिम प्रबन्धक, आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबन्धन विभाग के विस्तारित भाग के तौर पर कार्य करते हैं. बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी भी अभिचिन्हित किए हैं, जोखिम प्रबन्धन से संबंधित नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं को देखने एवं जोखिम प्रबन्धन की सहायता के लिए ''नोडल अधिकारी'' के रूप में कार्य करेंगे.

बाजार जोखिम प्रबंधन

- बाजार की स्थिति, वित्तपोषण पद्धति की समीक्षा कर मिड-आफिस एक्सपोजर, अवधि, प्रतिपक्षीय सीमा एवं विभिन्न संवेदनशील पैरामीटरों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करता है तथा नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबन्धन को रिपोर्ट करता है.
- वीएआर के प्रबंधन तथा ड्यूरेशन विश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग, अल्पकाल में बैंक की एनआईआई के जोखिम के प्रबंधन तथा दीर्घकाल में इक्विटी मूल्य हेतु सतत आधार पर किया जाता है.
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर पूंजीगत प्रभार का सतत अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है तथा बाजार जोखिम के संबंध में बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार उसे क्रियान्वित किया जा रहा है.
- पोर्टफोलियों में बाजार जोखिम पर निगरानी रखने के लिए बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति मौजूद है. प्रति-पक्ष पार्टियों की नवीनतम प्रतिष्ठा स्थिति के आधार पर ट्रेजरी परिचालन के लिए प्रति-पक्ष पार्टियों की सीमाएं निर्धारित/समीक्षित की गई है.

ऋण जोखिम प्रबन्धन

- बैंक में सुस्पष्ट लिखित एकीकृत ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति है. जिसकी पिछली समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21.01.2017 को की गई.
- बैंक ने क्रिसिल लि. से रेटिंग मॉड्यूल प्राप्त किया है.
- बैंक ने रिटेल ऋण की ग्रेडिंग के लिए रेटिंग मॉडल्स (स्कोर कार्ड) विकसित किए हैं तथा इसका उपयोग किया जा रहा है.
- ऋण जोखिम प्रबन्धन की गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्ट निगरानी हेतु, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली ऋण जोखिम नीति समिति को प्रस्तुत की जाती है.
- कॉरपोरेट एवं रिटेल दोनों पोर्टफोलियो के लिए विकसित दृष्टिकोण अपनाने की तैयारी करते हुए बैंक पीडी, ईएडी एंड एलजीडी की गणना हेतु मॉडल्स विकसित करने की प्रक्रिया में है.

परिचालन जोखिम प्रबन्धन

- बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन पूरी तरह से सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबन्धन नीति के द्वारा मार्गदर्शित है.
- परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरसीओ) तिमाही अंतराल में बैंक की जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करती है एवं निदेशक मंडल द्वारा किया जाने वाला पर्यवेक्षण परिचालन जोखिम से संबंधित गुणात्मक पहलुओं को और मजबूत करता है.
- बैंक, उन्नत मापक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए भा.रि.बैं. को आवेदन करने हेतु मॉडल विकसित कर रहा है तथा गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सूचनाएं बना रहा है. नए उत्पादों अथवा गतिविधियों से जुड़ी जोखिम को न्यून करने हेतु नई उत्पाद अनुमोदन नीति संरचना बैंक को मार्गदर्शन प्रदान करती है.

पूंजी आयोजना

बैंक के पास सुदृढ आईसीएएपी (आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया) उपलब्ध है. बैंक ने जोखिम अभिलाषी ढांचा तैयार किया है एवं बेसल III मानदंडों की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूंजी अनुपात रखने का उद्देश्य है. पूंजी के समक्ष प्राक्कलनों की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है.

आस्ति एवं देयता प्रबन्धन पद्धतियां

- एएलएम प्रमुखतया बैंक के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से तरलता एवं ब्याज दर जोखिम के मापन एवं प्रबंधन से संबंधित है. आलको (आस्ति एवं

देयता समिति) ने वर्ष के दौरान तरलता एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में बैंक की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 23 बार बैठकें कीं.

- विनियामक रिपोर्टिंग के अलावा, जमाओं पर ब्याज निर्धारण करने के साथ-साथ आधार दर और बीपीएलआर का निर्धारण भी एएलएम द्वारा किया जाता है. वर्ष 2016-17 के दौरान जमा ब्याज दरों को छह (6) बार एवं एमसीएलआर में बारह (12) बार संशोधन किया गया है.
- भारिबै के नये दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने दिनांक 01 जनवरी 2015 से एलसीआर (तरलता कवरेज अनुपात) की गणना मासिक आधार पर करना प्रारंभ कर दिया है एवं यह अनुपात भारिबै द्वारा निर्धारित प्रारंभिक सीमा (अर्थात, 2017 के लिए 80%) से काफी अधिक है. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए औसत एलसीआर 176.97% रहा है.

बासल III दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

- भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2015 में नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया है. इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने बासल III अपनाया है तथा ऋण जोखिम हेतु ''मानकीकृत दृष्टिकोण'', परिचालनात्मक जोखिम के लिए ''मूलसंकेतक दृष्टिकोण'' और बाजार जोखिम हेतु ''मानकीकृत अवधि'' पद्धति के आधार पर पूंजी का प्रावधान किया है.
- आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए बैंक आईआरएमएस (एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है.
- सभी आवश्यक नीतियां, जैसे ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबन्धन नीति, बाजार अनुशासन तथा प्रगटीकरण नीति, आईसीएएपी इत्यादि बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है.
- बैंक ने आईआरबी (आंतरिक रेटिंग आधारित) दृष्टिकोण के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाये हैं.

वसूली विभाग

अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन के लिए बैंक में विस्तृत दिशानिर्देशों से युक्त एक सुपरिभाषित वसूली नीति मौजूद है. इसमें एनपीए प्रबन्धन के सभी क्षेत्र, निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम, प्रवर्तन वसूली एजेंसियों की नियुक्ति, एआरबी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्त्ता तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली शामिल है. अर्थव्यवस्था में नवीनतम परिवर्तनों/गतिविधियों एवं एनपीए निपटान/प्रबंधन की प्रवृत्तियों इत्यादि को समाहित करने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है.

1. वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, यद्यपि, बैंक ने ₹ 2378 करोड़ की नकद वसूली, रु 1183 करोड़ का अपग्रेडेशन कुल मिलाकर ₹ 3561 करोड़ का सुधार किया है परंतु उच्च राशियों के नए खातों (रु 50.00 करोड़ एवं अधिक के 40 खाते कुल राशि ₹ 6116 करोड़) के जुड़ जाने से कार्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पडा है.
 - सकल एनपीए का स्तर ₹ 22721 करोड़ से बढ़कर ₹ 27251 करोड़ हो गया है अर्थात 4530 करोड़ की वृद्धि हुई.
 - शुद्ध एनपीए ₹ 13242 करोड़ से बढ़कर ₹ 14218 करोड़ हो गया है. अर्थात ₹ 976 करोड़ की वृद्धि हुई है.
 - सकल एनपीए तथा शुद्ध एनपीए अनुपात क्रमश: 11.95% से 17.81% तथा 7.36% से 10.20% हो गया.
 - नकद वसूली ₹ 1287 करोड़ से बढ़कर ₹ 2378 करोड़ (84.77%) हो गई है.
2. एनपीए खातों में वसूली के लिए एकबारगी समझौता योजना (ओटीएस) को संशोधित किया गया और दो ओटीएस योजनाएं अर्थात एक ₹ 20 लाख तक दूसरी ₹ 20 लाख से ₹ 5 करोड़ तक वाद दायर खातों के लिए बनाई गयी है. इन योजनाओं को फील्ड फंक्शनरियों से बेतहाशा समर्थन मिला और इन योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम एनपीए खातो का समाधान होना रिपोर्ट किया गया. ओटीएस योजना के अंतर्गत कार्यनिष्पादन - बकाया राशि (आरएलबी) ₹ 761 करोड़ एवं ओटीएस की राशि ₹ 559 करोड़ के प्रस्तावों का निपटान किया गया.
3. इन ओटीएस प्रस्तावों के अलावा केंद्रीय कार्यालय स्तर पर कुल ₹ 748 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 96 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं.
4. वर्ष के दौरान बैंक ने एआरसी को बेचे एनपीए - शून्य
5. सभी एनपीए खातों को, उन खातों में वसूली की निगरानी के लिए पहले से 3 श्रेणियों अर्थात अधिक महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, प्रबंधनीय में वर्गीकृत किया गया है.
6. ऋणों की वसूली के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की वसूली टीम एवं शाखा के स्टाफ ने ₹ 50 लाख से अधिक बकाया राशि वाले एनपीए ऋणियों से व्यक्तिश: मुलाकात की जा रही है.

7. जानबूझकर चूककर्ता के प्रक्रिया बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से लागू की जा रही है तथा जानबूझकर चूककर्ताओं की पहचान एवं उन्हें घोषित करने के लिए ₹ 25 लाख से अधिक वाले सभी एनपीए खातों की जांच की जा रही है. वर्ष के दौरान 20 उधारकर्ताओं को जानबूझकर चूककर्ता के तौर पर घोषित किया गया है.

8. वर्ष 2016-17 में एनपीए खातों में वसूली को अत्यधिक महत्व दिया गया. हमारे कार्यपालकों ने मासिक आधार पर एनपीए के संचलन पर कडी निगरानी रखी है एवं क्षेत्रीय प्रबंधक एवं आंचलिक प्रबंधकों की समीक्षा बैठकों एवं वीडियो सम्मेलनों में कानूनी कार्रवाई तथा सरफेसी के अंतर्गत कार्रवाई के माध्यम से एनपीए खातों में वसूली की समीक्षा की गयी. छोटे खातों, कृषि एवं एसएमई ऋण खातों में विशेष ध्यान दिया गया है.

9. वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक के एनपीए खातों के संबंध में चर्चा की गयी एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों/आंचलिक प्रबंधकों द्वारा शुरु की गयी वसूली कार्रवाई एवं एनपीए खातों में हुई प्रगति की मासिक आधार पर वीडियो सम्मेलनों में समीक्षा की गई.

10. प्रत्येक माह वसूली कैंप आयोजित किये जा रहे हैं. इन कैंपों में बट्टे खाते में और जेएमएफएआरसी खाते में वसूली करना भी अभियान का एक हिस्सा होगा.

11. हम वसूली के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए देश भर के एआरबी शाखाओं की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं.

12. सभी पात्र एनपीए खातों में हमने गहन अनुवर्ती कार्रवाई की और सरफेसी के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए 1 करोड़ से अधिक की राशि वाले खातों में यह कार्य पूर्ण हो चुका है. सरफेसी की सम्पूर्ण प्रक्रिया किसी खाते के एनपीए में परिवर्तन होने के छह महीने में पूर्णकर ली जाती है.

13. क्षेका/आंका तथा विधि अधिकारी की सक्रिय सहभागिता से तिमाही आधार पर जिला स्तर पर विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है.

14. एसपीबीटी महाविद्यालय, सीबीओटीसी भोपाल तथा कोलकाता एनपीए वसूली प्रबंधन पर एक सप्ताह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे तथा वसूली विभाग के कार्यपालकगण इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय कर रहे हैं.

15. लंबित मामलों के निपटान हेतु विधि अधिकारियों/समन्वयकों द्वारा डीआरटी में गहन अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है.

16. बट्टा खातों में वसूली की स्थिति को सुधारने के लिए क्षेत्रों/अंचलों को वसूली के पृथक लक्ष्य आबंटित किए गया है.

17. ₹ 5.00 करोड़ एवं अधिक मूल्य के एनपीए खातों में विधिक/सरफेसी कार्रवाई करने के लिए इन्हें केंद्रीय कार्यालय के आंचलिक समंवयकों को सौंपा जाता है.

18. सभी फील्ड महाप्रबंधकों/आंचलिक प्रबंधकों को अनुदेश दिए गए थे कि ₹ 10 लाख एवं अधिक के एनपीए खातों की पहचान करने एवं उन्हें उनके उन्नयन/एनपीए खातों के समायोजन हेतु नियमित अनुवर्ती कार्य के लिए उन्हें अधिकारियों को सौंपा जाए.

बैंकाश्यूरेंस :

जीवन बीमा के लिए जीवन बीमा निगम तथा गैर- जीवन बीमा उत्पादों के लिए चोला एम एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की कॉर्पोरेट एजेन्सी के तहत हमारे बैंक द्वारा बीमा सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है.

दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष में कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशिष्टताएँ निम्नानुसार रहीं :

- एलआईसी के सभी बैंकाश्यूरेंस साझेदारों में जीवन बीमा पॉलिसियाँ हासिल करने में पॉलिसियों की संख्या के मामले में हमारे बैंक ने तीसरा स्थान तथा बीमा प्रीमियम संग्रहण के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया. बैंक ने 25406 पॉलिसियों एवं 149 करोड़ का प्रीमियम संग्रहण किया.
- साधारण बीमा व्यवसाय में, बैंक ने 244012 पॉलिसियों में ₹ 96 करोड़ प्रीमियम संग्रहित किया है.
- बैंकाश्यूरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹ 17.07 करोड़ की हुई है.
- वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की सं. बढ़कर 263 हो गई. अब बैंकाश्यूरेंस व्यवसाय चलाने के लिए हमारे पास 2589 विनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं.

डिपॉजिटरी सेवाएं :

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ व्यवस्था के तहत बैंक डिपॉजिटरी सहभागी है. सभी परिचालन केंद्रीकृत है तथा फोर्ट मुंबई स्थित नोड्ल शाखा पूँजी बाजार सेवायें शाखा द्वारा ये सेवायें प्रदान की जा रही है. मुख्य केंद्रों की शाखाएँ खाते खोलने, शेयरों का क्रय तथा विक्रय, शेयरों के बंधक तथा भौतिक प्रतिभूतियों को डीमैट करने की सेवायें प्रदान कर रही हैं. बैंक के पास करीब 24000 डी-मैट खाता धारक है.

ऑन-लाइन ट्रेडिंग :

''सेन्ट ई-ट्रेड'' के नाम से बैंक द्वारा ''ऑनलाइन ट्रेडिंग'' सुविधाएँ प्रदान की जा रही है. बैंक के खाताधारकों जिनके डीमैट खाते भी बैंक में हैं उन्हें एक अग्रणी ब्रोकिंग फर्म मेसर्स एंजिल ब्रोकिंग लि. के साथ व्यवस्था के तहत बैंक इक्विटी शेयर तथा डेरिवेटिव्ज के ट्रेडिंग हेतु ऑन लाईन ट्रेडिंग़ सुविधा दी जा रही है. दिनांक 31.03.2017 को बैंक में ऑन लाइन ट्रेडिंग के लिए 650 खाते हैं.

आस्बा, डी-मैट, समाशोधन बैंक, लाभांश वारंट का भुगतान, ब्रोकरों को ऋण / गारंटी जैसी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए मुंबई में विशेष रुप से कैपिटल मार्केट सेवा शाखा प्रारंभ की गई है. यह ऑन लाइन ट्रेडिंग तथा आस्बा के लिए नियंत्रक शाखा भी है.

सूचना प्रौद्योगिकी

1. कोर बैंकिंग समाधान

- दिसम्बर 2010 में बैंक ने अपनी 100% शाखाओं को केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में कवर कर लिया है.
- बैंक ने नवीनतम प्रौद्योगिकी बुनियादी संरचना स्थापित की है एवं ग्राहकों को परिचालनात्मक कार्यकुशलता एवं त्वरित सेवाएं देने को सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है.
- विद्यमान कम्प्यूटिंग संसाधनों जैसे हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा एवं अन्य संबंधित आवश्यकताओं के अपडेशन / संवर्धन भविष्य के व्यावसायिक पुर्वानुमान एवं अन्य सांविधिक एवं सुरक्षा बाध्यताओं के अनुसार किया जाता है.
- बैंक द्वारा आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है तथा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की नीति के अनुरुप नियमित डीआर ड्रिल की जाती है. ग्राहकों के हित एवं बैंक की आस्तियां सुरक्षित करने के लिए सभी नीतियां एवं प्रक्रियां लागू की गई हैं.
- बैंक ने नियर साईट अवधारणा क्रियान्वित की है ताकि शून्य डाटा हानि के साथ व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित की जा सके.
- आवश्यकतानुसार सतत आधार पर अनेक नयी कार्यविधियां क्रियान्वित की जा रही है.

2. नेटवर्क तथा कनेक्टिविटी

- बैंक का कॉर्पोरेट नेटवर्क 4951 स्थानों पर व्याप्त है जिनमें शाखाएं विस्तार पटल एवं एआरबी शामिल है. विविध सेवा प्रदाताओं से 1922 स्थानों पर 2 एमबीपीएस बैक-अप लिंक तथा 1314 स्थानों पर लीज लाइन एवं वीसैट बैक-अप लिंक प्राप्त कर लिए है.
- बैंक ने बैंकअप के तौर पर वायर्ड/ वायरलेस लिंक की खरीद के लिए मे. टाटा कम्यूनिकेशन लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड एवं मे. रिलांयन्स कम्यूनिकेशन लिमिटेड से टाय-अप किया है और बैक-अप के तौर पर वायर्ड/वायरलेस लिंक हासिल कर लिया है.
- शाखा के कारोबारी समय के दौरान लगभग 100% अपटाइम बनाए रखने हेतु लगातार निगरानी रखी जाती है तथा नियंत्रण लागू किए गए है.
- इंटरनेट फेसिंग एप्लिकेशंस के लिए आईपीवी-6 क्रियान्वयन पूर्ण हो चुका है.

वैकल्पिक डिलीवरी चैनल :

3. इंटरनेट बैंकिंग

- इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी) सुविधा 10000 यूजर को एक साथ सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है. इस वर्ष कुछ तकनीकी उन्नयन किए गए है जिनमें संव्यवहार लेनदेन की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसएसएल 3.0 को बदल कर टीएलएस 1.2 प्रारम्भ किया गया है. इंटरनेट बैंकिंग डेटा बेस ओरेकल 11 जी से 12 सी में उन्नयन कर दिया गया है.
- इंटरनेट बैंकिंग सुविधा अपने नये रूप तथा अहसास के साथ अनेक उत्पाद सेवाओं की वृहद श्रृंखला प्रदान कर रही है. इनमें खुदरा एवं कॉर्पोरेट ग्राहकों हेतु ऑन लाईन पासवर्ड बनाना, निधि अंतरण, ऑन लाईन कर जमा देखना, यूटिलिटी बिलों का भुगतान, विभिन्न सरकारी, एयरलाईंस/ मूवी टिकटों, शॉपिंग, मंदिर के लिए दान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए दान, विभिन्न संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों की फीस का ऑनलाइन भुगतान, सरकारी, ई-भुगतान/ प्राप्तियाँ, खाते के नियमित विवरण के अलावा आवश्यकतानुरूप खाते विवरण, एनआरई/एनआरओ जमाओं सहित ऑन लाइन सावधि जमा इत्यादि शामिल हैं.

- नई सुविधायें इस प्रकार हैं:

 1. कॉर्पोरेट आईएनबी ग्राहकों के लिए ओटीपी के माध्यम से पासवर्ड सृजन.
 2. फीस के संग्रहण हेतु पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम वेबसाइट समन्वयन किया गया है.
 3. बल्क लेनदेनों के प्रसंस्करण के लिए एनएसीएच के उपयोग से पीएफएमएस सिस्टम का नवीकरण किया गया है.
 4. इंटरनेट बैंकिंग लेनदेनों के लिए द्वितीय प्रमाणीकरण के तौर पर ओटीपी की शुरुआत.
 5. ग्राहकों को अपनी पसंद एवं सुविधा के अनुसार लेनदेन करने में विकल्प के तौर पर विविध 2 एफए (ओटीपी, ग्रिड एवं डिजीटल हस्ताक्षर) की शुरुआत की गयी.
 6. आईएनबी ऑनलाइन लेनदेन पृष्ठ को मोबाइल आधारित लेनदेनों के सुसंगत बनाया गया है.
 7. आईएनबी के माध्यम से अटल पेंशन योजना में पंजीकरण.
 8. आधार का उपयोग कर ऑनलाइन बचत खाते खोलना.
 9. आईएनबी की हिंदी में शुरुआत.

- आईएमपीएस सेट-अप का नवीकरण एवं यह सुविधा ग्राहकों तक पहुंचाना.

- आईएमपीएस लेनदेन, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग, ऑन लाइन रेलवे माल परिवहन बुकिंग के लिए कोर्पोरेट ग्राहकों द्वारा इ-फ्रेट आरटीजीएस/ एनईएफटी इत्यादि सुविधाएँ भी बैंकिंग द्वारा उपलब्ध है तथा कॉर्पोरेट (गैर- व्यक्ति) आईएनबी ग्राहकों के लिए बल्क अपलोड सहित आईएफबी के माध्यम से ग्राहकों को 24X7 एनईएफटी कार्यप्रणाली वर्तमान में उपलब्ध है. ऑनलाइन लेनदेन प्रसंस्करण सुविधा को द्रुतगामी बनाने के लिए लाइटवेट पेमेंट पेज सुविधा प्रारंभ की गई है.

- ओडिसा, बिहार सरकार के कर तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में संग्रहण के लिए बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर के माध्यम से एक बिल्कुल नया मॉडल लगाया है जिसमें 40 से ज्यादा बैंकों के ग्राहक कर जमा कर सकते हैं. बैंक द्वारा भुगतान पद्धति को कार्यान्वित करना, भोजन तथा अन्य ई-पीएओ.

- सेन्ट्रल बैंक ऐसा पहला बैंक है जिसने डीआईपीपी द्वारा आरंभित मिशन प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन भुगतान सुविधा प्रदान करने लिए ई-बिज से समेकीकरण किया है. विभिन्न राज्य सरकारों के कर /फीस सग्रहण हमारे बैंक के माध्यम से किया जाता है.

- कॉरपोरेट ग्राहकों हेतु आवश्यतानुरूप खाता विवरणी की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के तहत एनईएफटी द्वारा बल्क अपलोड की सुविधा भी उपलब्ध है. ग्राहक अपनी जरुरतों के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग उपयोग करते समय विभिन्न विकल्प चुन सकते हैं.

- वैयक्तिक आईएनबी ग्राहकों को पहले से ही उपलब्ध सेवाओं की तरह अब कोर्पोरेट ग्राहकों को भी सिर्फ देखने की सुविधा युक्त आईएनबी / कर एवं यूटिलिटी बिल भुगतान सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है.

4. एम-पासबुक :

- ग्राहकों के लिए मोबाइल आधारित एम-पासबुक का शुभारंभ किया गया. जिसे गूगल प्लेस्टोर में हमारे ग्राहकों द्वारा बहुत सराहा गया है.

एसएमए - एनपीए ट्रैकर

- ऋण एवं एनपीए की निगरानी बैंक की नियमित गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. फील्ड फंक्शनरियों की सुविधा एवं उनकी दैनिक गतिविधियों की ट्रैकिंग तथा ऋण पोर्टफोलियों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हमारे बैंक में एसएमए - एनपीए ट्रैकर सोल्यूशन क्रियान्वित किया गया है. इस सोल्यूशन को केंद्रीकृत सर्वर पर नियोजित किया गया है जिस तक मोबाइल एप्प, डेस्कटॉप/लैपटॉप / टैबलेट्स/ फोन के माध्यम से पहुंच बनाई जा सकती है.

- यह उत्पाद निम्नलिखित के माध्यम से स्टाफ सदस्यों को उपलब्ध है :

 1. बैंक के नेटवर्क से जुड़ा डेस्कटॉप पीसी
 2. एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल फोन (एंड्रायड, विंडोज , ब्लैकबेरी, एवं आईओएस)

3. इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल वेबसाइट

6. भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

बिल भुगतान व्यवसाय की समस्याओं के समाधान के लिए एनपीसीएल की यह एक नई पहल है. इस पहल के अंतर्गत एक ऑपरेटिंग ईकाइ के रूप में सहभागिता के लिए हमारे बैंक को विनियामक लाइसेंस प्राप्त है एवं इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है.

7. एसएमएस बैंकिंग/अलर्ट :

❖ एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों द्वारा किए गए व्यावसायिक लेनदेन संबंधी रियल टाइम अलर्ट से उनके खातों की सूचना उन्हें उपलब्ध कराई जाती है. वर्तमान में ग्राहकों द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर 15 विभिन्न भारतीय भाषाओं में निम्नलिखित के लिए एसएमएस अलर्ट भेजे जाते है. 1) बचत खातें में ₹ 1000/- से अधिक तथा चालू/ओडी खाते में ₹ 10,000/- से अधिक की जमा/नामे 2) समाशोधन चेक नकारे जाने पर 3) निर्धारित न्यूनतम स्तर के खाते की शेष राशि कम होने पर 4)सावधि जमा की परिपक्वता से 7 दिन से पूर्व सूचना.

❖ नियंत्रण एवं निगरानी बनाए रखने के लिए शाखा प्रबंधकों तथा उच्च अधिकारियों को भी एसएमएस भेजे जाते हैं ताकि वे एनपीए सहित अन्य खातों एवं हाउसकीपिंग तथा शाखाओं की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण रख सकें.

8. मोबाईल बैंकिंग :

❖ सेन्ट मोबाइल एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है जिसे परिवर्धित विशिष्टताओं के साथ हाल ही में पुन: प्रारम्भ किया गया है. उपयोगकर्ता इंटरनेट समर्थित हेंड सेट्स के माध्यम से कभी भी और कहीं भी अधिकांश बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं. सेन्ट मोबाइल एंड्राइड, एप्पल (आईओएस), विंडोज एवं ब्लैकबेरी प्लेटफार्म्स पर उपलब्ध है. यह संबंधित प्ले स्टोर / एप्प स्टोर से डाउन लोड किया जा सकता है. प्री-लॉग इन विकल्प सभी के लिए उपलब्ध है पोस्टलॉग-इन विकल्प सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात हासिल कर सकते है.

❖ बैंक ने निम्नलिखित सुविधाओं के साथ नया मोबाइल बैंकिंग सोल्यूशन प्रारम्भ किया है :-

लॉगिन पूर्व विकल्प :

- कार्यालय पता, फोन नंबर, ई-मेल पता, एमआईसीआर कोड, पिन कोड, आईएफएससी कोड, के साथ केन्द्रीय कार्यालय /आंचलिक कार्यालय क्षेत्री कार्यालय, शाखओं का सम्पर्क विवरण.
- शाखा एवं एटीएम अवस्थिति जीपीएस आधारित मोंबाइल हैंडसेट मे नजदीकी एटीएम अथवा शाखा की सूची. राज्य, जिला, केन्द्र अथवा पिनकोड आधारित आखिल भारतीय खोज विकल्प भी उपलब्ध है.
- एटीएम/शाखा /प्रशासनिक कार्यालय के लिए दूरी एवं ड्राईविंग के लिए रास्ते को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र.
- शाखाओं/प्रशासनिक अधिकारियों/कोल सेंटर के फोन नंबर प्रदर्शित करने के लिए डायल टच
- कोर्पोरेट वेबसाईट के लिए लिंक, अधिकारिक सोशल मिडिया पृष्ठों (फेसबुक, ट्विटर) ई-मेल पता
- जूम विकल्प के साथ उत्पाद से संबंधित तथा बैंक की सेवाओं से संबंधित जानकारी का बैनर
- अलग-अलग परिपक्वता अवधि के लिए बचत और सावधि जमा पर ब्याज दरें.
- चयनित खुदरा ऋण योजनाओं पर ब्याज दरें.
- चयनित मुद्राओं के लिए (नक्द, टीटी तथा बिलों के लिए) क्रय/विक्रय विदेशी मुद्रा दरें.
- एसएमएस द्वारा खाते की शेष राशि तथा पिछ्ले कुछ लेनदेनों के बारे में जानने के लिए बैंक की मिस्ड कॉल सेवा के लिए टच डायल.
- योजनाओं में वास्तविक समय अधिसूचना / नई उत्पाद के संबंध में अलर्ट /प्रस्ताव/ संशोधन आदि.
- प्रमुख शब्द आधारित एफएक्यू ज्ञात करना

लॉगिन पश्चात विकल्प :

- **खाता संबंधी कार्य-विशिष्टताएँ :** खाता शेष पूछताछ (बचत/चालू/ओडी/सीसी/एफडी/ऋण/पीपीएफ खातों के लिए), खाता विवरण (बचत/चालू/ओडी/सीसी/एफडी/ऋण/पीपीएफ खातों के लिए), लघु विवरणी, निधि अंतरण, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के खाते में निधि अंतरण, एनईएफटी के माध्यम से अन्य बैंक के खातों में निधि अंतरण, आईएमपीएस के माध्यम से अन्य बैंक के खातों में निधि अंतरण, चयनित संस्थानों को दान एवं नए सावधि जमा (आवर्ती,एडडीआर एवं एमएमडीसी खाते) खाते खोलना.
- **अनुरोध :** एटीएम कार्ड (डेबिट) ब्लॉकिंग, आधार नंबर से खाता लिंक करना, वैयक्तिक एटीएम (डेबिट) कार्ड हेतु अनुरोध, चेक बुक अनुरोध, अंतरण रोको अनुरोध, भुगतान रोको निरस्तीकरण अनुरोध, चेक स्थिति पूछताछ, ई-मेल पर खाता विवरण पाने हेतु अनुरोध एवं एनईएफटी स्थिति पूछताछ.
- सेन्ट मोबाइल एप्लीकेशन हेतु फीडबैक/सुझाव/रेटिंग प्रस्तुत करने का विकल्प.
- **बिल भुगतान सेवा :** यूटिलिटी बिल भुगतान, मोबाइल/डीटीएच रिचार्ज.
- **क्रेडिट कार्ड सेवाएं:** सेन्ट्रल बैंक कार्ड संबंधित जानकारी जैसे उपलब्ध सीमा, बिलराशि, बिल मे न जोड़ी राशि, पिछले बिल का सारांश, कार्ड विवरणी रिवार्ड पॉइंट, सेन्ट्रल कार्ड संपर्क विवरण, सेन्ट्रल कार्ड बिल का भुगतान, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने का अनुरोध इत्यादि.

क्रेडिट नियंत्रण विशिष्टताएं :

मोबाइल बैंकिंग एप्प में कार्ड नियंत्रण विशिष्टताएं शुरु की गयी है ताकि ग्राहक डेबिट कार्ड संबंधी निम्नलिखित कार्य मोबाइल बैंकिंग से कर सके:

- डेबिट कार्ड का अस्थाई निलम्बन
- निलम्बित डेबिट कार्ड का पुन: सक्रियन
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के लिए ई-कॉम /पीओएस खरीद हेतु डेबिट कार्ड दैनिक सीमा तथा एटीएम नकद आहरण सीमा का निर्धारण

9. मिस्ड कॉल अलर्ट :

❖ यह सुविधा हमारे कासा ग्राहकों के लिए उप्लब्ध है, जिसके द्वारा ग्राहक विशिष्ट नंबर 9555244442 एवं 9555144441 पर मिस्ड कॉल देकर क्रमश: खाते में शेष राशि की जानकारी और अंतिम तीन लेनदेनों की नि:शुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इस नई अभिनव ग्राहकोन्मुखी पहल के लिए हमें भारतीय बैंक संघ से प्रशंसा भी प्राप्त हुई है.

एक ही खाताधारक के बहु-खातों के खाते शेष एवं लघु विवरणियों को समाहित करने के लिए सुविधा का उन्नयन किया गया.

10. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड राशि (आस्बा) :

❖ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कंपनियों द्वारा शेयर्स के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम की विद्यमान प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया है और एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (अस्बा) नामक पूरक प्रक्रिया शुरू की है. हम सभी ग्राहकों को अस्बा सुविधा प्रदान करते है. जिसके द्वारा निवेशक उनके खाते में आवेदन राशि को ब्लॉक करने तथा उसके पश्चात आबंटन राशि प्रेषित करने के बैंक को प्राधिकृत कर सार्वजनिक निर्गम हेतु आवेदन कर सकते हैं. यह सुविधा आस्बा समूहन एवं ई-आईपीओ के लिए भी विस्तारित की गई है.

11. किओस्क बैंकिंग:

❖ नगद जमा, शेषराशि पूछताछ सुविधाओं के साथ बैंक ने 254 स्वंय सेवा किओस्क मशीनें स्थापित की है. इसके अलावा नकद जमा, शेषराशि पूछ्ताछ, लघु विवरणी, पास बुक प्रिंटिंग, चेक जमा तथा इंटरनेट बैंकिंग सेवा सहित 407 मल्टी फंक्शन कियोक्स मशीने स्थापित की है.

12. यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) :

एंड्राएड मोबाइल पर यूपीआई सोल्यूशन शुरु किया गया है जिससे निम्नलिखित विभिन्न सेवाएं प्राप्त की जा सकती है :

1. निम्नलिखित के उपयोग से धन प्रेषण

ए. वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए)

बी. खाता सं. एवं आईएफएससी

सी. मोबाइल नं. एवं एमएमआईडी

डी. आधार सं.

2. धन प्राप्त करना

3. बैंक खातों के लिए भुगतान पता सृजित करना

4. आदाता प्रबंधन

5. शेष राशि पूछताछ

6. लेनदेन इतिहास

7. लेनदेन स्थिति की जानकारी

8. शिकायत प्रस्तुत करना

9. एम-पिन सृजित करना /बदलना

10. संग्रहण अनुरोध के लिए सूचना

11. संग्रहण अनुरोध का अनुमोदन

उपर्युक्त के अलावा यूपीआई एप्लीकेशन में निम्नलिखित विशिष्टताएं भी मौजूद है :

ए. इंटीग्रेटेड यूपीआई 1.5 लाइब्रेरी

बी. क्यूआरकोड के उपयोग से धन प्रेषण

सी. ओटीपी ऑटो डिटेक्शन

डी. ओटीपी पुन: भेजना

ई. पिन सेट के दौरान काल्पनिक की पैड

बैंकिंग लेनदेन के लिए ग्राहकों को भीम एप्प पर ऑन-बोर्डिंग की सुविधा के लिए बैंक ने एनपीसीएल के साथ समन्वयन किया है.

13. डिजिधन लकी ग्राहक योजना एवं व्यापार योजना

❖ डिजिटल भुगतानों को प्रचारित करने के लिए भारत सरकार की डिजिधन लकी ग्राहक योजना एवं व्यापार योजना में हमारे बैंक के अनेक ग्राहकों ने बैंक के वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों का उपयोग कर डिजिटल भुगतान किए तथा दैनिक एवं साप्ताहिक ड्रॉ में पुरस्कार प्राप्त किए. इस योजना अवधि में हमारे बैंक के लगभग 64855 ग्राहकों को ₹ 9.60 करोड़ की राशि पुरस्कारस्वरूप प्राप्त हुई. दिनांक 14 अप्रैल, 2017 को घोषित इस योजना के अंतर्गत ₹ 1 करोड़ के मेगा ड्रा का पुरस्कार भी हमारे बैंक के ग्राहक को प्राप्त हुआ.

अन्य परियोजनाएँ

14. वेबसाइट :

❖ ग्राहकों की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए, वेबसाइट के आकर्षक प्रदर्शन एवं अनुभूति में निरतंर बदलाव किया जा रहा है. यह बेवसाइट रिटेल ऋणों, जमा खातों इत्यादि के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करती है तथा ग्राहक अपनी शिकायतें भी इस पर दर्ज कर सकते हैं. सुरक्षा लेखापरीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है. बैंक की विद्यमान वेबसाइट को नई डिजाइन के साथ नए रुप में बनाने का कार्य चल रहा है.

15. भारिबैं भुगतान गेटवे प्रणाली :

- दिनांक 31 मार्च, 2017 को 4811 शाखाएं/विस्तार पटल/ एसएसबी/कार्यालयों को आरटीजीएस समर्थित किया गया है एवं 4823 शाखाओं / विस्तारपट्ल / एसएसबी /कार्यालयों को एनईएफटी समर्थित किया गया है. आरटीजीएस/ एनईएफटी दोनों ही हमारे बैंक में स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) के अंतर्गत हैं.

- रिटेल तथा कॉर्पोरेट ग्राहकों को भी इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से एनईएफटी/आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी हमारे बैंक के भुगतान गेटवे के माध्यम से एनईएफटी सुविधा उपल्ब्ध कराई गई है. इसके आलावा बैंक ने उप-सदस्य व्यवस्था के अंतर्गत 40 सहकारी बैंकों को भी एनईएफटी सुविधा विस्तारित की गई है.

- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के शुरुआत करने के साथ ही हमारे बैंक में नेक्स्ट जेन आरटीजीएस (एनजी- आरटीजीएस) सक्रिय कर दिया गया.

16. एंटरप्राइज सर्विस बस (पेमेंट इंटीग्रेटर सोल्यूशन):

लम्बी कतार के कारण भुगतान प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को टालने के लिए क्षमता निर्माण कार्रवाई की गई है तथा समय सीमा के अनुपालन हेतु मल्टी थ्रेड प्रोसेसिंग शुरू की गई है. बैंक ने विभिन्न बेच प्रसंस्करण कार्यों जैसे- खाता सं., इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली(एनईसीएस) , सरकारी भुगतान (जीईपीजी), पेंशन प्रसंस्करण, ईएफएमएस खाता सं. आधारित ग्रहणाधिकार हटाना एवं लेनदेन प्रसंस्करण के माध्यम से(आस्बा एवं स्रोत) वेतन भुगतान के लिए एचआरएमएस एकीकरण, आवक स्विफ्ट संदेशों का एकीकरण (एमटीस 103) सहकारी बैंक, एनईएफटी, त्वरित प्रेषण, एनजीआरटीजीएस, सीपीएसएमएस- डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, पैन सत्यापन(सीबीएस में सीआईएफ बनाते समय) ई-प्रेषण (फ्लैश रेमिटेंस) ट्रेजरी एकीकरण, डीडीए हेतु आरटीजीएस, आधार आधारित ईएफएमएस, मनरेगा आधार सीडींग, सीटीएस, कोर बैंकिंग पद्धति के साथ सीएमएस, आईएमपीएस, यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस, खजाना,पीएमजेबीवाई इत्यादि के प्रभावी कार्यांवयन हेतु भुगतान एकीकरण सोल्यूशन वित्तीय लेनदेन प्रबंधन (एफटीएम) स्थापित किया है.

17. चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सी टी एस) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार निम्नलिखित स्थानों पर चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सी टी एस) सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा चुकी है :

- दक्षिण ग्रिड में 50 चयनित केंद्र.
- उत्तर ग्रिड में सीटीएस हेतु 46 चयनित केंद्र
- पश्चिमी ग्रिड में 55 चयनित केंद्र

18. कॉल सेन्टर :

- बैंक ने दिनांक 6 जुलाई 2011 को कॉल सेन्टर की स्थापना की है तथा यह सुगमतापूर्वक कार्य कर रहा है.

- वर्तमान में कॉल सेन्टर द्वारा विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं. जैसे, बैंक के उत्पाद तथा सेवाओं की सूचना, शाखा/एटीएम लोकेशन की सूचना, ब्याज दर तथा सेवा प्रभारों पर सूचना, शेष राशि पूछ्ताछ, लेनदेन जानकारी, चेक नंबर की जानकारी, डेबिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग, ब्याज अर्जित/ब्याज भुगतान की जानकारी, टीडीएस जानकरी, लेनदेन विवरण, जारी या जमा किए गए चेक की स्थिति, सीडी/सीसी/ओडी ऋण सीमा एवं ब्याज की जानकारी बैंक के ग्राहकों की शिकायतें रिकार्ड करना तथा उपयुक्त स्तर पर समाधान हेतु उन्हें बैंक की ग्राहक शिकायत प्रणाली में फीडिंग करना.

- बैंक ने कॉल सेन्टर में सीआरएम कार्यान्वित किया है.

- ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को देखते हुए तथा उन तक प्रभावी तरीके से पहुँचने के उद्देश्य से एक नया कॉल सेन्टर स्थापित किया जा रहा है. इसकी मदद से बैंक अपने द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे उत्पादों के बारे में जागरुकता लाने के लिए बाहरी कॉल किए जा सकेंगे.

- बैंक एक अत्याधुनिक कॉल सेन्टर की स्थापना करने की प्रक्रिया में है, जो अधिक सीटों वाली एवं और अधिक कार्यक्षेत्र को कवर करेगी. इस नए कॉल सेंटर का नं. 1800221911 है.

19. सिंगल डाटा रिपोजटरी (एसडीआर) :

- बैंक ने सिंगल डाटा रिपॉजिटरी की स्थापना की है, जो पूरे बैंक में सूचना/रिपोर्ट प्रदान करने का एक स्रोत होगा. यह उच्च प्रबंधन को सत्यतापूर्ण रिपोर्टिंग के विभिन्न डैशबोर्डस उपलब्ध कराते हुए रिपोर्टिंग की तारतम्यता सुनिश्चित करेगा. जिससे निर्णय सहायता प्रक्रिया में अभिवृद्धि होगी. बैंक का एएलएम मॉड्यूल, विश्लेषणात्मक सीआरएम तथा कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन निगरानी इस परियोजना के भाग हैं, जिन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है. बैंक की एडीएफ रिपोर्ट/ एमआईएस रिपोर्ट/ डैशबोर्ड, डाइनेमिक एएलएम, फंड ट्रांसफर प्राइसिंग मॉड्यूल इत्यादि कार्यान्वयन हेतु अंतिम चरण में है.

20. एचआरएमएस :

❖ बैंक ने पीपुलसॉफ्ट के सहयोग से नवीन तकनीक युक्त एचआरएमएस सोल्युशन (स्वदर्पण) कार्यान्वित किया है जिसमें सभी कार्यों जैसे कर्मचारी स्वंय सेवा, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रबंधन, वेतन रजिस्टर प्रबंधन, दौरा अनुमोदन एवं दावा प्रसंस्करण, एलएफसी का प्रबंधन, अवकाश एवं उपस्थिति प्रशासन, कर्मचारी सूचना प्रणाली, स्टाफ ऋण प्रसंस्करण, चिकित्सा सहायता का प्रबंधन, एचआरडी/विधि विभाग, अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रभाग (डीएडी), ग्रेच्युटी प्रबंधन/ भुगतान, भविष्य निधि डाटा प्रबंधन एवं भुगतान, एनआरडब्ल्यू भुगतान प्रसंस्करण, रिहायशी क्वार्टर्स का आबंटन, समाचार पत्र प्रतिपूर्ति रिपोर्ट (स्टाफ संख्या, पेरोल, फार्म 16 अवकाश, यूनियन, वेतनवृद्धि रिपोर्ट), प्रशिक्षण प्रबंधन एवं मानव शक्ति प्रशिक्षण (एमपीटी), निवेश, पदोन्नति परीक्षा आवेदन फार्म, वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन फॉर्म एवं सम्बद्ध रिपोर्ट, ब्रीफकेस, रजत जयंती पुरस्कार प्रतिपूर्ति, फर्नीचर एवं फिक्स्चर, अधिकारियों के स्थानांतरण, किराया प्रतिपूर्ति सुविधा इत्यादि की सुविधा एचआरएमएस में उपलब्ध है.

❖ एचआरएमएस में द्विभाषी सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा एचआरएमएस के लिए बैंक ने एक डीआर सेट-अप स्थापित किया है.

21. इन हाउस डेवलेपमेंट :

❖ बैंक के पास एक सुदृढ आईटी डेवलेपमेंट टीम है, जो बैंक के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर हेतु प्रभावी कार्य करती है तथा इस प्रकार यथासंभव उनकी आउट्सोर्सिंग बचाती है.

❖ बैंक ने रेलवे, डिफेंस, सिविल, टेलिकॉम, पोस्टल, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, डीयूएसआईबी, डीडीए इत्यादि के पेंशन के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन मॉड्यूल विकसित किया हैं. जो इस टीम की एक बडी उपलब्धि है. यह इन -हाउस टीम विभिन्न विभागों एवं प्रशासनिक कार्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिससे बाहरी वेंडरों पर निर्भरता कम हो गई है.

❖ निम्नलिखित इनहाउस डेवलेपमेंट पूर्ण किए गए हैं;

- ई- विजिलेंस शिकायत निगरानी प्रणाली (वी-सीएमएस)
- ओआरओपी- वन रैंक वन पेंशन- डिफेन्स पेंशनर्स हेतु एरियर
- आंचलिक/क्षेत्रीय प्रबंधक हेतु ई-वीआरएस (इलेक्ट्रॉनिक विजिट रिपोर्टिंग सिस्टम)
- पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई एवं एपीवाई योजनाओं हेतु पोर्टल
- लीज डीड पोर्ट्ल : यूजर विभाग द्वारा सुझाये गये बदलाव समाहित कर परिष्कृत पोर्टल
- डीबीटीएल : शाखाओं द्वारा गैस ग्राहक सं. की सीडिंग के लिए डीबीटीएल विकसित किया गया.
- जीवन प्रमाण पोर्टल : पेंशन डेटाबेस में जीवन प्रमाणपत्र का अपडेशन
- सीएफएसएल: - एफडीआर एवं शेयर मॉड्यूल विक्सित किए गए. मर्जर, समेकन, डीमर्जर जैसे मॉड्यूल को भी सक्रिय कर दिया गया है.
- ग्राहक सेवा समिति बैठक पोर्टल : ग्राहक बैठकों के विवरण तैयार करने के लिए शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों /आंचलिक कार्यालयों को उपलब्ध कराये गए हैं.
- एलडीएम पोर्टल :- विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों से संबंधी डाटा को सृजित करने के लिए अग्रणी जिला प्रबंधक हेतु पोर्टल.
- शैक्षणिक अनुदान: डाटा परिमार्जन के लिए कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है.
- अनुशासनिक कार्रवाई के मामले पंजीकृत करने एवं उनमें हुई प्रगति की जानकारी के लिए सतर्कता विभाग हेतु अनुशासनिक जांच मॉड्यूल तैयार किया गया.
- जीएडी वेंडर पेमेंट का प्रथम चरण पूर्ण.

❖ **विकसन प्रक्रियाधीन परियोजनाएं :-**

- ई-चैनल मैनेजर :- कुछ रिपोर्टों का सृजन विकसन प्रक्रिया के अधीन है, जिसे इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा.
- एनसीजीटीसी (एमएसएमई, रिटेल) के लिए एक्सएमएल फाइल तैयार करने के लिए डाटा अद्यतन पोर्टल.

- डीआईटी भुगतान प्रणाली
- केंद्रीयकृत किराया भुगतान प्रणाली.

22. बैंक द्वारा प्रायोजित आआरबी:

बैंक के पास वर्तमान में 1629 शाखाओं वाली 3 आआरबी हैं. मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार समेकन प्रक्रिया के पश्चात सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत हैं और यह प्रयास किए जा रहे हैं कि बैंक द्वारा की जा रही प्रौद्योगिकी पहल के समान स्तर पर आरआरबी की प्रौद्योगिकी पहल को स्थापित किया जाए. बैंक की वर्ष 2020 तक की अपेक्षाओं के अनुरूप सम्पूर्ण प्रणाली को सुसज्ज किया गया है. हार्डवेयर, नेटवर्क एवं सुरक्षा उपकरण इत्यादि की खरीद आरएफपी प्रक्रिया के अंतर्गत की जा रही है. आरआरबी के व्यवसायिक प्रगति एवं शाखा विस्तार की परिकल्पना के अनुसार नवीकरण किया जा रहा है. वर्तमान में आरआरबी का शाखा नेटवर्क मुख्य रूप से वी-सैट पर आधारित है. इसलिए, नवीकरण प्रक्रिया में सभी शाखा स्थानों पर भी एमपीएलएस लीज्ड लाइन लिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है. जो स्थान व्यवहार्य पाए जायेंगे वहां लीज्ड लाइन प्रारंभ कर दी जाएगी.

प्रायोजित बैंक की सभी प्रौद्योगिकी पहलें कार्यान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और फिलहाल प्रारंभ की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार:-

- आरआरबी ग्राहकों के लिए ईवीएम चिप आधारित एटीएम कार्ड की सुविधा
- आरआरबी में एसएमएस एलर्ट प्रारंभ करना
- एफआई लेन-देनों के लिए ऑन-लाइन इंटरफेस
- किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ
- सीपीएसएमएस का कार्यान्वयन
- अति लघु शाखाओं की प्रयोजनीय कार्यपद्धति
- एपीबीएस/एसीएच का शुभारंभ
- सिबिल डाटा निष्कर्षण
- शाखा में सीबीएस प्रयोगकर्ता हेतु बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सोल्यूशन का कार्यान्वयन
- रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से पीओएस सुविधा
- एईपीएस का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है.
- आरआरबी की व्यापक आईएस लेखापरीक्षा पूर्ण हो चुकी है.
- सभी 3 आरआरबी में डीबीटीएल/एसीएच कार्यान्वित कर दिए गए हैं.
- ई-केवाईसी का कार्यान्वयन.
- माइक्रो एटीएम के माध्यम से रुपे कार्ड लेनदेन का प्रयोग.
- परिपत्र पोर्टल का प्रारम्भ.

23. वित्तीय समावेशन पहलें :

- ❖ आवश्यक प्रौद्योगिकी पहल सहायता उपलब्ध कराते हुए सरकार द्वारा यथा निर्देशित सभी वित्तीय समावेशन पहलों को प्रारंभ किया गया है.
- ❖ आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) सक्रिय किया है.
- ❖ एलपीजी उपभोक्ता हेतु डीबीटी का कार्यान्वयन एवं अस्वीकृत को कम करने हेतु निगरानी
- ❖ आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एइपीएस) सक्रिय है.
- ❖ मनरेगा लाभार्थी के आधार हेतु बल्क आधार सीडिंग की सुविधा

- आधार सीडिंग वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से भी उपलब्ध है – एटीएम, एसएमएस एवं इंटरनेट बैंकिंग द्वारा
- दिनांक 31 मार्च, 2017 तक कुल 239 लाख आधार सीडिंग
- एफआई ग्राहकों के लिए केन्द्रीय बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन
- एफआई में सीएससी किओस्क बैंकिंग मॉडल के स्थान पर टीसीएस कियोस्क बैंकिंग मॉडल का कार्यान्वयन
- ई-केवाईसी – सभी शाखाओं में कार्यान्वित कर दिया गया है.
- डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण- एनपीसीआई के माध्यम से डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण लेनदेन से उत्पादकता की प्रवृति एवं प्रदर्शन में सक्रियता
- सीबीएस में तीन नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारम्भ.
- बीसी उपकरणों के माध्यम से रुपे कार्ड लेन-देन प्रत्यक्ष उत्पादन में है.
- नए आरएफपी तकनीकी सेवा प्रदाता मेसर्स इत्यादि सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं.
- बीसी के लिए आधार आधारित लॉगिन कार्यमूलकता को प्रोडक्शन एन्वायरमेंट डाल दिया गया है एवं सभी सक्रिय टीएसपी उस पर लाइव है.
- उन बीसीज के लिए भी बल्क एसएमएस सुविधा को प्रोडक्शन में क्रियान्वित कर दिया गया है जो किसी विशिष्ट दिन लॉगिन नहीं होते है.
- एनपीसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार आधार सीडिंग तथा आधार मैपिंग का पृथक्कीकरण प्रोडक्शन में डाल दिया गया है.
- आधार मोबाइल एवं नामाकंन के अनिवार्य फील्ड प्रॉडक्शन मे डाल दिए है.
- आधार आधारित व्यापारिक भुगतान कार्यमूलकता को भी प्रोडक्शन में डाल दिया है और उसे लाइव कर दिया गया है.

24. आईटी गवर्नेंस:

- बैंक में आईटी कार्य नीति समिति, आईटी संचालन समिति एवं आईटी जोखिम प्रबंधन समिति के गठन से बैंक में आईटी गवर्नेंस के लिए आवश्यक संरचना तैयार की गई है. सूचना प्रौद्योगिकी नीति और आईटी आस्तियों के निपटान के लिए हार्डवेअर निपटान नीति का अनुमोदन बोर्ड द्वारा कर दिया गया है.
- कार्यपालकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आबंटित करने, उनके स्थानांतरण पर उन्हें वापस करने/ले जाने तथा पुनर्आबंटित करने तथा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के समय उन्हीं के पास रहने देने में पारदर्शिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नीति अपनाई गई है. आने वाले समय में, इस प्रकार के उपकरणों की खरीद विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों/व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगी. अत: यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी हो.
- सूचना प्रौद्योगिकी नीति के संस्करण 1.4 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया था. आईटी का संगठनात्मक ढांचा बैंक द्वारा की जा रही व्यवसायिक गतिविधियों के आकार, प्रमाण एवं प्रकृति के अनुरूप तथा व्यावसायिक परिचालन के लिए सूचना प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराये गए अन्तर्निहित समर्थन के अनुरूप होना चाहिए. आईटी संगठनात्मक संरचना के प्रमुख कार्यक्षेत्रों में 'तकनीक एवं विकास", 'आईटी परिचालन", 'आईटी एश्योरेंस" एवं 'आपूर्तिकर्ता 'तथा 'संसाधन प्रबंधन" शामिल होंगे. आईटी विभाग आदर्श स्थिति में उच्च कार्यपालक की श्रेणी के अधिकारी तथा महाप्रबंधक एवं उनके सहयोग हेतु उप महाप्रबंधक द्वारा संचालित होना चाहिए. आईटी विभाग का प्रत्येक वर्टिकल समुचित रूप से अनुभवी एवं प्रशिक्षित वरिष्ठ अधिकारियों, जो कम-से-कम सहायक महाप्रबंधक श्रेणी के हों, द्वारा संचालित होना चाहिए.
- बेहतर प्रबंधन हेतु बैंक द्वारा पैच प्रबंधन नीति, स्वीकार्य उपयोग नीति एवं नक़ल रोधी नीति को अंगीकृत किया गया है.
- आई टी कार्यनीति समिति की सलाह के अनुसार संतुलित स्कोर कार्ड नियमित रूप से तैयार कर उसका प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है तथा आई टी परियोजनाओं के विभिन्न पैरामीटरों के अंतर्गत कार्यनिष्पादन की रेटिंग की जा रही है. आईएसओ-27001 प्रमाणन और बीएसएमएस-25999 प्रमाणन के लिए निगरानी प्रक्रिया और आंतरिक लेखापरीक्षा की गई.

25. सूचना सुरक्षा:

- बैंक का डाटा केन्द्र (डी सी) और आपदा पुनर्स्थापन केन्द्र (डी आर सी) आईएसओ 27001:2013 आईएसएमएस मानकों एवं आईएसओ 22301:2012 बीसीएमएस मानकों से प्रमाणित है.

- ❖ सुरक्षा संतुलन स्कोर कार्ड की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न सूचना सुरक्षा नियंत्रणों/गतिविधियों की प्रभाविता तिमाही आधार पर मापी जाती है.
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक एवं सीईआरटी-इन (भारतीय कम्प्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया दल) द्वारा आयोजित साइबर ड्रिल में सहभागिता की.
- ❖ डीसी/डीआर की विभिन्न प्रणालियों के विशिष्ट उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को प्रबंधित करने के लिए विशिष्ट पहचान प्रबंधन समाधान (पीआईएम) क्रियान्वित कर दिया गया है.
- ❖ डीएलपी (डाटा क्षति संरक्षण) को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने हेतु कदम उठाये गए.
- ❖ ग्राहकों एवं स्टाफ के लिए नियमित सुरक्षा जागरूकता पहलें.
- ❖ बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश एवं बैंकिंग उद्योग में व्याप्त प्रथाओं के अनुरूप बैंक की साइबर सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए है.

26. सीबीएस यूजर्स (स्टाफ) के लिए बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन:

- ❖ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के तौर पर बैंक ने बायोमीट्रिक अभिप्रमाणन प्रणाली (बीएएस) का कार्यान्वयन पूर्ण कर लिया है.
- ❖ सभी शाखाएं और कार्यालय बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन समर्थित हैं और सभी लेनदेन समर्थता उपयोगकर्ताओं को बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से सीबीएस में लॉगिन करना अनिवार्य बनाया गया है.

27. जीवन प्रमाण

- ❖ पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के सृजन हेतु हमारे बैंक के सभी क्षेत्रीय/आंचलिक/शाखाओं में जीवन प्रमाण एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया गया है. केंद्र सरकार/सेना/राज्य सरकार के पेंशनर्स किसी भी आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं.

28. केंद्रीकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली एवं पर्यवेक्षण (क्लास) :

- ❖ यह रिटेल, कृषि, एमएसएमई एवं कॉर्पोरेट मॉड्यूल के साथ निगरानी मॉड्यूल के साथ क्रियान्वित किया जाता है.
- ❖ इस प्रणाली के लागू करने से ऋणों की स्वीकृति के नियमों को लागू करना आसान हो गया है तथा सभी शाखाओं में एकसमान प्रक्रिया लागू हो गई है.
- ❖ वर्तमान में, इस सॉफ्टवेर का उपयोग सभी शाखाओं के द्वारा रिटेल ऋणों इत्यादि के अंतर्गत ऋण आवेदन प्रवर्त करने में किया जाता है.
- ❖ इन्टरनेट पर इस सॉफ्टवेर के द्वारा ऋण आवेदनों की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जानकारी के लिए भी सुविधा उपलब्ध है.
- ❖ हाल ही में शैक्षणिक ऋणों के लिए प्रस्तुत किया गया एनएसडीएल विद्यालक्ष्मी पोर्टल पहले से ही क्लास से सम्बद्ध कर दिया गया है एवं एनएसडीएल पोर्टल के स्वचलन के चरण दो का क्रियान्वयन यूएटी के अंतर्गत क्रियान्वयनाधीन है.
- ❖ इस सॉफ्टवेर में भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण चूककर्ता सूची प्रदर्शित करने की क्षमता है एवं एनपीए मॉड्यूल परीक्षणाधीन है जिसे शीघ्र ही प्रोडक्शन में लगा दिया जाएगा.
- ❖ क्लास मॉड्यूल का नवीकरण विशुद्ध स्थापत्य पैमाने की प्रक्रिया में है जिसका प्रथम भाग डीआरसी में क्रियान्वित कर दिया गया है तथा डीसी क्रियान्वयन का दूसरा भाग शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जाएगा.
- ❖ अनुप्रयोग, मिडल वेयर, हार्डवेयर एवं लाइसेंसों के लिए पांच वर्षीय समेकित एएमसी/एटीएस संबंधी प्रक्रिया जारी है एवं उसे शीघ्र ही अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा.

29. सरल टीडीएस वेब एप्लीकेशन :

दिनांक 06.10.2015 को केंद्रीकृत ई-टीडीएस प्रबंधन सोल्यूशन क्रियान्वित किया गया था. जो टीडीएस सम्प्रेषण के लिए मासिक आयकर चालान का सृजन एवं आईटी विवरणी फाइल करने में सहायक है.

30. नकद प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस):

- ❖ दिनांक 01.01.2015 को नकदी प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गयी थी जो तरलता, खाता शेष, भुगतान एवं नकदी प्रबंधन कार्य प्रबंधित करने में कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सहायक है. इस एप्लीकेशन के दो प्रमुख मॉड्यूल है अर्थात भुगतान एवं संग्रहण.

31. धन-शोधन निवारण (एएमएल):

दिनांक 15.06.2015 को एमलॉक एप्लीकेशन क्रियान्वित की गयी थी जो वित्तीय अन्वेषण इकाई (एफआईयू) को प्रस्तुत की जाने वाली अनिवार्य रिपोर्टें (दैनिक/मासिक) यथा एसटीआर, सीटीआर, एनटीआर, सीसीआर, एवं सीबीडब्ल्यूआर इत्यादि सृजित करने में सहायक है.

32. विविध परियोजनाएं:

- समेकित जोखिम प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन सिस्टम का क्रियान्वयन
- दस्तावेज प्रबन्धन प्रणाली (डीएमएस) के क्रियान्वयन से बैंक दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में है.
- बाजार जोखिम के लिए हार्डवेयर की खरीद की गयी है.
- एनएसीएच उत्पादों के लिए होस्ट 2 होस्ट संबद्धता का कार्यान्वयन
- सिस्टम संचालित आईबीआर का कार्यान्वयन
- निक(एनआईसी) के द्वारा मेल मैसेजिंग प्रणाली एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- आईटी संबंधी विद्यमान नीतियों की समीक्षा
- कार्पोरेट आईएनबी ग्राहकों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का कार्यान्वयन
- माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे लाइसेंसशुदा उत्पादों के उपयोग का नियमन
- सभी व्यवहार्य स्थानों पर बैकअप लिंक के रूप में ऑपेक्स मॉडल पर केयू बैंड वीसैट का क्रियान्वयन किया गया है.
- डेबिट कार्डों के लिए अधिप्रमाणन के लिए दूसरे घटक के रूप में ओटीपी का कार्यान्वयन
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का व्यापक प्रयोग जिसे बैंक के कार्पोरेट नेटवर्क, इंटरनेट एवं आईपैड पर उपलब्ध कराया गया.
- इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन
- ऑफ-साइट निगरानी - ऑफ-साइट निगरानी के लिए लेखा परीक्षा विभाग को 89 रिपोर्टें दी जा चुकी हैं.

लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

बैंक की शाखाएं आंतरिक लेखापरीक्षकों के माध्यम से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन है और सम्मिश्र जोखिम ढांचे के अनुसार प्रत्येक शाखा को जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है. तदनुसार, 3661 शाखाएं आरबीआईए के अधीन थी एवं शाखाओं को श्रेणी प्रदान की गयी. दिनांक 31.03.2017 को मध्यम जोखिम रेटिंग में 2330 शाखाएं, न्यून जोखिम रेटिंग में 2315 एवं उच्च जोखिम रेटिंग में 51 शाखाएं वर्गीकृत हैं. बैंक की कोई भी शाखा बहुत अधिक जोखिम रेटिंग एवं अत्यधिक जोखिम रेटिंग के अंतर्गत नहीं हैं.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, 32 क्षेत्रीय कार्यालयों, 11 आंचलिक कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय के 11 विभाग प्रबंधन लेखापरीक्षा के अधीन थे.

बैंक ने 1064 शाखाएं/एसएसबी/के.का. विभागों को सनदी लेखाकार के फर्मों द्वारा संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत कवर की है. बैंक की सभी 7 कॉर्पोरेट वित्त शाखाएं बैंक के वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों द्वारा संगामी लेखापरीक्षा के अंतर्गत हैं. दिनांक 31.03.2017 को कुल जमा राशि का लगभग 56% और कुल अग्रिमों का 74% संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत कवर किया है. 1057 सनदी लेखाकार फर्मों को संगामी लेखापरीक्षा कार्य सौपा गया है जिनमें से 407 फर्में भारिबैं श्रेणी ध की, 328 श्रेणी II की, 183 श्रेणी III की एवं 139 फर्में श्रेणी IV की हैं. इनमें से 841 फर्में ऐसी है जिनके भागीदारों/कर्मचारियों ने आईसीएआई द्वारा संचालित बैंकों की संगामी लेखापरीक्षा संबंधी पाठ्यक्रम प्रमाणन प्राप्त किया है.

बैंक ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के दिशानिर्देशानुसार ऑफसाईट निगरानी प्रणाली प्रारंभ की है और वर्तमान में, 89 परिदृश्यों पर एलर्ट जनरेट किए जा रहे हैं.

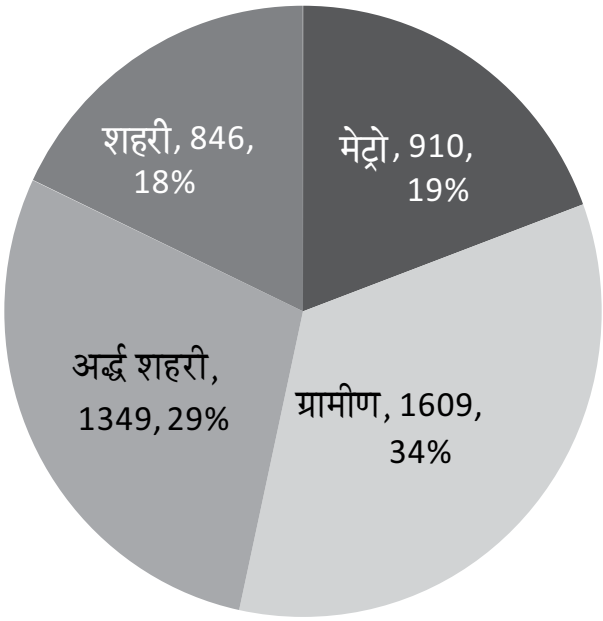
नोटबंदी के दौरान एवं उसके पश्चात लेखा परीक्षा विभाग में एलर्ट्स पर ध्यान रखते हुए अग्रसक्रिय भूमिका निभाई और शाखाओं / करेंसी चेस्ट की लेखा परीक्षा

की. विभाग ने राष्ट्रीय सीमा पर स्थित शाखाओं, वाम चरम पंथी प्रभावित इलाकों (एलडब्ल्यूई), देश के उत्तर पूर्वी इलाकों की शाखाओं तथा दूर दराज के इलाकों में स्थित शाखाओं की भी लेखा परीक्षा की. आपके निदेशकों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि नोटबंदी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई.

शाखा विस्तार

दिनांक 31 मार्च 2017 को, बैंक के नेटवर्क में कुल 4714 शाखाएं हैं, 3677 अतिसूक्ष्म शाखाएं, 5285 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं. देश के सभी 29 राज्यों, 6 में से 5 केन्द्र शासित प्रदेशों, एनसीटी दिल्ली, 574 जिला मुख्यालयों एवं 707 जिलों में से 626 जिलों में उपस्थिति के साथ बैंक का देशव्यापी विस्तार है.

शाखाओं का वर्गीकरण



परिचालन

- **नोटबंदी** - बैंक ने ग्राहकों/आम नागरिकों से एसबीएन नोट प्राप्त करने/बदलने तथा छोटे मूल्य के नोट/नए करेंसी नोट जारी करने का काम का प्रबंधन कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया.
- **नए कॉल सेंटर** - बैंक द्वारा विस्तारित किए गए आधुनिक कॉल सेंटरों ने ग्राहकों को 24 x7x365 बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य आरम्भ कर चुके है. कॉल सेंटर का नया शुल्करहित नं. 1800-22-1911 है.
- **बीसीएसबीआई रेटिंग-** ग्राहक सेवा संहिता के श्रेष्ठ अनुपालन के लिए बीसीएसबीआई ने हमारे बैंक को ''औसत से बेहतर'' श्रेणी प्रदान की है. हमारे बैंक की रैंकिंग भी आगे बढ़ी है.
- **ओआरओपी एवं सातवां वेतन संशोधन बकाया** - बैंक ने बकाए ओआरओपी के साथ साथ 7वें वेतन आयोग के एरियर की तीन किस्तों का भुगतान सभी पात्र केंद्रीय पेशनधारियों को समय पर कर दिया है.
- **मिस्ट्री शॉपिंग** - बैंक ने शाखा स्तर पर प्रचलित उपलब्ध सुविधाओं की आधारभूत वास्तविकता को जानने हेतु शाखाओं में 'मिस्ट्री शॉपिंग" की अवधारणा शुरू की है. अब तक एजेंसी से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इसमें 721 शाखाएं कवर की गयी और सुधारात्मक कार्रवाई की गयी.
- **शिकायतों का निपटान** - विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर प्राप्त शिकायतों का निपटान मुस्तैदी से किया जाता है. स्टाफ के दुर्व्यवहार संबंधी शिकायतों की जांच अन्य बैंकों के सेवानिवृत्त महाप्रबंधकों द्वारा कराई जाती है एवं दोषी स्टाफ सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है.

राजभाषा :

- वर्ष के दौरान, हमारे बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में भाषिक क्षेत्र ''ख'' में बैंक में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2015-16 के लिए ''राजभाषा'' कीर्ति ''पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया.
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए ''भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर शील्ड योजना के अंतर्गत हमारे बैंक को तीनों भाषिक क्षेत्र ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' में वर्ष 2015-16 के लिए ''प्रथम'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- हमारे बैंक की गृह पत्रिका सेन्ट्रलाइट को बैंकों की द्विभाषी गृह पत्रिका पुरस्कार योजना के अंतर्गत ''रिजर्व बैंक गवर्नर शील्ड'' से सम्मानित किया गया.
- वर्ष के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए मुम्बई एवं गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय, को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए ''प्रथम'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए हमारी गुवाहाटी शाखा एवं क्षेत्रीय कार्यालय पणजी को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया.
- वर्ष के दौरान हमारे बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ, औरंगाबाद, अकोला, दिल्ली दक्षिण एवं तिरुवनंतपुरम को संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- हमारे क्षेत्रीय कार्यालय कोच्चि को त्रिवेंद्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया.
- हमारे अग्रणी कार्यालय कार्यालय होशंगाबाद, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, कोटा, देहरादून को संबंधित नगर राजभाषा समितियों द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया.
- वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, जालंधर एवं कोच्चि को संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए राजभाषा के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया.
- हमारे बैंक की हरिद्वार शाखा एवं आंचलिक कार्यालय दिल्ली को संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- सभी क्षेत्रीय /आंचलिक कार्यालयों द्वारा ई- पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है.
- दिनांक 23 जनवरी 2017 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा हमारे केन्द्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया गया जिसमें समिति ने भारत सरकार की राजभाष नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए हमारे बैंक की सराहना की.
- दिनांक 22 मार्च 2017को मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय के अधीन गोवा में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया. गोवा की राज्यपाल डॉ. मृदुला सिन्हा इस सम्मेलन की मुख्य अतिथि थी.

कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन

हमारे उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर एवं अन्य मास कम्यूनिकेशन के माध्यमों से जागरुकता जागृत करने के लिए, गो ग्रीन उपायों को स्वीकार करते समय अपनी ब्रांड छवि को बनाए रखने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए तथा स्टाफ सदस्यों के सक्रिय सहयोग से अपने बैंक के व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए निम्न लागत वि%ाापनों को महत्व देते हुए निरंतर प्रयास करते रहने के हमारे प्रयास इस वर्ष भी जारी रहेंगे. अखिल भारतीय स्तर पर विजिविलिटी बढ़ाने के लिए, फील्ड स्तर पर स्थानीय खेल स्पर्धाओं/यात्राओं/आयोजनों/किसान कैम्पों/सम्मेलनों के प्रायोजन के अतिरिक्त, विभिन्न प्रचार-प्रसार गतिविधियों जैसे ट्रैफिक बेरिकेडस्, नो पार्किंग बोर्डों, पुलिस चौकियों, यूटिलिटी किऑस्क, दीवार पेंटिंग, ऑटो-रिक्शा, बस एवं ट्रेन में ब्रेंडिंग की गई. इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लोकल केबल, एफएम रेडियो, मोबाइल एप, यूएफओ मूवीज़, पीवीआर सिनेमा का भी उपयोग किया गया.

- वर्ष के दौरान, बैंक ने ग्राहकों और स्टाफ सदस्यों के लिए 143 स्वास्थ्य जांच कैम्प-सह-रक्त दान कैम्पों का आयोजन किया.
- सिद्धिविनायक मंदिर में सड़क संकेत बोर्डों, महत्त्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैफिक बैरिकेडस् लगाकर जनमानस का ध्यान आकर्षित किया गया.
- प्रिंट, इलेक्ट्रिॉनिक एवं बाहरी मीडिया वाहनों के प्रयोग के माध्यमों से ब्रैंडिंग गतिविधियों को अंजाम देने से, ब्रैंड फाइनैन्स द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ 500 ब्रैंडों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में हमारे बैंक की ब्रैंड रेटिंग 9वीं तथा विश्व स्तर पर यह 393वीं रही.

- ❖ हमारे बैंक को इकोनॉमिक्स टाइम सर्वे के अनुसार पीएसयू बैंक श्रेणी के अंतर्गत भरोसेमंद ब्रॉन्ड के रूप में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है.
- ❖ एबीसीआई ने बैंक को इसके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पहलों को देखते हुए 5 पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है.

सतर्कता

- ❖ सतर्कता विभाग का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं इसकी परिचालन सक्षमता बढ़ाने के लिए ई-विजिलेंस पोर्टल की शुरुआत की जा चुकी है. इससे विभागीय जांच के मामलों एवं शिकायतों के संचलन पर रियल टाइम आधार पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी.
- ❖ सतर्कता के मामलों के निपटान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.
- ❖ इस वर्ष बैंक के सभी शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों ने सर्तकता जागरुकता कार्यक्रम, नैतिकता कार्यक्रम, जन सहभागिता एवं भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कार्यक्रमों के प्रचार में सक्रिय सहभागिता की. देश भर में विभिन्न विद्यालयों/ महा विद्यालयों तथा ग्राम पंचायतों में 180 कार्यशालाएं आयोजित की गयी.

मानव संसाधन विकास

1. मानव शक्ति :

मार्च 2017 के अंत में बैंक में स्टाफ सदस्यों की संख्या 37044 थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 37685 थी. स्टाफ सदस्यों का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	मार्च, 2017	मार्च, 2016
अधिवकारी वर्ग	16,247	16,115
लिपिक वर्ग	13,001	13,103
अधीनस्थ वर्ग	7,796	8,467
कुल संख्या	37,044	37,685

2. मानव संसाधान विकास :

(i). 5 स्टार श्रेणीकृत शाखा प्रबंधकों के लिए एक्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कार्यक्रम

इस योजना का उद्देश्य अधिकारियों में लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्पर्धात्मक भावना विकसित करने तथा व्यवसाय विकास प्रबंधन में प्रशंसा एवं पुरस्कृत कर कार्य-निष्पादन में विशिष्टता का संवर्द्धन करना है. इसे वर्ष 2016-17 की हमारे प्रशिक्षण कार्य योजना में अनुमोदित कर दिया गया है तथा 5 स्टार श्रेणी प्राप्त शाखा प्रबंधकों को विदेश में प्रशिक्षण, तीन शाखा प्रबंधकों की (रिपीटर्स) को बैंकाक में आयोजित फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 27वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए नामित किया गया, एनआईबीएम, पुणे द्वारा एनआईबीएम एवं आईएमपीएम, दुबई में 44 शाखा प्रबंधकों को दो बैचों में प्रशिक्षणार्थ भेजने के लिए प्रशिक्षण बजट में शामिल किया गया है.

(ii). अधिकारियों एवं पंचाट कर्मचारियों को आवास ऋण की प्रमात्रा में वृद्धि

कर्मचारियों (अधिकारी एवं पंचाट कर्मचारी) के लिए आवास ऋण के संबंध में उनके बचे हुए सेवाकाल तथा उनकी उम्र 70 वर्ष पूर्ण होने एवं अधिकारियों के मामले में अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 240 माह एवं अवार्ड स्टाफ के संबंध में पुनर्भुगतान अवधि 300 माह के अधीन आवास ऋण की मात्रा निर्धारित की गयी. दिनांक 27.05.2016 से अधिवर्षिता/ वीआरएस /त्याग पत्र के समय भवन निर्माण ऋण को प्रत्यक्ष आवास वित्त योजना (सेन्ट होम) में परिवर्तन अनुमत करने का प्रावधान किया गया. ऋण की मात्रा में यह वृद्धि 08.02.2014 से प्रभावी की गयी.

(iii). वित्त वर्ष 2015-16 से प्रभावी बोनस का भुगतान.

दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रभावी, भारत में हमारे बैंक में कार्यरत सभी पात्र कर्मचारी जिनका वेतन/पारिश्रमिक ₹ 21,000/-प्रति माह से अधिक नही है (बोनस भुगतान अधिनियम, 2015 (संशोधन) प्रावधानों के अनुसार), को उनके वेतन/पारिश्रमिक के 8.33% की दर से बोनस का भुगतान किया जाएगा. देय बोनस की अधिकतम राशि ₹7,000/- होगी.

(iv). वेतनमान I,II,III में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी मानदंड : संशोधन समाहित करते हुए दस्तावेज.

हमारे बैंक की वर्तमान व्यावसायिक आवश्यकताओं एवं हमारे बैंकके स्टाफ की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यधारा के वेतनमान I,II,III के अधिकारियों के स्थानांतरण मानदंडों के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है जिसका अनुमोदन दिनांक 04.02.2017 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में किया गया.

(v). संवेदनशील/ गैर संवेदनशील स्थानों पर पदस्थ कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश नीति.

अधिकारी एवं पंचाट कर्मचारी सहित सभी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश नीति के तहत कवर किए गए है, उन्हें संवेदनशील स्थान पर उनकी पदस्थता के दौरान प्रत्येक वर्ष एक बार में 10 कार्यशील दिवसों के लिए अनिवार्यत: अवकाश पर रहना होगा अथवा उन्हें उनकी डेस्क से दूर रखा जाएगा. इसी प्रकार गैर संवेदनशील स्थानों में 6 दिन के लिए ऐसा करना होगा. इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे कर्मचारियों के अवकाश पर होने के समय उनके कार्य संबंधी उत्तरदायित्वों से जुड़े भौतिक अथवा आभासी संसाधनों (सेन्ट मेल इत्यादि) तक उनकी पहुंच नहीं होनी चाहिए.

(vi). ₹ 1000/- एवं ₹ 500/- के नोटों की नोटबंदी के समय ओवरटाइम और जेब खर्च का भुगतान.

₹ 1000/- एवं ₹ 500/- के नोटों की नोटबंदी के समय शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को ओवरटाइम एवं जेब खर्च के भुगतान से क्षतिपूर्ति की गयी.

(vii). कार्यालयों/शाखाओं में देर तक कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा.

यह अवश्यकरणीय है कि हमारा बैंक हमारी महिला सहकर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे. तदनुसार, सभी प्रशासनिक कार्यालयों एवं शाखाओं को निर्देश दिए गए कि वे यह सुनिश्चित करें कि सामान्यत: महिला स्टाफ सदस्यों की देर शाम तक कार्य के लिए न रोका जाए फिर भी, यदि किसी अत्यावश्यक कार्य के कारण देर शाम तक महिला कर्मचारी को रोकना पड़े तो यह सुनिश्चित किया जाएं कि वे कार्यालय में अकेले कार्य न करें तथा प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि महिला कर्मियों को घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए.

(viii). सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आईबीए ग्रुप मेडीक्लेम बीमा के वर्ष 2016-2017 के लिए नवीकरण का प्रीमियम (दिनांक 31.10.2016 को पॉलिसी समाप्त.

दसवें द्विपक्षीय समझौते/ संयुक्त नोट दिनांक 25.08.2015 में आईबीए द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशनधारकों की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दिनांक 31.10.2016 को समाप्त हो गयी है. इस पॉलिसी में कवर हुए/इसका विकल्प लेने वाले सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी जो इसे नवीकरण कराने के इच्छुक हो, से अनुरोध किया गया कि वे अपना विकल्प सहित सहमति पत्र पुन: प्रस्तुत करें.

3. प्रशिक्षण :

वर्ष 2016-17 के लिए प्रशिक्षण योजना एवं प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है. अनुमोदित प्रशिक्षण योजना में ऋण (रिटेल, एमएसएमई एवं कृषि), वसूली, विदेशी विनिमय एवं जोखिम प्रबंधन तथा मानवीय स्वभाव के पहलुओं पर प्रशिक्षण देने को प्राथमिकता दी गई है.

वर्ष 2016-17 के दौरान विशेष प्रशिक्षण पहल निम्नानुसार है :

- सभी 26 महाप्रबंधकों एवं फील्ड महाप्रबंधकों के लिए आईआईएम, बैंगलोर में प्रभावी परिवर्तन प्रबंधन विषय पर प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.
- पहली बार वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों के लिए आईआईएम कलकत्ता में 'प्रबंधन विकास कार्यक्रम' आयोजित किया गया.
- 28 संकाय सदस्यों के लिए एनआईबीएम पुणे में संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया. अनुक्रमण आयोजना की अनुशंसा पर आईडीबीपी नोएडा,
- एनआईबीएम, पुणे, एससीआई, हैदराबाद एवं एसपीबीटी कॉलेज में क्रिसिल, मुम्बई द्वारा एडवांस्ड क्रेडिट मैनेजमेंट प्रोग्राम आयोजित किए गए. सभी सहायक महाप्रबंधकों एवं मुख्य प्रबंधकों को समाहित करते हुए ऐसे कुल 10 कार्यक्रमआयोजित किए गए.
- हैदराबाद अंचल के ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों के शाखा प्रबंधकों एवं कृषि वित्त अधिकारियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम 'हार्नेसिंग द अपॉर्च्युनिटी इन रुरल एंड सेमी अर्बन एरिया' विषय पर आंध्रा बैंक अपेक्स ट्रेनिंग कॉलेज, हैदराबाद में तथा चेन्नई अंचल के लिए इंडियन बैंक ट्रेनिंग कॉलेज, इमेज, चेन्नई में आयोजित किया गया.
- शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत वेतनमान I से IV के अधिकारियों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम ''ऑन फील्ड ट्रेनर्स'', एसपीबीटी कॉलेज में आयोजित किया गया. ऑन फील्ड टेनर्स की सेवाओं का उपयोग जेडएसटीसी एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों में आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा.

- वर्ष के दौरान एनआईबीएम, पुणे एवं आईएमटी दुबई में 5 स्टार वाले 44 शाखा प्रबंधकों के लिए एक्जिक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया. तथा तीन रिपीटर शाखा प्रबंधकों ने बैंकाक में आयोजित फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 27वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया.
- एक विशेष रूप से तैयार किया गया सॉफ्ट स्किल कार्यक्रम मंथन वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था. दिसम्बर 2016 तक विभिन्न जेडएसटीसी, प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं अन्य केंद्रों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें बैंक के वेतनमान V तक के सभी अधिकारियों को कवर किया गया. इसका उद्देश्य बैंक के कर्मचारियों में व्यावहारिक परिवर्तन लाना था.
- वितीय वर्ष 2016-17 में नए भर्ती हुए प्रोबेशनरी अधिकारियों एवं 185 एएफओ के लिए सीईटीटीएम, पवई में आईआईबीएफ के संकाय सदस्यों के सहयोग से इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.
- एसपीबीटी कॉलेज द्वारा प्रबंधित ई-लर्निंग पोर्टल में ई-लर्निंग पर 26 पाठ्यक्रम उपलब्ध है.
- ₹ 1000/- एवं ₹ 500/- के नोटों की नोटबंदी के कारण दिनांक 09.11. 2016 से दिनांक 31.12.2016 तक जेडएसटीसी /सीबीओटीसी एवं एसपीबीटी में आयोजित होने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे.

वर्ष 2016-17 के दौरान, सभी कर्मचारियों के लिए क्लास रूम, लोकेशनल, मंथन एवं विशेष प्रशिक्षण सहित 2787 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए. जिनमें विभिन्न स्टाफ सदस्यों ने एक अथवा दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की इस प्रकार कुल 52252 सहभागियों ने भाग लिया एवं 3 प्रशिक्षण महाविद्यालयों और 15 आंचलिक कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 1,43,115 कार्य-दिवस का उपयोग किया गया. इसके अलावा, एनआईबीएम, सीएबी एवं आईडीआरबीटी इत्यादि एजेंसियों द्वारा आयोजित विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न वेतनमानों के 1555 अधिकारियों को नामित किया गया. साथ ही, वर्ष 2016-17 के दौरान 5 स्टार वाले 44 शाखा प्रबंधकों एवं 12 अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/सम्मेलन/एक्स्पोजर विजिट के लिए भेजा गया.

4. भर्ती एवं पदोन्नति :

- ❖ वर्ष 2016-17 में, परिवीक्षाधीन अधिकारी, कृषि वित्त अधिकारी, एच आर अधिकारी, लिपिक संवर्ग तथा अधीनस्थ वर्ग के 2631 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई.
- ❖ पदोन्नति प्रक्रिया को और अधिक प्रोत्साहनकारी तथा कॉर्पोरेट उद्देश्यपरक बनाया गया है. अत: यह प्रस्ताव किया गया कि यथासम्भव सभी वेतनमानों /श्रेणियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की जाए. तदनुसार वर्ष2016-17 के दौरान अंतर-वेतनमान एवं अंतर-श्रेणी पदोन्नति प्रक्रियाएं आयोजित की गई तथा कर्मचारियों/अधिकारियों को उच्चतर श्रेणी/वेतनमान में पदोन्नत किया गया. इसा प्रकार 309 अधीनस्थ कर्मचारी लिपिक संवर्ग में, 1355 लिपिक वेतनमान–1 अधिकारियों की श्रेणी में तथा 3837 अधिकारी उच्चतर श्रेणी/वेतनमान में पदोन्नत हुए.

5. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन :

- ❖ आरक्षण नीति पर भारत सरकार/भारतीय बैंक संघ से प्राप्त दिशानिर्देशो/अनुदेशों का बैंक द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा आरक्षण नीति के अनुसार अजा/अजजा/ अपिव/पीडब्ल्यूडी को छूट एवं रियायतें प्रदान की जा रही हैं.
- ❖ दिनांक 29.04.2016 एवं दिनांक 04.01.2017 को चंडीगढ़ में आयोजित बैठकों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सैनी उपस्थित रहे एवं अजा/अजजा/ओबीसी के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया.
- ❖ आरक्षण के कार्यान्वयन, रोस्टर के रखरखाव के साथ साथ पिछली बैठकों पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट एवं रोस्टर की जांच के लिए दिनांक 05.11.2016 को अहमदाबाद में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री राजू परमार उपस्थित हुए.

6. औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सामान्यतया संतोषजनक रहे.

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक का क्रेडिट कार्ड आधार 112943 है एवं प्री-पेड कार्ड का आधार 430550 है.
- ❖ बैंक प्रमुख कार्ड जारीकर्ताओं अर्थात मास्टर एवं वीज़ा के सहयोग से क्रेडिट कार्ड जारी करता है. प्री-पेड कार्ड मास्टर कार्ड के सहयोग से जारी किये जाते हैं.

- बैंक ग्राहकों की सिर्फ ईएमवी चिप आधारित क्रेडिट कार्ड जारी करता हैं.
- बैंक ने क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष वेब पोर्टल शुरु किया है.
- मोबाइल बैंकिंग पर क्रेडिट कार्ड संबंधी कार्य-प्रणाली भी विकसित की गई है.
- क्रेडिट कार्ड की ऑन-लाइन खरीद के लिए ईएमआई विकल्प विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है.

एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन :

- दिनांक 31.03.2017 को एटीएम की कुल संख्या 5285 हैं. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 121 एटीएम स्थापित किये गए तथा 9 'कम-हिट वाले/ खराब हुए एटीएम' बंद कर दिये गए.
- 88 एटीएम में नकदी भराई का कार्य स्टाफ द्वारा किया जा रहा है.
- 31.03.2015 तक खोली गई 4624 शाखाओं में से, दिनांक 31.03.2017 को 4464 शाखाएं एटीएम के साथ सम्बद्ध हैं.
- बैंक के 60% एटीएम ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित है.
- वर्तमान में एटीएम अप-टाइम 60% है.
- नोटबंदी के पश्चात सभी एटीएम को ₹ 2000/- एवं ₹ 500/- के नए नोट संवितरित करने योग्य बनाया गया.

अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम

I. **सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड**

- मार्च 2017 को स्वामित्व निधि ₹ 88.35 करोड़ थी.
- वर्ष के दौरान, कंपनी के कुल अग्रिम मार्च 2016 के ₹ 1110.21 करोड़ से बढ़कर, 19.13% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2017 को ₹ 1322.62 करोड़ हो गया है. आवास ऋण, मार्च 2016 के ₹ 886.06 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2017 को ₹ 1085.53 करोड़ हो गए, इसमें 22.51% की वृद्धि दर्ज हुई है.
- रिटेल जमाएं एवं संस्थागत जमाएं मार्च 2016 के ₹ 562.61 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2017 को ₹ 680.58 करोड़ हो गई, इसमें वर्ष दर वर्ष 20.94% की वृद्धि दर्ज हुई.
- वर्ष 2016-17 के लिए, कंपनी का शुद्ध लाभ ₹ 11.04 करोड़ रहा, जो वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 13.44 करोड़ था.
- प्रति शेयर आय ₹ 4.42 (₹ 10 प्रति शेयर) गत वर्ष ₹ 5.38 .रही.
- मार्च 2017 में एनपीए ₹ 21.48 करोड़ रहा, जो मार्च 2016 में ₹ 23.29 करोड़ था.
- मार्च 2017 को शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए 1.05 % है.
- आस्तियों पर प्रतिफल 0.58% है. डगत वर्ष 1.34%.
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को सीएआर 17.52% है.

II. **सेन्टबैंक फाइनेंशिल सर्विसेज लिमिटेड**

- सेन्टबैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड, डिबेंचर/सुरक्षा न्यास, निष्पादक न्यास, प्रबंध चेरीटेबल ट्रस्ट इत्यादि सहित अनिवार्यत: न्यासधारिता सेवाएं उपलब्ध करा रही है.
- कंपनी, डिबेंचर न्यास गतिविधियों के अधिग्रहण के लिए सेबी के साथ पंजीकृत है.

वित्तीय अद्यतन जानकारी :

- ❖ कंपनी ने मार्च 2017 में ₹ 2.77 करोड़ का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो गत वर्ष ₹ 2.00 करोड़ था.
- ❖ खंडवार अर्जन :

(राशि रुपये में)

विवरण	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16
निष्पादक न्यास से शुल्क	36,97,765	40,97,743
डिबेंचर एवं प्रतिभूति न्यास से शुल्क	2,69,31,110	2,56,73,602
अन्य आय (ब्याज)	3,02,88,904	3,23,,96,472
कुल	**6,09,17,779**	**6,21,67,817**

iii. **इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड**

- ❖ जाम्बिया सरकार तथा भारत के तीन बैंकों अर्थात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है. इसमें इन तीनों भारतीय बैंकों में से प्रत्येक की 20% इक्विटी है, जबकि शेष 40% इक्विटी जाम्बिया गणराज्य सरकार की है.
- ❖ बैंक का वित्तीय वर्ष, कैलेंडर वर्ष है.
- ❖ बैंक सभी पैरामीटरों में बेहतर कार्यनिष्पादन दर्शा रहा है और वर्तमान में जाम्बिया का छठा सबसे बड़ा बैंक है.
- ❖ दिसम्बर 2016 के अंत तक हमारे बैंक के पास कुल 1 क्वाचा प्रति शेयर के 8,32,00,000 शेयर है.
- ❖ पिछले वर्ष की तुलना में बैंक की जमा राशियों में 3.76% एवं अग्रिमों में 2.63% वृद्धि हुई है.
- ❖ कैलेंडर 2016 में बैंक को 83.61 एमआईओ क्वाचा (₹ 55.74 करोड़) का शुद्ध लाभ हुआ है.
- ❖ वर्ष के दौरान बैंक ने वर्ष 2016 के लिए लाभांश की घोषणा की है. तदनुसार, हमारे बैंक ने ₹4,79,90,324/- के समतुल्य यूएस डॉलर 616,748/- का लाभांश दिनांक 15/03/2017 को प्राप्त किया है.

iv. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

- ❖ हमारे पास दिनांक 31 मार्च, 2017 को हमारे 3 आरआरबी हैं, जिनका 3 राज्यों के 47 जिलों में 1629 शाखाओं का नेटवर्क है.

आरआरबी एवं मुख्यालय का नाम तथा राज्य	जिलों एवं शाखाओं की संख्या	कुल जमाराशियां	कुल अग्रिम	सकल एनपीए	शुद्ध लाभ
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (म.प्र.)	25/455	6964.37	4000.98	479.92	3.38
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)	18/1032	13505.24	7042.63	1707.51	(77.98)
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार (प.बंगाल)	4 / 142	2702.40	1237.16	223.36	1.48
कुल	**47 / 1629**	**23172.01**	**12280.77**	**2410.79**	**(73.12)**

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

- सीएसआर, कार्यबल एवं उनके परिवारों के साथ साथ समुदाय एवं समाज के जीवन स्तर में सुधार लाते हुए अर्थव्यवस्था के विकास में व्यवसाय की सतत प्रतिबद्धता है.
- सीएसआर के अंतर्गत निर्धन, समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर को बढाने प्राकृतिक आपदाओं एवं समाज के समग्र कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था/ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक दान देना हमारी सतत प्रतिबद्धता है.
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर बजट शून्य है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में बैंक को हानि हुई थी.

उपलब्धियां

- वर्ष के दौरान एमएसएमई विभाग द्वारा निम्नलिखित नये उत्पादों का शुभारम्भ किया:
 1) स्टैण्डअप इंडिया
 2) सेन्ट वीवर्स मुद्रा योजना
- वर्ष के दौरान बैंक में एमएसएमई वित्तपोषण को बढावा देने के लिए सात नये एसएमई कक्षों की स्थापना की गई. वित्त वर्ष 2016-17 में सभी 14 एसएमई कक्षों द्वारा 322 खातों में ₹ 464 करोड़ के नये ऋण स्वीकृत किए एवं उनमें से 293 खातों में ₹ 236 करोड़ संवितरित किए. सेन्ट स्टैण्डअप योजना के कार्यान्वयन से कई नये उद्यमियों को उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए नये ऋण स्वीकृत किए गए. ऐसे ऋणियों मे से जिन ऋणियों को अपना जीवन स्तर सुधरने में लाभ हुआ वे हैं:
- स्टैण्ड इंडिया पोर्टल में प्रदर्शित सफलता की कहानी इस प्रकार है:

 सुश्री मंजू चाण्डक ने हमारी सौसर शाखा में स्टैण्डअप इंडिया (एसयूआई) ऋण के लिए सम्पर्क किया. शाखा द्वारा उसे बिछयत केंद्र संबंधी व्यवसायिक गतिविधि (विवाह तथा अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक समारोह में आवश्यक टेंट एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराना) स्थापित करने के लिए ₹ 49.90 लाख का एसयूआई ऋण तत्परता से संवितरित कर दिया. तत्पश्चात, उसने अपनी व्यावसायिक गतिविधि को सुचारू रुप से चलाने के लिए 5 महिलाओं एवं 4 पूरुषों को नियुक्त किया. इसके अलावा वह प्रत्येक कार्यक्रम में कई अन्य लोगों जैसे रिक्शा चालक, ओटो ड्राइवर, कार्पेंटर, वेल्डिंग ओपरेटर, इलैक्ट्रिशियन इत्यादि के सेवाएं निरंतर लेकर उन्हें रोजगार प्रदान करती है.
- दिनांक 01/04/2017 से सेन्ट अस्पायर क्रेडिट कार्ड का जमा आधारित नया प्रकार प्रारम्भ किया जिसमें जमा राशि के समक्ष 100% ऋण सीमा अनुमत की जाती है.

बढ़ते कदम

- इस वित्त वर्ष में एमएसएमई क्लास मोड्युल प्रारम्भ करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें ऋण आवेदन का प्रसंस्करण एवं स्वीकृति करने के लिए शाखाओं को एमएसएमई क्लास मोड्युल पर ऑनलाइन एप्लिकेशन उपलब्ध कराए जाएंगे. बैंक की वेबसाइट पर ये एप्लिकेशन www.standupmitra.in एवं www.udyamimitra.in पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं. इन पोर्टल में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रथम वरीयता दी गई है और इन्हें क्लास मोड्युल में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शाखा प्रबंधकों को ऋण स्वीकृति के लिए त्वरीत निर्णय लेने एवं पावती भेजने के लिए तत्वरित निर्णय लेने में मदद मिल सके.
- एपीआई के माध्यम से www.standupmitra.in पोर्टल को बैंक के सीबीएस (इंट्रानेट) से संबद्ध करना.
- सूक्ष्म उद्यमी सेगमेंट के लिए एएनबीसी का 7.5 % लक्ष्य हासिल करने के लिए ऋण प्रवाह बढाने हेतु हम प्रत्येक माह की 15 से 25 तारीख तक एमएसएमई अभियान चला रहे हैं जिसमें प्रत्येक शाखा द्वारा सीबीएस सिस्टम में कम से कम 2 सूक्ष्म उद्यमी ऋण प्रस्ताव लॉग-इन करेंगे.
- एनपीसीआई द्वारा शीघ्र ही रूपे कार्ड का शुभारम्भ किया जा रहा है. सेन्ट्रक बैंक ऑफ इंडिया रूपे क्रेडिट कार्ड विकसित कर दिया गया है और हमारा बैंक पहले चरण के शुभारम्भ में ही सहभागिता के लिए तैयार है.

पुरस्कार एवं सम्मान

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक को ''भारतीय रिजर्व बैंक शील्ड'' योजना के अंतर्गत तीनों भाषिक क्षेत्रों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ
- महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हमारे बैंक को ''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'' प्रदान किया गया.
- भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए मुंबई की सुप्रसिद्ध संस्था ''आशीर्वाद'' द्वारा बैंक को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

1) बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य:

❖ **बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचलन में नैतिक संव्यवहार से शेयरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है. बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है. कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेयरधारकों के शेयर मूल्य में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं.**

❖ बैंक के इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है. हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है. अत: बैंक सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों को उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान)योजना 1970 एवं भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों, निदेश इत्यादि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा.

❖ इक्रा लिमिटेड ने हमारे बैंक को कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के लिए ''सीजीआर 3+'' (सीजीआर 3 प्लस उच्चारित) रेटिंग की पुन: अभिपुष्टि की है. इस रेटिंग से यह प्रकट होता है कि इक्रा की वर्तमान राय यह है कि बैंक ने इस तरह की प्रथाएं, परम्परा एवं संहिता को अपनाया और उनका अनुपालन किया है, जिससे वह अपने वित्तीय स्टेकधारकों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उच्चस्तरीय गुणवत्ता से आश्वत कर सके.

2) निदेशक मंडल

(ए) निदेशक मंडल का संयोजन

❖ बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है. सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती

❖ बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है.

❖ समीक्षाधीन वर्ष अर्थात 2016-17 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:

क्र.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2017 को बैंक के धारित इक्विटि शेयर की संख्या	विशेष%ाता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2017 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2016 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री राजीव ऋषि.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.08.2013 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलबीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, बीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, सीआई डब्ल्यूडी	एमसीबी, आरएमसी, एलबीएफसी सीएससी, बीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी सीआरसी, सीआई डब्ल्यूडी	-इन्डो ज़ाम्बिया बैंक लि. -इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लि. -भारतीय बैंक संघ -राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी -एक्जिम बैंक -एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोर्पोरेशन	जी हाँ
2.	श्री आर.के.गोयल	कार्यपालक निदेशक	11.01.2013 से 31.12.2016 तक	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलबीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि.	जी हाँ

क्र.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2017 को बैंक के धारित इक्विटि शेयर की संख्या	विशेष%ाता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2017 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2016 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
3.	श्री बी.के. दिवाकर.	कार्यपालक निदेशक	23.01.2014 सेनिरंक	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि. - सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	जी हाँ
4.	श्री आर.सी. लोढ़ा	कार्यपालक निदेशक	11.03.2015 से 28.02.2017 तक	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि.	जी हाँ
5.	श्री पी. रमण मूर्ती	कार्यपालक निदेशक	17.02.2017 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
6.	डॉ. सौरभ गर्ग	भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	19.02.2014 से	निरंक	वित्त एवं अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आरसी, वीआईजी, एमआरसी, एचआर, नामांकन	आरसी नामांकन	निरंक	जी नहीं
7.	श्री शेखर भटनागर	भारिबैं द्वारा मनोनीत निदेशक	13.03.2014 से	निरंक	बैंकिंग एवं वित्त	एमसीबी, एसीबी, आरसी, वीआईजीनिरंक	निरंक	निरंक	जी नहीं
8.	श्री एस.बी.रोडे	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	02.04.2013 से 01.04.2016 तक	133	बैंकर	एमसीबी, आरएमसी, एचआर	निरंक	निरंक	बैठक की तारीख को निदेशक नहीं थे
9.	श्री गुलबख्श कुमार जोशी	कर्मकार कर्मचारी निदेशक	10.07.2013 से 09.07.2016 तक	निरंक	बैंकर	एमसीबी, सीएससी, आईटीएस, आरएमसी, एलवीएफसी नामांकन, एचआर	निरंक	निरंक	जी नहीं

क्र.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2017 को बैंक के धारित इक्विटि शेयर की संख्या	विशेष%ाता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2017 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2016 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
10.	श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	19.12.2013 से 18.12.2016 तक	निरंक	समाज सेवा	एसीबी, आरएमसी, एसआरसी, सीएससी, आरसी, सीआईडब्ल्यूडी, एलवीएफसी, एमसी, नामांकन	एसआरसी	निरंक	जी हाँ
11.	श्री एस. बंद्योपाध्याय	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	दिनांक 01.07.15 से	100	प्रशासन	एसीबी आरएमसी आईटीसी एसआरसी, सीएससी, एमआरसी, एचआर	एससीआ, आईटी, एसीबी	एलआईसी पेंशन फंड	जी नहीं
12.	श्री के.आर पटेल	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	दिनांक 01.07.2015 से	163	व्यावसायिक	एमसीबी एलवीएफसी आईटीसी एसआरसी सीआईडब्ल्यूडी आरएमसी एमआरसी सीएससी	निरंक	निरंक	जी नहीं
13.	श्री एन नित्यानंद	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	21.06.2016 सेनिरंक	निरंक	सनदी लेखाकार	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी एसआरसी सीएससी नामांकन	निरंक	निरंक	जी नहीं

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं.

एमसीबी	-	बोर्ड की प्रबंधन समिति
एसीबी	-	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
आरएमसी	-	जोखिम प्रबंधन समिति
एलवीएफसी	-	उच्च मूल्य की धोखाधड़ी संबंधी समिति
सीएससी	-	ग्राहक सेवा समिति
आईटीएस	-	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
एसआरसी	-	स्टेकहोल्डर सम्बंध समिति
आरसी	-	पारिश्रमिक समिति
वीआईजी	-	सतर्कता समिति
सीएसी	-	ऋण अनुमोदन समिति
एचआर	-	मानव संसाधन समिति
एमआरसी	-	वसूली समिति की निगरानी
सीआरसी	-	पूंजी उगाही समिति
सीआईडब्ल्यूडी	-	इरादतन चूककर्ता की पहचान की समीक्षा के लिए बोर्ड की समिति
नामांकन	-	नामांकन समिति

नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

1. श्री पी रमण मूर्ती, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि 16.05.1964)

श्री पी रमण मूर्ती कृषि वि%ान में स्नातक एवं सीएआईबी हैं. आपने दिनांक 16.01.1989 को इलाहाबाद बैंक में कृषि फील्ड अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया. दिनांक 17.02.2017 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण करने के पूर्व आप वहाँ दिनांक 10.05.2014 को महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए एवं दिनांक 19.05.2014 से फील्ड महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे.

श्री मूर्ती ने कई प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे केलॉग्स स्कूल ऑफ मेंजमेंट, शिकागो, यूएसए से लीडरशीप फॉर कॉर्पोरेट एक्सलेंस एवं आईआईएम, कोलकाता से लीडरशीप एक्सलेंस में भाग लिया है.

2. श्री एन नित्यानंद, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 20.05.1955)

श्री नित्यानंद, वाणिज्य में स्नातक, डी.बी.ए., एल.एल.बी., एफ.सी.ए. एवं व्यवसाय प्रशासन के स्नाकोत्तर डिपलोमा में गोल्ड मेडेलिस्ट हैं.

श्री नित्यानंद पिछले 3 दशकों से अपने ग्राहकों, सरकार एवं अर्थव्यवस्था की मूल्य संवर्धित सेवाएं दे रहे व्यावसायिक सनदी लेखाकार हैं. आप लगभग 16 वर्षो से दक्षिण भारत स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं (किसी कन्नाडिगा द्वारा सबसे अधिक). आपने अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार परिसंध (आईएफएसी), न्यूयार्क, यूएसए, जो विश्व में लेखा एवं लेखा परीक्षा की सबसे उच्च संस्था है एवं दक्षिण एशिया लेखाकार परिसंघ (सार्क की सदस्य संस्था) करांची, पाकिस्तान में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है तथा 'कोर्पोरेट गवर्नेंस' पर मेगा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं. आपने आर्थिक मामलों की समिति के सलाहाकार, कर्नाटक चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई) परिसंघ की केन्द्रीय कर समिति के अध्यक्ष एवं सह-सलाहाकार सहित राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड, कॉमर्स एवं इंडस्ट्री में सेवाएं दी है. आपने कर्नाटक सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों में भी सेवाएं दी हैं.

अन्य निदेशकों के विवरण

1. श्री राजीव ऋषि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जन्म-तिथि 30.08.1959)

श्री राजीव ऋषि, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से विधि स्नातक हैं तथा वे विश्वविद्यालय के रैंक होल्डर, राष्ट्रीय मेरिट स्कॉलर रहे हैं. आप स्पोर्ट्स खेल से जुड़े व्यक्ति है और टेबल टेनिस में अपने कॉलेज का तथा राष्ट्रीय रौलर स्केटिंग प्रतियोगिता में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

बैंक में दिनांक 01.08.2013 से सीएमडी के रूप में अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व आप इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक थे, और यह उत्तरदायित्व, वे अक्तूबर 2010 से वहन कर रहे थे.

आपने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत दिनांक 12.05.1979 को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की एवं 3 दशकों तक उन्होंने विभिन्न पदों एवं स्थानों पर कार्य किया. आपको शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करने का 25 वर्षो का वृहद अनुभव है. आप वर्ष 2005 से 2010 तक मानव संसाधन, तृतीय पक्ष उत्पाद विपणन एवं बोर्ड सचिवालय में महाप्रबंधक रहे. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय पर आपने मानव संसाधन समन्वयन का कार्य अत्यंत सफलतापूर्वक संपादित किया.आप आईबीए की एचआर पर स्थायी समिति के सदस्य हैं.

2. श्री आर.के.गोयल, कार्यपालक निदेशक (जन्म-तिथि 01.01.1957)

श्री राज कुमार गोयल ने दिनांक 12 मई, 1977 को बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) में कार्यग्रहण किया. आप एक करियर बैंकर और सम्पूर्ण रूप से व्यावसायिक बैंकर हैं. आपने पिछले 37 वर्षो के दौरान विभिन्न पदों पर कार्य किया है. आपके विभिन्न पोर्टफोलियो में सामान्य परिचालन, ऋण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं मानव संसाधन विभाग शामिल है. आपने ऋण, विशेषतौर पर बड़े ऋण में बहुत ही सक्रियता से कार्य किया और सफलतापूर्वक बैंक ऑफ इंडिया की तीन बड़ी कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखाओं के प्रभारी रहे. आपके कार्यकाल में बैंक ऑफ इंडिया की लंदन शाखा के 4 वर्ष शामिल है. आपने ऋण समूहन एवं निवेश सहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो में सफलतापूर्वक कार्य किया. आपको प्रशासकीय क्षमता के लिए जाना जाता है और आप सदैव टीम वर्क में विश्वास रखते हैं. श्री गोयल ने पदोन्नत होकर दिनांक 11 जनवरी, 2013 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यग्रहण किया.

दिनांक 31 जनवरी, 2017 को आप अधिवार्शिता पर सेवानिवृत्त हुए.

3. श्री बी.के. दिवाकर, कार्यपालक निदेशक (जन्म-तिथि 17.07.1960)

श्री दिवाकर, सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार एवं कंपनी सचिव है. आपने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1986 में कॉर्पोरेशन बैंक में कंपनी सचिव के रूप में की. आप वर्ष 1997 में मुख्य प्रबंधक, वर्ष 2000 में सहायक महाप्रबंधक, वर्ष 2007 में उपमहाप्रबंधक तथा वर्ष 2010 में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए. आप दिनांक 23.01.2014 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त हुए. आपने कॉर्पोरेट स्वीकृतियां मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजभाषा नीति कार्यान्वयन, सहायक सेवाएं, एटीएम प्रबंधन, क्रेडिट रेटिंग, शुल्क आय, सीडीआर, ऋण समूहन आदि जैसे विभिन्न पोर्टफोलियो में कार्य करने के साथ आंचलिक प्रधान के रूप में भी कार्य किया है.

4. श्री आर.सी. लोढ़ा, कार्यपालक निदेशक (जन्म-तिथि 14.02.1957)

श्री आर.सी. लोढ़ा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 11.03.2015 को कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नति से पूर्व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे. आप ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रधान कार्यालय, गुड़गांव में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर थे.

आपकी बैंकिंग यात्रा, प्रत्येक बैंकिंग विभाग के बहुआयामी अनुभव से समृद्ध हुई है. आपने पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर कार्य किया है और इस तरह से आप ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी एवं महानगरीय शाखाओं के प्रभारी रहे हैं. आप क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली के प्रभारी रहे हैं और आपने पुणे एवं दिल्ली अंचलों में फील्ड महाप्रबंधक के पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया है. आपको यूनियन बैंक के केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई के एमडीओ में बोर्ड सेक्रेटरी के पद पर कार्य करने का भी अवसर भी प्राप्त हुआ है.

आपको कई आंतरिक पुरस्कारों से नवाजा गया है, इनमें वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में बड़ौदा एवं अहमदाबाद की शाखाओं में समग्र कार्यनिष्पादन के लिए, आपको दो बार 'सुपर अचीवर पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है. आपको तीन बार चेयरमेन क्लब का सदस्य बनने का भी विशेष अवसर प्राप्त हुआ है.

बैंक के बाहर भी आपको अन्य पुरस्कारों के अलावा, इंडियन बैंकस् असोसिएशन, मुंबई से सी.एच. भाभा रिसर्च एवं स्कॉलरशिप अवार्ड 2000-2001 प्राप्त हुआ है.

आप दिनांक 28 फरवरी 2017 को अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त हुए.

5. डॉ सौरभ गर्ग, सरकार मनोनीत निदेशक- (जन्म-तिथि 28.07.1964)

डॉ. सौरभ गर्ग एक प्रतिष्ठित विद्वान है. आपने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजिनीयरिंग-बायो टेक्नॉलॉजी में बी.टेक. डिग्री प्राप्त की है. आपने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए(वित्त प्रबंधन) किया है. आपको लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, लंदन, यूके से वैश्वीकरण एवं शहरी विकास में प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है. आपने पॉल निजे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन, यूएसए से पीएचडी की है.

डॉ गर्ग ओडिसा से 1991 कैडर के आईएएस हैं. ओडिसा राज्य कैडर में कार्य करने के उपरांत, आपने अप्रैल 2002 में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के उप सचिव की नियुक्ति पाई. अपने राज्य कैडर के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1993-96 की अवधि में आपने विभिन्न महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जैसे परियोजना निदेशक, डीआरडीए, कालाहांडी एवं परियोजना निदेशक, ऊर्जा विभाग में कार्य किया है. आप वर्ष 1996-98 के दौरान आईडीसीओएल, सीमेंट लिमिटेड के एमडी रह चुके हैं. आपने बरगढ़ एवं केयोंझर जिले के जिलाधीश एवं वाटरशेड विकास विभाग के निदेशक के पद पर भी कार्य किया है. आप दिनांक 04.05.2012 से संयुक्त सचिव व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के पद पर कार्य कर रहे हैं.

डॉ गर्ग को प्राप्त पुरस्कारों का विवरण :

1988 - शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु स्वर्ण पदक

1993 - 1991 के आईएएस बैच में सर्वश्रेष्ठ आल राउंड परिवीक्षार्थी

उनके प्रकाशनों का विवरण :-

2000 (लोक प्रशासन)

सरकारी वितरण प्रणाली 2010 (वित्त) के माध्यम से सेवाओं में सुधार हेतु कुछ दखल एवं अनुभव

भारत की बुनियादी संरचना संबंधी दूरदर्शिता - वित्तपोषण की चुनौतियां

6. श्री शेखर भटनागर, आरबीआई मनोनीत निदेशक (जन्म-तिथि 17.07.1958)

श्री भटनागर, बी.एस.सी., एम.ए. (लखनऊ विश्वविद्यालय) एवं एफ.एम.एस., नई दिल्ली से एमबीए (वित्त) हैं. आपने वर्ष 1984 में भारतीय रिज़र्व बैंक में एक अधिकारी (ग्रेड 'बी') के पद पर कार्यग्रहण किया एवं आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग एवं गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग जैसे विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है. उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी कार्य किया था. वर्तमान में आप भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय,मुम्बई, में मुख्य महाप्रबंधक - विदेशी विनिमय विभाग,के रूप में कार्यरत है.

7. श्री एस.बी. रोडे, अधिकारी-कर्मचारी निदेशक (जन्म- तिथि 15.03.1957)

श्री रोडे, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (एफ) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख (02.04.2013) से 3 वर्षों की अवधि के लिए अथवा बैंक के अधिकारी-कर्मचारी के पद से पदभार से मुक्त होने तक कर्मचारी-अधिकारी निदेशक के पद पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए है.

8. श्री गुरुबख्श कुमार जोशी, कर्मकार कर्मचारी निदेशक (जन्म-तिथि 10.07.1958)

श्री जोशी, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख (10.07.2013) से 3 वर्षों की अवधि के लिए अथवा बैंक के कर्मकार कर्मचारी के पद भार से मुक्त होने तक वर्कमैन कर्मचारी निदेशक के पद पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए है.

श्री जाशी ने दिनांक 27.01.1981 को बैंक में कार्यग्रहण किया तथा वे ऑल इंडिया सेन्ट्रल बैंक फैडरेशन के उपाध्यक्ष रहे हैं.

9. श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा (जन्म-तिथि 19.07.1962)

श्रीमती रत्नप्रभा एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता एवं एआईसीसी की सदस्या हैं. आप केपीसीसी की महासचिव भी हैं. आप कर्नाटक राज्य सरकार के उपक्रम - कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम लि. की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं.

आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं. आपके सार्वजनिक कल्याण के कार्यों में नेत्र दान कैम्पों का आयोजन, रक्त दान कैम्पों का आयोजन, परिवान नियोजन कैम्पों का आयोजन, सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन, महिलाओं के लिए विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन शामिल है.

10. श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय , शेयर धारक निदेशक (जन्म तिथि 17.01.58)

श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय कोलकाता विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में वि%ाान स्नातक एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के असोशिस्ट सदस्य हैं.

उन्होंने वर्ष 1985में भारतीय जीवन बीमा निगम में सीधे अधिकारी का पद ग्रहण किया एवं उन्होंने अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में ट्रेजरी, नियत आय एवं कॉर्पोरेट बॉन्ड निवेश, इक्विटि बाजार निवेश एवं बैक ऑफिस इत्यादि विभिन्न पोर्टफोलियो / उत्तरदायित्व का निर्वहन किया. उन्होंने जून 2014 से एलआईसी पेंशन निधि लि. के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रभार लिया. वे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनेन्शियल सर्विसेज लि.के निदेशक मंडल में भी हैं.

11. श्री केतुल आर. पटेल, शेयर धारकद्वारा नामित निदेशक (जन्म तिथि 10.08.74)

श्री केतुल पटेल गुजरात विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं विधि के स्नातक एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं. वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से सूचना प्रणाली के डिप्लोमा धारक भी हैं.

श्री पटेल वर्तमान में 47 वर्ष पुरानी लेखा एवं परामर्शी फर्म आर.एस.पटेल एवं कंपनी के प्रबंध भागीदार हैं.

वे गुजरात के सबसे बड़े बहु राज्य अनुसूचित सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में व्यावसायिक निदेशक थे. वे 1999- 2001तक सनदी लेखाकार संस्था, अहमदाबार (सीएए)के सचिव थे. वे दो वर्षों के लिए गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बैंकिंग, वित्त एवं बीमा समिति के सदस्य भी थे.

बोर्ड बैठकों का आयोजन

वर्ष के दौरान, बोर्ड की 17 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई:

13.04.2016	13.05.2016	27.05.2016	16.07.2016	12.08.2016
23.09.2016	16.10.2016	17.10.2016	27.10.2016	04.11.2016
15.11.2016	28.11.2016	21.12.2016	23.01.2017	04.02.2017
23.02.2017	28.03.2017			

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

निदेशकों के नाम	दर्ज उपस्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि(से-तक)
श्री राजीव ऋषि	17	17	01.04.2016-31.03.2017
श्री आर.के.गोयल	13	14	01.04.2016-31.12.2016
श्री बी.के.दिवाकर	17	17	01.04.2016-31.03.2017
श्री आर.सी. लोढ़ा	17	17	01.04.2016-28.02.2017
श्री पी. आर. मूर्ती	2	2	17.02.2017-31.03.2017
डॉ. सौरभ गर्ग	10	17	01.04.2016-31.03.2017
श्री शेखर भटनागर	14	17	01.04.2016-31.03.2017
श्री गुरबख्श कुमार जोशी	3	3	01.04.2016-09.07.2016
श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा	13	13	01.04.2016-18.12.2016
श्री एस. बंद्योपाध्याय	14	17	01.04.2016-31.03.2017
श्री केतुल पटेल	15	17	01.04.2016-31.03.2017
श्री एन. नित्यानंद	13	14	21.06.2016-31.03.2017

3. बोर्ड की उप-समिति

i) **निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:**

❖ निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित वित्तीय स्वीकृतियां, समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव एवं वाद दायर/ अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है, दिनांक 31.03.2017 को इस समिति में 8 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के मनोनीत निदेशक एवं 3 अन्य निदेशक, जिनमें 1 शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक, कर्मकार कर्मचारी निदेशक तथा 1 अधिकारी कर्मचारी निदेशक शामिल हैं. अंशकालीन/कर्मकार निदेशकों का प्रत्येक छ: माह में आवर्तन किया जाता है. तथापि, दिनांक 31.03.2017 को 1 कार्यपालक निदेशक, 1 कर्मकार कर्मचारी निदेशक एवं 1 अधिकारी कर्मचारी निदेशक का पद रिक्त है.

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति की 14 बैठकें आयोजित की गई.

13.04.2016	13.05.2016	24.06.2016	16.07.2016	24.08.2016
23.09.2016	18.10.2016	28.11.2016	21.12.2016	23.01.2017
04.02.2017	23.02.2017	18.03.2017	27.03.2017	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	प्रबंधन समिति की अवधि (से-तक)
श्री राजीव ऋषि	14	14	01.04.2016 - 31.03.2017
श्री आर.के.गोयल	9	9	01.04.2016 - 31.12.2016
श्री बी.के.दिवाकर	14	14	01.04.2016 - 31.03.2017
श्री आर.सी. लोढ़ा	12	12	01.04.2016 - 28.02.2017
श्री पी. आर. मूर्ती	3	3	17.02.2017 - 31.03.2017
श्री शेखर भटनागर	14	14	01.04.2016 - 31.03.2017
श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा	5	5	01.04.2016 - 18.12.2016
श्री गुरबख्श कुमार जोशी	3	3	01.04.2016 - 09.07.2016
श्री के.आर. पटेल	13	14	01.04.2016 - 31.03.2017

ii) ऋण अनुमोदन समिति:

❖ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970 के खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 को निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है. ₹ 400 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव, ₹10 करोड़ तक के समझौता/बट्टे खाते, ₹15 लाख तक के प्रतिवर्ष (ग्रामीण क्षेत्र), ₹ 25 लाख तक के प्रतिवर्ष (अर्धशहरी क्षेत्र), ₹50लाख तक के प्रतिवर्ष (शहरी क्षेत्र) एवं ₹1करोड़ तक के प्रतिवर्ष (मेट्रो क्षेत्र) के परिसर प्रस्ताव संबंधी बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करती है. वर्तमान समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं प्रभारी महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन,ऋण, ऋण निगरानी एवं वसूली शामिल हैं.

❖ वर्ष के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 21 बैठकें आयोजित की गई.

26.04.2016	19.05.2016	02.06.2016	17.06.2016	30.06.2016
21.07.2016	30.07.2016	26.08.2016	12.09.2016	22.09.2016
13.10.2016	26.10.2016	10.11.2016	25.11.2016	15.12.2016
27.12.2016	17.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	10.03.2017
31.03.2017				

iii) **बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति**

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है.

लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ बिंदु निम्नानुसार हैं:

❖ अंतर-शाखा समायोजन खातों, अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया पुरानी प्रविष्टियों, बही संतुलन का पुराना बकाया कार्य, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा की समीक्षा;

❖ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार, बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उनकी समीक्षा करना;

❖ बोर्ड को प्रस्तुत करने के पूर्व लेखा-परीक्षकों के अवलोकनों सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा और तिमाही, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक

वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करना;

- तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पूर्व सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गये समस्त मुद्दों एवं बाह्य लेखा परीक्षकों से चर्चा करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- लेखों, लेखांकन नीतियों एवं प्रकटीकरणों की नियमित समीक्षा;
- प्रबंधतंत्र के निर्णय की कार्रवाई पर आधारित प्रमुख प्रविष्टियों की समीक्षा एवं लेखा-परीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजनों की समीक्षा करना;
- मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में कमियां;
- लेखा परीक्षा के पश्चात किसी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य क्षेत्र का पता लगाने के लिये लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा के कार्यक्षेत्र आवश्यकता और बारंबारता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- जहां तक लागू हो, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू स्टॉक एक्सचेंज की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
- सांविधिक, अनुबंधित अथवा विनियामकों की समय-समय पर वांछित अन्य सभी मामलों से संबंधित अपेक्षाएं पूरी करने के कार्य को लेखा परीक्षा समिति देखेगी;

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर सरकारी गैर-कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम से कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये, शामिल होंगे. स्टाफ निदेशक एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे.

दिनांक 31.03.2017 को लेखा परीक्षा समिति का संयोजन निम्नानुसार है:

1	श्री एस.बंद्योपाध्याय	अध्यक्ष
2	श्री बी.के.दिवाकर	सदस्य
3	डॉ. सौरभ गर्ग	सदस्य
4	श्री शेखर भटनागर	सदस्य
5	श्री एन. नित्यानंद	सदस्य

वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 12 बैठकें आयोजित की गई.

13.05.2016	27.05.2016	16.07.2016	12.08.2016	23.09.2016	04.11.2016
15.11.2016	28.11..2016	23.01.2017	24.01.2017	04.02.2017	27.03.2017

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों के नाम	**उपस्थिति अभिलेख**	**कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें**	**लेखा परीक्षा समिति की अवधि (से - तक)**
श्री एस.बंद्योपाध्याय	11	12	01.04.2016-31.03.2017
श्री बी.के.दिवाकर	12	12	01.04.2016-31.03.2017
डॉ. सौरभ गर्ग	7	12	01.04.2016-31.03.2017
श्री शेखर भटनागर	10	12	01.04.2016-31.03.2017
श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	2	2	01.04.2016-18.12.2016
श्री एन. नित्यानंद	10	10	21.06.2016-31.03.2017

बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणाम और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की समीक्षा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी.

iv) जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं.डीबीओडी नं.डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 एवं दिनांक 20.04.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/01/2002-03/3.2 तथा दिनांक 25.11.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/09/2002-03/3.9 के अनुसार बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक एवं तीन गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल है. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है.

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का उद्देश्य बैंक द्वारा सामना किए जा रहे कुल जोखिमों की गणना करना एवं जोखिमों के स्तर को निर्धारित करना जो बैंक के हित के लिए अच्छा हो तथा बैंक के परिचालनों से सृजित हो रहे जोखिमों की पहचान, निगरानी एवं पैमाना निर्धारित करने के लिए अन्य जोखिम प्रबंधन संस्थानों से समन्वय स्थापित करना.

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गई:

16.07.2016	23.09.2017	23.01.2017	23.02.2017

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि(से - तक)
श्री राजीव ऋषि	4	4	01.04.2016-31.03.2017
श्री आर.के.गोयल	2	2	01.04.2016-31.12.2016
श्री बी.के.दिवाकर	4	4	01.04.2016-31.03.2017
श्री आर.सी. लोढ़ा	4	4	01.04.2016-28.02.2017
श्री पी. आर. मूर्ती	1	1	17.02.2017-31.03.2017
डॉ. सौरभ गर्ग	2	4	01.04.2016-31.03.2017
श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा	1	1	01.04.2016-18.12.2016
श्री एस. बंद्योपाध्याय	4	4	01.04.2016-31.03.2017
श्री के. आर. पटेल	4	4	01.04.2016-31.03.2017
श्री एन. नित्यानंद	2	2	21.06.2016-31.03.2017

v) पारिश्रमिक समिति एवं निदेशकों को पारिश्रमिक

- पूर्ण-कालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ.नं.20.1.2005-बीओ-I दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया. इस समिति में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं. वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है.
- गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों / गैर कार्यपालक निदेशकों को मण्डल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹ 20,000/- बैठक फीस एवं बोर्ड की

विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 10,000/- बैठक फीस का भुगतान किया जाता था. जो कि सामान्य यात्रा एवं विराम भत्ता व्यय के अलावा है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं निदेशकगणों, जो भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जाता है

❖ वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को वेतन, भत्ते एवं परिलब्धियों के रूप में कुल निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है:

क्र.सं	नाम	₹ लाख में
1.	श्री राजीव ऋषि,अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेश	28.70
2.	श्री राज कुमार गोयल,कार्यपालक निदेशक	38.94
3.	श्री बी. के. दिवाकर,कार्यपालक निदेशक	23.11
4.	श्री आर. सी. लोढ़ा,कार्यपालक निदेशक	39.54
5.	श्री पी. आर. मूर्ती, कार्यपालक निदेशक	2.58

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 14,50,000/- (रुपये चौदह लाख पचास हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया.

vi) नामांकन समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं. डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के साथ पठित डीबीओडी नं. बीसीनं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के शर्तों के अनुसार, बोर्ड की पात्रता अर्थात (i) शैक्षिक योग्यता, (ii) अनुभव एवं विशेष%ाता का क्षेत्र एवं (iii) ट्रेक रिकॉर्ड और ईमानदारी, के आधार पर अधिनियम (अर्थात शेयरधारक निदेशक) की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत वर्तमान निर्वाचित निदेशक(कों)/ऐसे व्यक्ति जो निदेशक नियुक्त होने वाले है, की 'फिट एवं प्रोपर' स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को करने के लिए बैंक की नामांकन समिति का गठन किया गया है.

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, शेयर धारक निदेशक - श्री एस. बंद्योपाध्याय एवं श्री केतुल आर. पटेल के फिट एवं प्रोपर मानदंडों को निर्धारित करने के लिए दिनांक 16.07.2016 को नामांकन समिति की बैठक आयोजित की गई थी एवं समिति के अनुसार श्री एस. बंद्योपाध्याय एवं श्री केतुल आर. पटेल फिट एवं प्रोपर स्थिति में हैं, जो तीन वर्ष अर्थात 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2018 तक की अवधि के लिए बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1070 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत शेयर धारक निदेशकों के रूप में निर्वाचित किए गए हैं.

vii) शेयरधारकों की संबंध समिति

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित शेयर बाजार के सूचीकरण करार के अनुपालन में, स्टेकधारकों की संबंध समिति का गठन विशेष तौर पर शेयर धारकों, लाभांश धारकों एवं अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों सहित शेयर्स के अंतरण संबंधित, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण की प्रणाली को देखने के लिये किया गया है. वर्ष के दौरान, निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है. सामान्यत: निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं.श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की अध्यक्षा थी. दिनांक 18.12.2016 को उनकी अवधि की समाप्ति के पश्चात श्री एस. बद्योपाध्याय इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है.

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गई:

13.04.2016	23.09.2016	21.12.2016	23.02.2017

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि (से - तक)
श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा	2	4	01.04.2016-18.12.2016
श्री राजीव ऋषि	4	4	01.04.2016-31.03.2017
श्री आर.के. गोयल	3	3	01.04.2016-31.12.2016
श्री बी.के. दिवाकर	4	4	01.04.2016-31.03.2017
श्री आर.सी. लोढ़ा	4	4	01.04.2016-28.02.2017
श्री पी. आर. मूर्ती	1	1	17.02.2017-31.03.2017
श्री एस.बंद्योपाध्याय	4	4	01.04.2016-31.03.2017
श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा	2	2	01.04.2016-18.12.2016
श्री के.आर.पटेल	4	4	01.04.2016-31.03.2017
श्री एन. नित्यानंद	2	2	21.06.2016-31.03.2017

वर्ष 2016-17 (दिनांक 01.04.201 से 31.03.2017 तक) के दौरान निवेशक शिकायत का विवरण निम्न प्रकार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	अप्राप्त शेयर प्रमाणपत्र/अप्राप्त शेयर के पत्र	6
3	अप्राप्त लाभांश वारंट	169
4	अप्राप्त वार्षिक रिपोर्ट/ईजीएम सूचना	61
5	अप्राप्त धनवापसी आदेश	8
6	धनवापसी लिखत में सुधार	0
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	2
8	प्राप्त कुल शिकायतें	246
9	निपटाई/ध्यान दी गई कुल शिकायतें	246
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है.

4. अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव,निर्गम बैंकर, मर्चेन्ट बैंकिंग एवं डिबेंचर ट्रस्टीशिप के अनुपालन अधिकारी के अलावा वे बैंक द्वारा जारी एवं स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों तथा अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण, बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं

5. सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमान निर्गमों इत्यादि से प्राप्तियां.

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार को दिनांक 8 सितम्बर, 2016 को अधिमानी आधार पर 12,38,06,796 इक्विटि शेयर्स का आबंटन करते हुए ₹1297 करोड़ (प्रीमियम सहित) की राशि जुटाई है. इसके अतिरिक्त बैंक ने दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 को अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को

1,71,44,954 इक्विटी शेयर जारी एवं आबंटित कर ₹ 156.79 करोड़ की इक्विटी पूंजी की उगाही भी की है.

भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10 लाख के अंकित मूल्य की 5830 नवोन्मेषी स्थायी कर्ज लिखत के उन्मूलन के द्वारा बैंक ने ₹ 583.00 करोड़ की इक्विटी पूंजी की उगाही की है एवं शेयर आवेदन राशि खाते में रखी है, शेयरों का आबंटन लम्बित है. इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2017 को बैंक ने भारत सरकार से ₹ 100.00 करोड़ की पूंजी निधि भी प्राप्त की है एवं इसे नये खोले गए खाते नाम - ''सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर आवेदन राशि'' शेयरों का आबंटन लंबित में रखा गया है.

दिनांक 7 मार्च, 2017 को बैंक ने बासल III के अनुपालित टियर II बॉन्ड जारी कर ₹ 500.00 करोड़ की भी उगाही की है.

पूंजी पर्याप्ता अनुपात को मजबूत करने एवं बैंक के दीर्घावधि संशाधनों को बढ़ावा देने के लिए, ये निधियां टियर I एवं टियर II को प्राथमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए उगाही की है.

6. संप्रेषण के माध्यम :

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर-लेखापरीक्षित परंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यतया इकॉनामिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैण्डर्ड, पुढारी (मराठी), इत्यादि जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी एवं अनेक स्थानीय भाषा के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे. इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया.

7. आचार संहिता

बैंक ने निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के लिए आचार संहिता अपनाई है. इसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है. समीक्षाधीन वर्ष के लिए, सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है और अनुपालन की पुष्टि का प्रमाणपत्र अनुलग्नक I में दिया गया है.

बैंक की प्रतिभूति में इनसाइड ट्रेडिंग रोकने के लिए, बैंक ने अपने निदेशकों एवं नामित कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बनाई है.इसकी प्रतिलिपि बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in में ''इन्वेस्टर रिलेशन'' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है.

8. अन्य प्रकटीकरण

- बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहारों के अलावा, बैंक ने इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधतंत्र, उनकी सहायक कंपनियों अथवा रिश्तेदारों इत्यादि से ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है, जिससे कि बैंक के व्यापक हितों पर प्रतिकूलता संभावित हो. वर्ष के दौरान, बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुआ है.

- बैंक में यह सुस्थापित प्रथा है कि जिन निदेशक, जिनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित जब कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता है, तब वे बोर्ड एवं बोर्ड की उप-समितियों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं.वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेन देन नहीं हुआ जिससे बैंक के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हो सकता था.

- बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य सांविधिक प्राधिकारी को लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है. समीक्षा वर्ष के दौरान, पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है.

- लोक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प(पीआईडीपीआई) के अंतर्गत व्हिसल ब्लोअर शिकायतों पर बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है. ''सेन्ट विजिल'' नाम से बैंक का वेब आधारित पोर्टल भी है जो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान को बिना बताए जोकि केवल मुख्य सतर्कता अधिकारी को पता होगी, कर्मचारियों के अनाचार की रिपोर्टिंग को सुसाध्य बनाता है. जो अनाचार को नियंत्रित रखता है, धोखाधड़ी से बचाता है एवं कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है. ''सेन्ट विजिल'' निदेशकों के लिए भी उपलब्ध है.इसके अतिरिक्त निदेशक एवं कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर मिल सकते हैं.वर्ष 2016-17 के दौरान इस संबंध में किसी भी व्यक्ति ने लेखापरीक्षा समिति से संपर्क नहीं किया. इसके अतिरिक्त यह भी अभिपुष्ट किया जाता है कि लेखापरीक्षा समिति ने किसी भी व्यक्ति को संपर्क करने से मना नहीं किया है.

- बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 की अनुबद्ध आवश्यकताओं का, जहां तक खंड की आवश्यकताओं से, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग

कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रावधानों, विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन किया है.

- ❖ प्रमुख अनुषंगियों के निर्धारण की नीति बैंक की वेबसाइट पर www.centralbankofindia.co.in में ''इन्वेस्टर रिलेशन लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है.
- ❖ संबंधित पार्टियों के साथ व्यवहार करने संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है.
- ❖ www.centralbankofindia.co.in में ''इन्वेस्टर रिलेशन'' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है.

9. विवेकसम्मत आवश्यकताएं (सेबी सूचीकरण विनियमन की अनुसूची II का भाग ई)

क्र.सं.	गैर-अनिवार्य	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के कार्यालय का संस्था के खर्चे पर रखरखाव	लागू नहीं, चूंकि अध्यक्ष कार्यपालक है
2.	गत छह माह में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार के साथ वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्द्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को प्रेषित करना है.	बैंक ने दिनांक 30.09.2016 को समाप्त छ:माही के लिए एवं दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज भेजे हैं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किए हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक की वेबसाइट पर भी वित्तीय परिणाम अपलोड किए थे.
3.	कंपनी गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था अपना सकती है.	बैंक के पास गैर- सापेक्ष वित्तीय विवरणियां हैं.
4.	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग अलग पद.	हमारा बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत शासित है. अभी तक बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का एक पद है.
5.	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखापरीक्षक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी है.

10. सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 10वीं वार्षिक साधारण बैठक:

दिन एवं दिनांक : शुक्रवार, दिनांक 30 जून, 2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे चंदरमुखी, नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई -400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय का 9वां माला.

1. यह साधारण वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित है.
2. बही-बंदी की तारीख : दिनांक 27 जून, 2017 से 30 जून, 2017 (दोनों दिवस सहित)
3. वर्ष 2016-17 के लिए कोई लाभांश की अनुशंसा नहीं की गई है.

11. पिछले तीन वर्षों के दौरान साधारण सभा बैठक के आयोजन का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	नवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2016, पूर्वान्ह 11.00 बजे	9वां माला, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021

2.	आठवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2015, पूर्वान्ह 11.00 बजे	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056
3.	सातवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2014, पूर्वान्ह 11.00 बजे	-----तदैव------

12. स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण :

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत है:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर	आईएनई 483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर-II पूंजी) जारी किए हैं. तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत है:

दिनांक 31.03.2017 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉण्ड्स-टियर-II पूंजी की स्थिति:

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (₹करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर II- सीरीज XII	03.03.2008	389.10	आईएनई483A09161
लोअर टियर II- सीरीज XIII	10.02.2009	270.00	आईएनई483A09187
लोअर टियर II- सीरीज XIV	21.12.2011	500.00	आईएनई483A09245
अपर टियर II- सीरीज I	14.11.2008	300.00	आईएनई483A09179
अपर टियर II- सीरीज II	17.02.2009	285.00	आईएनई483A09195
अपर टियर II- सीरीज III	23.06.2009	500.00	आईएनई483A09203
अपर टियर II- सीरीज IV	20.01.2010	500.00	आईएनई483A09211
अपर टियर II - सीरीज V	11.06.2010	1000.00	आईएनई483A09229
अपर टियर II - सीरीज VI	21.01.2011	300.00	आईएनई483A08015
बासल III अनुपालित क्र. I	08.11.2013	1000.00	आईएनई483A09260
बासल III अनुपालित क्र. II	07.03.2017	500.00	आईएनई483A09278
कुल		5544.10	

ये सभी बॉण्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं. बैंक ने वर्ष 2017-18 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

बाजार मूल्य आंकड़े:

मासिक उच्च एवं न्यून भाव एवं एनएसई पर शेयरों के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की एनएसई निफ्टी से तुलना सहित) निम्नवत है:

एनएसई					
माहअधिकतम मूल्य (₹)	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	एनएसई निफ्टी	
				अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल, 2016	83.75	73.00	479474	7992.00	7516.85
मई, 2016	84.95	74.60	358181	8213.60	7678.35
जून, 2016	112.45	82.40	1230171	8308.15	7927.05
जुलाई, 2016	110.25	96.75	538498	8674.70	8287.55
अगस्त, 2016	112.00	85.60	1507881	8819.20	8518.15
सितम्बर, 2016	109.40	90.80	1162146	8968.70	8555.20
अक्तूबर, 2016	97.60	88.10	716222	8806.95	8506.15
नवम्बर, 2016	96.00	76.40	571318	8669.60	7916.40
दिसम्बर, 2016	89.55	81.50	278274	8274.95	7893.80
जनवरी, 2017	85.90	80.00	117950	8672.70	8133.80
फरवरी, 2017	93.30	83.10	351014	8982.15	8537.50
मार्च, 2017	107.20	85.90	1795729	9218.40	8860.10

मासिक उच्च एवं निम्न भाव एवं बीएसई पर शेयर्स के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की सेंसेक्स से तुलना सहित) निम्नवत है:

बीएसई					
माहअधिकतम मूल्य (₹)	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	सेंसेक्स	
				अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल, 2016	83.00	73.15	1150256	26100.54	24523.20
मई, 2016	83.00	73.10	788076	26837.20	25057.93
जून, 2016	112.00	82.30	6817779	27105.41	25911.33
जुलाई, 2016	110.00	96.55	3042562	28240.20	27034.14
अगस्त, 2016	111.95	88.00	6626347	28532.25	27627.97
सितम्बर, 2016	109.50	91.20	5591148	29077.28	27716.78
अक्तूबर, 2016	97.40	88.20	2902934	28477.65	27488.30
नवम्बर, 2016	95.60	76.35	2261586	28029.80	25717.93
दिसम्बर, 2016	89.00	81.45	785615	26803.76	25753.74
जनवरी, 2017	85.00	81.00	422608	27980.39	26447.06
फरवरी, 2017	93.05	83.15	994511	29065.31	27590.10
मार्च, 2017	108.50	85.75	39965264	29824.62	28716.21

13. शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है. इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी-101, 247 पार्क

एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)
मुंबई-400 083
टेली.: 022-49186000
फैक्स: 022-49186060
ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@.linkintime.co.in

बैंक से पत्राचार करने का पता:
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9वीं मंजिल, चंदरमुखी
नरीमन पॉइंट
मुंबई-400 021
संपर्क नं. 022- 4918 6270
फैक्स : 022- 2283 5198
ई-मेलआईडी:agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

14. शेयरधारिता का संवितरण

i) **दिनांक 31.03.2017 को शेयरधारिता का संवितरण**

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर्स)				
शेयर्स की शेयरधारिता	**शेयरधारकों की संख्या**	**कुल का प्रतिशत**	**शेयर्स**	**कुल का प्रतिशत**
1-500	131148	94.13	14664026	0.77
501-1000	4911	3.52	3796541	0.20
1001-2000	1817	1.30	2710869	0.14
2001-3000	513	0.37	1300358	0.07
3001-4000	253	0.18	895312	0.05
4001-5000	156	0.12	732281	0.04
5001-10000	271	0.19	1988256	0.10
10001 and above	263	0.19	1876083321	98.63
कुल	139332	100.00	1902170964	100.00

ii) **''सार्वजनिक'' की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है**

''सार्वजनिक'' की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	**शेयर्स की संख्या**	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	263153380	13.83

iii) **''सार्वजनिक'' की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है**

''सार्वजनिक'' की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	**शेयर्स की संख्या**	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	263153380	13.83

iv) दिनांक 31.03.2017 को शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2017 को शेयरधारिता का स्वरूप						
शेयरधारकों की श्रेणी	**शेयर्स की संख्या**		**शेयरधारकों की संख्या**		**कुल शेयर्स**	**धारिताका %**
	डीमेट	**भौतिक**	**डीमेट**	**भौतिक**		
केन्द्र सरकार	1546139179	0	1	0	1546139179	81.28
क्लियरिंग मेम्बर	7274267	0	366	0	7274267	0.38
अन्य कॉर्पोरेट निकाय	41976455	90	723	1	41976545	2.21
निदेशकगण	263	0	2	0	263	0.00
वित्तीय संस्थाएं	263153380	0	1	0	263153380	13.83
विदेशी निवेशक संस्थाएं	2212512	0	2	0	2212512	0.12
सरकारी कम्पनियां	700	0	1	0	700	0.00
हिंदू अविभाजित परिवार	1252298	0	4027	0	1252298	0.07
राष्ट्रीयकृत बैंक	244876	0	4	0	244876	0.01
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	144055	0	4	0	144055	0.01
अनिवासी भारतीय	438595	121600	701	1	560195	0.03
अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय)	137155	0	322	0	137155	0.01
सार्वजनिक	29547068	13950	133034	112	29561018	1.55
ट्रस्ट	106533	0	16	0	106533	0.01
जीआईसी एवं उसकी अनुषंगियां	6857218	0	4	0	6857218	0.36
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	2550770	0	10	0	2550770	0.13
कुल	**1902035324**	**135640**	**139218**	**114**	**1902170964**	**100.00**

v) लॉक-इन शेयर्स के ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्र.सं.	**शेयरधारकों के नाम**	**लॉक-इन शेयर्स की संख्या**	**कुल शेयर्स के प्रतिशत के रूप में लॉक-इन शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) का योग**
1	भारत के राष्ट्रपति	349179854	22.58
	भारतीय जीवन बीमा निगम	48586042	18.46
	कुल	397765896	20.91

vi) डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण

क्र.सं.	**बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर आदि) के प्रकार**	**बकाया डीआर की संख्या**	**बकाया डीआर के विचाराधीन शेयर्स की संख्या**	**कुल शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर**
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

vii) डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण, जहां विचाराधीन शेयर्स, कुल शेयर्स के 1% से अधिक है.

क्र.सं.	डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि) के प्रकार	विचाराधीन बकाया डीआर शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

viii) शेयर्स का डिमेटरियलाइजेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यत: डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डीमेटरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है.

दिनांक 31.03.2017 को शेयरधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में धारित शेयर्स के विवरण निम्नानुसार है :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	धारिता का %
भौतिक स्वरूप में	114	135640	0.01
एनएसडीएल	88403	329322715	17.31
सीडीएसएलङ	50815	1572712609	82.68
कुल	139332	1902170964	100.00

*केन्द्र सरकार द्वारा डीमेट रूप से धारित 1546139179 (81.28%) सहित.

कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है.

ix) अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स:

सूचीकरण करार के खण्ड 5ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2017 को ''अदावाकृत उचंत खाता'' में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं :

क्र.सं.	विवरण शेयरधारकों की समग्र संख्या	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	240	33,219
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया.	6	366
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए.	6	366
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या.	234	32,853

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों, सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 23 मई, 2017

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत प्रमाणन

प्रति,

निदेशक मंडल सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

ए. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की जांच की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

i. इन विवरणियों में तथ्यत: कोई गलत विवरण अथवा कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.

ii. ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य-पद्धति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुसार हैं.

बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.

सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई है, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है:

i. वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. लेखांकन नीतियों में वर्ष 2016-17 के दौरान कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए हैं तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है; एवं

iii. धोखाधडियों की अहम् घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

बी.के.सिंघल	**राजीव ऋषि**
महाप्रबंधक एवं सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2017

प्रमाणपत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्पोरेट गवर्नेस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 में निर्धारित है.

कॉर्पोरेट गवर्नेस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है. कॉर्पोरेट गवर्नेस की शर्तो के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी. यह कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है.

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेस का निर्धारित शर्तों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अनुपालन किया है.

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा बैंक के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है.

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए अंबेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 301051ई

(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 052438

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 000478एन

(सीए एस. के. मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 010870

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2017

मे. चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय सनदी लेखाकार 208, फीनिक्श हाउस, ए विंग, 462, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013	**लोढ़ा एंड कं.** सनदी लेखाकार 14- गवर्न्मेंट प्लेस ईस्ट कोलकाता - 700 069
पाठक एच. डी. एंड एसोशियेट्स सनदी लेखाकार 814-815 तुलसियनी चैम्बर्स 212, नरीमन पॉइन्ट मुम्बई - 410 021	**एस. के. मेहता एण्ड कं.** सनदी लेखाकार 504, किर्ती महल 19, राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली - 110 008

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) की दिनांक 31 मार्च, 2017 की संलग्न वित्तीय विवरणियों जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2017 का तुलन-पत्र, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, नोट्स तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सन्निहित हैं, की लेखा परीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं, 23 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2158 शाखाओं की विवरणियां समाहित हैं. हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है. इसके अलावा इनमें उन 2536 शाखाओं, 36 क्षेत्रीय कार्यालयों के तुलन-पत्र एवं लाभ हानि खाते भी शामिल हैं, जो कि लेखा परीक्षाधीन नहीं है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिमों की 14.51%, जमाओं का 31.74%, ब्याज आय का 8.41% तथा ब्याज व्यय की 29.90% हिस्सेदारी है.

वित्तीय विवरणियों के प्रति प्रबंधतंत्र का दायित्व

2. इन वित्तीय विवरणियों, जो बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अनुसरण तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गई हैं एवं भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं, के प्रति प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है. इस उत्तरदायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है, जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्त्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित अश्वासन प्रकट हो सके.

4. एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. इन जोखिमों के आकलनों में लेखा परीक्षा की समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में बैंक के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं, जोकि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर मत के प्रगटीकरण के उद्देश्य के बिना प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार की उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए हैं, जो सही एवं निष्पक्ष चित्रण कर सकें. एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है.

5. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिए आधार उपलब्ध कराता है.

अभिमत

6. बैंक की पुस्तकों में यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अभिमत में :

(ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित हैं, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके.

(बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि खाता भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप उस वर्ष कवर किए गए लेखों में शेष हानि की सही स्थिति दर्शाता है एवं

(सी) नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है.

विषय का महत्त्व

7. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

अनुसूची 18 का नोट सं.6 (एच) (VI) जो ₹22991.22 करोड़ के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र से संबंधित है जिन्हें जोखिम साझेदारी के आधार पर अधिकतम 180 दिनों के लिए जारी किया गया है जिससे दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक का कुल अग्रिम ₹22991.22 करोड़ कम हो गया है.

उपर्युक्त मुद्दे पर हमारा अभिमत सापेक्ष नहीं है.

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाएं

8. तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की 29 वीं अनुसूची के अनुरूप तैयार किये गए हैं.

9. उपर्युक्त पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे 10 वे संतोषप्रद पाए गए.

(बी) हमारे सं%ाान में आए बैंक के लेनदेन, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं. एवं

(सी) प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के साथ बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाया गया.

10. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) इस रिपोर्ट में विचारित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते बैंक की लेखा बहियों एवं विवरणियों से सुसंगत है.

(बी) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के लेखों की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई थी, जिन्हें इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने यथोचित सम्मिलित किया है.

(सी) हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं.

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए अंबेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 301051ई

(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 052438

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 000478एन

(सीए एस. के. मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 010870

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र

(000को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2017 को ₹	31 मार्च 2016 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	**19,021,710**	16,897,143
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	**153,659,690**	159,894,264
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित		**6,830,000**	5,350,000
जमा राशियां	3	**2,966,711,934**	2,661,841,873
उधार राशियां	4	**92,824,453**	92,078,934
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	**94,971,655**	118,598,782
कुल		**3,334,019,442**	**3,054,660,996**
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	**750,867,551**	140,695,075
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	**36,797,771**	14,715,384
निवेश	8	**920,948,779**	888,675,375
अग्रिम	9	**1,393,987,698**	1,800,095,880
अचल आस्तियां	10	**42,903,740**	43,592,873
अन्य आस्तियां	11	**188,513,903**	166,886,409
कुल		**3,334,019,442**	**3,054,660,996**
आकस्मिक देयताएं	12	**833,630,288**	768,034,422
संग्रहण हेतु बिल	-	**91,689,353**	118,375,835
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन के नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

पी. रमण मूर्ती	**बी.के. दिवाकर**	**राजीव ऋषि**
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2017

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ एन.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए अंबेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 052438

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते में एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 000478एन

(सीए एस. के. मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 010870

उपर्युक्त तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता

(000को छोड़कर)

	विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	**246,614,083**	258,878,971
	अन्य आय	14	**28,756,440**	19,387,857
	कुल		**275,370,523**	**278,266,828**
II.	**व्यय**			
	व्यय ब्याज	15	**180,873,959**	188,222,689
	परिचालन खर्चे	16	**63,610,278**	63,614,690
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		**55,277,265**	37,606,149
	कुल		**299,761,502**	**289,443,528**
III.	**पूर्वावधि की मदों के पूर्व वर्ष का लाभ / (हानि)**		**(24,390,979)**	(11,176,700)
	घटाएं: पूर्वावधि मदें		-	3,005,200
	पूर्वावधि की मदों के पश्चात वर्ष का शुद्ध लाभ / (हानि)		**(24,390,979)**	(14,181,900)
	लाभ/(हानि) आगे ले जाया गया		**(25,335,556)**	(10,227,726)
	कुल		**(49,726,535)**	**(24,409,626)**
IV.	**विनियोजन**			
	को अंतरित :			
	सांवधिक आरक्षित		-	-
	निवेश आरक्षित		**3,837,383**	925,930
	विशेष आरक्षित 36(1)(viii) के अंतर्गत		-	-
	स्टाफ कल्याण निधि		-	-
	राजस्व आरक्षित		-	-
	बीमा के रूप में निधि		-	-
	प्रस्तावित लाभांश -अधिमानी पूंजी		-	-
	प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी		-	-
	लाभांश कर		-	-
	तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		**(53,563,918)**	**(25,335,556)**
	कुल		**(49,726,535)**	**(24,409,626)**
ईपीएस (प्राथमिक एंड अकुशल) ₹ में (सांकेतिक मूल्य प्रति शेयर ₹ 10/-)			**(13.35)**	(8.55)
प्रधान लेखांकन नीतियां		17		
लेखों पर टिप्पणियां		18		

उक्त फॉर्म की निर्देशित सूची लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है.

पी. रमण मूर्ती	बी.के. दिवाकर	राजीव ऋषि
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2017

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ एन.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए अंबेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 052438

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते में एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 000478एन

(सीए एस. के. मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 010870

उपर्युक्त तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2017

31 मार्च 2017 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2017 को		31/03/2016 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		**50,000,000**		50,000,000
प्रत्येक ₹ 10/- के 500,00,00,000 शेयर				
प्रत्येक ₹ 10/- के (गत वर्ष 500,00,00,000 शेयर)				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :				
इक्विटी शेयर	**19,021,710**		16,897,143	
इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के 1,902,170,964 इक्विटी शेयर				
(गत वर्ष 1,689,714,269 इक्विटी शेयर)				
(सहित केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 154,61,39,179				
इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1,350,827,438 इक्विटी शेयर)				
कुल		**19,021,710**		**16,897,143**
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. **सांविधिक प्रारक्षित निधियां**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**20,635,979**		20,635,979	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**-**		-	
		20,635,979		**20,635,979**
II. **प्रारक्षित निधि**				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**32,923,455**		18,141,600	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन से वृद्धि	**-**		15,861,477	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	**869,678**		242,973	
वर्ष के दौरान कमी	**-**		836,649	
		32,053,777		**32,923,455**
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**6,335,315**		5,409,385	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**3,837,383**		925,930	
		10,172,698		**6,335,315**
III. **शेयर प्रीमियम**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**100,895,300**		99,554,023	
वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन	**17,763,339**		1,341,277	
		118,658,639		**100,895,300**
IV. **राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां**				
i) राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**23,439,771**		23,473,130	
जोड़े: पूंजी राजस्व से अंतरण	**869,678**		242,973	

(000 को छोड़कर)

विवरण		31/03/2017 को		31/03/2016 को	
		₹	₹	₹	₹
	वर्ष के दौरान परिवर्धन (एस ड्ब्ल्यू निधि)	**393,064**		116,755	
	घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	**-**		393,087	
			24,702,513		**23,439,771**
V.	**विशेष प्रारक्षित निधियां आयकर अधिनियम के यू/एस 36 (1)(viii)**		**1,000,000**		**1,000,000**
VI.	**लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि**		**(53,563,917)**		**(25,335,556)**
कुल			**153,659,690**		**159,894,264**

अनुसूची 3 : जमाराशियां

ए.	I.	मांग जमाराशियां				
		i) बैंक से	**3,970,883**		2,703,264	
		ii) अन्य से	**128,100,369**		117,000,456	
				132,071,252		119,703,720
	II.	बचत बैंक जमाराशियां	‘	**1,031,024,978**		824,849,145
	III.	सावधि जमाराशियां				
		i) बैंक से	**53,016,251**		58,124,654	
		ii) अन्य से	**1,750,599,453**		1,659,164,354	
				1,803,615,704		1,717,289,008
कुल				**2,966,711,934**		**2,661,841,873**
बी.	i)	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**2,966,711,934**		2,661,841,873
	ii)	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**-**		-

अनुसूची 4 : उधार राशियां

I.	**भारत में उधार राशियां**					
	i)	भारतीय रिज़र्व बैंक	**110,053**		8,250,000	
	ii)	अन्य बैंक	**28,920,664**		8,582	
	iii)	अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	**6,961,736**		15,549,352	
	iv)	अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	**11,591,000**		18,591,000	
	v)	अपर टियर II बॉन्ड्स	**28,850,000**		28,850,000	
	vi)	नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	**1,391,000**		10,830,000	
	vii)	असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉण्डस (टीयर II)	**15,000,000**		10,000,000	
				92,824,453		92,078,934
II.	भारत के बाहर उधारराशियां			**-**		-
कुल				**92,824,453**		**92,078,934**
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां				निरक		निरक

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2017 को		31/03/2016 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल		**7,502,369**		6,624,509
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		**-**		-
III. उपचित ब्याज		**8,133,757**		15,325,153
IV. आस्थगित कर देयता		**-**		-
V. अन्य (प्रावधान सहित)		**79,335,529**		96,649,120
कुल		**94,971,655**		**118,598,782**
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		**17,694,112**		16,584,535
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	**126,173,439**		124,110,540	
अन्य खातों में	**607,000,000**		-	
		733,173,439		124,110,540
कुल		**750,867,551**		**140,695,075**
अनुसूची 7 : बेंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	**1,560,742**		1,676,098	
बी) अन्य जमा खातों में	**10,797**		16,650	
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	**-**		12,000,000	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	**34,999,852**		-	
		36,571,391		13,692,747
II. **भारत के बाहर**				
ए) चालू खातों में	**226,380**		1,022,637	
बी) अन्य जमा खातों में	**-**		-	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	**-**		-	
		226,380		1,022,637
कुल		**36,797,771**		**2,715,384**

(000 को छोड़कर)

विवरण			31/03/2017 को		31/03/2016 को	
			₹	₹	₹	₹
अनुसूची 8 : निवेश						
I.	**भींरत में निवेशङ**					
	i)	सरकारी प्रतिभूतियों में	**740,707,328**		665,326,894	
	ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	**-**		-	
	iii)	शेयर्स	**13,570,132**		10,533,842	
	iv)	डिबेंचर एवं बांड्स	**103,512,402**		172,776,411	
	v)	अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	**3,039,987**		3,039,987	
	vi)	अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स	**59,644,045**		36,523,356	
म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि				**920,473,894**		888,200,490
II.	भारत के बाहर निवेशङङ					
	विदेशों में अनुषंगियां एवं असोशिएट्स			**474,885**		474,885
कुल				**920,948,779**		**888,675,375**
*	भारत में निवेश					
	सकल मूल्य		**937,440,524**		898,472,375	
	घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान		**16,966,630**		10,271,885	
	शुद्ध मूल्य			**920,473,894**		888,200,490
**	भारत के बाहर निवेश					
	सकल मूल्य		**475,100**		475,100	
	घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान		**215**		215	
	शुद्ध मूल्य			**474,885**		474,885
अनुसूची 9 : अग्रिम						
ए.	i)	खरीदे गए एवं भुनाए गऐ बिल	**16,294,564**		17,819,792	
	ii)	नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	**658,991,181**		746,950,803	
	iii)	मीयादी ऋण	**718,701,953**		1,035,325,285	
कुल				**1,393,987,698**		**1,800,095,880**
बी.	**अग्रिमों का विवरण**					
	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	**1,298,846,409**		1,636,078,107	
	ii)	बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	**2,640,519**		5,150,950	
iii)	अरक्षित		**92,500,770**		158,866,823	
कुल				**1,393,987,698**		**1,800,095,880**

(000 को छोड़कर)

विवरण		31/03/2017 को		31/03/2016 को	
		₹	₹	₹	₹
सी.	अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I)	भारत में अग्रिम				
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**692,204,013**		756,054,399	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	**47,756,724**		99,953,724	
	iii)बैंक	**9,461**		1,445	
	iv) अन्य	**654,017,500**		944,086,313	
कुल			**1,393,987,698**		**1,800,095,880**
(II)	भारत के बाहर अग्रिम		-		-

अनसूची 10 :अचल आस्तियां

I.	**परिसर**				
	(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
	पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	**40,106,596**		24,850,974	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन (पुनर्मूल्यांक सहित)	**21,941**		16,521,255	
	कुल	**40,128,537**		**41,372,229**	
	वर्ष के दौरान कमी / समायोजन	-		1,265,633	
	इस दिनांक को मूल्यह्रास	**5,940,880**		4,980,991	
	कुल		**34,187,657**		**35,125,605**
II.	**अन्य अचल आस्तियां**				
	(फर्नीचर एव जुडनार सहित)				
	पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	**24,685,893**		22,920,838	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	**2,478,886**		2,400,009	
	कुल	**27,164,779**		**25,320,847**	
	वर्ष के दौरान कमी/ समायोजन	**822,924**		634,954	
	कुल	**26,341,855**		**24,685,893**	
	इस दिनांक को मूल्यहास	**17,625,772**		16,218,626	
	कुल		**8,716,083**		8,467,268
	कुल (I & II)		**42,903,740**		**43,592,873**

अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां

I.	उपचित ब्याज	**14,925,213**		14,944,334	
II.	अग्रिम कर भुगतान/स्त्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	**52,775,462**		40,116,339	

(000 को छोड़कर)

	विवरण	31/03/2017 को		31/03/2016 को	
		₹	₹	₹	₹
III.	स्टेशनरी एवं स्टाम्प	**179,363**		180,736	
IV.	दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	**-**		-	
V.	आस्थगित कर आस्तियां	**23,536,800**		10,882,800	
VI.	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	**3,061,559**		35,311,345	
VII.	अन्य	**94,035,506**		65,450,855	
कुल			**188,513,903**		**166,886,409**
	अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I.	(ए) बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		**1,090,547**		1,307,819
	(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		**32,981,381**		24,722,329
II.	आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		**139,225**		249,303
III.	बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		**547,105,565**		507,501,883
IV.	ग्राहकों की आरे से प्रदत्त गारंटी				
	ए) भारत में	**107,887,762**		103,472,432	
	बी) भारत के बाहर	**3,852,663**		7,676,745	
			111,740,425		111,149,177
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		**137,965,386**		121,103,911
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		**2,607,759**		2,000,000
कुल			**833,630,288**		**768,034,422**

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2016 को समाप्त ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज			
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	**162,834,121**	189,777,092
II.	निवेशों पर आय	**73,718,485**	64,738,502
III.	भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	**6,388,242**	953,046
IV.	**अन्य की**	**3,673,235**	3,410,331
कुल		**246,614,083**	**258,878,971**
14 : अन्य आय			
I.	कमीशन, विनिमय एवं दलाली	**9,292,944**	9,083,665
II.	निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	**15,416,557**	5,868,186
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि)	**-**	-
IV.	भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि)	**(12,421)**	743,144
V.	विनमय लेन देनों पर लाभ (शुद्ध)	**1,690,688**	1,649,588
VI.	भारत/विदेशों में अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स से लाभाशं इत्यादि के रूप में अर्जित आय	**128,158**	100,269
VII.	विविध आय	**2,240,514**	1,943,005
कुल		**28,756,440**	**19,387,857**
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज			
I.	जमाराशियों पर ब्याज	**173,303,967**	176,533,417
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	**37,022**	2,074,637
III.	अन्य	**7,532,970**	9,614,635
कुल		**180,873,959**	**188,222,689**
16 : परिचालन व्यय			
I.	कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	**42,143,117**	44,656,742
II.	किराया, कर एवं बिजली	**4,460,406**	4,004,397
III.	मुद्रण एवं लेखनसामग्री	**437,860**	443,730
IV.	वि%ापन एवं प्रचार- प्रसार	**333,285**	309,297
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	**2,573,712**	2,394,338
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	**8,160**	8,478
VII.	लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**299,163**	252,030
VIII.	विधि प्रभार	**199,825**	180,140
IX.	डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	**469,346**	745,660
X	मरम्मत एवं रखरखाव	**1,207,455**	695,128
XI.	बीमा	**3,253,411**	2,699,881
XII.	अन्य व्यय	**8,224,538**	7,224,869
कुल		**63,610,278**	**63,614,690**

अनुसूची 17 - महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

1. ए) तैयार करने का आधार :

वित्तीय विवरणियां लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए, परिसरों के पूनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं. एवं सभी तात्विक पहलुओं के संबंध में वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, बैंककारीविनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाएं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं समाविष्ट हैं.

बी) प्राक्कलनों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सूचित आय एवं व्यय पर विचार करते हुए प्रबंधतंत्र के प्राक्कलनों और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है. प्रबंधतंत्र को यह विश्वास होता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं.

आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जब किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो.

वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों का अंतर उस वर्ष में मान्य किया जाता है जिसमें उनका पता लगता है प्रभावी होती है.

2. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

2.1 फेडाई के निर्देशानुसार लेनदेनों को प्रारम्भ में साप्ताहिक औसत दर पर दर्ज किया जाता है.

2.2 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

2.3 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है.

2.4 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं.

2.5 बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

3. निवेश :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित', 'व्यापार हेतु धारित' तथा 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणियों में श्रेणीकृत किया गया है. तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

i. सरकारी प्रतिभूतियां
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
iii. शेयर्स
iv. डिबेंचर्स एवं बॉण्डस्
v. अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
vi. अन्य (वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स)

3.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

i) परिपक्वता तक धारित

इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है. अनुषंगी एवं सहयोगीमें निवेश को भी परिपक्वता मे धारित के अंतर्गत

श्रेणीकृत किया जाता है.

ii) **व्यापार के लिए धारित**

प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुन: बिक्री के लिए रखी जाती हैं.

iii) **विक्रय के लिए उपलब्ध**

वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं.

3.3 श्रेणियों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण :

निवेश की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख को न्यूनतम अधिग्रहण लागत / बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य पर लेखांकित की जाती है. इस अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि है, का पूर्ण प्रावधान किया जाता है.

3.4 मूल्यनिर्धारण :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए दैनिक आधार पर परिशोधित किया जाता है.

अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश का मूल्यांकन अधिग्रहण लागत पर किया जाता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार बाजार के लिए निम्नवत चिन्हित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए/ पीडीएआई द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर		
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां,	परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर		
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर		
iv)	इक्विटी शेयर्स	ए)	उद्धृत :	बाजार मूल्य पर
		बी)	अनुद्धृत :	प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) तुलनपत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो.
v)	अधिमानी शेयर्स	ए)	उद्धृत :	बाजार मूल्य पर
		बी)	अनुद्धृत :	परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड्स	ए)	उद्धृत :	(पिछले 15 दिनों में व्यापार किए गए) अंतिम व्यापार मूल्य पर
		बी)	अनुद्धृत :	परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्युच्युअल फंड	ए)	उद्धृत :	बाजार मूल्य पर
		बी)	अनुद्धृत :	पुन: क्रय मूल्य पर या शुद्धआस्ति मूल्य (जहां पुन: क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ)	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के ब्रेक-अप आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीए) के लिए ₹1/-		
Ix	प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर)	एसबी /एआरसी द्वारा सूचित आस्ति मूल्य पर		

प्रतिभूतियों के बही मूल्य को समायोजित किए बिना प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को नजरअंदाज किया जाता है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बिना प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को नजरअंदाज किया जाता है.

3.5 लागत निर्धारण :

i) निवेश की लागत का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है.

ii) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त ब्रोकरेज, प्रोत्साहन, प्रारम्भिक शुल्क इत्यादि को निवेश की लागत में से घटाया जाता है.

iii) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च यथा ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन अथवा करों को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है.

3.6 आय निर्धारण :

i. निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि 'पूंजी प्रारक्षित निधि' में विनियोजित की गयी है.

ii. निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यह्रास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.

iii. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण को अवमानक/संदिग्ध/हानि, जैसा भी मामला हो, के साथ में वर्गीकृत किया जाता है यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हों अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हों.

iv. प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है.

4. डेरिवेटिव्ज :

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज को निम्नानुसार लेखांकन किया गया है.

i. ऐसे मामलों में, जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

ii. जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

iii. स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

5. अग्रिम :

5.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हो.

5.2 वाद दायर, डिक्रीकृत खातों तथा समझौता मामलों में जहां वसूली पहले मूल धन के लिए अथवा डिक्री/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाती है, को छोड़ कर एनपीए खाते में वसूलियों को पहले मूल धन की अनियमितताओं के लिए समायोजित किया जाता है.

5.3 अग्रिम प्रावधानों, (एनपीए के मामलों में) अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं.

5.4 मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य में शामिल हैं.

5.5 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

5.5.1 यदि एससी/एआरसी को की गयी बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी या तो लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है अथवा दिनांक 26.02.2014 को अथवा उसके पश्चात की गयी आस्तियों की बिक्री पर इस प्रकार की कमी को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो / एक वर्ष की अवधि में समय विस्तारित किया गया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन है.

5.5.2 यदि नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर बिक्री हुई हो तो उस आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है.

5.5.3 यदि एसी/आरसी को एनबीवी के मूल्य से अधिक पर बिक्री हुई हो तो नकद वसूली के समान प्रावधान आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है एवं शेष बचे प्रावधान आधिक्य को एसी/आरसी को बेचे जाने वाली वितीय आस्तियों की कमी/हानि के लिए उपयोग करने हेतु रखा जाता है.

6. अचल आस्तियां/मूल्यह्रास :

6.1 अचल आस्तियों का मूल्यह्रास 'मूल्यह्रासित मूल्य प्रणाली' के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यह्रास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है):

i.	परिसरअनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर	अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii.	फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii.	वाहन	20%
iv.	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v.	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%

(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है)

6.2 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है तथा 99 वर्ष या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है. पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

6.3 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां मूल्यह्रास सम्मिश्र लागत पर किया गया है.

6.4 ये आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनका मूल्यह्रास / परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है, जिसे लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि को निरूपण योग्य वृद्धिशील मूल्यह्रास / परिशोधन को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि'' से अंतरित कर राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधि'' में जमा किया गया है.

6.5 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है.

7. कर्मचारी लाभ :

कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान दी गयी सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों को उपचित किया गया है. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, वे होते हैं जो उस वर्ष प्रदान की गयी सेवाओं के लिए संबंधित वर्ष के लाभ हानि के खाते में व्यय के रूप में माना गया है.

परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेच्युटि में अंशदान, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयताओं का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से प्राप्त वर्तमान मूल्य के आधारपर वर्षके अंत में किया गया है. बीमांकित लाभ / हानि की गणना उनके उत्पन्न होने वाले वर्ष में ही की जाती है.

8. आय एवं व्यय की पहचान :

8.1 विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/ व्यय की मदों को सामान्यत: उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई मद कुल आय / कुल व्यय के 1% से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया गया है.

8.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किया जाता हैं.

9. आयकर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, एक समय में उत्पन्न होने वाली कर योग्य आय तथा लेखा आय को पश्चवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तित करने में सक्षम समय अंतराल को भी ध्यान में रखते हैं. आस्थगित कर आस्तियों को उतना ही माना जाएगा जितने के लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के समक्ष पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होनेकी तर्कसंगत सुनिश्चितता हो. आगे लाए गए अनवशोषित अनवशोषित मूल्यह्रास एवं कर हानि के मामलों में, आस्थगित कर आस्तियों को तभी माना जाएगा जब ऐसी आस्थगित कर आस्तियों केा भावी कर योग्य आय से हासिल किया जा सकेगा. आस्थगित कर आस्तियों की धारित राशि की वसूली के पुनर्आकलन के कारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. विवादित कर देयताओं का लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें कर निर्धारण/अपील कार्रवाई पूर्ण होती है, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है.

10. प्रावधान, आकस्मिकता एवं अनुषंगी आस्तियां

पिछले कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चित समय अथवा राशि के ऐसे वर्तमान दायित्वों जिनका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो एवं उन दायित्वों के समाधान के

लिए आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों का बहिर्गमन संभव हो, के वर्तमान दायित्वों के लिए प्रावधान मान्य किए जाते हैं जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता संभावित न हो अथवा राशि का विश्वस्त आकलन नहीं किया जा सकता हो तो आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावनाके अत्यन्त क्षीण रहने तक ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है.

अंतिम वित्तीय विवरणियों में अनुषंगी आस्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

(पी. रमण मूर्ती)
कार्यपालक निदेशक

(बी.के.दिवाकर)
कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ एन.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए अंबेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 052438

कृते में एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 000478एन

(सीए एस. के. मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 010870

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2017

अनुसूची-18 : लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1. पूँजी :

दिनांक 31 मार्च 2017 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी बढ़कर ₹ 1902.17 करोड़ हो गयी जो पिछले वर्ष ₹ 1689.71 करोड़ थी. यह वृद्धि तीन आबंटनों में ₹ 10/- प्रत्येक के 212456695 नए इक्विटी शेयर्स जारी करने से हुई है.

ए. दिनांक 12.05.2016 को भारत सरकार को ₹ 64.82 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 71504945 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

बी. दिनांक 08.09.2016 को भारत सरकार को ₹ 94.76 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 123806796 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

सी. दिनांक 05.12.2016 को भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 81.45 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 17144954 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

2. बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है :

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- सिस्टम उचंत खाता
- उचंत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए प्रतिरूप खाते
- कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र ऋणों का डाटा / सिस्टम अद्यतन

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होगा.

3. आय कर :

3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.

3.2 बैंक द्वारा भुगतान किए गए अथवा आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर संबंधी अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii).में ₹ 3298.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2472.23 करोड़) शामिल हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयों के आधार पर कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है.

4. परिसर :

बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में ₹ 1.63 करोड़ मूल्य (पिछले वर्ष ₹1.63 करोड़) की प्रापर्टी शामिल है जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी भी प्रक्रियाधीन हैं.

ऐसी आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनमें मूल्यह्रास का प्रावधान पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है एवं लाभ/हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 86.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 24.30 करोड़) पर आरोप्य वृद्धिशील मूल्यह्रास की राशि को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधी से अंतरित कर राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधी में जमा किया गया है.

5. अग्रिम / प्रावधान :

5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पतियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना गया है.

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए सकल एनपीए में से फ्लोटिंग प्रावधान ₹ 100.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 100.56 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान की राशि ₹ 47.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 47.34 करोड़) की शुद्धि की गई है.

5.3 अग्रिमों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) पर भारिबैं के दिशानिर्देशों की अनुपालन में बैंक ने मानक आस्तियों पर वृद्धशील प्रावधान हेतु ₹ 289.69 करोड़ रखे है:

6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सूचनाएं प्रकट की गई है :

ए. (i) पूंजी :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31.03.2017	31.03.2016
1	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	**8.62%**	8.03%
2	टियर 1 पूंजी अनुपात (%	**8.62%**	8.20%
3	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	**2.32%**	2.20%
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	**10.95%**	10.41%
5	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	**81.28%** %	79.94%
6	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि	**2136.79***	700.57**
7	उगाही गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) : शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई)	**निरंक**	निरंक
8	उगाही गयी टियर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से ऋण पूंजी लिखत : अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : ड शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान शेयर(आरएनसीपीएस) /प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) .	**500**	निरंक

* इसमें दिनांक 31.03.2017 को भारत सरकार से प्राप्त रुपए 100.00 करोड़ की पूंजी निधि शामिल है जिसे ''सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर आवेदन राशि खाता के नाम से खोले गए नए बैंक खाते में रखा गया है.

*इसके अलावा, इसमें ₹ 583.00 करोड़ की इक्विटी पूंजी भी शामिल है जो भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10.00 लाख अंकित मूल्य के 5830 नवोन्मेषी बेमियादी कर्ज लिखतों (आईपीडीआई) के विलोपन से उत्पन्न हुई है जिसे शेयरों का आबंटन लम्बित रहते शेयर आवेदन राशि खाते में रखा गया है.

**इसमें दिनांक 30.03.2016 को भारत सरकार से प्राप्त ₹ 535.00 करोड़ की पूंजी निधि शामिल है जिसे शेयरों का आबंटन लम्बित रहते ''सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर आवेदन राशि खाता में रखा गया है. बैंक द्वारा उपर्युक्त शेयर दिनांक 12.05.2016 को भारत सरकार को आबंटित कर दिए गये हैं.

(ii) वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात 9.40% बेमियादी कर्ज लिखत टीयर 1 बॉन्ड्स का अपरिपक्वता मोचन प्रस्तावित किया है. बैंक ने दिनाक 24.03.2017, निपटान तारीख को बाईबैक विकल्प का उपयोग करने वाले निवेशकों को ₹ 384.57 करोड़ का भुगतान किया है जिसमें मूल राशि ₹ 360.90 करोड़, उपचित ब्याज ₹ 16.45 करोड़ एवं प्रीमियम ₹ 7.22 करोड़ शामिल है.

बी. (i) निवेश

मदें			31.3.2017	31.3.2016
1)	**निवेश मूल्य**			
	i)	सकल निवेश मूल्य	**93791.56**	89894.75
		ए) भारत में	**93744.05**	89847.24
		बी) भारत के बाहर	**47.51**	47.51
	ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**1696.68**	1027.21
		ए) भारत में	**1696.66**	1027.19
		वर्तमान मूल्यांकन से मूल्यह्रास (अंतरण के समय धारित) के लिए अतिरिक्त प्रावधान	**0.00**	0.00
		बी) भारत के बाहर	**0.02**	0.02
	iii)	निवेश का शुद्ध मूल्य	**92094.88**	88867.54
		ए) भारत में	**92047.39**	88820.05
		ए) भारत के बाहर	**47.49**	47.49
2)	**निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी**			
	i)	प्रारंभिक शेष	**1027.21**	180.64
	ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**768.49**	912.26
	iii)	घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाता प्रतिलेखन प्रावधान	**99.02**	65.69
	iv)	अंतिम शेष	**1696.68**	1027.21

(ii) इस निवेश में आबंटन लम्बित रहते शेयर आवेदन राशि ₹ निरंक (पिछले वर्ष ₹ 47.30 करोड़) शामिल है:

(iii) **रेपो लेनदेन** (अंकित मूल्य के सन्दर्भ में):

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दिनांक 31 मार्च, 2017 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	825.00	7.63	11.00
II. कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	64199.99	6092.26	64199.99
II. कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00

(iv) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलिओ

गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता-वार संघटन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन सीमा	'निवेश श्रेणी से कम' सीमा तक प्रतिभूतियां	'गैर-श्रेणीकृत' प्रतिभूतियां	'गैर-सूचीबद्ध' प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	राज्य सरकार विशेष बॉन्ड	4441				
ii)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	4844	18	0	4489	18
iii)	वित्तीय संस्थाएं	292	127	0	44	60
iv)	बैंक	354	0	0	0	0
v)	निजी कॉर्पोरेट	5910	120	847	1097	3695
vi)	अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम / क्षेग्राबैं/ इंडो-जाम्बिया	421	421	0	421	421
vii)	अन्य	3460	0	0	3460	2840
	कुल	19721	686	847	9511	7034
घटायें:	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1696	0	289	852	792
	शुद्ध	18024	686	557	8659	6242

नोट : उपर्युक्त कॉलम संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के अधीन सूचित राशियां पारस्परिक विशिष्ट नहीं हैं.

(v) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश (परिपक्व निवेशों सहित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2017	31.3.2016
प्रारंभिक शेष	**474.03**	304.63
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	**215.87**	215.28
वर्ष के दौरान कमी	**129.76**	45.88
अंतिम शेष	**560.14**	474.03
धारित कुल प्रावधान	**389.41**	**315.55**

सी. डेरिवेटिव्ज

(i) **वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप**

(₹करोड़ में)

मदें		31.3.2017	31.3.2016
i)	स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	**25.00**	200.00
ii)	करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	**0**	0.23
iii)	स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	**निरंक**	निरंक
iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण - विदेशी बैंक	**निरंक**	निरंक
	- घरेलू बैंक	**निरंक**	निरंक
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	**-0.15**	-0.49

(ii) **वायदा दर करार / मुद्रा दर स्वैप**

(₹करोड़ में)

	मदें	31.3.2017	31.3.2016
i)	स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	**241.42**	निरंक
ii)	करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	**5.21**	निरंक
iii)	स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	**निरंक**	निरंक
iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण - विदेशी बैंक	**निरंक**	निरंक
	- घरेलू बैंक	**निरंक**	निरंक
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	**1.04**	निरंक

(iii) **विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज :**

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2017	31.03.2016
ब्याज दर फ्यूचर्स			
i)	वर्ष के दौरान विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज की काल्पनिक मूल राशि	**निरंक**	8318.97
ii)	बकाया विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज की काल्पनिक मूल राशि	**निरंक**	निरंक
iii)	बकाया एवं उच्च प्रभावी नहीं विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज की काल्पनिक मूल राशि	**निरंक**	निरंक
iv)	बकाया एवं उच्च प्रभावी नहीं विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज का दैनिक बाजार मूल्य	**निरंक**	निरंक

(iv) **विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्ज**

(₹करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	राशि 31.03.2017	राशि 31.03.2016
i)	वर्ष के दौरान, विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्ज का काल्पनिक मूलधन (लिखत-वार)		
	ए) करेंसी फ्यूचर्स	**30741.00**	22158.00
	बी) करेंसी ऑप्शन्स	**0.00**	0.00
ii)	बकाया विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्ज की काल्पनिक मूल राशि		
	ए) करेंसी फ्यूचर्स	**0.00**	1459.47
	बी) करेंसी ऑप्शन्स	**0.00**	00.00
iii)	बकाया एवं उच्च प्रभावी नहीं विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्ज की काल्पनिक मूल राशि		
	ए) करेंसी फ्यूचर्स	**0.00**	0.00
	बी) करेंसी ऑप्शन्स	**0.00**	0.00
iv)	बकाया एवं उच्च प्रभावी नहीं विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्ज का दैनिक बाजार मूल्य		
	ए) करेंसी फ्यूचर्स	**0.00**	0.00
	बी) करेंसी ऑप्शन्स	**0.00**	0.00

डेरिवेटिव्ज में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

v) गुणात्मक प्रकटीकरण

- ❖ वायदा बाजार में बचाव / व्यापार में डेरिवेटिव लिखतों के प्रयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति बनी हुई है.
- ❖ निवेश पोर्टफोलियों में ब्याज दर की जोखिम से बचाव तथा बाजार निर्मिति के लिए वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा -वायदे तथा ब्याज दर वायदों की नीति मौजूद है.
- ❖ निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जोखिम प्रबंधन नीतियां तथा प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे हानि-रोध सीमाएं, काउन्टर पार्टी एक्सपोजर सीमाएं इत्यादि, मौजूद हैं. इन जोखिमों की निगरानी तथा समीक्षा नियमित रूप से की जाती है. प्रबंध सूचना प्रणाली/रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है.

बचाव स्थितियां

- ❖ आईआरएस पर ब्याज खर्च/आय के कारण उपचय को लेखागत किया जाता है तथा आय/व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है.
- ❖ यदि स्वैप को परिपक्वता के पूर्व समाप्त किया जाता है, तो दैनिक एमटीएम हानि/लाभ तथा उस तारीख तक उपचित को ब्याज दर स्वैप पर प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के तहत व्यय/आय के रूप में लेखा-जोखा किया जाता है.

व्यापारिक स्थितियां

- ❖ एमसीएक्स-एसएक्स, एनएसई तथा यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेज के विनियम दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा वायदे तथा ब्याज दर वायदे दैनदिन आधार पर बाजार मूल्य की स्थिति पर अंकित किए जाते है.
- ❖ मार्जिन खाते को दैनिक आधार पर जमा/नामे करते हुए एमटीएम लाभ/हानि का लेखा किया जाता है तथा उसे बैंक के लाभ एवं हानि खाते में लेखागत किया जाता है.
- ❖ व्यापारिक स्वैप को थोड़े-थोड़े अंतरालों में बाजार मूल्य की स्थिति के अनुसार अंकित किया जाता है. एमटीएम की सभी हानियां लेखागत की जाती है जबकि लाभा को छोड़ दिया जाता है.
- ❖ स्वैप की समाप्ति पर लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त शीर्ष में तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता

vi) गुणात्मक प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
		मुमुद्रा डेरिवेटिव्ज	ब्याज दर डेरिवेटिव्ज	मुद्रा डेरिवेटिव्ज	ब्याज दर डेरिवेटिव्ज
i)	डेरिवेटिव्ज (आनुमानिक मूल धन राशि)				
	ए) बचाव व्यवस्था के लिए	**6472.28**	**0.00**	32925.84	0
	बी) व्यापार के लिए	**46961.10**	**25.00**	17074.50	200
ii)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की स्थिति				
	ए) आस्ति (+)	**1247.55**	**0.00**	567.23	0.23
	बी) देयता (-)	**1231.39**	**0.15**	537.49	0.72
iii)	एक्सपोजर (1)				
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से संभाव्य प्रभाव 100ङपीवी01)	-	**0.01**	-	0.01
	ए) बचाव व्यवस्था पर डेरिवेटिव्ज	-	**0.00**	-	0.00
	बी) व्यापार पर डेरिवेटिव्ज	-	**0.01**	-	0.01
v)	वर्ष के दौरान नोट किए गए अधिकतम एवं न्यूनतम 100ङपीवी01				
	ए) बचाव व्यवस्था पर	-	**अधि.-0.00 न्यू.-0.00**	-	अधि.0.00 न्यू.-0.00

	बी) व्यापार पर	-	**अधि.-0.04** **न्यू.-0.01**	-	अधि.0.04 न्यू.-0.01

डी. आस्ति गुणवत्ता

(ए) अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

	मदें	**31.3.2017**	**31.3.2016**
i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	**10.20**	7.36
ii)	एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी (सकल)		
	ए) प्रारंभिक शेष	**22721**	11873
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन*(i)	**10487**	15145
	सी) वर्ष के दौरान कमी	**5957**	4297
	डी) अंतिम शेष	**27251**	22721
iii)	शुद्ध एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी		
	ए) प्रारंभिक शेष	**13242**	6807
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	**4459**	9890
	सी) वर्ष के दौरान कमी	**3483**	3455
	डी) अंतिम शेष	**14218**	13242
iv)	शुद्ध एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
	ए) प्रारंभिक शेष	**8238**	4793
	बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**6028**	5255
	सी) बट्टे खाते डाले गए/प्रतिलेखन/अंतरण	**2404**	1810
	डी) अंतिम शेष	**11862**	8238

(बी) पुनर्गठित खातों के ब्यौरे :

(₹ करोड़ में)

Sr No	Type of Restructuring → / Asset Classification → / Details ↓		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
			Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	No. of borrowers	28	8	18		54	312	39	125	0	476	18602	956	10066	0	29624	18942	1003	10209	0	30154
		Amount outstanding	3608.10	906.08	1784.01		6298.19	113.57	50.21	33.90	0.00	197.68	7247.94	2537.59	809.83	0.00	10595.36	10969.61	3493.88	2627.74	0.00	17091.23
		Provision thereon	231.69	75.26	71.62		378.57	3.23	0.17	0.97	0.00	4.37	428.98	92.33	28.45	0.00	549.76	663.90	167.76	101.04	0.00	932.70
2	Fresh restructuring during the year #	No. of borrowers	2	0	0		2	1080	224	2330	0	3634	194	2096	1003	0	3293	1276	2320	3333	0	6929
		Amount outstanding	977.64	0.00	0.00		977.64	45.34	2.77	90.38	0.00	138.49	239.27	468.14	815.54	0.00	1522.95	1262.25	470.91	905.92	0.00	2639.08
		Provision thereon	195.17	0.00	0.00		195.17	1.96	0.01	0.00	0.00	1.97	3.79	4.55	13.99	0.00	22.33	200.92	4.56	13.99	0.00	219.47
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0		0			0		0			5	-5	0			5	-5	0	0	0
		Amount outstanding	0.00		0.00			0.00		0.00			335.41	-335.41	0.00			335.41	-335.41	0.00	0.00	0.00
		Provision thereon	0.00		0.00			0.00		0.00			2.88	-2.88	0.00			2.88	-2.88	0.00	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances	No. of borrowers	-2				-2	0				0	-4				-4	-6				-6
		Amount outstanding	-146.61				-146.61	0.00				0	-2387.64				-2387.64	-2534.25				-2534.25
		Provision thereon	-30.21				-30.21	0.00				0	-105.01				-105.01	-135.22				-135.22
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-9	-3	7	5	0	-2	2	0	0	0	-26	19	7	0	0.00	-37	18	14	5	0
		Amount outstanding	-1259.47	-327.68	899.25	687.90	0.00	-7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	-712.87	571.56	141.31	0.00	0.00	-1979.51	251.05	1040.56	687.90	0.00
		Provision thereon	-70.72	-41.56	79.51	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.55	10.09	15.46	0.00	0.00	-96.27	-31.47	94.97	32.77	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during the FY $	No. of borrowers	-2	0	0	-5	-7	-1	-20	0	0	-21	-1502	-2001	-8745	0	-12248	-1505	-2021	-8745	-5	-12276
		Amount outstanding	-48.66	0.00	0.00	-687.90	-736.56	-26.92	-19	0.00	0	-45.92	-261.94	-2541.57	-84.67	0.00	-2888.18	-337.52	-2560.57	-84.67	-687.90	-3670.66
7	Restructured Accounts as on 31.03.2017 (closing figures)	No. of borrowers	17	5	25	0	47	1389	245	2455	0	4089	17269	1065	2331	0	20665	18675	1315	4811	0	24801
		Amount outstanding	2957.87	603.32	2777.69	0.00	6338.88	124.82	41.15	124.28	0.00	290.25	4460.17	700.31	1682.01	0.00	6842.49	7542.86	1344.78	4583.98	0.00	13471.62
		Provision thereon **	348.39	30.70	151.13	0.00	530.22	5.19	0.77	5.64	0.00	11.60	222.30	15.91	38.03	0.00	276.24	575.88	47.38	194.80	0.00	818.06

*उन मानक पुनर्गठित ऋणों के आकड़ों को छोड़कर जिनमें उच्च प्रावधान अथवा जोखिम भारिता (यदि लागू हो) नहीं है.

**धारित प्रावधान में अधित्याग किए गए प्रावधान के आकंड़े है.

#गत वर्षों में पुनर्गठित खाते शामिल है तथापि जिन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष में चिन्हित किया गया है.

$वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्गठित खातों में वसूली शामिल है.

(सी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. बिक्री का विवरण **(₹ करोड़ में)**

	मदें	31.3.2017	31.3.2016
i)	खातों की संख्या	**निरंक**	17
ii)	एससी/आरसी को बिक्रीत खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	**निरंक**	1040.40
iii)	कुल प्रतिफल	**निरंक**	1142.35
iv)	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के लिए आगत अतिरिक्त प्रतिफल	**निरंक**	निरंक
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	**निरंक**	101.95

बी. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.3.2017	31.3.2016
(i)	बैंक द्वारा अंतर्निहित तौर पर विक्रित एनपीए समर्थित	**3327.19**	3330.14
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीयसंस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा अंतर्निहित के तौर पर विक्रित एनपीए समर्थित	**22.23**	33.51
कुल		**3349.42**	**3363.65**

(डी) अन्य बैंकों से खरीदी/को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण			31.3.2017	31.3.2016
1	ए	वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	**निरंक**	निरंक
	बी	कुल बकाया राशि	**निरंक**	निरंक
2	ए	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	**निरंक**	निरंक
	बी	कुल बकाया	**निरंक**	निरंक

बी. बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹करोड़ में)

मदें		31.3.2017	31.3.2016
1	खातों की संख्या	**निरंक**	निरंक
2	कुल बकाया	**निरंक**	निरंक
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	**निरंक**	निरंक

(ई) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹करोड़ में)

मदें	31.3.2017	31.3.2016
धारित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	540.03	681.88

(एफ) व्यावसायिक अनुपात

क्रम सं.	मदें	2016-17	2015-16
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय *	**8.10**	8.85
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय *	**0.94**	0.66
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ *	**1.01**	0.90

क्रम सं.	मदें	2016-17	2015-16
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल **	**(0.80)**	(0.48)
(v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय *** (जमा + अग्रिम) (₹ लाख में)	**1181.33**	1194.78
(vi)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ लाख में)	**(6.49)**	(3.76)

*कार्यशील निधि में वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है.

** कार्यशील निधियों में कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर शामिल है.

*** जमाओं (अंतर-बैंक जमाओं को छोड़कर) एवं अग्रिम के पाक्षिक औसत के आधार पर

जी. आस्ति देयता प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विविध परिपक्वता अवधि समूह के अंतर्गत दिनांक 31मार्च, 2017 को कुल जमाओं, उधार, अग्रिमों एवं कुल निवेश का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

अवधि कुल जमाएं	कुल जमाएं	कुल अग्रिम	कुल निवेश	कुल घरेलू उधारियां ङ	विदेशी मुद्रा	
					आस्ति देयताएं	देयताएं
एक दिन	1,633.46	4,259.96	-	30.31	328.54	303.02
2 दिन से 7 दिन	2,132.05	1842.65	1,132.56	2,903.07	0.58	6.05
8 दिन से 14 दिन	2,314.58	1,416.97	-	-	63.81	8.94
15 दिन से 30 दिन	4,817.48	5,051.43	18.20	-	106.75	12.74
31 दिन से 2 माह	9,906.94	1,305.58	1,254.97	-	19.91	55.43
2 माह से अधिक व 3 माह तक	9,374.86	1,799.84	743.26	31.92	50.25	33.16
3 माह से अधिक व 6 माह तक	16,356.88	4,635.96	367.05	198.83	416.66	189.98
3 माह से अधिक व 6 माह तक	27,737.51	6,902.95	1,555.73	63.84	358.93	259.02
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	1,35,053.33	64,884.07	9,229.89	254.51	49.16	680.01
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	44,391.45	14,831.35	8,967.22	116.76	194.49	55.45
5 वर्ष से अधिक	42,952.63	32,468.00	68,826.01	-	12.78	-
कुल	**2,96,671.19**	**1,39,398.77**	**92,094.89**	**3,599.24**	**1,601.86**	**1,603.80**

नोट : -

* टियर II पूंजी में सम्मिलित किए गए के अलावा

उपर्युक्त आंकडे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं प्रबंधन के प्रमुख अनुमानों के आधार पर संकलित किए गए हैं तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा इन पर विश्वास व्यक्त किया गया है.

एच. एक्सपोजर

(i) स्थावर सम्पदा क्षेत्र सम्बंधी एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

श्रेणी		31.3.2017	31.3.2016
ए)	**प्रत्यक्ष निवेश**		
	(i) आवासीय मार्गेज -		
	आवासीय सम्पत्ति पर बंधक के द्वारा ऋण पूरी तरह से रक्षित है, अर्थात या तो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में है अथवा किराये पर है :	**20084.89**	17631.45
	(उपर्युक्त में शामिल व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र हैं)	**(13077.11)**	(11937.06)
	(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा -		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा के मॉर्गेज से प्रत्याभूत ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा वेयर हाउस स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, निर्माण एवं विकास इत्यादि.)	**4019.29**	6442.60
	एक्स्पोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी :		
	(iii) मॉर्गेज आधारित प्रतिभूतियां (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश -		
	- आवासीय,	**0.00**	0.00
	- वाणिज्यिक स्थावर संपदा.	**0.00**	0.00
बी)	**अप्रत्यक्ष निवेश**		
	(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश. (ii) अन्य	**919.46**	6214.08
	स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्स्पोजर	**25023.64**	**30288.13**

(ii) **पूंजी बाजार एक्सपोजर**

	श्रेणी	31.3.2017	31.3.2016
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई हो.	**747.86**	811.31
ii)	वैयक्तिकों को शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा गैर-प्रतिभूति आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं म्यूच्युअल फंड की इक्विटी उन्मुख इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम.	**1.68**	3.07
iii)	किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम जिनमें शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	**342.82**	210.82

श्रेणी		31.3.2017	31.3.2016
(iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की सीमा तक रक्षित अग्रिम अर्थात जहां पर शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिट अग्रिमों को पूरी तरह रक्षित नहीं करती हैं.	**0.01**	0.68
(v)	स्टॉक-ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक-ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटियां.	**298.15**	85.04
vi)	कॉर्पोरेट को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों की प्रत्याशा के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण.	**0.00**	331.80
vii)	इक्विटी प्रवाह/निर्गम की प्रत्याशा के समक्ष कंपनियों को पूरक वित्त.	**0.00**	0.00
viii)	शेयरों के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों के सम्बंध में बैंकों द्वारा लिए गए हामीदारी वायदे.	**0.00**	0.00
ix)	स्टॉक-ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण	**0.00**	550.00
x)	जोखिम पूंजी निधि (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) सम्बंधित सभी एक्सपोजर.	**0.00**	0.00
	पूंजी बाजार का कुल एक्सपोजर	**1390.52**	**1992.72**

(iii) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	दिनांक 31 मार्च, 2017 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31 मार्च, 2017 को धारित प्रावधान	दिनांक 31 मार्च, 2016 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31 मार्च, 2016 को धारित प्रावधान
अप्रयोज्य	949.11	निरंक	1557.90	निरंक
निम्न	1156.65	निरंक	597.39	निरंक
मध्यम	126.00	निरंक	94.78	निरंक
उच्च	46.07	निरंक	70.50	निरंक
अत्यधिक	2.54	निरंक	6.61	निरंक
सीमित	0.00	निरंक	2.25	निरंक
ऋणेतर	0.00	निरंक	2.21	निरंक
योग	**2280.37**	**निरंक**	**2331.64**	**निरंक**

चूंकि वर्ष हेतु बैंक का निवल निधि निवेश, विदेशी विनिमय लेनदेन के सम्बंध में बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम है, अत: प्रावधान आवश्यक नहीं है.

(iv) बैंक द्वारा अतिक्रमित उन एकल ऋणी सीमा/ समूह ऋणी सीमाओं का विवरण, जिनके लिए बोर्ड का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया.

ए. बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल ऋणी सीमा : निरंक

बी. बैंक द्वारा अतिक्रमित समूह ऋणी सीमा : निरंक

(v) ऋण एवं अग्रिमों का विवरण जोकि अमूर्त आस्तियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन आदि द्वारा रक्षित है, जो कि अनुसूची-9 में आरक्षित किया गया है.

₹ निरंक के ऋण (गत वर्ष निरंक), जिनका प्रभार अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन इत्यादि पर है, उन्हें अरक्षित माना गया है.

अमूर्त प्रतिभूतियों का मूल्य ₹ निरंक करोड़ (गत वर्ष निरंक) है.

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक दिसम्बर 1988 के अनुसार रुपये 22,991.22 करोड़ के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) साझेदारी आधार पर अधिकतम 180 दिन के लिए जारी किए गए हैं, परिणाम स्वरूप दिनांक 31.03.2017 को उतनी ही मात्रा में बैंक का कुल अग्रिम कम हो गया है.

(vii) एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण, वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य से 5% से अधिक हो गया. दिनांक 31 मार्च, 2017 को एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों का बाजार मूल्य ₹ 70530 करोड़ था जिसमें अनुषंगियों / रखाव लागत पर संयुक्त उद्यमों में निवेश शामिल है. चूंकि ऐसे निवेशों का बही मूल्य उनके बाजार मूल्य से कम है अत: किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है.

7. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोपित दण्डों का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके मानदंडों की अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत बैंक को ₹ 0.12 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2.16 करोड़) का दण्ड आरोपित किया है.

8. जमाओं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए के संकेन्द्रण से सबंधित प्रकटीकरण:

8.1 जमाओं का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017	31.03.2016
(ए)	बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	**25520.27**	25036.84
(बी)	बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	**8.60%**	9.41%

8.2 अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017	31.03.2016
(ए)	बीस बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	**22282.75**	37488.76
(बी)	बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम का बैंक के कुल अग्रिम में प्रतिशत	**14.56%**	15.00%

ये अग्रिम भा.रि.बैं. के मानदंडों के अनुसार ऋण एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करते हैं.

8.3 एक्सपोजर का संकेन्द्रीकरण

(₹करोड़ में)

विवरण		31.03.2017	31.03.2016
(ए)	बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	**39591.09**	39347.29
(बी)	बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर का बैंक के कुल एक्सपोजर में प्रतिशत	**15.76%**	11.58%

ये अग्रिम भा.रि.बैं. के मानदंडों के अनुसार ऋण और निवेश एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करते हैं.

8.4 एनपीए का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017	31.03.2016
(ए)	शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	**4429.82**	4870.77

II. **क्षेत्रवार अग्रिम :**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्रङ	दिनांक 31 मार्च, 2017			दिनांक 31 मार्च, 2016		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	**33519**	**2579**	**7.69**	33885	1891	5.58
2	प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने हेतु पात्र उद्यम क्षेत्र को अग्रिम	**11346**	**1933**	**17.04**	11542	1605	13.90
3	सेवाएं	**17316**	**2116**	**12.22**	17843	1911	10.70
4	व्यक्तिगत ऋण	**10486**	**704**	**6.71**	15706	700	4.45
	उप-योग्य (ए)	**72667**	**7332**	**10.09**	**78976**	**6107**	**7.73**
बी	**गैर प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	**37600**	**13746**	**36.56**	56193	7179	12.77
3	सेवाएं	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
4	व्यक्तिगत ऋण	**5902**	**281**	**4.76**	5982	216	3.61
	उप-योग्य (बी)	**43502**	**14027**	**32.24**	**62175**	**7395**	**11.89**
	कुल (ए+बी)	**116169**	**21359**	**18.39**	**141151**	**13502**	**9.56**

III. **एनपीए में संचलन**

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2017**		**31.03.2016**	
ङदिनांक 1 अप्रैल, 2016 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	**22721**		11873	
वर्ष के दौरान जुड़ा (नया एनपीए)	**10487**		15145	
उप-योग (ए)		**33208**		27018
घटाएं:-				
(ग) अपग्रेडेश	**1183**		608	
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)*	**2378**		1287	
एनपीए की बिक्री	**—**		1123	
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	**2327**		1245	
(iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे-खाते	**69**		34	
उप-योग (बी)		**5957**		4297
31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए (इति शेष) (ए-बी)		**27251**		**22721**

बी. तकनीकी बट्टे-खाते तथा वसूली :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों का प्रारंभिक शेष	**4627.55**	3382.01
जुड़ा: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	**2385.02**	1300.00
उप-योग (ए)	**7012.57**	4682.01
घटा: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों में की गई वसूली (बी)*	**57.94**	54.46
दिनांक 31 मार्च को इति शेष (ए-बी)	**6954.63**	**4627.55**

* नियमित बट्टे-खाते में ₹ 2.28 करोड़ (गत वर्ष ₹24.33 करोड़) के रूपांतरण सहित

IV. ओवरसीज आस्तियां, एनपीए तथा आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
कुल आस्तियां	**निरंक**	निरंक
कुल एनपीए	**निरंक**	निरंक
कुल आय	**निरंक**	निरंक

V. इतर तुल-पत्र प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुरुप समेकित करा आवश्यक है.)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	**विदेशी**
निरंक	निरंक

VI. प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		31.03.2017	31.03.2016
1.	प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की सं. ङ		**निरंक**	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि		**निरंक**	निरंक
3.	तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर के अनुपालन में रोके गए एक्सपोजर की राशि		**निरंक**	निरंक
	ए)	इतर तुलनपत्र एक्सपोजर	**निरंक**	निरंक
		प्रथम हानि	**निरंक**	निरंक
		अन्य	**निरंक**	निरंक
	बी)	तुलनपत्र एक्सपोजर	**निरंक**	निरंक
		प्रथम हानि	**निरंक**	निरंक
		अन्य	**निरंक**	निरंक

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए एक्सपोजर की राशि	**निरंक**	निरंक
	ए) इतर तुलनपत्र एक्सपोजर	**निरंक**	निरंक
	ग) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	**निरंक**	निरंक
	प्रथम हानि	**निरंक**	निरंक
	हानि	**निरंक**	निरंक
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	**निरंक**	निरंक
	प्रथम हानि	**निरंक**	निरंक
	अन्य	**निरंक**	निरंक
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर	**निरंक**	निरंक
	ग) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	**निरंक**	निरंक
	प्रथम हानि	**निरंक**	निरंक
	अन्य	**निरंक**	निरंक
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	**निरंक**	निरंक
	प्रथम हानि	**निरंक**	निरंक
	अन्य	**निरंक**	निरंक
* बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों से संबंधित एसपीवी को ही रिपोर्ट किया जाय.			

VII. अंतर्समूह एक्सपोजर :

(₹करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(ए)	अंतर्समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**664.59**	736.41
(बी)	टॉप 20 अंतर्समूह एक्सपोजर की कुल राशि, इस श्रेणी में केवल 6 कम्पनियां हैं	**664.59**	736.41
(सी)	उधारकर्ताओं/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर एवं अंतर्समूह -एक्सपोजर का प्रतिशत	**0.26%**	0.22%
(डी)	अंतर्समूह एक्सपोजर की सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं उस पर विनियामक कार्रवाई, कोई	**निरंक**	निरंक

VIII. जमाकर्ता शिक्षण /जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण :

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
डीईएएफ में अंतरण का प्रारम्भिक शेष	**32.72**	25.12
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरण	**29.17**	7.61
घटाएं : दावों के लिए डीईएएफ द्वारा पुनर्भुगतान की राशि	**00.20**	0.01
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	**61.69**	32.72

9. तरलता कवर

एलसीआर प्रकटीकरण

(₹करोड़ में)

		वित्त वर्ष 2016-17		वित्त वर्ष 2015-16	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		**65177.71**		35470.80
नकद बहिर्वाह					
2	रिटेल जमाएं एवं लघु व्यवसायी ग्राहको से जमाएं जिनमें:				
(i)	स्थिर जमाएं	**66905.03**	**3345.25**	58359.64	2917.98
(ii)	कम स्थिर जमाएं	**162127.87**	**16212.79**	140974.50	14097.45
3	अरक्षित थोक निधियन जिनमें:				
(i)	परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	**52479.69**	**23576.73**	31964.92	15948.56
(iii)	अरक्षित कर्ज	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
4	रक्षित थोक निधियन		**0.00**		0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिनमें				
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पार्श्विक एक्सपोजर सम्बन्धी बहिर्वाह लीसहू	**4071.93**	**4197.77**	6681.27	6681.27
(ii)	कर्ज उत्पादों के निधियन पर हानि सम्बन्धी बहिर्वाह	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएँ	**18815.67**	**2118.17**	19217.73	2332.39
6	अन्य अनुबन्धीय निधियन दायित्व	**1564.23**	**1585.56**	2221.08	2221.08
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	**23881.59**	**725.11**	21960.95	1022.49
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		**51761.37**		**45221.23**
नकद अंतर्वाह					
9	रक्षित उधारियां (अर्थात रिवर्स रेपो)	**8815.28**	**0.00**	385.83	0.00
10	पूर्णत: कार्यनिष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	**2428.47**	**2261.81**	1779.17	1279.17
11	अन्य नकद अंतर्वाह	**18192.44**	**12669.42**	18369.74	13678.17
12	कुल नकद अंतर्वाह	**29436.20**	**14931.23**	20534.74	14957.34
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	कुल एचक्यूएलए		**65177.71**		35470.80
14	कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह		**36830.14**		30263.90
15	तरलता कवरेज अनुपात (%)		**176.97**		117.20

एलसीआर गुणात्मक प्रकटीकरण

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) गुणात्मक प्रकटीकरण

एलसीआर के लिए आवश्यक प्रमुख मदें		व्याख्यात्मक टिप्पणियां
ए	एलसीआर परिणामों के प्रमुख संचालक एवं एलसीआर की गणना की निविष्टियों के योगदान का मूल्यांकन	एलसीआर परिणामों के मुख्य संचालक है 1. एलसीआर के संचालकों में उच्च गुणवत्ता तरल परिसम्पत्ति एक प्रमुख संचालक है. एचक्यूएलए का एक बड़ा घटक है- सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) एवं एलसीआर के अंतर्गत तरलता की सुविधा का उपयोग करना. एचक्यूएलए को प्रभावित करने वाले अन्य घटक है - सरकारी प्रतिभूतियों / सरकार द्वारा गारंटीकृत में निवेश करना. 2. एलसीआर संचालक का एक अन्य प्रमुख घटक नकदी बहिर्वाह भी है. नकदी बहिर्वाह के प्रमुख घटकों में, कम स्थाई रिटेल जमा अन्य विधिक इकाईयों से निधियन एवं शुद्ध डेरिवेटिव नकद बहिर्वाह. 3. एलसीआर संचालन का एक अन्य प्रमुख घटक नकद अंतर्वाह भी है. नकद अंतर्वाह के मुख्य घटक है - अन्य पक्ष द्वारा अंतर्वाह तथा शुद्ध डेरिवेटिव नकद अंतर्वाह.
बी.	अंतरावधि परिवर्तन एवं समयान्तराल में परिवर्तन	आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई / 2014-15/529 डीबीआर. नं. बीपी. बीसी. 80/21.06.201/2014-15, दिनांक 31 मार्च, 2015 के अनुसार एलसीआर की गणना को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है. आंकड़े पिछली तिमाही के अवलोकनों के साधारण मासिक औसत में प्रदर्शित किए जाए (90 दिन की अवधि के लिए औसत की गणना की जाती है) बैंकों को टेम्प्लेट में औसत आंकड़े की गणना में प्रयुक्त डाटा पॉइंट्स की संख्या प्रकाशित करनी चाहिए. दिनांक 1 जनवरी, 2017 से साधारण औसत की गणना पिछली तिमाही पर दैनिक अवलोकनों के आधार पर की जाए. आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई/2016-17/25 डीबीआर.बीपी. बीसी. नं.2/21.04.098/2016-17, दिनांक 21/07/2016 तरलता कवरेज अनुपात (एफएएलएलसीआर) के लिए तरलता का उपयोग करने की सुविधा जिसे स्तर-1 आस्ति में सम्मिलित किया जाना है, को एनडीटीएल के 8% से बढ़ाकर 9 % कर दिया गया है.
सी.	एचक्यूएलए की संरचना	एचक्यूएलए में निम्नलिखित होते है - 1. स्तर 1 परिसम्पत्तियां जिनमें एसएलआर निवेशों (रेपो, सीबीएलओ, एमएसएफ, सीआरओएमएस के विरुद्ध ऋणग्रस्त, आरटीजीएस, एसजीएफ, एमसीएक्स, एनएससीसीएल इत्यादि के लिए रेहन रखी अन्य प्रतिभूतियां) का आधिक्य, एमएसएफ के लिए लागू एनडीटीएल (एफएएलएलसीआर) का 2% एवं भारिबैं के दिशानिर्देशानुसार एनडीटीएल का 9% होता है.
		2. स्तर 2 ए परिसम्पत्तियां जिनमें राज्य सरकारों द्वारा जारी पॉवर बॉंडस, राज्य उर्जा संवितरण कंपनियों द्वारा जारी बॉंड्स, वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम.

एलसीआर के लिए आवश्यक प्रमुख मदें		व्याख्यात्मक टिप्पणियां
		3. स्तर 2 ए परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर ए ए एवं उच्च श्रेणी के निजी कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी बॉंड भी होते है.
		4. स्तर 2 बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर बीबीबी से ए श्रेणी के कॉर्पोरेट्स के बॉंड्स होते है.
		5. स्तर 2 बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर निफ्टी /सेंसेक्स शेयर भी शामिल होते है.
डी.	निधियन स्रोतों का संकेन्द्रीकरण	बैंक द्वारा अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी के निधियन, प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद / लिखत, प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर सतत निगरानी रखकर निधियन संकेन्द्रीकरण किया जाता है (''महत्वपूर्ण से तात्पर्य बैंक की देयताओं की 1% से अधिक राशि से है)
ई.	डेरिवेटिव एक्सपोजर्स एवं सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल्स	बैंक के डेरिवेटिव एक्सपोजर में निम्नलिखित होते है - 1. ओटीसी डेरिवेटिव्स ए- फॉरवर्ड्स बी- करेंसी स्वैप्स सी- ब्याज दर स्वैप्स 2. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरीवेटिव्ज ए- करेंसी फ्यूचर बी- ब्याज दर फ्यूचर सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल्स तब सक्रिय होते है जब लेनदेन एक्सचेंज में होता है अथवा उनका निपटान केन्द्रीय प्रतिपक्ष द्वारा किया जाता है और ये गारंटीकृत होने के साथ साथ प्रतिपक्षी पार्टियों में आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट का अनुलग्नक क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स हस्ताक्षरित किया होता है. हमारे करेंसी फ्यूचर्स एवं ब्याज दर फ्यूचर के अंतर्गत व्यापार के एक्सपोजर के लिए हम सम्पार्श्विक (जीसेक) के रूप में मार्जिन रखते है जो एक्सपोजर की राशि एवं बाजार की उथलपुथल पर आधारित होता है. हमारे सभी अंतर बैंक यूएसडी /आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवर्ड्स का निपटान सीसीआईएल के माध्यम से किया जाता है जो एक केन्द्रीय काउंटर पार्टी (सीसीडी) है. हमारे अंतर बैंक यूएसडी /आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवर्ड्स के गारंटीशुदा निपटान के लिए हम सीसीआईएल में हम सम्पार्श्विक (जीसेक) के रूप में मार्जिन रखते है. मार्जिन की राशि, एक्सपोजर की राशि एवं बाजार की उथलपुथल पर आधारित होती है. जब भी कॉल आता है तब अतिरिक्त मार्जिन की राशि एक्सचेंज /सीसीडी में रखी जाती है. वर्तमान में किसी भी प्रतिपक्ष के साथ हमारा क्रेडिट सपोर्ट अनेक्स नहीं है. अत: कोई भी सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल उत्पन्न नहीं होगा.
एफ.	एलसीआर में मुद्रा का बेमेल होना	सम्भाव्य मुद्रा के बेमेल को रोकने के लिए एलसीआर में प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर नजर रखी जाती है. कोई मुद्रा महत्वपूर्ण तब कहलाती है जब उस मुद्रा में धारित कुल देयताएं बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक हो जाती है. बैंक में फिलहाल मुद्रा का कोई बेमेल नहीं है क्योंकि हमारा महत्वपूर्ण में एक्सपोजर नहीं है.

एलसीआर के लिए आवश्यक प्रमुख मदें		व्याख्यात्मक टिप्पणियां
जी.	तरलता प्रबंधन केन्द्रीकरण की मात्रा एवं ग्रुप की ईकाइयों के बीच संबंध	बैंक का तरलता प्रबंधन केन्द्रीकृत है जिस पर एएलएम एवं ट्रेजरी टीम द्वारा निगरानी रखी जाती है. ट्रेजरी, सीबीएस, एएलएम टीम एवं अन्य कार्यमूलक ईकाइयों में सुचारु संबंध है.
एच.	एलसीआर की गणना में अन्य अंतर्वाह एवं बहिर्वाह जो साधारणतया एलसीआर की पकड़ में नहीं आते है परंतु संस्था द्वारा इन्हें अपनी तरलता प्रोफाइल के संबंध में संगत समझा जाता है.	कोई नहीं.
आई.	अन्य सूचना	बैंक ने ₹ 22991.22 करोड़ का आईबीपीसी लेनदेन (आईबीपीसी उधारी) किया है जिसे एलसीआर गणना में घटक बनाया गया है.

10. अन्य प्रकटीकरण

बीमा व्यवसाय :

वर्तमा वर्ष के दौरान बैंकाश्युरैन्स व्यवसाय के सम्बंध में शुल्क/परिलब्धियां निम्नानुसार रहीं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17		2015-16	
	पॉलिसियों की संख्या	**राशि**	**पॉलिसियों की संख्या**	**राशि**
जीवन	**25427**	**6.78**	35368	8.56
गैर-जीवन बीमा	**244012**	**10.00**	279241	10.54
योग		**16.78**		**19.10**

11. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंस ऑफ इंडिया के द्वारा जारी लेखा मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की गई है:

ए) लेखांकन मानक - 9

नई लेखांकन नीति क्र. 8 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की की गई है. तथापि, कथित आय को महत्त्वपूर्ण नहीं माना गया है.

बी) लेखांकन मानक - 15 (संशोधित)

कर्मचारी लाभ :

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
	उपदान	**पेंशन**	उपदान	पेंशन
सारणी में सुपरिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन पर्दर्शित है :				
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	**1490.34**	**11153.04**	1308.74	9713.80
ब्याज लागत	**116.92**	**869.55**	100.34	743.14
चालू सेवा लागत	**50.26**	**86.00**	41.80	90.20
गत सेवा लागत (अनिहित)	**0**	**0**	0	0
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	**0**	**0**	0	0
देयता अंतरण	**0**	**0**	0	0
देयता अंतरण बाह्य	**0**	**0**	0	0
प्रदत्त लाभ	**(180.07)**	**(901.19)**	(167.28)	(912.59)
बीमांकिक (लाभ)/हानि दायित्व	**369.68**	**1276.68**	206.74	1518.49
वर्ष के अंत में देयताएं	**1847.13**	**12484.08**	1490.34	11153.04
उचित मूल्य पर योजना आस्तियां की सारणी :				
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	**1493.19**	**10659.96**	1212.31	9312.55
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	**129.55**	**958.12**	128.08	899.78
अंशदान	**204.15**	**1678.00**	343.50	1486.00
अन्य कंपनी से अंतरण	**0**	**0**	0	0
कंपनी से अंतरण	**0**	**0**	0	0
प्रदत्त लाभ	**(180.07)**	**(901.19)**	(167.28)	(912.59)
योजना आस्तियों की बीमांकिक (लाभ)/हानि	**9.91**	**25.11**	(23.42)	(125.78)
समाप्त वर्ष पर उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	**1656.73**	**12420.00**	1493.19	10659.96
मान्यता प्राप्त कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(359.77)**	**(1251.57)**	(230.16)	(1644.26)

विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
आय विवरण में स्वीकृत व्यय :				
चालू सेवा लागत	**50.26**	**86.00**	41.80	90.20
ब्याज लागत	**116.92**	**869.55**	100.34	743.14
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	**(129.55)**	**(958.12)**	(128.08)	(899.78)
स्वीकृत गत सेवा लागत (अनिहित)	**0**	**0**	0	0
स्वीकृत गत सेवा लागत (निहित लाभ)	**0**	**0**	0	0
स्वीकृत संक्रमित देयता	**0**	**0**	0	0
बीमांकिक लाभ/हानि	**359.77**	**1251.57**	230.16	1644.26
पी एवं एल में स्वीकृत व्यय	**397.40**	**1249.00**	244.22	1577.83
मूल बीमांकिक पूर्वधारणा का प्रयोग (%)				
चालू छूट दर	**7.27**	**7.45**	8.06	8.06
चालू योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर	**7.27**	**7.45**	8.06	8.06
वेतन वृद्धि दर	**5.00**	**5.00**	5.00	5.00
आकर्षक दर	**0.50**	**0.50**	0.50	0.50

सी) लेखांकन मानक 17 - खंडवार रिपोर्टिंग

i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है

BUSINESS SEGMENTS

(Rs. In Cr)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Revenue	7,529.68	7,375.64	11,932.63	13,114.97	8,364.37	7,812.40	-	-	27,826.68	28,303.01
Result	256.73	824.61	(3,321.33)	(52.28)	496.79	239.56	-	-	(2,567.80)	1,011.89
Unallocated Expenses									101.68	121.50
Operating Profit									(2,669.48)	890.39
Income Taxes									(1,251.29)	283.95
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit									(1,418.19)	606.44
Other Information:										
Segment Assets	108,289.36	109,736.17	116,235.07	120,997.18	74,554.90	76,744.76	-	-	299,079.33	307,478.11
Unallocated Assets									6,382.39	4,462.39
Total Assets									305,461.72	311,940.50
Segment Liabilities	109,385.17	109,916.82	108,685.14	112,794.64	69,712.27	71,542.14	-	-	287,782.58	294,253.60
Unallocated Liabilities									-	110.01
Total Liabilities									287,782.58	294,363.61

* जहां प्रत्यक्ष आबंटन सम्भव नहीं है, वहां खंडवार आस्तियों के आधार पर खंडवार राजस्व एवं खर्चों का विनियोजन किया गया है. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है.

ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं.

iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक निवेश के अधीन है.

iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.

v) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.

vi) सामान्य बैंकिग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियो के लिए पूरक का कार्य करता है.

डी) लेखा मानक 18 के अनुसार सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण - सम्बद्ध पार्टी

1. सम्बद्ध पार्टियों की सूची :

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	
i)	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii)	श्री बी.के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री पी. आर. मूर्ती (दिनांक 17.02.2017 से)	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री आर. के. गोयल (दिनांक 31.12.2016 तक)	कार्यपालक निदेशक
v)	डॉ. आर.सी. लोढ़ा (दिनांक 28.02.2017 तक)	कार्यपालक निदेशक

(बी) अनुषंगियां

i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड.

ii) सेन्ट बैंक फाइनैन्शियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड.

(सी) सहयोगी

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -

i) सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक

ii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

iii) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार

(II) इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड.

2. सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन :

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रदत्त पारिश्रमिक :

नाम पदनाम	पदनाम प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	
		2016-17	**2015-16**
श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**28.70**	29.64
श्री बी.के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक	**23.11**	23.15
श्री पी. आर. मूर्ती (दिनांक 17.02.2017 से)	कार्यपालक निदेशक	**2.58**	-
श्री आर. के. गोयल (दिनांक 31.12.2016 तक)	कार्यपालक निदेशक	**38.94**	25.62
डॉ. आर.सी. लोढ़ा (दिनांक 28.02.2017 तक)	कार्यपालक निदेशक	**39.54**	17.76
श्री अनिमेष चौहान	कार्यपालक निदेशक	**-**	4.13
कुल		**132.87**	**100.30**

नोट : आईसीएआई द्वाराजारी एएस-18, सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण के अनुच्छेद 9 के अनुसार अनुषंगियों एवं सहायक उद्यमों के लेनदेनों का प्रकटीकरन नहीं किया गया है क्योंकि यह राज्य नियंत्रित उद्यम द्वारा किसी अन्य सम्बद्ध राज्य नियंत्रित उद्यम से सम्बंधित लेनदेन के प्रकटीकरण न करने की छूट देता है.

ई) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है :

	31.3.2017	**31.3.2016**
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	**(2439.10)**	(1418.19)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	**1827463465**	1658359086
प्रति शेयर मूल आय (₹)	**(13.35)**	(8.55)
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	**(13.35)**	(8.55)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	**10**	10.00

एफ) लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

आरबीआई द्वारा सीईटी1 की परिगणना में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2017 को ₹2353.68 करोड़ आस्थगित कर आस्तियों के रूप में अभिचिह्नित किए गए हैं. दिनांक 31 मार्च, 2017 को आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2017	**31.03.2016**	**31.03.2017**	**31.03.2016**
व्यवसायिक हानि	**0.00**	**34.01**		
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास		**12.59**	29.45	
निवेश पर मूल्यह्रास	**0.00**	**33.30**		
कर्मचारी लाभ	**0.00**	**5.52**		

(₹करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं			516.53	517.19
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**194.11**	**194.11**		
ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	**2740.16**	**1360.55**		
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि			34.61	34.61
योग	**2934.27**	**1640.08**	**580.59**	**551.80**
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	**2353.68**	**1088.28**		

जी) लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां है, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है. प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2017 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है. जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

एच) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर - लेखांकन मानक 29

(i) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ-हानि खाते के शीर्ष 'व्यय' के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का ब्रेक-अप	**31.3.2017**	**31.3.2016**
निवेश पर प्रावधान/ह्रास	**394**	848
एनपीए हेतु प्रावधान	**6216**	4913
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	**(164)**	(15)
कर हेतु किए गए प्रावधान	**(1090)**	(1251)
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान	**321**	(1235)
अन्य प्रावधान	**(150)**	501
कुल	**5527**	**3761**

(ii) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	**31.3.2017**	**31.3.2016**
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	**100.56**	100.56
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	**-**	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	**-**	-
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	**100.56**	100.56

(iii) **प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर :**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2017	31.3.2016
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	**47.34**	47.34
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	**-**	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	**-**	-
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	**47.34**	47.34

(iv) **देयताओं हेतु प्रावधान में कमी/बढ़ोत्तरी :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2017	31.3.2016
प्रारंभिक शेष	**1.66**	1.66
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**-**	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	**-**	-
अंतिम शेष	**1.66**	1.66
किसी परिणामी आउटफ्लो का समय	**लागू नहीं**	लागू नहीं

12. शिकायतों का विवरण

	ग्राहकों की शिकायतें (एटीएम एवं सेन्ट्रल कार्ड को छोड़कर)	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2017	31.03.2016
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	**288**	396
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	**11000**	12559
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	**10607**	12667
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	**681**	288

	बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय	सं.	
		31.03.2017	31.03.2016
ए)	वर्ष की शुरुआत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	**निरंक**	निरंक
बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की संख्या	**निरंक**	निरंक
सी)	वर्ष के दौरान लागू अधिनिर्णयों की संख्या	**निरंक**	निरंक
डी)	वर्ष के अंत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	**निरंक**	निरंक

	निवेशकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2017	31.03.2016
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	**0**	0
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	**246**	236
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	**246**	236
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	**0**	0

एटीएम लेनदेनों के सम्बन्ध में शिकायतें

	ग्राहक शिकायत	31.03.2017	31.03.2016
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**221**	144
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**134206**	79599
सी)	वर्ष के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	**131621**	79522
डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**2806**	221

सेन्ट्रल कार्ड लेनदेनों के सम्बन्ध में शिकायतें

	ग्राहक शिकायत	31.03.2017	31.03.2016
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**11**	221
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**7794**	69992
सी)	वर्ष के दौरान निपटाई गयी शिकायतों की संख्या	**7805**	70202
डी)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**0**	11

13. दिनांक 31.03.2015 को बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र एवं बकाया राशि का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र	2948.85	2137.83
वर्ष के दौरान परिपक्व/निरस्त चुकौती आश्वासन पत्र	2971.23	4146.44
समाप्त वर्ष पर बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	1273.57	1295.95

14. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

पीसीआर (प्रावधान-सकल एनपीए अनुपात) 58.43% (गत वर्ष 51.52%).

15. प्रबंधतंत्र द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वे वेंडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं. इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

16. अरक्षित विदेशी मुद्रा का एक्सपोसर :

दिनांक 31.03.2017 को आरक्षित विदेशी मुद्रा का एक्सपोजर ₹18322.28 करोड़ हुआ था.

दिनांक 31.03.2017 को धारित प्रावधान : ₹41.53 करोड़.

17. धोखाधड़ी हेतु प्रावधान :

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2015-16/376/डीबीआरसं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2016-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार धोखाधड़ी एवं प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की सं.	समाहित राशि	किया गया प्रावधान	अपरिशोधित प्रावधान	दिनांक 31.03.2017 को अपरिशोधित प्रावधान
2016-17	186	801.54	801.54	निरंक	निरंक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की सं.	समाहित राशि	किया गया प्रावधान	अपरिशोधित प्रावधान	दिनांक 31.03.2017 को अपरिशोधित प्रावधान
2015-16	218	178.22	138.91	39.31	निरंक

18. ऋण चूक स्वैप

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट स्वैप पर स्थिति तय नहीं की है.

19. सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं. 6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की प्रबंधतंत्र द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है.

20. दिनांक 31.03.2017 को कार्यनीतिक कर्ज पुनर्गठन योजना पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में है):

खातो की संख्या जिनमें एसडीआर वापस लिया गया है	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि		जिन खातों में कर्ज को इक्विटी में परिवर्तित करना लम्बित है, उनके संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि		जिन खातों में कर्ज, इक्विटी में परिवर्तित हो चुका है, उनके संबंध में रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
14	2849.44	0	1113.28	0	1736.16	0

21. दिनांक 31.03.2017 को क्रियान्वयन (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में है) के अंतर्गत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

उन परियोजना ऋण खातों की सं. जिनमें बैंक ने स्वामित्व परिवर्तन प्रभावितकरने का निर्णय लिया है.	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुनर्गठित मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
1	27.82	27.82	0

22. दिनांक 31.03.2017 को दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) के धारणीय पुनर्गठन की योजना पर प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

	वे खाते जिनमें एस4ए लागू किया गया है	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
			भाग - ए में	भाग-बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत	5	933.22	511.35	421.87	186.64
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	0	0	0	0	0

23. वर्तमान ऋणों का लोचनीय पुनर्गठन पर प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

अवधि	लोचनीय पुनर्गठन के लिए विचारित उधारकर्ताओं की सं.	लोचनीय पुनर्गठन के लिए विचारित ऋण राशि		लोचनीय पुनर्गठन के लिए विचारित ऋणों का भारित औसत एक्सपोजर अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लोचनीय पुनर्गठन लागू करने से पूर्व	लोचनीय पुनर्गठन लागू करने के पश्चात
दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	6	629.11	0.00	7.56	18.08
दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	8	2454.66	1901.71	4.95	14.84

24. दिनांक 31.03.2017 को एसडीआर योजना (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में है) से बाहर स्वामित्व परिवर्तन पर प्रकटीकरण :

उन खातों की सं. जिनमें बैंक ने स्वामित्व परिवर्तन का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि		रिपोर्टिंग तारीख को उन खातों में बकाया राशि जिनमें कर्ज का इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयरों गिरवी वापस लेना लम्बित है		रिपोर्टिंग तारीख को उन खातों में बकाया राशि जिनमें कर्ज का इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयरों गिरवी वापस लेना हो चुका है		रिपोर्टिंग तारीख को उन खातों में बकाया राशि जिनमें स्वामित्व परिवर्तन नए शेयर जारी करके अथवा प्रवर्तकों की इक्विटी के विक्रय द्वारा किया गया है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

25. आस्ति गुणवत्ता में विचलन एवं एनपीए के लिए प्रावधान पर प्रकटीकरण :

चूंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताएं तथा अतिरिक्त सकल एनपीए क्रमश: प्रकाशित कर पश्चात शुद्ध हानि एवं वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक है. अत: आस्ति गुणवत्ता में विचलन एवं एनपीए के लिए प्रावधान के संबंध में भा.रि.बैं. के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18.04.2017 निम्नानुसार प्रकटीकरण किया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण राशि	राशि
1.	दिनांक 31.03.2016 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए सकल एनपीए	22720.88
2.	दिनांक 31.03.2016 को भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित सकल एनपीए	24818.03
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	2097.15
4.	दिनांक 31.03.2016 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए शुद्ध एनपीए	13241.80
5.	दिनांक 31.03.2016 को भा.रि.बै. द्वारा आंकलित शुद्ध एनपीए	14644.35
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (5-4)	1402.55

क्रम सं.	विवरण राशि	राशि
7.	दिनांक 31.03.2016 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	8238.00
8.	दिनांक 31.03.2016 को भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित एनपीए के लिए प्रावधान	8932.60
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	694.60
10.	दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी)	(1418.19)
11.	प्रावधान में विचलन को शामिल करते हुए दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात समायोजित (काल्पनिक) शुद्ध लाभ (पीएटी)	(2112.79)

26. सामान्य श्रेणी के अंतर्गत बेचे गए प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	लेनदेन तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर (%)	आय (₹ करोड़ में)
1.	23.09.2016	200.00	1.90	3.80
2.	01.03.2017	300.00	1.00	3.00
3.	31.03.2017	65.00	0.10	0.07
4.	31.03.2017	500.00	0.05	0.25
	कुल	**1065.00**		**7.12**

27. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुन:वर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके.

(पी. रमण मूर्ती)
कार्यपालक निदेशक

(बी.के.दिवाकर)
कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ एन.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए अंबेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 052438

कृते में एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 000478एन

(सीए एस. के. मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 010870

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2017	31- 03- 2016
ए	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	करों पूर्व लाभ/ (हानि)	**(3,528.90)**	(2,669.48)
I	**समायोजन हेतु :**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	**257.37**	239.43
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	**394.42**	850.61
	अशोध्य अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	**6,215.97**	5,397.47
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**(163.81)**	(1,250.42)
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	**170.95**	314.76
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ/हानि) (शुद्ध)	**1.24**	(74.31)
	अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	**(12.82)**	(10.03)
	उप योग	**3,334.42**	**2,798.03**
II	**समायोजन हेतु :**		
	जमा में वृद्धि (कमी)	**30,487.00**	10,611.80
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	**657.56**	(16,766.24)
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**(2,511.47)**	(978.09)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**34,394.85**	4,320.89
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**(3,621.76)**	21.81
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	**197.62**	1,246.79
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की राशि इत्यादि सहित)	**(1,090.91)**	(946.83)
	उप योग	**58,512.89**	**(2,489.87)**
	परिचालनात्मक गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	**61,847.31**	**308.16**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2017	31- 03- 2016
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	**3.06**	117.07
	अचल आस्तियों की खरीद	**(191.53)**	(305.97)
	सहयोगी/अनुषंगी से प्राप्त लाभांश	**12.82**	10.03
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	**(175.65)**	**(178.87)**
सी	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	**1,453.79**	165.57
	शेयर आवेदन राशि	**100.00**	535.00
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर्स	**-**	(82.91)
	लाभांश कर	**-**	(16.18)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	**1,553.79**	**601.48**
डी	**नकद एवं नकद तुल्य (₹बी₹सी) या (एफ-ई) में शुद्ध वृद्धि**	**63,225.45**	**730.77**
ई	**वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य**		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	**14,069.51**	14,114.85
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**1,471.54**	695.43
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	**15,541.05**	14,810.28
एफ	**वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष**		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	**75,086.76**	14,069.51
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	**3,679.74**	1,471.54
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	**78,766.50**	**15,541.05**

पी. रमण मूर्ती	**बी.के. दिवाकर**	**राजीव ऋषि**
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2017

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ एन.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए अंबेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 052438

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते में एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 000478एन

(सीए एस. के. मेहता)
भागीदार
सदस्यता सं. 010870

उपर्युक्त तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2017

दिनांक 31.03.2017 को पिलर 3 (बासेल II) का प्रकटीकरण

तालिका डीएफ - 1

1. संभावित प्रयोज्य क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ए. मूल बैंक: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

इस शीट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एकल आधार में प्रकटीकरण है.

बी. समेकित खातों में, बैंक की अनुषंगी/सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार है:

(बी.i) बैंक की अनुषंगी: बैंक की अनुषंगियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अनुषंगी का नाम	स्वामित्व
1	सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड	64.40%
2	सेन्ट बैंक फाइनेन्शि्यल सर्विसेज़ लिमिटेड	100%

मूल बैंक की अनुषंगियों का समेकन, मूल बैंक की संबंधित मदों के समान अनुषंगियों की आस्तियों, देयताएं, आय एवं खर्चों के मदवार समामेलन में से लेखांकन नीतियों की पुष्टि करने के लिए अंतर्समूह शाखाओं/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानि आवश्यक समायोजनों, अनुषंगियों से संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर किया गया है. अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तारीख मूल बैंक के अनुसार ही अर्थात 31 मार्च, 2017 रखी गई है. अनुषंगियों के वित्तीय विवरणियों के समेकन में एएस-21 लेखांकन मानक अपनाए गए है.

(बी.ii) सहयोगी संस्थाएं: बैंक की सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम**	**स्वामित्व**
I	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**	
1	सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा	35%
2	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर	35%
3	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार	35%
II	**इंडो-जाम्बिया बैंक लि., जाम्बिया.**	20%

समेकित वित्तीय विवरणियों में एसोशिएट्स में निवेशों के लेखाकरण के लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मान एएस-23 अपनाए गए है.

इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक एसोशिएट के वित्तीय विवरण अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक एसोशिएट्स वित्तीय संस्थाओं की प्रकृति की है.

बैंक के सीआरएआर की गणना के लिए, अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, बैंक के निवेश को टियर ६एवं टियर II पूंजी में से समान रूप से घटाया गया है.

सीआरएआर की गणना बैंक के एकल आधार पर की गई है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(सी) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

(डी) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है तथा उनके नाम, निगमन अथवा निवास के उनके देश, स्वामित्व हित का समानुपात और, यदि अलग है, इस संस्थानों में मताधिकार का समानुपात है: निरंक

तालिका डीएफ - 2

2. पूंजी विन्यास

गुणात्मक प्रकटीकरण

ए) इक्विटी पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 5000.00 करोड़ है; बैंक द्वारा जारी ₹10 मूल्य के 1902170964 शेयरों के साथ, अभिदत्त तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी ₹ 1902 करोड़ है.

दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति को उक्त में से 81.28% शेयरधारिता भारत सरकार के अधीन है, जिसमें कुल 1546139179 शेयर्स हैं.

2.1 ऋण पूंजी लिखत

2.2.1 टियर I पूंजी का विवरण

टियर I पूंजी	जारी तिथिअवधि माह में	अवधि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
आईपीडीआई	**28.09.2012**	**अविरतअविरत**	**अविरत**	**139.10**	**9.40% प्र.व.**
			कुल	**139.10**	

2.2.2 अपर टियर II बॉण्ड का विवरण

सीरीज	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
अपर टियर II (सी-I)	14.11.2008	14.11.2023	300.00	11.45% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 11.95%)
अपर टियर II (सी-II)	17.02.2009	17.02.2024	285.00	9.40% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.90%)
अपर टियर II (सी-III)	23.06.2009	23.06.2024	500.00	8.80% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.30%)
अपर टियर II (सी-IV)	20.01.2010	20.01.2025	500.00	8.63% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.13%)
अपर टियर II (सी-V)	11.06.2010	11.06.2025	1000.00	8.57% प्र.व. 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.07%)
अपर टियर II (सी-VI)	21.01.2011	21.01.2026	300.00	9.20% प्र.व. प्रतिदेय तक
		कुल	**2885.00**	

2.2.3 गौण बॉण्ड का विवरण

न्यूनतर टियर II सीरीज़	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
XII	03.03.2008	03.05.2017	389.10	9.20% प्र.व.
XIII	10.02.2009	10.04.2018	270.00	9.35% प्र.व.
XIV	21.12.2011	21.12.2026	500.00	9.33% प्र.व.
		कुल	**1159.10**	

2.2.4 बासल III अनुपालित बांड का विवरण-टीयर 2

टीयर II सीरीज	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
एसआर I	08.11.2013	08.11.2023	1000.00	9.90% प्र.व.
एसआर II	07.03.2017	07.05.2027	500.00	8.62.% प्र.व.
		कुल	1500.00	

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

₹ करोड़ में

(बी) टियर 1 पूंजी	**12358**
निम्न के अलग प्रकटीकरण के साथ:	
■ प्रदत्त शेयर पूंजी	**1902**
■ आरक्षित निधियां	**12822**
■ नवोन्मेष लिखत: आईपीडीआई -	**139**
■ टियर 1 पूंजी से घटाई गई राशि	
निवेश -	**152**
अमूर्त आस्तियां - डीटीए	**2354**
(सी) टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी मे से कटौतियों का शुद्ध):	**7112**
(डी) अपर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत	
■ कुल बकाया राशि-	**2885**
■ इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि -	निरंक
■ पूंजी कोष के रूप में परिकलित की जाने वाली पात्र राशि -	**2885**
(ई) लोअर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र गौण ऋण	
■ कुल बकाया राशि -	**2659**
■ इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि -	**500**
■ पूंजी कोष के रूप में परिकलित की जाने वाली पात्र राशि -	**2054**
(एफ) पूंजी से अन्य कटौतियां -	**152**
(जी) कुल पात्र पूंजी	**19470**

तालिका डीएफ - 3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश:

पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आने वाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएं, ऐसे जोखिम जो पिलर I के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गई तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रैस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

बैंक ने पूंजी पर्याप्ता की गणना के लिए अग्रिम अभिगम को स्थानांतरित करने की पहल की है, अग्रिम अभिगम के स्थानांतरण के लिए बैंक ने पहले ही कंसल्टेंट एण्ड सिस्टम इंटेग्रटर वेंडर को नियुक्त किया है.

	₹ करोड़ में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(बी) 9% ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो -	
▪ निधि आधारित	11363
▪ गैर-निधि आधारित	1160
▪ प्रतिभूति एक्सपोजर	निरंक
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
▪ मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण:	
- ब्याज दर जोखिम -	736
- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) -	4
- इक्विटी जोखिम -	753
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
▪ मूल संकेतक दृष्टिकोण -	1181
(ई) कुल पूंजी अनुपात -	11.28%
टियर 1 पूंजी अनुपात	7.16%

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने प्रत्येक जोखिम के समझौते के लिए शीर्ष प्रबंधतंत्र की जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक समिति निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन समिति, ऋणनीति समिति, परिचालन जोखिम समिति. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु पूरे वर्ष नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते है.

केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के शीर्षस्थ महाप्रबंधक हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा विविध समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते है. महाप्रबंधक को उप महाप्रबधंक,एवं सहायक महाप्रबन्धकों, मुख्य प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रबंधकों एवं प्रबधंकों की टीम द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है.

सभी आंचलिक कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में, जोखिम प्रबंधकों को, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में नियुक्त किया जाता है.

बैंक में विविध नीतियां है जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, समनवित जोखिम प्रबंधन नीति, स्ट्रैस टेस्ट नीति, प्रकटीकरण नीति, परिचालन जोखिम नीति, एएलएम नीति तथा निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति.

इसके अलावा, ऋण नीति शासी ऋण कार्य-पद्धति के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं तथा ऋण पोर्टफोलियो दस्तावेजीकरण की निगरानी एवं नियंत्रण पर दिशानिर्देश भी सुव्यवस्थित है.

महाप्रबंधक द्वारा प्रशासित्ऋण मॉनिटरिंग विभाग ऋण प्रस्तावों की गुणवत्ता, विशेष उल्लिखित खातों की पहचान एवं उनके सुधारक उपाय को मॉनिटर करते हैं. सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत खातों की प्रसंस्करण एवं निगरानी के आलावा ऋण प्रस्ताव की समीक्षा प्रणाली भी विभाग द्वारा तैयार की जाती है.

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली के साथ उधारग्रहिताओं के विविध खंडों के लिए रेटिंग मॉडल की शुरूआत की है, जो कि काउंटर ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा ऋण एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है. बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल काउन्टर ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा प्रत्येक ऐसे जोखिम का पृथक रूप से मूल्यांकन करती है तथा फिर समग्र रेटिंग, काउन्टर पार्टी को प्रदान की जाती है. ऋण सुविधा रेटिंग टूल भी रेटिंग टूल में ही शामिल है

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

गत देय तथा अनर्जक की परिभाषाएं

अनर्जक आस्तियां वह है जहां ऋण या अग्रिम-

(i) मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;

(ii) 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,

(iii) खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,

(iv) कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में

ए) अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,

बी) दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो.

(v) प्रतिभूतिकरण पर् दिनांक 1 फरवरी 2006 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के सम्बन्ध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहती हो.

(vi) डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक बाज़ार चिन्हित् मूल्य को व्यक्त करती अतिदेय प्राप्तियां यदि ये भुगतान की निर्धारित तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती हों

अनियमित:

कोई खाता तब ''अनियमित'' दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

- ऋण जोखिम - निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूनीकरण तकनीक,

- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- किसी देश में किसी बैंक का ऋण एवं मुद्रा,
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,
- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं,
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- किसी देश में किसी बैंक के ऋण तथा परिचालन सम्बंधी मामले.

	(₹ करोड़ में)
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारित:	320929
गैर-निधि आधारित:	34135
(बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:	
■ विदेशी	23
■ घरेलु	355042

(सी) (₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम		निधि	गैर-निधि
ए.	खनन एवं उत्खनन (ए.1 + ए.2)	214	145
	ए.1 कोयला	78	140
	ए.2 अन्य	136	5
बी.	खाद्य प्रसंस्करण (बी1 से बी5 तक)	7509	2677
	बी.1 चीनी	2946	558
	बी.2 वनस्पति तेल एवं वनस्पति	1267	1513
	बी.3 चाय	272	1
	बी.4 कॉफी	2	0
	बी.5 अन्य	3022	606
सी.	पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त) एवं तम्बाकू	195	0
	सी.1 तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	10	0
	सी.2 अन्य	185	0
डी.	टेक्सटाईल	7265	1809
	डी.1 सूती	3517	232
	डी.2 जूट	146	36
	डी.3 मानव-निर्मित,	17	0

उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि
डी.4. अन्य	3585	1542
डी में से (अर्थात, कुल कपड़ा) कताई मिल को	86	0
ई. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	78	12
एफ. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	101	46
जी. कागज एवं कागज के उत्पाद	571	283
एच. पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लियर ईधन	1193	148
आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि) (आई1 से आई4 तक)	4273	1145
आई.1 उर्वरक	1336	2
आई.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकलस	1335	806
आई.3 पेट्रो कैमीकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत)	368	36
आई.4 अन्य	1234	301
जे. रबर प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	256	95
के. कांच एवं कांच के सामान	48	2
एल. सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	1791	199
एम. मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1 + एम.2)	12385	2668
एम.1 लोहा एवं स्टील	9687	2183
एम.2 अन्य धातु एवं धातु	2698	485
एन. सभी अभियात्रिकी (एन.1 + एन.2)	5070	5187
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	797	130
एन.1 अन्य	4273	5057
ओ. वाहन, वाहन पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	925	791
पी. रत्न एवं आभूषण	1803	400
क्यू. निर्माण	7363	1669
आर. बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	49219	3724
आर.ए. परिवहन (ए.1 से ए.6 तक)	10573	564
आर.ए.1 रोड एवं ब्रिज	6933	285
आर. ए.2 बंदरगाह	685	60
आर.ए.3 आंतर्देशीय जलमार्ग	108	0
आर ए.4 एयरपोर्ट	1262	7
आर ए.5 रेलवे ट्रैक, टनल, सेतु, ब्रिज	1583	212
आर.ए.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी रोड यातायात के मामलों में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	4	0
बी. ऊर्जा(बी1 से बी 6 तक)	29799	753
बी.1 विद्युत (उत्पादन)	13539	645
बी.1.1 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1353	0
बी.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	3331	350
बी.1.3 निजी क्षेत्र	8856	295
बी.2 विद्युत (परिचालन)	895	90
बी.2.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0	0
बी.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	370	90
बी.2.3 निजी क्षेत्र	525	0

उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि
बी.3 विद्युत (वितरण)	13174	18
बी.3.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0	0
बी.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	13146	0
बी.3.3 निजी क्षेत्र	28	18
आर.बी.4 तेल पाइप लाईन	1123	0
आर.बी.5 तेल/गैस/द्रवरूप प्राकृतिक गैस (एलएनजी) संग्रहण सुविधा	841	0
आर.बी.6 गैस पाइप लाइन	227	0
आर.सी. जल एवं स्वच्छता (सी.1 से सी.7)	1085	38
आर.सी.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	80	0
आर.सी.2 जल आपूर्ति पाइप लाइन	0	0
आर.सी.3 जल शुद्धिकरण संयंत्रों	309	38
आर.सी.4 सीवेज संग्रहण, शुद्धिकरण और निपटान प्रणाली	696	0
आर.सी.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध)	1	0
आर.सी.6 तूफानी जल निकासी व्यवस्था	0	0
आर.सी.7 पिच्छल पाइप लाइन	0	0
आर.डी. सम्प्रेषण (डी.1 से डी.3)	3051	2116
आर.डी.1 दूर-संचार (फिक्सड नेटवर्क)	0	0
आर.डी.2 दूर-संचार टॉवर	2145	0
आर.डी.3 दूर-संचार एवं टेलीकॉम सेवाएं	906	2116
आर.ई. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना (ई.1 से ई.9)	3812	49
आर.ई.1 शैक्षणिक संस्थान (कैपिटल स्टॉक)	1152	32
आर.ई.2 हॉस्पिटल	368	0
आर.ई.3 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बाहर स्थित तीन-स्टार अथवा उच्च श्रेणी में वर्गीकृत होटल	498	12
आर.ई.4 औद्योगिक पार्क, सेज, पर्यटन सुविधाओं एवं कृषि बाजार के लिए समान बुनियादी संरचना	1722	5
आर.ई.5 उर्वरक (पूंजी निवेश)	40	0
आर.ई.6 कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि एवं बागवानी उत्पादों के लिए कटाई पश्चात स्टोरेज हेतु बुनियादी संरचना	32	0
आर.ई.7 टर्मिनल मार्केट	0	0
आर.ई.8 मिट्टी परिक्षण प्रयोगशाला	0	0
आर.ई.9 कोल्ड श्रृंखला	0	0
आर.एफ. अन्य,यदि कोई हो, कृपया उल्लेख करें	898	203
एस. अन्य उद्योग, कृपया उल्लेख करें	9896	405
सभी उद्योग (ए से एस तक)	110157	21405
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	114463	5263
कुल	**224620**	**26668**

(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण:

1 दिन :	4259
02 दिनों से 07 दिनों तक:	2975
08 दिनों से 14 दिनों तक:	1417
15 दिनों से 30 दिनों तक:	5070
31 दिनों से 3 महीनों तक:	5104
3 महीनों से अधिक, परंतु 6 महीनों तक:	5003
6 महीनों से अधिक, परंतु 12 महीनों तक:	8459
12 महीनों से अधिक, परंतु 36 महीनों तक:	74114
36 महीनों से अधिक, परंतु 60 महीनों तक:	23799
60 महीनों से अधिक :	101294
कुल	**231494**

(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) -	**27251**
▪ अवमानक	6033
▪ संदिग्ध	20536
▪ हानि	682
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां	**14218**
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात	
▪ सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	17.81%
▪ निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	10.20%
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में संचलन	
▪ प्रारम्भिक शेष	22721
▪ परिवर्धन	10488
▪ कमियां	5957
▪ अनर्जक आस्तियां (सकल)	27251

(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों (शुद्ध) में संचलन	
▪ प्रारम्भिक शेष	8238
▪ अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	6028
▪ बट्टा खाता	-
▪ अपलिखत अतिरिक्त प्रावधान	2403
▪ अंतिम शेष	11862
(जे) अनर्जक निवेश की राशि	560
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि	389
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यह्रास में परिवर्तन:	
▪ प्रारम्भिक शेष	1027
▪ इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	768
▪ बट्टा खाता	-
▪ अपलिखत अतिरिक्त प्रावधान	99
▪ अंतिम शेष	1696

तालिका डीएफ - 5

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है.

(बी) बैंक ने छह बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों यथा, क्रिसिल लि. केयर, इक्रा लि., इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्रा.लि., समेरा रेटिंग लि. एवं ब्रिकवर्क को अपने ग्राहकों के ऋणों को रेटिंग हेतु अभिचिन्हित किया है.

(सी) ये एजेन्सियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेन्सियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती हैं..

(डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की निर्गम विशिष्ट रेटिंग को जोखिम भारिता की गणना में लिया जाएगा.

	₹ करोड़ में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिये, बैंक की बकाया (श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है:	
▪ 100 % जोखिम भारिता से कम:	253584
▪ 100 % जोखिम भारिता:	52531
▪ 100 % जोखिम भारिता से अधिक:	48950
▪ घटाई गई राशि - सीआरएम	12609

तालिका डीएफ - 6

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण 1 के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें;

 बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं.

- बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण;

 बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं. नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है.

 ऋण जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में विभिन्न प्रकार वित्तीय संपार्श्विक को मान्यता प्रदान की गई हैं इन दिशानिर्देशों में गारंटियों को भी ऋण जोखिम न्यूनीकारक माना गया है. इस प्रकार के तत्व हासिल करने के लिए बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं.

	₹ करोड़ में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर निम्नलिखित द्वारा कवर किया गया है:	
▪ पात्र वित्तीय संपार्श्विक-	
निधि आधारित	10491
गैर-निधि आधारित	2118

तालिका डीएफ - 7

प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:		
निरंक		
		₹ करोड़ में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:		
बैंकिंग बही		निरंक
(डी)	बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.	निरंक
(ई)	एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिन्हित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां	निरंक
(एफ)	एक वर्ष् के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की मंशा.	
(जी)	उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि	निरंक
(एच)	प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिन्हित लाभ या हानियां	निरंक
(आई)	निम्न की समेकित राशि :	निरंक
	- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-	निरंक
	- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	
(जे)	रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा सहायक पूंजी प्रभारों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न् जोखिम भारिता समूहों में विभाजित, ऐसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.	
	ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर घ पूंजी से पूर्णत: घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्विगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण		निरंक
ट्रेडिंग बही :		निरंक
(के)	बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,	निरंक
(एल)	निम्न की समग्र राशि :	
	- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं	निरंक
	- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	
(एम)	निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि :	निरंक
	विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तथा :	निरंक
	- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	
(एन)	निम्न की समग्र राशि :	
	- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी	निरंक
	- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर घ पूंजी से पूर्णत: घटाया गया हैं, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया(एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक

तालिका डीएफ-8

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है. जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है.

बैंक, बाजार जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है.

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है., जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति एवं विदेशी विनिमय परिचालन नीति, ऐसी अन्य नीतियां है जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित है.

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है.

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है. बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है. बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगत्वा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं. यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शेषराशि जटिलता, नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है.

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता /स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है. बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है. बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई है. इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है.

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरित परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवधिक प्राक्कलन करता है

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	**पूंजी प्रभार**
ब्याज दर जोखिम	₹ 736 करोड़
इक्विटी का स्थिति- जोखिम	₹ 753 करोड़
विदेशी मुद्रा का जोखिम	₹ 4 करोड़
योग	₹ 1493 करोड़

तालिका डीएफ - 9

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है. परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते. बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है. बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है. बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम ''कोरडेक्स'' का सदस्य भी है.

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही आरबीआई से संपर्क साधा हुआ है और एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए सीधे प्रयासरत है.

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है. तदनुसार, दिनांक 31.03.2017 को परिचालन जोखिम के लिए ₹ 1181 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है.

तालिका डीएफ -10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां है:

1. जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण) इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है. इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तिओं एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है.

2. इक्विटी का आर्थिक मूल्य:

 इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
परिवर्तन के पैरामीटर	₹ करोड़ में
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि पर आय पर प्रभाव	274
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	226

योगेश राय
उप महाप्रबंधक

रेवती त्यागराजन
महाप्रबंधक

(पी. रमण मूर्ती)
कार्यपालक निदेशक

(बी.के दिवाकर)
कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक 31.03.2017 को पिलर 3 (बासल III) प्रकटीकरण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया तालिका डीएफ-1 : प्रयोज्य क्षेत्र

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण :

इस शीट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एकल आधार में प्रकटीकरण है. समेकित खातों (वार्षिक: प्रकट) में बैंक की अनुषंगी/ सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार है:

ए. समेकन में शामिल समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	क्या निकाय को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है. (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	क्या निकाय समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	समेकन की विधियों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	समेकन की विधियों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	पूंजी से निवेशों की कटौती
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	पूंजी से निवेशों की कटौती
सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक/भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/ भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां
इन्डो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड/ जाम्बिया	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	ला.न.	ला.न.	जोखिम भारित आस्तियां

बी. समेकन की लेखांकन एवं नियामक दोनों ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकन हेतु स्वीकार न किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय के पूंजी साधनों में बैंक के निवेशों का नियमन	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)
ऐसा कोई निकाय नहीं					

(ii) **मात्रात्मक प्रकटीकरण :**

सी. समेकन हेतु स्वीकार की गई समूह इकाइयों की सूची

निकाय का नाम/ निगमन का देश (उक्त (ग)ए.में दर्शाए अनुसार	निकाय की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ मिलियन में	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक निकाय के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ मिलियन में
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	कंपनी का प्रमुख उद्देश्य आवास ऋण प्रदान करना है.	250	14015
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	कॉर्पोरेट ग्राहकों को निवेश बैंकिंग उत्पाद/सेवाएं प्रदान करना है.	50	440
सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्राबैं/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2464	77418
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4545	187758
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	908	30878

डी. सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

ई. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है: निरंक

एफ. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतर या नियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध या रूकावट: निरंक

तालिका -2: पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश:

पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आने वाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएं, ऐसे जोखिम जो पिलर के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गई तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के

उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने पिलर II के अंतर्गत अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रैस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

बैंक ने पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए नवीनतम दृष्टिकोण की ओर जाने हेतु पहल की है, आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही बैंक ने एक परामर्शदाता एवं एक सिस्टम इंटिग्रेटोर वेंडर को नियुक्त किया है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :	
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो @9%	₹ 130656 मिलियन
• प्रतिभूति एक्सपोजर	निरंक
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
• मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण:	
- ब्याज दर जोखिम -	₹ 7377 मिलियन
- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) -	₹ 40 मिलियन
- इक्विटी जोखिम -	₹ 7532 मिलियन
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
• **मूल संकेतक दृष्टिकोण -**	₹ 11806 मिलियन
(ई) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूंजी अनुपात -	
• **सामान्य इक्विटी टियर 1**	8.62%
• **टियर 1**	8.62%
• **कुल पूंजी अनुपात**	10.95%

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/ कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने प्रत्येक जोखिम के समझौते के लिए शीर्ष प्रबंधतंत्र की जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक समिति निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन समिति, ऋण नीति समिति, परिचालन जोखिम समिति. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु पूरे वर्ष नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते है.

केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के शीर्षस्थ महाप्रबंधक हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा विविध समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते है. महाप्रबंधक को सहायक महाप्रबधंक, मुख्य प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक एवं प्रबधंकों की टीम के साथ उप महाप्रबंधक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है.

आंचलिक कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर ये अभिनिर्धारित जोखिम प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में कार्य करेंगे.

बैंक में विविध नीतियां है जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, समंवित जोखिम प्रबंधन नीति, स्ट्रैस टेस्ट नीति, बाजार अनुशासन एवं प्रकटीकरण नीति, अंतर्समूह लेनदेन एवं विस्तार नीति, परिचालन जोखिम नीति, एएलएम नीति तथा निवेश एवं बाजार जोखिम नीति.

इसके अलावा, ऋण नीति शासी ऋण कार्य-पद्धति के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं तथा ऋण पोर्टफोलियो दस्तावेजीकरण की निगरानी एवं नियंत्रण पर दिशानिर्देश भी सुव्यवस्थित है.

ऋण मॉनिटरिंग विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक हैं, जो ऋण पोर्टफोलियो, विशेष उल्लिखित खातों की पहचान एवं उनके सुधारक उपाय को मॉनिटर करेंगे. सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत खातों के प्रसंस्करण एवं निगरानी के अलावा ऋण प्रस्ताव की समीक्षा भी विभाग द्वारा की जाएगी.

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली के साथ उधारग्रहिताओं के विविध खंडों के लिए रेटिंग मॉडल की शुरूआत की है, जो कि काउंटर ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा ऋण एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है. बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल काउन्टर ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा प्रत्येक ऐसे जोखिम का पृथक रूप से मूल्यांकन करती है तथा फिर समग्र रेटिंग, काउन्टर पार्टी को प्रदान की जाती है. सुविधा रेटिंग मॉड्यूल भी रेटिंग टूल में ही उपलब्ध है. जहां मूल संस्था से समर्थन उपलब्ध है, रेटिंग में यह भी एक घटक है, यदि उधारकर्ता को कोर्पोरेट गारंटी उपलब्ध है. बैंक की पोर्टफोलियों 100% रेटिंग के रूप में रखने के लिए, मुद्रा ऋण जैसे शिशु, किशोर एवं तरुण के लिए रेटिंग स्कोरिंग शीट की भी शुरुआत की गई है.

तालिका डीएफ - 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

गत देय तथा अनर्जक की परिभाषाएं

अनर्जक आस्तियां वह है जहां ऋण या अग्रिम-

(i) मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;

(ii) 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,

(iii) खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,

(iv) कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में

 ए) अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,

 बी) दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसल तक अतिदेय रहती हो.

(v) दिनांक 1 फरवरी 2006 के प्रतिभूतिकरण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहेगी.

(vi) डेरिइवेटिव परिचालन के संबंध में अतिदेय प्राप्तियां डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक दैनिक बाजार मूल्य को व्यक्त कर रही है यदि ये भुगतान की निर्धारित तय तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती है.

अनियमित:

कोई खाता तब ''अनियमित'' दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

- ऋण जोखिम - निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूनीकरण तकनीक,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- किसी देश में किसी बैंक का ऋण एवं मुद्रा,
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,
- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- किसी देश में किसी बैंक के ऋण तथा परिचालन सम्बंधी मामले.

	(₹ मिलियन में)
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारित:	3209294
गैर-निधि आधारित:	341349
*बैंक, निवेश इत्यादि में नकद शेष सहित	
बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:	
▪ **विदेशी**	226
▪ **घरेलू**	3550417

(सी)

उद्योग का नाम		
	निधि	गैर-निधि
ए. खनन एवं उत्खनन (ए.1 + ए.2)	2142	1446
ए.1 कोयला	778	1400
ए.2 अन्य	1364	46
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी1 से बी5 तक)	75089	26769
बी.1 चीनी	29461	5576
बी.2 वनस्पति तेल एवं वनस्पति	12673	15126
बी.3 चाय	2716	12
बी.4 कॉफी	17	0
बी.5 अन्य	30222	6055
सी. पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त) एवं तम्बाकू	1949	0
सी.1 तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	99	0
सी.2 अन्य	1850	0
डी. टेक्सटाईल	72649	18095
डी.1 सूती	35171	2320
डी.2 जूट	1456	360
डी.3 मानव-निर्मित, जिनमें	172	0
डी.4. अन्य	35849	15415
डी में से (अर्थात, कुल कपड़ा) कताई मिल को	858	0
ई. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	784	121
एफ. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	1007	459
जी. कागज एवं कागज के उत्पाद	5712	2832
एच. पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लियर ईधन	11933	1479
आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि) (आई1 से आई4 तक)	42729	11448
आई.1 उर्वरक	13361	18
आई.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकलस	13350	8061
आई.3 पेट्रो कैमीकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत)	3682	360
आई.4 अन्य	12337	3009
जे. रबर प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	2563	951
के. कांच एवं कांच के सामान	482	23
एल. सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	17910	1992
एम. मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1 + एम.2)	123849	26678
एम.1 लोहा एवं स्टील	96866	21830
एम.2 अन्य धातु एवं धातु	26983	4849
एन. सभी अभियात्रिकी (एन.1 + एन.2)	50700	51865
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	7967	1296
एन.1 अन्य	42733	50569

उद्योग का नाम		
	निधि	गैर-निधि
ओ. वाहन, वाहन पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	9252	7914
पी. रत्न एवं आभूषण	18030	4003
क्यू. निर्माण	73630	16687
आर. बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	492195	37239
आर.ए. परिवहन (ए.1 से ए.6 तक)	105734	5643
आर. ए.1 रोड एवं ब्रिज	69327	2854
आर ए.2 बंदरगाह	6846	600
आर ए.3 अन्तर्देशीय जलमार्ग	1078	0
आर ए.4 एयरपोर्ट	12616	68
आर ए.5 रेलवे ट्रैक, टनल, सेतु, ब्रिज	15825	2120
आर.ए.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी रोड यातायात के मामलों में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	43	0
बी. ऊर्जा(बी1 से बी6 तक)	297994	7535
बी.1 विद्युत (उत्पादन)	135395	6448
बी.1.1 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	13530	0
बी.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	33310	3500
बी.1.3 निजी क्षेत्र	88555	2948
बी.2 विद्युत (परिचालन)	8949	904
बी.2.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0	0
बी.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	3701	904
बी.2.3 निजी क्षेत्र	5248	0
बी.3 विद्युत (वितरण)	131738	183
बी.3.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0	0
बी.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	131459	1
बी.3.3 निजी क्षेत्र	279	182
आर.बी.4 तेल पाइप लाईन	11230	0
आर.बी.5 तेल/गैस/द्रवरूप प्राकृतिक गैस (एलएनजी) संग्रहण सुविधा	8412	0
आर.बी.6 गैस पाइप लाइन	2270	0
आर.सी. जल एवं स्वच्छता (सी.1 से सी.7)	10852	380
आर.सी.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	800	0
आर.सी.2 जल आपूर्ति पाइप लाइन	0	0
आर.सी.3 जल शुद्धिकरण संयंत्र	3087	380
आर.सी.4 सीवेज संग्रहण, शुद्धिकरण और निपटान प्रणाली	6958	0
आर.सी.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध)	7	0
आर.सी.6 तूफानी जल निकासी व्यवस्था	0	0
आर.सी.7 पिच्छल पाइप लाइन	0	0

उद्योग का नाम		
	निधि	गैर-निधि
आर.डी. सम्प्रेषण (डी.1 से डी.3)	30513	21165
आर.डी.1 दूर-संचार (फिक्सड नेटवर्क)	0	0
आर.डी.2 दूर-संचार टॉवर	21454	0
आर.डी.3 दूर-संचार एवं टेलीकॉम सेवाएं	9060	21165
आर.ई. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना (ई.1 से ई.9)	38124	487
आर.ई.1 शैक्षणिक संस्थान (कैपिटल स्टॉक)	11523	320
आर.ई.2 हॉस्पिटल	3678	0
आर.ई.3 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बाहर स्थित तीन-स्टार अथवा उच्च श्रेणी में वर्गीकृत होटल	4976	122
आर.ई.4 औद्योगिक पार्क, सेज, पर्यटन सुविधाओं एवं कृषि बाजार के लिए समान बुनियादी संरचना	17223	45
आर.ई.5 उर्वरक (पूंजी निवेश)	400	0
आर.ई.6 कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि एवं बागवानी उत्पादों के लिए कटाई पश्चात स्टोरेज हेतु बुनियादी संरचना	324	0
आर.ई.7 टर्मिनल मार्केट	0	0
आर.ई.8 मिट्टी परिक्षण प्रयोगशाला	0	0
आर.ई. कोल्ड श्रृंखला	0	0
आर.एफ. अन्य,यदि कोई हो, कृपया उल्लेख करें	8977	2030
एस. अन्य उद्योग, कृपया उल्लेख करें	98962	4053
सभी उद्योग (ए से एस तक)	1101567	214054
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	**1144633**	**52628**
कुल	**2246200**	**266682**

कुल एक्सपोजर के 5% से अधिक वाले एक्सपोजर

	वित्त पोषित	गैर वित्त पोषित
बुनियादी संरचना	492195	37239
अन्य उद्योग	123849	26678

(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण :

1 दिन :	42600
02 दिनों से 07 दिनों तक:	29752
08 दिनों से 14 दिनों तक:	14170
15 दिनों से 30 दिनों तक:	50696
31 दिनों से 2 महीनों तक:	25606
2 महीनों से अधिक, परंतु 3 महीनों तक:	25431
3 महीनों से अधिक, परंतु 6 महीनों तक:	50030
6 महीनों से अधिक, परंतु 12 महीनों तक:	84587
1 वर्ष से अधिक, परंतु 3 वर्ष तक:	741140
3 वर्ष से अधिक, परंतु 5 वर्ष तक:	237986
5 वर्ष से अधिक :	1012940
कुल	**2314937**

(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) -	272513
▪ अवमानक	60333
▪ संदिग्ध 1	88556
▪ संदिग्ध 2	90876
▪ संदिग्ध 3	25924
▪ हानि	6824
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां	142178
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात	
▪ सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	17.81%
▪ निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	10.20%
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में संचलन	
▪ प्रारम्भिक शेष	227210
▪ परिवर्धन	104878
▪ कमियां	59574
▪ अनर्जक आस्तियां (सकल)	272513

(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों (शुद्ध) में परिवर्तन	
▪ प्रारम्भिक शेष	82380
▪ अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	60280
▪ बट्टा खाता	----
▪ अवलिखत अतिरिक्त प्रावधान	24035
▪ इति शेष	118625
(जे) अनर्जक निवेश की राशि	5601
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि	3894
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यह्रास में परिवर्तन:	
▪ प्रारम्भिक शेष	10272
▪ इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	7684
▪ बट्टा खाता	ऋ
▪ अवलिखत अतिरिक्त प्रावधान	990
▪ इति शेष	16966

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है.

(बी) बैंक ने छः बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों यथा, क्रिसिल लि. केयर, इक्रा लि., इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्रा.लि. समेरा एवं ब्रिकवर्क को अपने ग्राहकों के ऋणों को रेटिंग हेतु अभिचिन्हित किया है.

(सी) ये एजेन्सियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेन्सियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती हैं.

(डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की निर्गम विशिष्ट रेटिंग को भारिता की गणना में लिया जाएगा.

	₹ मिलियन में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिये, बैंक की बकाया (श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है:	
▪ 100 % जोखिम भारिता से कम :	2550659
▪ 100 % जोखिम भारिता	525308
▪ 100 % जोखिम भारिता से अधिक	515962
▪ घटाई गई राशि - सीआरएम	126088

तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण 1 के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें;**

 बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं.

- **बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण;**

 बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं. नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है.

 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार वित्तीय संपार्श्विक का अभिनिर्धारण करते हैं, साथ ही, ये दिशानिर्देश गारंटी को एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं इस प्रकार के तत्वों का पता लगाने के लिये बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं.

	₹ मिलियन में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलिया के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर कवर किया गया है:	
▪ हेयरकट्स अनुप्रयोग के बाद; पात्र वित्तीय संपार्श्विक-	
निधि आधारित	104909
गैर-निधि आधारित	21179

तालिका डीएफ -6

प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:	
निरंक	
	₹ मिलियन में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
बैंकिंग बही	
(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.	निरंक
(ई) एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादित अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिह्नित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां	निरंक
(एफ) एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की मंशा.	निरंक
(जी) उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि	निरंक
(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिह्नित लाभ या हानियां	निरंक

(आई) निम्न की समेकित राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(जे) रोकी गई अथवा क्रया की गई तथा सहायक पूंजी प्रभारों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित, ऐसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.	निरंक
ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर ६ पूंजी से पूर्णत: घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्विगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
ट्रेडिंग बही :	
(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,	निरंक
(एल) निम्न की समग्र राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एम) निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि :	
- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तथा :	निरंक
- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तथा :	निरंक
- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एन) निम्न की समग्र राशि :	
- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी	निरंक
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर ६ पूंजी से पूर्णत: घटाया गया हैं, कुल पूंजी से वृद्विगत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक

तालिका डीएफ -7

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है. जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है.

बैंक, बाजार जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है.

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है, जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति एवं विदेशी विनिमय परिचालन नीति, ऐसी अन्य नीतियां है जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित है.

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है.

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है. बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है. बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगतवा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं. यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शेष राशि जटिलता, नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है.

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता /स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है. बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है. बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई है. इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है.

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरित परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवधिक प्राक्कलन करता है

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	पूंजी प्रभार (₹ मिलियन में)
ब्याज दर का जोखिम	₹7377
इक्विटी की स्थिति- जोखिम	₹7532
विदेशी मुद्रा का जोखिम	₹40
योग	**₹14949**

तालिका डीएफ -8

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है. परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते. बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है. बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है. बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम ''कोरडेस्क'' का सदस्य भी है.

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही आरबीआई से संपर्क साधा हुआ है और एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए सीधे प्रयासरत है.

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है. तदनुसार, दिनांक 31.03.2017 को परिचालन जोखिम के लिए ₹11806 मिलियन की पूंजी की आवश्यकता है.

तालिका डीएफ -9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां हैं :

1. जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण)

 इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है. इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तिओं एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है.

2. इक्विटी का आर्थिक मूल्य:

 इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
परिवर्तन के पैरामीटर	**₹ मिलियन में**
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि पर आय पर प्रभाव	2741
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	2257

तालिका डीएफ-10

प्रतिपक्षीय साख जोखिम से संबंधित ऋण के लिए सामान्य प्रकटीकरण

<table>
<tr><td>गुणात्मक प्रकटीकरण</td><td>(ए)</td><td>बैंक प्रतिपक्षीय ऋणों के लिए पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, आय उपार्जन, तरलता एवं प्रबंधन गुणवत्ता के आधार पर ऋणी सीमा का निर्धारण करता है.

बैंक की निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति अच्छी तरह से परिभाषित है.

बैंक विविध डेरिवेटिव उत्पादों एवं ब्याज दर स्वाप में व्यवहार करता है. बैंक अपनी तुलन-पत्र मदों, साथ ही व्यवसाय उद्देश्य से बचाव-व्यवस्था हेतु डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करता है.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">मात्रात्मक प्रकटीकरण</td><td>(बी)</td><td>₹ मिलियन में
<table><tr><th>विवरण राशि</th><th>राशि</th></tr><tr><td>संविदा का सकल सकारात्मक मूल्य</td><td>638</td></tr><tr><td>शुद्ध लाभ</td><td>0</td></tr><tr><td>शुद्ध चालू साख ऋण</td><td>638</td></tr><tr><td>संपार्श्विक प्रतिभूति</td><td>0</td></tr><tr><td>शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्पोजर</td><td>1469</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>(सी)</td><td>₹ मिलियन में
<table><tr><th>मद</th><th>काल्पनिक एक्सपोजर</th><th>वर्तमान ऋण एक्सपोजर</th></tr><tr><td>फारवर्ड विदेशी विनिमय संविदा</td><td>55054</td><td>1420</td></tr><tr><td>क्रास करेंसी ब्याज दरस्वाप सहित क्रास करेंसी स्वाप</td><td>2414</td><td>47</td></tr><tr><td>ब्याज दर संविदाएं</td><td>250</td><td>2</td></tr></table></td></tr>
</table>

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संयोजन

भाग II: दिनांक 31 मार्च, 2017 से उपयोग किए जाने के लिए टेम्पलेट

दिनांक 31 मार्च, 2017 से उपयोग किए जाने के लिए बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट			**संदर्भ सं.**
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		मिलियन ₹	
1	प्रत्यक्ष निर्गमित अर्हक सामान्य शेयर पूंजी एवं संबंधित स्टाक अधिशेष	19022	ए1
2	प्रतिधारित उपार्जन	-49727	
3	संचित अन्य व्यापक उपार्जन (एवं अन्य प्रारक्षित निधि)	184977	
4	प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी जो सीईटी 1 से बाहर की गई (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों 1 हेतु लागू)	0	
	दि.1 जनवरी, 2018 तक के लिए प्रविष्ठि सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	0	
6	**विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी**	**154272**	
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0	0
8	गुडविल (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	0
9	अमूर्त (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	0
10	आस्थगित कर आस्ति	0	0
11	नकद-प्रवाह बचाव प्रारक्षित	0	0
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी	0	0
13	विक्रय पर प्रतिभूति वृद्धि	0	0
14	शुद्ध मूल्यांकित देयताओं पर अधिलाभ एवं हानि स्वयं के साख जोखिम में परिवर्तन के कारण	0	0
15	परिभाषित - लाभ पेंशन निधि शुद्ध आस्तियां	0	0
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र पर चुकता पूंजी से पहले ही कम न की गई हो)	0	0
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिता	0	
18	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	0
19	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिवक्रय की स्थिति (10% सीमा से अधिक की राशि)	269	
20	मॉरगेज सर्विसिंग राइट्स 4 (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	0
21	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर देयताएं (10% की सीमा से अधिक की राशि, संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	0
22	15% सीमा से अधिक की राशि	0	0
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0	0
24	जिसमें से: मॉरगेज सर्विसिंग राइट	0	0
25	जिसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0	0
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0	0

26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	0
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर वित्तीय की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	0
26सी	जिसमें से: बहुसंख्य मालिकाना वित्तीय निकायों की इक्विटी पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित न की गई हो.	0	0
26डी	जिसमें से: अमूर्तिकृत पेंशन निधि व्यय	0	0
27	कटौती को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 एवं टीयर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 को लागू विनियामक समायोजन	0	0
28	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 हेतु विनियामक समायोजन**	**269**	
29	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)**	**154003**	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखत			
30	टीयर 1 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखत एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	0	
31	जिसमें से लागू लेखांकन मानकों के अधीन इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर-संचयी अधिमानी शेयर)		
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थाई उधार लिखत)		
33	अतिरिक्त टीयर 1 से बाहर किए गए प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखत	0	बी1+बी2
34	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (एवं सीईटी 1 लिखते जो रो 5 में शामिल नहीं है) (समूह एटी 1 में अनुमत राशि)		
35	जिसमें से: बाहर किए जाने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखते		
36	विनायामक समायोजनो के पहले अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	0	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश	0	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति धारिता	0	
39	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
40	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति)	0	0
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0	
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश		
41बी	बहुलांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी		
42	कटौती कवर करने हेतु अपर्याप्त टीयर 2 के कारण अतिरिक्त टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन		
43	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	**0**	
44	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी1)**	**0**	
45	**टीयर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)**	**154003**	
टीयर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	टीयर 2 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखतें एवं संबंधित स्टाक अधिशेष	15000	सी3
47	टीयर 2 से बाहर किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखते	18275	सी1+सी2
48	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित टीयर 2 लिखते (एवं सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखते, जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) (टीयर 2 समूह में अनुमत राशि)	0	

49	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा बाहर किए जाने के अधीन जारी लिखते	0	
50	प्रावधान (मूल्यांकन प्रारक्षित, मानक आस्तियों पर प्रावधान, अनर्जक आस्तियों की बिक्री आदि)	8831	
51	**विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर 2 पूंजी**	42106	
52	स्वयं की टीयर 2 लिखतों में निवेश		
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिता	605	0
54	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)		
55	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिवक्रय की स्थिति (पात्र लघु स्थिति का शुद्ध)		
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56ए+56बी)		
56ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में निवेश		
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56ए + 56बी)		
56बी	**बहुलांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में कमी**	**605**	
57	**टीयर 2 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	**41501**	
58	**टीयर 2 पूंजी (टी2)**	**195504**	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)**	**1786172**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**1451732**	
60ए	**जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां**	**186872**	
60म	**जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां**	**147569**	
	पूंजी अनुपात		
61	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	**8.62%**	
62	**टीयर 1 (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	**8.62%**	
63	**कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	**10.95%**	
64	**संस्था विशेष बफर आवश्यकताएं (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकताओं के साथ पूंजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं)**	**6.75%**	
65	**जिसमें से: पूंजी संरक्षण न बफर आवश्यकता**	**1.25%**	
66	**जिसमें से: बैंक विशेष प्रतिचक्री बफर आवश्यकता**	**0.00%**	
67	**जिसमें से: जी-एस.आईबी बफर आवश्यकता**	**0.00%**	
68	**बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**	**0.00%**	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासल III से अलग हो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	6.75%	
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	8.25%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	10.25%	

कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारिता से पहले)			
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों की सामान्य पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश		
74	मॉरगेज सर्विसिंग राइट (संबंधित शुद्ध कर देयता)		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित शुद्ध कर देयता)		
टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि पर लागू सीमाएं			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा.		
फेस-आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखते (केवल दि.31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2022 के मध्य लागू)			
80	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन सीईटी लिखतों पर वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	लागू नहीं	
82	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन एटी1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
83	सीमा के कारण एटी1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	लागू नहीं	
84	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन टी2 लिखतों पर वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
85	सीमा के कारण टी2 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	लागू नहीं	

तालिका डीएफ-12: पूंजी का संघटन- समायोजन अपेक्षाएं

(राशि मिलयन में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र	
		दि. 31.03.2017 को	संदर्भ
ए	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	चुकता पूंजी	19021	
	जिसमे से: सीइटी 1 हेतु पात्र राशि	19021	ए 1
	जिसमे से: एटी 1 हेतु पात्र राशि	0	बी 1
	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	160490	
	अल्पसंख्यक हित	0	
	कुल पूंजी	**179511**	
ii	**जमाराशियां**	**2966712**	
	जिसमें से: बैंकों से जमा	56987	
	जिसमें से: ग्राहकों से जमा	2909725	
	जिसमें से: अन्य जमाएं (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	
iii	**उधारराशियां**	**92825**	
	जिसमें से: आरबीआई से	110	
	जिसमें से: बैंकों से	28921	
	जिसमें से: अन्य संस्थाओं एव संस्थानों से	6962	
	जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर)	0.00	
	जिसमें से: गौण ऋण	11591	सी 1
	जिसमें से:अपर टीयर 2	28850	सी 2
	जिसमें से: असुरक्षित मोचनीय एनसी बासल III बाण्ड्स (टीयर2)	15000	सी 3
	जिसमें से: नवोन्मेष स्थायी उधार लिखत	1391	बी 2
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	**94972**	
	कुल	**3334019**	
बी	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	750868	
	बैंकों में जमा एवं भाग व अल्प सूचना पर राशि	36798	
ii	निवेश:	920949	
iii	ऋण एवं अग्रिम	1393988	
	जिसमे से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	**15**	
	जिसमे से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	**1393973**	
iv	अचल आस्तियां	42904	
v	अन्य आस्तियां	188513	
	जिसमे से: गुडविल एवं अमूर्त आस्तियां	0	
	जिसमे से: आस्थगित कर देयताएं	0	
vi	समेकन पर गुडविल		
vii	लाभ-हानि खाते में नामे शेष	0	
	कुल आस्तियां	**3334019**	

तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

टीयर-1 पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

विवरण	इक्विटी
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A01010
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
परिवर्तन पश्चात III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	सामान्य शेयर
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलियन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	19022
लिखत की सममूल्य राशि	₹10 प्रति शेयर
लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारक की इक्विटी
जारीकरण की मूल तिथि	विविध
स्थायी या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	ला.न.
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	अस्थायी
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	ला.न.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्णत: विवेकाधिकार
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	ला.न.
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.
अवलेखन विशेषता	ला.न.

यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ताओं एवं अन्य ऋणियों, बाण्ड एवं पीएनसीपीएस
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	

श्रृंखला वर्णन	**श्रृंखला. II पीडीआई**
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09252
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	अपात्र
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	स्थायी उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	0
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	28.09.2012
स्थायी या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	ला.न.
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	28.09.2022
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.40% प्र.व.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.

यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	पूर्णत: अमान्य, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

उच्च टीयर-2 पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है

श्रृंखला विवरण	उच्च टीयर II (श्रृंखला I)	उच्च टीयर II (श्रृंखला II)	उच्च टीयर II (श्रृंखला III)	उच्च टीयर II (श्रृंखला IV)	उच्च टीयर II (श्रृंखला V)	उच्च टीयर II (श्रृंखला VI)
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया					
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE 483A09179	INE 483A09195	INE 483A09203	INE 483A09211	INE 483A09229	INE 483A08015
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार						
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय	अपठनीय
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत	उच्च टीयर 2 पूंजी लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	1800	1710	3000	3000	6000	1800
लिखत की सममूल्य राशि	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	14.11.2008	17.02.2009	23.06.2009	20.01.2010	11.06.2010	21.01.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	14.11.2023	17.02.2024	23.06.2024	20.01.2025	11.06.2025	21.01.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	14.11.2018	17.02.2019	23.06.2019	20.01.2020	11.06.2020	21.01.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश						
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिरा	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	11.45%	9.40%	8.80%	8.63%	8.57%	9.20%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी

श्रृंखला विवरण	उच्च टीयर II (श्रृंखला I)	उच्च टीयर II (श्रृंखला II)	उच्च टीयर II (श्रृंखला III)	उच्च टीयर II (श्रृंखला IV)	उच्च टीयर II (श्रृंखला V)	उच्च टीयर II (श्रृंखला VI)
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषताएं बताएं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

गौण उधार पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

श्रृंखला विवरण	निम्न टीयर II श्रृंखला XII	निम्न टीयर II श्रृंखला XIII	निम्न टीयर II श्रृंखला XIV
जारीकर्ता			
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09161	INE483A09187	INE483A09245
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार			
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र

श्रृंखला विवरण	निम्न टीयर II श्रृंखला XII	निम्न टीयर II श्रृंखला XIII	निम्न टीयर II श्रृंखला XIV
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि मिलीयन में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	545	1620	3000
लिखत की सममूल्य राशि	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	03.03.2008	10.02.2009	21.12.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	03.05.2017	10.04.2018	21.12.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	नहीं	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.	ला.न.	21.12.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश			
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.20%	9.35%	9.33%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.	ला.न.

श्रृंखला विवरण	निम्न टीयर II श्रृंखला XII	निम्न टीयर II श्रृंखला XIII	निम्न टीयर II श्रृंखला XIV
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	ला.न.	ला.न.	ला.न.
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	ला.न.	ला.न.	ला.न.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ	हाँ	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषताएं बताएं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं	आलेखन, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

बासल III अनुपालन टीयर 2 बाण्ड की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

	बासल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स	
	श्रृंखला I	श्रृंखला II
जारीकर्ता		
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09260	INE483A09287
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार		
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	पात्र	पात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	10000	5000
लिखत की सममूल्य राशि	₹1.00 मिलियन	₹1.00 मिलियन
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	08.11.2013	07.03.2017
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	08.11.2023	07.05.2027
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	हां
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	ला.न.	07.05.2022

	बासल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स	
	श्रृंखला I	श्रृंखला II
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	ला.न.	ला.न.
कूपन/लाभांश		
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.90%	8.62%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	ला.न.	ला.न.
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	ला.न.	ला.न.
अवलेखन विशेषता	हाँ	हाँ
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर ('पीओएनवी ट्रिगर') कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर ('पीओएनवी ट्रिगर') कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	अंशत:	अंशत:
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी

	बासल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स	
	श्रृंखला I	**श्रृंखला II**
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	1) पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाएगा. 2) एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित है, यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. 3) एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.	पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाएगा. एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित है, यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	नहीं	नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	-	-

तालिका डीएफ-14: विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	पूंजी का प्रकार	लिखत	पूर्ण नियम एवं शर्तें
1.	इक्विटी	इक्विटी	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
2.	अतिरिक्त टीयर 1	आईपीडीआई	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
3.	टीयर 2	उच्च टीयर 2 बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
4.	टीयर 2	गौण बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
5.	टीयर 2	बासल III कम्प्लाएंट बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है

तालिका डीएफ-16:इक्विटीज़ - बैंकिंग बही हेतु प्रकटीकरण संबंधी दिनांक 31.03.2017 की स्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

1	निम्नलिखित सहित इक्विटी जोखिम के मामले में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकताएं (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1) : • जिन पर पूंजीगत लाभ अपेक्षित है उस धारित राशि तथा पारस्परिक संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित जिन्हें व्याप्तियों के अंतर्गत लिया गया है, उनमें भिन्नता; एवं • बैंकिंग बहियों में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन एवं लेखांकन को समाहित करते हुए महत्त्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा. इनमें मूल्यांकन के साथ साथ इनकी प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों सहित प्रमुख मान्यताओं एवं प्रथाओं सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीकी एवं मूल्यांकन प्रविधि शामिल है.	इक्विटी एचटीएम निवेश, विदेशी सहयोगी, भारतीय अनुषंगी, संयुक्त उद्यम, असोसिएट्स्, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, आईएफसीआई, सेन्ट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और अन्य वित्तीय संस्थाओं (एसएफसी) के रणनीतिक निवेश में हैं. जैसे ही संव्यवहार होता है (चाहे वह पूरा हो अथवा नहीं), आवश्यक वाउचर पारित किए जाते हैं. ये वाउचर प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा ब्रोकर पुष्टिकरण प्राप्त करने पर/ ब्रोकर का संविदा नोट प्राप्तकर(यदि व्यवहार ब्रोकर के माध्यम से न किया गया हो) फ्रंट ऑफिस से व्यवहार टिकट आधार पर पारित किए जाते हैं.

गुणात्मक प्रकटीकरण		**रुपये मिलियन में**	
		बही मूल्य 31.03.2017	**उचित मूल्य 31.03.2017**
1	तुलनपत्र में निवेश का प्रदर्शित मूल्य और उन निवेशों का उचित मूल्य.	3590	3590
	शेयर की कीमत और उसके उचित मूल्य में काफी अंतर हो तो सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों से तुलना.	-	-
2	निवेशों का प्रकार एवं प्रकृति, ऐसी राशि सहित, जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:		
	सार्वजनिक रूप से व्यापारित	-	-
	निजी तौर पर धारित	3590	3590
	भारत में संयुक्त उद्यम (सेन्ट बैंक होम फाइनैंस)	219	219
	भारत के बाहर, असोसिएट (इंडो जाम्बिया बैंक लि. में संयुक्त उद्यम)	475	475
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2771	2771
	अनुषंगियां (सेन्ट बैंक फाइनैन्शियल सर्विसेज लि.)	50	50

गुणात्मक प्रकटीकरण		रुपये मिलियन में	
		बही मूल्य 31.03.2017	उचित मूल्य 31.03.2017
	कार्यनीतिक निवेश - सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन	21	21
	कार्यनीतिक निवेश - आईएफसीआई	40	40
	कार्यनीतिक निवेश - अन्य वित्तीय संस्थान (आईएफसीआई, जीएसएफसी, जेकेएफसी, डब्ल्यूबीएफसी)	20	20
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)	-	-
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानियां)*	-	-
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियां)**	निरंक	निरंक
6	टियर I एवं/अथवा टियर II पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त की कोई राशि	-	-
7	नियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में पर्यवेक्षी संक्रमण अथवा ग्रांडकादरिंग' प्रावधानों के अधीन बैंक की क्रियाविधि के साथ साथ इक्विटी निवेशों के प्रकार एवं उनकी कुल राशि के संगत इक्विटी समूहन द्वारा विक्षत पूंजीगत आवश्यकताएं.	लागू नहीं	लागू नहीं

दिनांक 31.03.2017 को लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण

लीबरेज अनुपात

बासल III के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम जोखिम आधारित पूंजी गैर-जोखिम आधारित टियर 1 लेवरेज अनुपात द्वारा संपूरक होगी.

तालिका डीएफ 17 - लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय की संक्षिप्त तुलना

	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार, कुल समेकित आस्तियां	2706339
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेशों के लिए समायोजन, जिनका लेखांकन प्रयोजनार्थ समेकन किया जाता है, परंतु जो विनियामक समेकन के क्षेत्र के बाहर हैं	89
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र में प्रत्ययी आस्तियों के समायोजन को दर्शाया गया है, किंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय से बाहर हैं	0
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	1982
5	प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेनों (अर्थात रेपो एवं इसी तरह की रक्षित उधारी) के लिए समायोजन	613961
6	तुलनपत्र इतर मदों के लिए (अर्थात तुलनपत्र इतर एक्सपोजर के ऋण समतुल्य राशि में परिवर्तन) समायोजन	209468
7	अन्य समायोजन	0
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	**3531662**

डीएफ-18 : लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण टेम्पलेट

		(₹ मिलियन में)
	तुलनपत्र एक्सपोजर	
1	तुलनपत्र मदें (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर, परंतु संपार्श्विक शामिल है)	2706339
2	(बासल III टियर I पूंजी सुनिश्चित करने में आस्ति राशि को घटाया)	89
3	**कुल तुलनपत्र एक्सपोजर (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर) (मद 1 से 2 तक की राशि)**	2706250
	व्युत्पन्नी एक्सपोजर	
4	सभी व्युत्पन्नी लेनदेनों (अर्थात पात्र नकदी विचलन मार्जिन घटाकर)	638
5	सभी व्युत्पन्नी लेनदेनों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए वर्धित राशियां	1344
6	प्रदत्त व्युत्पन्नी संपार्श्विक के लिए ग्रॉस-अप	0
7	(व्युत्पन्नी लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8	(क्लाइंट-क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर का छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न की समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि	0
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी आनुमानिक प्रतितुलन तथा वर्धित कटौतियां)	0
11	**कुल व्युत्पन्नी एक्सपोजर (मद 4 से 10 तक की राशि)**	1982
	प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेन एक्सपोजर	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (निवल राशि ज्ञात किए बगैर), बिक्री लेखांकन लेनदेन के लिए समायोजन के पश्चात	613112
13	(सकल एसएफटी आस्तियों का देय नकदी और प्राप्य नकदी की शुद्ध राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	849
15	एजेन्ट लेनदेन एक्सपोजर	0
16	कुल प्रतिभूतियां वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (मद 12 से 15 की राशि)	613961
	अन्य तुलनपत्र इतर एक्सपोजर	
17	सकल आनुमानिक राशि पर तुलनपत्र इतर एक्सपोजर	797885
18	(ऋण समतुल्य राशियों में परिवर्तन के लिए समायोजन)	(588416)
19	**तुलनपत्र इतर मदें (मद 17 और 18 की राशि)**	**209468**
	पूंजी एवं कुल एक्सपोजर	
20	**टियर 1 पूंजी**	**157859**
21	**कुल एक्सपोजर (मद 3,11,16 एवं 19 की राशि)**	**3531662**
	लीवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लीवरेज अनुपात (प्रतिशत)**	**4.47%**

योगेश राय
उप महाप्रबंधक

रेवती त्यागराजन
महाप्रबंधक

(पी. रमण मूर्ती)
कार्यपालक निदेशक

(बी.के दिवाकर)
कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मे. चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय सनदी लेखाकार 208, फीनिक्श हाउस, ए विंग, 462, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013	**लोढ़ा एंड कं.** सनदी लेखाकार 14- गवर्न्मेंट प्लेस ईस्ट कोलकाता - 700 069
पाठक एच. डी. एंड एसोशियेट्स सनदी लेखाकार 814-815 तुलसियनी चैम्बर्स 212, नरीमन पॉइन्ट मुम्बई - 410 021	**एस. के. मेहता एण्ड कं.** सनदी लेखाकार 504, कीर्ती महल 19, राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली - 110 008

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल

समेकित वित्तीय विवरणी पर रिपोर्ट

1. दिनांक 31 मार्च, 2017 को हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (''मूल बैंक''), इसकी अनुषंगियों और एसोशिएट्स (सामूहिक रूप से इन्हें ''समूह'' के रूप में संबोधित किया गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2017 का समेकित तुलन-पत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाता एवं उस वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी एवं प्रमुख लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात इन्हें ''समेकित वित्तीय विवरणियाँ'' से संबोधित किया गया है) शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें निम्नलिखित समाहित है :

 (i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित मूल बैंक के लेखापरीक्षित लेखे.

 (ii) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा इसकी 2 अनुषंगियों एवं 3 सहयोगियों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) के लेखापरीक्षित लेखे;

 (iii) एक एसोशिएट्स के लेखा परीक्षित लेखे जो नौ माह की अवधि के लिए अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित तथा 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित लेखे हैं.

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

2. प्रबंधतंत्र इन समेकित वित्तीय विवरणियों, जो समूह एवं इनके अनुषंगियों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्रण करती हैं, तथा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की आवश्यकताओं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों सहित निर्धारित लेखांकन नीतियां तथा प्रक्रियाओं के अनुसरण में तैयार की गई हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है तथा जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा जो किसी भी प्रकार के कपट अथवा त्रुटिवश महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा ''इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया'' द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित आश्वासन विदित हो सके

4. एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. उन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक, प्रदत्त परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण हेतु, उन समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण में बैंक की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करता है. लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं. एक लेखा परीक्षा में, अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ, समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है

5. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य एवं नीचे पैरा 6 में ''अन्य मामलों'' में सन्दर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित विवरणियों पर हमारे सशर्त लेखा परीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं.

अभिमत

6. उक्त 1 से 5 पैराग्राफों में सूचित लेखा की सीमाओं के अधीन, प्रकटीकरण आवश्यकताओं एवं निम्नलिखित पैराग्राफ 8 के अन्य मदों में दिए अनुसार अनुषंगियों तथा एसोशिएट्स की वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अवलोकन के आधार पर, हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये समेकित विवरणियां भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुरूप एक सही व निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करती हैं :

i. समेकित तुलन-पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2017 को समूह के क्रियाकलापों की स्थिति,

ii. समेकित लाभ-हानि खाता के मामले में समूह एवं उनके एसोशिएट्स की उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि; एवं

iii. समेकित नकद प्रवाह विवरणी के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह

विषय का महत्व

7. हम आपका ध्यान आकर्षित करते है:

₹ 22,991.22 करोड़ की अंतर-बैंक सहभागी प्रमाण पत्र से संबंधित अनुसूची 18 की नोट सं. 10, जो 180 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए साझा जोखिम आधार पर जारी की गई है, जिस कारण दिनांक 31 मार्च, 2017 को मूल बैंक का कुल अग्रिम ₹ 22,991.22 करोड़ घट गया है.

इस मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट सीमित नहीं है.

अन्य मामले

8. हमने समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल निम्नलिखित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है.

(i) दो अनुषंगियों, जिनकी वित्तीय विवरणियों में दिनांक 31 मार्च, 2017 को कुल आस्तियां ₹1445.51 करोड़ तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹147.17 करोड़ तथा शुद्ध नकद प्रवाह ₹18.12 करोड़ दर्शाया गया है.

(ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए चार एसोशिएट्स ने ₹ 14.90 करोड़ की शुद्ध हानि दर्शायी है.

ये वित्तीय विवरणियां अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है एवं हमारा मत पूर्णत: अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए नीरव जे. संघवी)
भागीदार
सदस्यता सं. 147529

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.एन.नं. 301051ई

(सीए एच. के वर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 055104

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समेकित तुलन पत्र

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2017 को ₹	31 मार्च 2016 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	**19,021,710**	16,897,143
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	**156,262,574**	162,828,564
अल्पसंख्यक हित	2A	**346,226**	350,698
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित		**6,830,000**	5,350,000
जमा राशियां	3	**2,973,092,266**	2,666,863,037
उधार राशियां	4	**96,233,038**	95,031,181
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	**95,163,415**	118,890,830
कुल		**3,346,949,229**	**3,066,211,453**
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	**750,871,801**	140,702,036
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	**37,077,881**	14,994,534
निवेश	8	**922,765,612**	890,866,808
ऋण एवं अग्रिम	9	**1,404,643,626**	1,808,951,840
अचल आस्तियां	10	**42,910,404**	43,601,348
अन्य आस्तियां	11	**188,591,009**	167,005,990
समेकन पर गुडविल		**88,896**	88,896
कुल		**3,346,949,229**	**3,066,211,452**
आकस्मिक देयताएं	12	**833,678,266**	768,077,394
संग्रहण हेतु बिल		**91,689,353**	118,375,835
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन के नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची समेकित तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

(पी. रमण मूर्ती)	(बी.के. दिवाकर)	(राजीव ऋषि)
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुम्बई

दिनांक: 23 मई, 2017

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय	**केतुल आर. पटेल**	**एन. नित्यानंद**
निदेशक	निदेशक	निदेशक

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ एन.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए नीरज जे. संघवी)
भागीदार
सदस्यता सं. 147529

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए एच के वर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 055104

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते में एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 23 मई, 2017

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

	विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज एवं लाभांश	13	**247,746,497**	259,876,567
	अन्य आय	14	**28,714,687**	19,444,718
	कुल		**276,461,184**	**279,321,285**
II.	**व्यय**			
	प्रदत्त ब्याज	15	**181,664,503**	188,892,984
	परिचालन व्यय	16	**63,782,732**	63,776,909
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		**55,426,865**	37,708,130
	कुल		**300,874,100**	**290,378,023**
III.	**लाभ/(हानि)**		**(24,390,979)**	(11,176,700)
	अल्पांश ब्याज एवं पूर्वावधि मद के पूर्व, वर्ष का मूल एवं अनुषंगियों का समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)		**(24,412,916)**	(11,056,738)
	घटायें:पूर्वावधि मद		**(5,865)**	(3,004,923)
	घटायें:अल्पांश ब्याज		**(25,806)**	(47,853)
	अल्पांश ब्याज एवं पूर्वावधि मद को घटाने के पश्चात, वर्ष का समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)		**(24,444,587)**	(14,109,514)
	जोड़े: एसोशिएट्स की आय में हिस्सेदारी		**(149,023)**	145,863
	समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)		**(24,593,610)**	(13,963,651)
	जोड़े: समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष का आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)		**(22,369,074)**	(7,389,809)
	विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**(46,962,684)**	**(21,353,460)**
IV.	**विनियोजन**			
	को अंतरित :			
	सांवधिक आरक्षित		**-**	10,000
	निवेश आरक्षित		**3,837,383**	925,930
	राजस्व आरक्षित		**12,081**	9,541

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष
लाभांश पर कर		**5,711**	17,849
विशेष आरक्षित 36(1)(iii) के अंतर्गत		**38,322**	28,710
एनएचबी के निर्देशों के अनुसार विशिष्ट निधियों पर डीटीएल का विनियोजन		**27,212**	21,128
सीएसआर आरक्षित		**1,771**	2,456
तुलन पत्र में लाया गया शेष		(50,885,164)	(22,369,074)
कुल		**(46,962,684)**	**(21,353,460)**
प्रति शेयर आय (₹ में)- मूल (सामान्य मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर)		**(13.46)**	(8.42)
प्रति शेयर आय (₹ में)- डाल्यूटेड (सामान्य मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर)		**(13.46)**	(8.42)
विशेष लेखांकन नीतियां	17		
लेखा की टिप्पणियां	18		

उपर्युक्त संदर्भित समेकित लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है।

(पी. रमण मूर्ती)	(बी.के. दिवाकर)	(राजीव ऋषि)
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुम्बई

दिनांक: 23 मई, 2017

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय	**केतुल आर. पटेल**	**एन. नित्यानंद**
निदेशक	निदेशक	निदेशक

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ एन.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए नीरज जे. संघवी)
भागीदार
सदस्यता सं. 147529

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए एच के वर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 055104

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते में एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 23 मई, 2017

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		**50,000,000**		50,000,000
प्रत्येक ₹10/- के 500,00,00,000 शेयर				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी	**19,021,710**		16,897,143	
इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10/- के 1902170964 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1689714269 इक्विटी शेयर)(सहित केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹10/- के 1546139179 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1350827438 इक्विटी शेयर)				
कुल		**19,021,710**		**16,897,143**
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. **सांविधिक प्रारक्षित निधियां**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**20,759,131**		20,749,131	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**-**		10,000	
		20,759,131		20,759,131
II. **पूंजीगत प्रारक्षित निधियां**				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**32,923,456**		18,141,601	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन से वृद्धि	**-**		15,861,477	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	**(869,678)**		(242,973)	
वर्ष के दौरान कटौती	**-**		(836,649)	
		32,053,778		32,923,456
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**6,335,315**		5,409,385	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**3,837,383**		925,930	
		10,172,698		6,335,315
III. **शेयर प्रीमियम**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**100,895,300**		99,554,023	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	**17,763,339**		1,341,277	
		118,658,639		100,895,300
IV. **राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां**				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**23,148,989**		23,195,883	
जोड़े: पूंजी राजस्व से अंतरण	**869,678**		242,973	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**405,145**		103,220	

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
	₹	₹	₹	₹
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-		(393,087)	
(*) घटाएं: आरम्भिक शेष समायोजन	**(94,089)**		-	
		24,329,723		23,148,989
V. धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष राजस्व		**1,173,769**		1,135,447
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		**(50,885,164)**		(22,369,074)
कुल		**156,262,574**		**162,828,564**

(*) यह समायोजन मुख्यत: क्षे.ग्रा.बैं. के पिछले लेखापरीक्षित परिणामों में परिवर्तन होने के कारण किया गया. पिछले वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियां, ऐसे क्षे. ग्रा.बैं. के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर तैयार किया गया था.

अनुसूची 2 ए : अल्पसंख्यक हित

अल्पसंख्यक हित उस दिनांक को जब मुख्य/अनुषंगी संबंध स्थापित हुआ	**24,500**		24,500	
अनुवर्ती वृद्धि/कमी	**321,726**		326,198	
तुलन पत्र के दिनांक को अल्पसंख्यक हित		**346,226**		**350,698**

अनुसूची 3 : जमाराशियां

ए.	I.	मांग जमाराशियां				
		i) बैंक से	**3,970,883**		2,703,264	
		ii) अन्य से	**127,996,864**		116,741,263	
				131,967,747		119,444,527
	II.	बचत बैंक जमाराशियां		**1,031,024,978**		824,849,145
	III.	सावधि जमाराशियां				
		i) बैंक से	**55,146,215**		59,876,105	
		ii) अन्य से	**1,754,953,326**		1,662,693,260	
				1,810,099,541		1,722,569,365
		कुल		**2,973,092,266**		**2,666,863,037**
बी.	i)	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**2,973,092,266**		2,666,863,037
	ii)	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-

(000 को छोड़कर)

विवरण		31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची 4 : उधार राशि					
I. भारत में उधार राशियां					
i)	भारतीय रिज़र्व बैंक	**110,053**		8,250,000	
ii)	अन्य बैंक	**32,039,249**		2,670,829	
iii)	अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	**6,961,736**		15,549,352	
iv)	अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	**11,881,000**		18,881,000	
v)	अपर टियर II बॉन्ड्स	**28,850,000**		28,850,000	
vi)	नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	**1,391,000**		10,830,000	
vi)	असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉण्डस (टीयर II)	**15,000,000**		10,000,000	
			96,233,038		95,031,181
II. भारत के बाहर उधारराशियां			**-**		-
कुल			**96,233,038**		95,031,181
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान					
I.	देय बिल	**7,502,369**		6,624,509	
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	**-**		-	
III.	उपचित ब्याज	**8,103,468**		15,276,239	
IV.	आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	**-**		-	
V.	अन्य (प्रावधान सहित)	**79,557,578**	**95,163,415**	96,990,082	118,890,830
कुल			**95,163,415**		**118,890,830**
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि					
I.	हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		**17,698,362**		16,591,496
II.	भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
	चालू खातों में	**126,173,439**		124,110,540	
	अन्य खातों में	**607,000,000**		-	
			733,173,439		124,110,540
कुल			**750,871,801**		**140,702,036**

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	**1,566,022**		1,676,097	
बी) अन्य जमा खातों में	**285,627**		295,800	
		1,851,649		1,971,897
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	-		12,000,000	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	**34,999,852**		-	
		34,999,852		12,000,000
कुल.... I		**36,851,501**		**13,971,897**
II. **भारत के बाहर**				
ए) चालू खातों में	**226,380**		1,022,637	
बी) अन्य जमा खातों में	-		-	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
कुल.... II		**226,380**		**1,022,637**
कुल..... (I +II)		**37,077,881**		**14,994,534**
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश : ङ				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	**741,004,932**		665,614,484	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	**13,570,132**		10,533,842	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	**103,512,402**		172,776,411	
v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	**3,777,972**		4,215,494	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि	**59,644,045**		36,523,356	
		921,509,483		889,663,587

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
	₹	₹	₹	₹
II. भारत के बाहर निवेश ङ				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-	
ii) एशोसिएट्स में निवेश	**1,256,129**		1,203,221	
		1,256,129		1,203,221
कुल		**922,765,612**		**890,866,808**
ङ भारत में निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	**938,476,113**		899,935,472	
घटाएं: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**16,966,630**		10,271,885	
शुद्ध निवेश		**921,509,483**		889,663,587
** भारत के बाहर निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	**1,256,129**		1,203,221	
घटाएं: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध निवेश		**1,256,129**		1,203,221
कुल		**922,765,612**		**890,866,808**
अनुसूची 9 : ऋण एवं अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गऐ बिल	**16,294,564**		17,819,792	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	**660,396,248**		748,150,651	
iii) मीयादी ऋण	**727,952,814**	**1,404,643,626**	1,042,981,397	1,808,951,840
कुल		**1,404,643,626**		**1,808,951,840**
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	**1,309,502,337**		1,644,934,067	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	**2,640,519**		5,150,950	
iii) अरक्षित	**92,500,770**	**1,404,643,626**	158,866,823	1,808,951,840
कुल		**1,404,643,626**		**1,808,951,840**
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**705,314,049**		767,051,114	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	**47,756,724**		99,953,724	
iii)बैंक	**9,461**		1,445	
ग) अन्य	**651,563,392**	**1,404,643,626**	941,945,557	1,808,951,840
कुल		**1,404,643,626**		**1,808,951,840**
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-

(000 को छोड़कर)

विवरण		31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां					
I.	परिसर				
	(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
	पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	**40,106,596**		24,850,974	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन (पुनर्मूल्यांक सहित)	**21,941**		16,521,255	
कुल		**40,128,537**		**41,372,229**	
	वर्ष के दौरान कमी / समायोजन	-		1,265,633	
कुल		**40,128,537**		**40,106,596**	
	इस दिनांक को मूल्यह्रास	**5,940,880**		4,980,991	
	कुल.....I		**34,187,657**		**35,125,605**
II	**अन्य अचल आस्तियां**				
	(फर्नीचर एव जुडनार सहित)				
	पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	**24,716,664**		22,949,060	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	**2,480,698**		2,403,413	
कुल		**27,197,362**		**25,352,473**	
	वर्ष के दौरान कमी / समायोजन	**(823,878)**		(635,809)	
कुल		**26,373,484**		**24,716,664**	
	इस दिनांक को मूल्यह्रास	**17,650,737**		16,240,921	
	कुल..... II		**8,722,747**		**8,475,743**
	कुल..... (I + II)		**42,910,404**		**43,601,348**
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां					
I.	उपचित ब्याज	**14,945,208**		14,957,064	
II.	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर	**52,821,130**		40,164,905	
	(शुद्ध प्रावधान)				
III.	स्टेशनरी एवं स्टाम्प	**179,363**		180,736	
IV.	आस्थगित कर आस्तियां	**23,443,616**		10,849,098	
V.	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध).	**3,061,561**		35,311,345	
VI.	अन्य	**94,140,131**		65,542,842	
			188,591,009		167,005,990
कुल			**188,591,009**		**167,005,990**

(000 को छोड़कर)

विवरण			31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
			₹	₹	₹	₹
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं						
I.	(ए)	बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है		**1,093,047**		1,310,319
	(बी)	अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		**33,024,359**		24,762,801
II.		आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		**139,225**		249,303
III.		बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		**547,105,565**		507,501,883
IV.		ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी				
	ए)	भारत में	**107,887,762**		103,472,432	
	बी)	भारत के बाहर	**3,852,663**		7,676,745	
				111,740,425		111,149,177
V.		स्वीकृतियां, पृष्ठांसन तथा अन्य दायित्व		**137,965,386**		121,103,911
VI.		अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मकि रूप से देनदार है		**2,610,259**		2,000,000
कुल				**833,678,266**		**768,077,394**

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश			
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	**163,916,830**	190,737,578
II.	निवेशों पर आय	**73,767,956**	64,775,511
III.	भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	**6,388,242**	953,046
IV.	अन्य	**3,673,469**	3,410,432
कुल		**247,746,497**	**259,876,567**
अनुसूची 14 : अन्य आय			
I.	कमीशन, विनिमय एवं दलाली	**9,323,573**	9,113,436
II.	निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	**15,416,557**	5,868,186
III.	विनिमय लेनदेनों पर लाभ / (हानि) (शुद्ध)	**1,690,688**	1,649,588
IV.	भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ /(हानि)	**(12,412)**	743,181
V.	भारत/विदेशों में स्थित अनुषंगियों एवं सहयोगियों से लाभांश के रूप में अर्जित आय	-	66,131
VI.	विविध आय	**2,296,281**	2,004,196
कुल		**28,714,687**	**19,444,718**
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज			
I.	जमाओं पर ब्याज	**173,272,028**	176,497,091
II.	भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज	**843,086**	2,775,487
III.	अन्य	**7,549,389**	9,620,406
कुल		**181,664,503**	**188,892,984**

(000 को छोड़कर)

विवरण		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय			
I.	कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	**42,212,011**	44,721,541
II.	किराया, कर एवं बिजली	**4,479,501**	4,023,231
III.	मुद्रण एवं लेखनसामग्री	**438,870**	445,079
IV.	वि%ाापन एवं प्रचार- प्रसार	**333,911**	309,973
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	**2,576,928**	2,397,889
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	**11,519**	12,071
VII.	लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**302,344**	253,403
VIII.	विधि प्रभार	**216,489**	196,606
IX.	डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	**471,712**	748,134
X.	मरम्मत एवं रखरखाव	**1,208,221**	695,869
XI.	बट्टाकृत अशोध्य ऋण	**5,130**	14,197
XII.	बीमा	**3,253,827**	2,700,012
XIII.	अन्य व्यय	**8,272,269**	7,258,904
कुल		**63,782,732**	**63,776,909**

अनुसूची 17 - समेकित खातों की महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. ए) तैयार करने का आधार :

संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए, परिसरों के पूनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं. एवं सभी तात्विक पहलुओं के संबंध में वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान (जहां लागू हों) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम1987, आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) अनुदेश 2010, कंपनी अधिनियम 2013, के प्रावधानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाएं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं समाविष्ट हैं.

बी) प्राक्कलनों का उपयोग :

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सूचित आय एवं व्यय पर विचार करते हुए प्रबंधतंत्र के प्राक्कलनों और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है. प्रबंधतंत्र को यह विश्वास होता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं. आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जब किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो.

2. समेकन प्रकिया

2.1 समूह (2 अनुषंगियों एवं 4 असोशिएट्स के साथ ड3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है:

ए. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां

बी. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-21 "समेकित वित्तीय विवरणों" के अनुसार, सभी महत्त्वपूर्ण अंत:समूह शेषों/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानियों को समाप्त करने के पश्चात एवं इन अनुषंगियों से उनके सम्बंधित लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर मूल बैंक की समरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक रहा है, का समायोजन करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की संगत मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है.

सी. असोशिएट्स में निवेश, जहां समूह के पास 20% अथवा उससे अधिक का मतदान अधिकार प्राप्त है और इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-23 "समेकित वित्तीय विवरणों में असोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" के अनुसार इक्विटी प्रणाली का उपयोग करने के लिए निकाला गया है तथा जहां समायोजन करना आवश्यक हुआ है, समायोजन करने के पश्चात मूल बैंक की एकरूप लेखांकन नीतियों के समनरूप. इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक असोशिएट्स, की वित्तीय विवरणियां स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप तैयार की गई हैं. इन असोशिएट्स से प्राप्त वित्तीय विवरणियां ही उनके इन समकित विवरणियों में समावेशन का संपूर्ण आधार तैयार करती हैं

डी. असोशिएट्स अर्थात इंडो जांबिया बैंक का लेखांकन वर्ष कैलेन्डर वर्ष है. यदि असोशिएट्स का लेखांकन वर्ष अगर मूल बैंक से भिन्न होने के मामलों में, लेखापरीक्षित अवधि के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लाभ का आनुपातिक हिस्सा लिया जाय एवं गैर लेखापरीक्षित अवधि के लिए, गैर लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लाभ का हिस्सा लिया जाय.

2.2 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में माइनॉरिटी हितों में निम्न शामिल है

i. अनुषंगी में किए गए निवेश की तिथि को माइनॉरिटी को आरोप्य इक्विटी की राशि,

एवं

ii. मूल बैंक एवं अनुषंगी के सम्बंध अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी में माइनॉरिटी के हिस्से में संचलन.

3. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

3.1 फेडाई के निर्देशानुसार लेनदेनों को प्रारम्भ में साप्ताहिक औसत दर पर दर्ज किया जाता है.

3.2 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

3.3 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है.

3.4 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं.

3.5 बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

4. निवेश :

(ए) मूल बैंक :

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित', 'व्यापार हेतु धारित' तथा 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

i. सरकारी प्रतिभूतियां

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

iii. शेयर्स

iv. डिबेंचर्स एवं बॉण्डस्

v. अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं

vi. अन्य (यूटीआई शेयरों, वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स).

4.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

i) परिपक्वता तक धारित

इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है. अनुषंगी एवं सहयोगीमें निवेश को भी ''परिपक्वता तक धारित'' के अंतर्गत श्रेणीकृत किया जाता है.

ii) व्यापार के लिए धारित

प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुन: बिक्री के लिए रखी जाती हैं.

iii) विक्रय के लिए उपलब्ध

वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं.

4.3 इस श्रेणी मे वर्गीकृत प्रतियूतियों का तीन श्रेणियों अंतरण / परिवर्तन को अंतरण दिनांक को अधिग्रहण लागत / बही मूल्य में से जो भी कम हो. पर लेखागत किया जाता है ऐसे अंतरं में यदि कोई मूल्यह्रास होतो उसका पूर्ण प्रावधान किया जाता है.

4.4 मूल्यनिर्धारण :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है.

अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश का मूल्यांकन अधिग्रहण लागत पर किया जाता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार बाजार के लिए निम्नवत चिन्हित किया जाता है :

i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए/ पीडीएआई द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर

ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर

iii) ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए/ पीडीएआई द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर		
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां,	परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर		
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर		
iv)	इक्विटी शेयर्स	ए)	उद्धृत :	बाजार मूल्य पर
		बी)	अनुद्धृत :	प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) तुलनपत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो.
v)	अधिमानी शेयर्स	ए)	उद्धृत :	बाजार मूल्य पर
		बी)	अनुद्धृत :	परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड्स	ए)	उद्धृत :	(पिछले 15 दिनों में व्यापार किए गए) अंतिम व्यापार मूल्य पर
		बी)	अनुद्धृत :	परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्युच्युअल फंड	ए)	उद्धृत :	बाजार मूल्य पर
		बी)	अनुद्धृत :	पुन: क्रय मूल्य पर या शुद्धआस्ति मूल्य (जहां पुन: क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ)	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के ब्रेक-अप आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीए) के लिए ₹1/-		
Ix	प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर)	एससी /एआरसी द्वारा सूचित आस्ति मूल्य पर		

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि को गणना में नहीं लिया गया है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि है, को गणना में नहीं लिया गया है.

4.5 लागत निर्धारण :

i) निवेश की लागत का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है.

ii) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त ब्रोकरेज, प्रोत्साहन, प्रारम्भिक शुल्क इत्यादि को निवेश की लागत में से घटाया जाता है.

iii) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च यथा ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन अथवा करों को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है.

4.6 आय निर्धारण :

i. निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि 'पूंजी प्रारक्षित निधि' में विनियोजित की गयी है.

ii. निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यह्रास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.

iii. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण को अवमानक/संदिग्ध/हानि, जैसा भी मामला हो, के साथ में वर्गीकृत किया जाता है यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हों अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हों.

iv. प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है.

(बी) अनुषंगियां

4.7 अनुषंगियों के मामलों में, निवेशों को चालू एवं गैर चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेश निम्न लागत अथवा बाजार मूल्य पर किए जाते हैं एवं गैर चालू निवेश लागत पर किए जाते है. यदि मूल्य में ह्रास स्थायी प्रकृति की है तो ह्रास के लिए प्रावधान, यदि है तो गैर चालू निवेश के मूल्य पर ही किया जाता है.

5. डेरिवेटिव्ज :

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज को निम्नानुसार लेखांकन किया गया है.

i. ऐसे मामलों में, जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

ii. जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

iii. स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

6. अग्रिम :

6.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हो.

6.2 वाद दायर, डिक्रीकृत खातों तथा समझौता मामलों में जहां वसूली पहले मूल धन के लिए अथवा डिक्री/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाती है, को छोड़ कर एनपीए खाते में वसूलियों को पहले मूल धन की अनियमितताओं के लिए समायोजित किया जाता है.

6.3 अग्रिम प्रावधानों, (एनपीए के मामलों में) अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं.

6.4 मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य में शामिल हैं.

6.5 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

i) यदि एससी/एआरसी को की गयी बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी या तो लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है अथवा दिनांक 26.02.2014 को अथवा उसके पश्चात की गयी आस्तियों की बिक्री पर इस प्रकार की कमी को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो / एक वर्ष की अवधि में समय विस्तारित किया गया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन है.

ii) यदि नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर बिक्री हुई हो तो उस आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है.

iii) यदि एसी/आरसी को एनबीवी के मूल्य से अधिक पर बिक्री हुई हो तो नकद वसूली के समान प्रावधान आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है एवं शेष बचे प्रावधान आधिक्य को एसी/आरसी को बेचे जाने वाली वितीय आस्तियों की कमी/हानि के लिए उपयोग करने हेतु रखा जाता है.

6.6 सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लिमिटेड के मामले में, ऋणों एवं अगिमों पर प्रावधान, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है.

6.7 सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लिमिटेड के मामले में, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) जहां ब्याज की गणना वसूली होने पर की जाती है, ऐसे मामले को छोड़कर ब्याज आय उपचय आधार पर मानी जाती है. ऋणों में, मूलधन एवं ब्याज सहित चुकौती समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के माध्यम से प्राप्त की जाती है. ब्याज की गणना माह के आरम्भ में बकाया शेष के आधार पर की जाती है. संपूर्ण ऋण संवितरित होने के पश्चात ईएमआई शुरू होती है. ईएमआई का आरम्भ होना लम्बित रहने पर, प्री-ईएमआई मासिक ब्याज वसूल किया जाता है. एनपीए के मामले में वसूली होने पर पहले बकाया ईएमआई के ब्याज अंश को वसूल किया जाता है एवं इसके पश्चात बकाया ईएमआई के मूलधन अंश को वसूल किया जाता है.

7. अचल आस्तियां/मूल्यह्रास :

(ए) मूल बैंक

7.1 अचल आस्तियों का मूल्यह्रास 'मूल्यह्रासित मूल्य प्रणाली' के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यह्रास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है):

i.	परिसर	अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii.	फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii.	वाहन	20%
iv.	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v.	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%

(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है)

7.2 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है तथा 99 वर्ष या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है. पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

7.3 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां मूल्यह्रास सम्मिश्र लागत पर किया गया है.

7.4 ये आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनका मूल्यह्रास / परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है, जिसे लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि को निरूपण योग्य वृद्धिशील मूल्यह्रास / परिशोधन को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधी से अंतरित कर राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां में जमा किया गया है.

7.5 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है.

(बी) अनुषंगियां

7.6 अनुषंगियों के मामलों में, सेन्टबैंक फाइनैंसशियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले को छोड़ कर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी, 2013 के अनुसूची II में निर्धारित दरों के अधार पर सरल रेखा पद्धति पर किया जाता है, अमूर्त आस्तियों पर प्रबंधन एवं परिशोधन के अनुसार निर्धारित 5 वर्ष की आस्तियों की उपयोगिता काल परिशोधित है.

8. कर्मचारी लाभ :

8.1 कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान दी गयी सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों को उपचित किया गया है. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, वे होते हैं जो उस वर्ष प्रदान की गयी सेवाओं के लिए संबंधित वर्ष के लाभ हानि के खाते में व्यय के रूप में माना गया है.

28.2 परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेच्युटि में अंशदान, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयताओं का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से प्राप्त वर्तमान मूल्य के आधारपर वर्षके अंत में किया गया है. बीमांकित लाभ / हानि की गणना उनके उत्पन्न होने वाले वर्ष में ही की जाती है.

8.3 सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि. के मामले में ग्रेच्युइटी राशि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह परिपक्वता योजना में निवेश किया गया है. कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में कम्पनी का योगदान सरकारी भविष्य निधि द्वारा किया जाता है एवं लाभ-हानि के विवरणियों में प्रभारित किया जाता है. अवकाश नकदीकरण देयता का प्रावधान वर्ष के अंत में कर्मचारियों के शेष अर्जित अवकाश के आधार पर गणना की जाती है.

9. आय एवं व्यय की पहचान :

9.1 विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/ व्यय की मदों को सामान्यत: उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

9.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई मद कुल आय / कुल व्यय के 1% से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया गया है.

9.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किया जाता हैं.

9.4 सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि. के मामले में, ऋणों एवं अग्रिमों पर आय का निर्धारण राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है.

9.5 सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि. के मामले में, फीस एवं अन्य प्रभारों जैसे लॉगिन फीस, अतिदेय पर दंडस्वरूप ब्याज, पूर्वभुगतान प्रभार इत्यादि से प्राप्त आय को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है.

9.6 सेन्टबैंक फैनांसियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले में, निर्वाहक ट्रस्टी व्यवसाय के संबंधों में आय, ट्रस्ट खाते से संबंधित लेनदेन होने पर प्राप्त की जाती है. डिवेंचर एवं प्रतिभूति ट्रस्टीशिप सेवाओं से प्राप्त राजस्व आवधिक आधार पर निर्धारित की जाती है एवं वाद दखिल और/अथवा बीआईएफआर कम्पनियों के डिवेंचर ट्रस्ट्रीशिप व्यवसाय से होने वाले आय जिसमें प्राप्य आधार पर गणना की जाती है, को छोड़कर उपचय आधार पर गणना की जाती है.

10. आयकर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, एक समय में उत्पन्न होने वाली कर योग्य आय तथा लेखा आय को पश्चवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तित करने में सक्षम समय अंतराल को भी ध्यान में रखते हैं. आस्थगित कर आस्तियों को उतना ही माना जाएगा जितने के लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के समक्ष पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होनेकी तर्कसंगत सुनिश्चितता हो. आगे लाए गए अनवशोषित अनवशोषित मूल्यह्रास एवं कर हानि के मामलों में, आस्थगित कर आस्तियों को तभी माना जाएगा जब ऐसी आस्थगित कर आस्तियों केा भावी कर योग्य आय से हासिल किया जा सकेगा. आस्थगित कर आस्तियों की धारित राशि की वसूली के पुनर्आकलन के कारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है. विवादित कर देयताओं का लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें कर निर्धारण/अपील कार्रवाई पूर्ण होती है, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है.

11. प्रति शेयर आय:

बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटि शेयरधारक को पात्र अब्धि के लिए आरोप्य शुद्ध लाभ/हानि को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बकाया शेष शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है.

12. विविध अनाबंटित आय एवं प्राप्त राशियां

सेन्ट बैंक वित्तीय सेवाएं लि. के मामले में, जिन लाभार्थियों का विवरण प्राप्त न किया जा सके उन लाभार्थी की प्राप्त राशियों को सांकेतिक खाते के ''विक्रिव्य लेनदार अदावाकृत लाभांश/ब्याज एवं अनाबंटित मोचन पर अदावाकृत प्राप्त राशि'' में जमा की जाती है. भुगतानकर्ता से जैसे ही लाभार्थी के बारे में विवरण प्राप्त होते हैं उस राशि को लाभार्थी के संबंधित खाते में अंतरित कर दिया जाता है.

13. प्रावधान, आकस्मिकता एवं अनुषंगी आस्तियां

पिछले कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चित समय अथवा राशि के ऐसे वर्तमान दायित्वों जिनका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो एवं उन दायित्वों के समाधान के लिए आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों का बहिर्गमन संभव हो, के वर्तमान दायित्वों के लिए प्रावधान मान्य किए जाते हैं जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता संभावित न हो अथवा राशि का विश्वस्त आकलन नहीं किया जा सकता हो तो आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावनाके अत्यन्त क्षीण रहने तक ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप मेंप्रकट किया जाता है.

अंतिम वित्तीय विवरणियों में अनुषंगी आस्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

(पी. रमण मूर्ती)
कार्यपालक निदेशक

(बी.के.दिवाकर)
कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ आर.नं. 101647डब्ल्यू

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए नीरव जे. संघवी)
भागीदार
सदस्यता सं. 147529

(सीए एच के वर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 055104

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

कृते में एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 000478एन

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 23 मई, 2017

अनुसूची 18 : समेकित लेखों के भाग स्वरुप वित्तीय टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल अनुषंगियाँ एवं असोशिएट्स

1.1 समेकित वित्तीय विवरणियों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो अनुषंगियाँ (जिन्हें सम्मिलित रूप से ''समूह'' के संदर्भित किया गया है) एवं 4 असोशिएट्स, जिनमें मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड नाम से का विवरण निम्नानुसार है :

अनुषंगी/असोशिएट का नाम	निगमन-देश दिनांक	31 मार्च, 2017 को स्वामित्व हित	31 मार्च, 2016 को स्वामित्व हित
सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	64.40%	64.40%
सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	100.00%	100.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (असोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (असोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (असोशिएट)	जाम्बिया	20.00%	20.00%

1.2 अनुषंगियां जो समेकित में उपयोग किए गए हैं, को उसी तारीख को तैयार किया गया है, जिस तारीख को मूल बैंक की तैयार की गई हैं अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2017 को सिवाय इंडो जाम्बिया बैंक लि. के जिसकी रिर्पोटिंग अवधि कैलेन्डर वर्ष है. तदापि लाभ की राशि 9 माह की लेखापरीक्षित एवं 3 माह के अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर ली गई है. इस एसोशिएट्स की वित्तीय विवरणी स्थानीय नियमों के अंतर्गत अपनाए गए लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार किए गए हैं. प्रबंधन के अभिमत का प्रभाव कोई खास नहीं है.

1.3 एसोशिएट्स में मूल बैंक के लाभ / हानि का संचित शेयर, समूह के संचित आरक्षित निधियों में सदृश समायोजन के साथ निवेश के रखाव लागत सहित जोड़ा/ घटाया गया है.

1.4 अन्य आवास वित्त संस्थानों की तरह सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लिमिटेड लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है, जबकि जमाएं/ देयताएं लघु अवधि के लिए प्राप्त की जाती है, जिससे असंगतता उत्पन्न होती है. इसे पर्याप्त ऋण सुविधा की उपलब्धता कराई जा रही है.

2. समेकित वित्तीय विवरणी बनाने में, कुछ मामलों में, अनुषंगियों द्वारा एक ही प्रकार के लेन देन के लिए अलग लेखांकन नीतियां अपनाई गयी हैं, जिसके लिए, आवश्यक जानकारी के अभाव में समुचित समायोजन नहीं किए गए. प्रबंधन के विचार से यह कोई बड़ी बात नहीं है.

3. मूल बैंक

3.1 पूंजी

3.1.1 दिनांक 31 मार्च 2017 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी बढ़कर ₹ 1902.17 करोड़ हो गयी जो पिछले वर्ष ₹ 1689.71 करोड़ थी. यह वृद्धि तीन आबंटनों में ₹ 10/- प्रत्येक के 212456695 नए इक्विटी शेयर्स जारी करने से हुई है.

ए. दिनांक 12.05.2016 को भारत सरकार को ₹ 64.82 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 71504945 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

बी. दिनांक 08.09.2016 को भारत सरकार को ₹ 94.76 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 123806796 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

सी. दिनांक 05.12.2016 को भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 81.45 प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 17144954 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

3.1.2 बैंक ने शेयर पूंजी के लिए दिनांक 31.03.2017 को भारत सरकार से ₹ 100.00 करोड़ प्राप्त किया है. लंबित शेयर आबंटन के सापेक्ष, यह राशि शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन के अंतर्गत दिखाई गयी है.

3.1.3 भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10.00 लाख के अंकित मूल्य के 5830 नवोन्मेषी बेमियादी कर्ज लिखत के उन्मूलन से की गई ₹ 583.00 करोड़ की उगाही को शेयरों के शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन खाता में रखा गया है.

3.2 बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है :

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- उचंत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए दर्पण खाते
- कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का डाटा/सिस्टम अध्यतन

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होगा.

3.3 आय कर / आस्थगित कर :

3.3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.

3.3.2 अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii).में ₹ 3298.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2472.23 करोड़)] शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए या आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयो के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया.

3.4 परिसर :

बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में ₹ 1.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.63 करोड़) की प्रापर्टी शामिल है जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी भी प्रक्रियाधीन हैं.

ऐसी आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनमें मूल्यह्रास का प्रावधान पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है एवं लाभ/हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 86.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 24.30 करोड़) पर आरोप्य वृद्धिशील मूल्यह्रास की राशि को मूल्यह्रास आरक्षित निधी से अंतरित कर राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधी में जमा किया गया है.

3.5 अग्रिम / प्रावधान : अग्रिम / प्रावधान :

3.5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पतियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.

3.5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए सकल एनपीए में से फ्लोटिंग प्रावधान ₹100.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 100.56 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान की राशि ₹47.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 47.34 करोड़) की शुद्धि की गई है.

3.5.3 अग्रिमों की आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने मानक अग्रिमों के समक्ष ₹ 289.69 करोड़ की वृद्धिगत प्रावधान रखे हैं.

3.5.4 अनार्जक आस्तियों के लिए अस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानों में विचलन का प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए भारिबैं द्वारा अनुमानित अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताएं एवं अतिरिक्त सकल एनपीए क्रमश: प्रकाशित कर पश्चात शुद्ध हानि एवं वृद्धिगत सकल एनपीए के 15% से अधिक है, यह निम्नलिखित प्रकटीकरण आस्ति वर्गीकरणएवं एनपीए हेतु प्रावधान में विचलन से संबंधी भारिबैं की परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.नं. 63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18.04.2017 के अनुसार बनाई गई है.

इ

क्र. सं.	विवरणराशि	राशि
1.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को सकल एनपीए	22720.88
2.	भारिबैं के निर्धारण अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को सकल एनपीए	24818.03
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	2097.15
4.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को शुद्ध एनपीए	13241.80
5.	भारिबैं के निर्धारण अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को शुद्ध एनपीए	14644.35
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (2-1)	1402.55
7.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को एनपीए हेतु प्रावधान	8238.00
8.	भारिबैंक के निर्धारण के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को एनपीए हेतु प्रावधान	8932.60
9.	प्रावधानों में विचलन (2-1)	694.60
10.	दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट की गई कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी)	(1418.19)
11.	प्रावधानों में विचलन की गणना करने के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी) समायोजित (काल्पनिक)	(2112.79)

3.6 आरबीआई द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके मानदंडों की अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत बैंक को ₹ 0.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.16 करोड़) से दण्डित किया है.

4. लेखांकन मानकों का अनुपालन

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाता है :
लेखांकन मानकों का अनुपालन

4.1 लेखांकन मानक - 9

मूल लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के क्रम 9 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की की गई है. तथापि, कथित आय को महत्त्वपूर्ण नहीं माना गया है.

4.2 लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) मूल बैंक

4.2.1 कर्मचारी लाभ : मूल बैंक

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
सारणी में सुपरिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन पर्दर्शित है :				
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	**1490.34**	**11153.04**	1308.74	9713.80
ब्याज लागत	**116.92**	**869.55**	100.34	743.14
वर्तमान सेवा लागत	**50.26**	**86.00**	41.80	90.20
गत सेवा लागत (अनिहित)	**0**	**0**	0	0
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	**0**	**0**	0	0
देयता अंतरण	**0**	**0**	0	0
देयता अंतरण बाह्य	**0**	**0**	0	0
प्रदत्त लाभ	**(180.07)**	**(901.19)**	(167.28)	(912.59)
बीमांकिक (लाभ)/हानि दायित्व	**369.68**	**1276.68**	206.74	1518.49
वर्ष के अंत में देयताएं	**1847.13**	**12484.08**	1490.34	11153.04
उचित मूल्य पर योजना आस्तियां की सारणी :				
वर्ष के प्रारंभ में उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	**1493.19**	**10659.96**	1212.31	9312.55
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	**129.55**	**958.12**	128.08	899.78
अंशदान	**204.15**	**1678.00**	343.50	1486.00
अन्य कंपनी से अंतरण	**0**	**0**	0	0
कंपनी से अंतरण	**0**	**0**	0	0
प्रदत्त लाभ	**(180.07)**	**(901.19)**	(167.28)	(912.59)
योजना आस्तियों की बीमांकिक लाभ/(हानि)	**9.91**	**25.11**	(23.42)	(125.78)
समाप्त वर्ष पर उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	**1656.73**	**12420.00**	1493.19	10659.96
मान्यता प्राप्त कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	**(359.77)**	**(1251.57)**	(230.16)	(1644.26)
विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
लाभ-हानि खाता में स्वीकृत व्यय :				
चालू सेवा लागत	**50.26**	**86.00**	41.80	90.20
ब्याज लागत	**116.92**	**869.55**	100.34	743.14
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	**(129.55)**	**(958.12)**	(128.08)	(899.78)
स्वीकृत गत सेवा लागत (अनिहित लाभ)	**0**	**0**	0	0
स्वीकृत गत सेवा लागत (निहित लाभ)	**0**	**0**	0	0
स्वीकृत संक्रमित देयता	**0**	**0**	0	0
बीमांकिक लाभ/हानि	**359.77**	**1251.57**	230.16	1644.26
पी एवं एल में स्वीकृत व्यय	**397.40**	**1249.00**	244.22	1577.83

विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
	उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
मूल बीमांकिक पूर्वधारणा का प्रयोग (%)				
चालू छूट दर	**7.27**	**7.45**	8.06	8.06
चालू योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर	**7.27**	**7.45**	8.06	8.06
वेतन वृद्धि दर	**5.00**	**5.00**	5.00	5.00
आकर्षक दर	**0.50**	**0.50**	0.50	0.50

4.2.2 सेन्ट बैंक होम फाइनांस लि. पात्र कर्मचारियों को गेच्युइटी कवर प्रदान करती है अपने देयता की निधियों के लिए, कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से एक पॉलिसी ले रखी है, अपने कर्मचारियों की संचित ग्रेच्युइटी देयता का कवर एवं इस पॉलिसी की प्रीमियम का भुगतान लाभ एवं हानि खाते से किया जाता है. अवकाश नकदीकरण देयता हेतु प्रावधान की गणना, दिनांक 31 मार्च, 2017 को कर्मचारियों की की सावधि अवकाश के शेष पर की जाती है. दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए यही दिया गया है.

4.3 लेखांकन मानक 17– समूह का खंडवार रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए खंडवार रिपोर्ट

(₹ करोड़ में)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Revenue	9,864.04	7,529.68	9,512.76	11,932.63	8,269.32	8,469.82	-	-	27,646.12	27,932.13
Result	2,090.30	256.73	(5,613.16)	(3,321.33)	146.05	529.70	-	-	(3,376.81)	(2,534.90)
Unallocated Expenses									163.76	106.46
Operating Profit									(3,540.57)	(2,641.35)
Income Taxes									(1,081.21)	(1,244.98)
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit									(2,459.36)	(1,396.37)
Other Information:										
Segment Assets	152,959.41	108,293.74	96,187.54	116,235.07	75,294.23	75,709.95	-	-	324,441.18	300,238.76
Unallocated Assets									10,253.74	6,382.39
Total Assets									334,694.92	306,621.15
Segment Liabilities	154,779.06	109,389.55	85,288.91	108,359.20	76,415.52	70,329.75	-	-	316,483.49	288,078.50
Unallocated Liabilities									-	-
Total Liabilities									316,483.49	288,078.50

i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं.

iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी एक्सपोजर शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक एक्सपोजर के अधीन है.

iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.

v) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.

vi) रिटेल बैंकिंग खंड प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, इनके द्वारा लिए गए निधियों हेतु रिटेल बैंकिंग खंड की क्षतिपूर्ति करती है, जिसे इनके द्वारा अर्जित जमाओं की औसत लागत माना गया है.

vii) लागत का आबंटन :

ए. एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्चे सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं.

बी. किसी विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न किए जा सकने वाले खर्चों को विवेकपूर्ण आधार आबंटित किया गया है. किसी विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न किए जा सकने वाले खर्चों को विवेकपूर्ण आधार आबंटित किया गया है.

4.4 लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण - संबद्ध पार्टी

1 संबद्ध पार्टियों की सूची

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

क्र.सं.	नामपद	पद
i)	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii)	श्री बी.के.दिवाकर	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री पी.आर.मूर्ती (दिनांवढ 17.02.2017 से)	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री आर.के.गोयल (दिनांक 31.12.2016 तक)	कार्यपालक निदेशक
v)	श्री आर.सी.लोढ़ा (दिनांक 28.02.2017 तक)	कार्यपालक निदेशक

बी) एसोशिएट्स -

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - -

(i) सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा, म.प्र.

(ii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर, बिहार

(iii) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार, पश्चिम बंगाल

(II) इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड,

2. संबद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन:

प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी को भुगतान किया गया पारिश्रमिक :

(₹ लाख में)

नाम पदनाम	पदनाम प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
		2016-17	**2015-16**
श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	28.70	29.64
श्री बी.के.दिवाकर	कार्यपालक निदेशक	23.11	23.15
श्री पी.आर.मूर्ती (दिनांक 17.02.2017 से)	कार्यपालक निदेशक	2.58	-
श्री आर.के.गोयल (दिनांक 31.12.2016 तक)	कार्यपालक निदेशक	38.94	25.62
श्री आर.सी.लोढ़ा (दिनांक 28.02.2017 तक)	कार्यपालक निदेशक	39.54	17.76
श्री अनिमेष चौहान	कार्यपालक निदेशक	-	4.13
कुल		**132.87**	**100.30**

नोट: सम्बंधित पार्टियों के सम्बंध में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो एएस-18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार सरकारी नियंत्रणाधीन उद्यम हैं. साथ ही, एएस-18 के पैरा 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक एवं प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक रिश्तेदार सहित, बैंकर-ग्राहक सम्बंध की प्रकृति के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

4.5 लेखांकन मानक 20 - समूह का प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की गई है :

	31.3.2017	**31.3.2016**
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	(2459.36)	(1396.37)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	1827463465	1658359086
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(13.46)	(8.42)
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	(13.46)	(8.42)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10.00	10.00

4.6 लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

4.6.1 आरबीआई द्वारा सीईटी1 की परिगणना में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2017 को ₹2344.36 करोड़ आस्थगित कर आस्तियों के रूप में अभिचिह्नित किए गए हैं. दिनांक 31 मार्च, 2017 को

आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियाँ		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2017	**31.03.2016**	**31.03.2017**	**31.03.2016**
व्यवसायिक हानि	0.00	34.01		
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास		12.60	29.42	
निवेश पर मूल्यह्रास	0.00	33.30		
कर्मचारी लाभ	0.00	5.52		
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं			516.53	517.19
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान				
	194.12	194.12		
ऋण एवं अगिखम वेढ लिए पखावधान	2744.38	1365.08		
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि			**46.25**	**40.70**
अन्य			**1.94**	**1.83**
योग	**2938.50**	**1644.63**	**594.14**	**559.72**
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	**2344.36**	**1084.91**		

4.6.2 सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लि. ने राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा परिपत्र सं. एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/पॉलिसी परिपत्र 65/2014-15 दिनांक 22 अगस्त 2014 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में ₹ 11.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.09 करोड़) को अनुकूल बनाने के लिए विशेष आरक्षित पर आस्थगित कर देयता निर्धारित की है.

4.7 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां है, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक-28 लागू नहीं है. प्रबंधतंत्र के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2017 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है, जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

5. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व :

वर्ष के दौरान सेन्ट बैंक होम फायनेन्स ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए ₹ 0.27 करोड़ खर्च किए.

6. अनुषेंगियों के मामले में, विविध देनदार / लेनदार बकाया शेष संपुष्टि के अधीन हैं.

7. सेन्ट बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस लि. शेयर्स, प्रतिभूतियों एवं अचल संपत्तियों की प्रकृति में अपने ग्राहक के पक्ष में न्यासी लाभार्थी संबंध में प्रत्ययी के रूप में निवेश करता है, जोकि निदेशक मंडल की दृष्टि में पर्याप्त सुरक्षित है एवं उचित अभिलेखित है एवं इस प्रत्ययी संबंध से संबंधित सभी उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से निवर्हन किया जाता है.

8. वर्ष के अंत तक सेन्ट बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस द्वारा लघु एवं / अनुषंगी औद्योगिक आपूर्तिकर्ताओं को मूल एवं / अथवा बयाज के संबंध में कोई भी राशि अतिदेय नहीं है भुगतान के लिए शेष नहीं है. यह प्रकटीकरण कंपनी में उपलब्ध जानकारी के आधार पर लघु एवं अनुषंगी औद्योगिक उपक्रम अधिनियम 1993" के अंतर्गत परिभाषित आपूर्तिकर्ता की स्थिति के संबंध में है.

9. एक समयावधि में विभिन्न कंपनियों / उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, ब्याज एवं अन्य कॉर्पोरेट लाभ ₹ 1.33 करोड़ की राशि सेन्ट बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस लि. ने न्यास / लाभार्थियों को अंतरित / आबंटित नहीं की हैं जिनके निवेश पोर्टफोलियो न्यासधारिता सेवाओं के अंतर्गत उनके पक्ष में है. उक्त राशि दिनांक 31.03.2016 को ₹ 1.26 करोड़ थी एवं दिनांक 31 मार्च 2017 को यह बढ़कर ₹ 1.33 करोड़ हो गयी. इसी प्रकार, ₹ 0.16 करोड़ की बिक्री / शेयर्स के मोचन की आगम राशि / लाभांश की राशि संबंधित न्यास / लाभार्थी को अंतरित / आबंटित नहीं की गयी है. यह वर्ष 2005-06 से बकाया शेष है.

इसने यह राशि अपने बैंक के चालू खाता में रखी है.

10. भारिबैं के दिशानिर्देश डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 के अनुसार, अधिकतम 180 दिनों के लिए जोखिम साझेदारी आधार पर ₹ 22991.22 करोड़ के अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) जारी की गई, जिस कारण दिनांक 31.03.2017 को बैंक के कुल अग्रिमों में इतनी मात्रा कम हो गई.

11. प्रबंधन के द्वारा एकत्र की गयी जानकारी के अनुसार, वेन्डर्स, जिनकी सेवाएं ली गयी हैं एवं जिनसे मूल बैंक द्वारा खरीदी की गयी है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं. यह लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

12. सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं. 6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार सीबीएस में धोखाधड़ियों के लिए साइबर धोखाधड़ी नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की प्रबंधतंत्र द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है.

13. मूल एवं अनुषंगियों की एकल वित्तीय विवरणीयों में प्रकट के गई अतिरिक्त सांविधिक जानकारी समेकित वित्तीय विवरणियों के सत्य एवं उचित अभिमत को प्रभावित नहीं करती है एवं आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के परिपेक्ष्य में उन मदों जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, से संबंधी समेकित वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

14. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुन:वर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके.

(पी. रमण मूर्ती)
कार्यपालक निदेशक

(बी.के.दिवाकर)
कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ आर.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए नीरव जे. संघवी)
भागीदार
सदस्यता सं. 147529

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए एच के वर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 055104

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते में एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 23 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

करोड़ रु

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2017	31- 03- 2016
ए	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	करों पूर्व लाभ / (हानि)	**(3,523.09)**	(2,651.15)
I	**समायोजन हेतु :**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	**257.69**	239.79
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	**394.44**	850.61
	गैर अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	**6,219.53**	5,399.92
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**(162.98)**	(1,247.97)
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	**172.91**	314.76
	अचल आस्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**1.24**	(74.32)
	उप योग	**3,359.74**	**2,831.64**
II	**समायोजन हेतु :**		
	जमा में वृद्धि (कमी)	**30,622.92**	10,744.70
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	**703.19**	(16,595.47)
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**(2,561.05)**	(965.22)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**34,211.29**	4,020.39
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**(3,569.42)**	(30.48)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	**203.63**	1,246.10
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की शुद्ध राशि आदि)	**(1,099.63)**	(970.37)
	उप योग	**58,510.93**	**(2,550.35)**
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	**61,870.67**	**281.29**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	**3.06**	157.35
	अचल आस्तियों की खरीद	**(191.68)**	(306.31)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	**(188.62)**	**(148.96)**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

करोड़ रु

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2017	31- 03- 2016
सी	**वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	**1,453.79**	165.57
	शेयर आवेदन राशि	**100.00**	535.00
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	**(8.75)**	(84.25)
	लाभांश कर	**(1.78)**	(17.03)
	वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	**1,543.26**	**599.29**
डी	**नकद एवं नकद तुल्य (एबीसी) या (एफ -ई) में शुद्ध वृद्धि**	**63,225.31**	**731.62**
ई	**वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य**		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	**14,070.20**	14,116.37
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**1,499.45**	721.66
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	**15,569.65**	14,838.03
एफ	**वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष**		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	**75,087.18**	14,070.20
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	**3,707.79**	1,499.45
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	**78,794.97**	**15,569.65**

नोट्स:

1) उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारण अनुसार 'अप्रत्यक्ष माध्यम' के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.

2) पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समोहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

(पी. रमण मूर्ती)	(बी.के. दिवाकर)	(राजीव ऋषि)
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

कृते चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय
सनदी लेखाकार
एफ आर.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए नीरव जे. संघवी)
भागीदार
सदस्यता सं. 147529

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए एच के वर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 055104

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआर नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते में एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 23 मई, 2017

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021

फॉर्म - ''बी''

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

10वीं वार्षिक सामान्य बैठक

पत्रा सं. या डीपी आईडी #/ग्राहक आईडी #	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम ----------निवासी ----------जिला----------, राज्य ----------, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से श्री/सुश्री ----------निवासी ----------जिला ----------,राज्य----------,को अथवा उसकी अनुपस्थिति में श्री/सुश्री ----------निवासी ----------जिला ----------, राज्य ----------, को शुक्रवार, 30 जून, 2017 पूर्वाह्न 11.00 बजे, स्थान: चन्दरमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय की 9वीं मंजिल में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली 10वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/ करती हूं/करते हैं.

तारीख ---------- माह ---------- वर्ष 2017 को यह हस्ताक्षरित किया गया.

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर ----------

कृपया
रेवेन्यू टिकिट
लगाएं

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर ----------

नाम ----------

(स्पष्ट अक्षरों में)

पता ----------

प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;

 (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

 (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

 (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्योरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.

3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैद्य नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 23 जून, 2017 को सायं: 5.00 बजे, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस रविवार, 25 जून, 2017 है जो छुट्टी का दिन है, से पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.

4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.

5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.

6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.

7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.

8. प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.

9. प्रॉक्सी का प्रपत्र ''फार्म बी'' में न होने पर वैद्य माना नहीं जाएगा.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची

10वीं वार्षिक सामान्य बैठक - शुक्रवार, 30 जून, 2017, प्रात: 11:00 बजे

पंजीकृत पन्ना / डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में) संयुक्त धारक	
उपस्थित प्राक्सीधारक/ प्रतिनिधि का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (यदि कोई हो)	

उपस्थित सदस्य/प्राक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिन और दिनांक	शुक्रवार, 30 जून, 2017
स्थान	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वीं मंजिल, चन्दरमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

10वीं वार्षिक सामान्य बैठक - शुक्रवार, 30 जून, 2017, प्रात: 11:00 बजे

स्थान : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वीं मंजिल, चन्दरमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

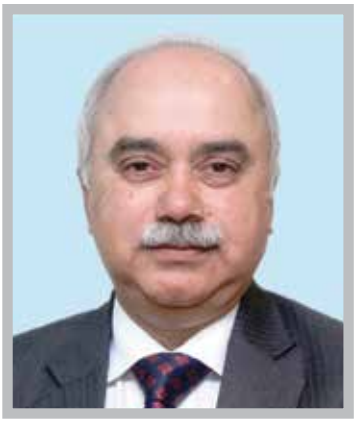
पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम	
शेयरों की संख्या	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें. प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे. तदापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा. किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा.

नोट्स



CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR's MESSAGE

Dear Shareholder,

The year we just completed had also been quite challenging as the last year owing to both global and domestic economics scenarios.

Global growth is expected to gain momentum in 2017 after a sluggish growth in 2016. US economic growth is likely to improve with increase in sentiments. Declining unemployment and inflation gaining strength resulted in Fed hike in rates. Anticipated fiscal stimulus by the new government should further boost growth prospects. Strengthening dollar, increasing protectionism, etc. may thwart growth to some extent in US. Eurozone should move in the path of moderate growth with continuous monetary stimulus. The growth prospect in the region also depends on the outcome of 'Brexit' negotiation. Increasing production and exports are helping the Japanese economy to some extent. The Chinese economy avoided a hard landing last year as it rebalances its economy and tries to focus more on domestic consumption driven growth. Rising commodity prices should benefit some of the commodity exporting economies.

Indian economy is recovering from the 'transitory' impact of demonetisation. The piled up deposits in the banking system due to demonetisation should support credit growth. This coupled with positive measures announced in the Union Budget 2017-18 should fuel growth. Goods and Service Tax (GST) should further help augment the economic growth. International Monetary Fund retained its growth forecast for India at 7.2% for FY 2017-18. Also it bumped up estimated growth of India to 6.8% from 6.6% estimated previously. Inflation moderated to 4.5% in FY 2016-17 from 4.9% in FY 2015-16. Prices of pulses and sugar continued to remain high. Rising global commodity prices along with currency volatility pose significant upside risk to inflation.

Export turned positive after prolonged slackness. Imports also had increased due to rising bill for oil imports. The current account deficit as a percentage of GDP expected to be around 1% in FY 2016-17. Foreign direct investment on cumulative basis had a double digit growth between April to December 2016-17. The portfolio investment has also turned positive in recent past.

The prospect of Indian economy is bright in the medium term with stable government, policy initiatives, reform measures and demographic dividend.

Tough time continues for public sector banks. Public Sector Banks will face competition from other institutions such as payment banks and private and foreign banks. Demonetization has led to piled up of deposit in the banking industry and affected the cash intensive industries. The credit growth has stayed sluggish due to stress in corporate balance sheets.

The Financial Year 2016-17 has been a year of consolidation as well as challenges for the Bank. The Bank continued to strategize its focus on recoveries which yielded better results during the year. Cash Recovery increased to ₹ 2378 crore in the financial year ended March 31, 2017 as compared to ₹ 1287 crore in the previous financial year ended March 31, 2016 registering growth of 84.77%. Further, upgradation of assets improved to ₹ 1183 crore in the financial year March 31, 2017 as compared to ₹ 608 crore in the previous financial year ended March 31, 2016. The banking industry faces challenges from mounting non-performing assets and resolution thereof. The Reserve Bank of India has revised the characteristics of Prompt Corrective Action (PCA) and stressed on asset quality and profitability to monitor banks and also defined three risk thresholds. Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is a welcome move that should speed up the recovery process.

During the Financial Year 2016-17, Business of the Bank stood at ₹ 4,49,679 crore as compared to ₹ 4,56,336 crore in the Financial Year 2015-16. The Deposit of the Bank has grown by 11.45% to ₹ 296671 crore for the financial year ended March 31, 2017. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 39.20% as against 35.48% in Financial Year 2015-16. To ensure profitable growth in Business, High Cost Deposits have been shed considerably. The share of high cost deposits as a proportion of Total deposits has been reduced to 3.70% as on March 2017 from as high as 5.56% as on March 2016. This is well reflected in growth of Aggregate Core Deposits at 13.65 %.

The operating profit of the Bank increased to ₹ 3089 crore from ₹ 2642 crore in Financial Year 2015-16 registering y-o-y growth of 16.92%. However, the Bank posted Net loss of ₹ 2439 crore in the financial year 2016-17 mainly on account of higher provisioning.

The Bank's Cost of Deposits reduced to 6.20% in the Financial Year 2016-17 from 6.86% in the Financial Year 2015-16, the Net Interest Income of the Bank reduced to ₹ 6574 crore from ₹ 7065 crore in Financial Year 2015-16. Non-Interest Income of the Bank increased to ₹ 2876 crore for the financial year ended March 31, 2017 compared to ₹ 1938 crore for the financial year ended March 31, 2016, registering y-o-y growth of 48.38%.

Asset Quality has been the concern of the Bank for last couple of years. Gross NPA to Gross Advances increased to 17.81 % as on March 31, 2017 from 11.95 % as on March 31, 2016, which was due to sale of loan assets of ₹ 22991.22 crore through IBPC participation. Net NPA to Net Advances increased to 10.20 % as on March 31, 2017 from 7.36 % as on March 31, 2016. Your Bank has been proactive in respect of NPA Management and shall continue its effort to reduce the NPA level. Provision Coverage Ratio improved to 58.43% as on March 31, 2017 from 51.52 % as on March 31, 2016.

A Bank with 4714 branches as on March 2017, of which 2/3 rd of the Branches are in rural and semi urban areas and 3677 Ultra Small Branches shall continue to position itself as a Retail Bank. Your Bank shall be ensuring that the retail and priority sector portfolios grow much faster than they have been so far.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the year ended March 31, 2017.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-
Rajeev Rishi

Place: Mumbai
Date: May 23, 2017

NOTICE

Notice is hereby given that the Tenth Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Friday, 30th June, 2017 at 11.00 A.M. on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 to transact the following business :

1) To discuss, approve and adopt the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.

2) To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI**"**), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI**"**), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares upto the value of ₹ 6,500/- crore (Rupees Six Thousand Five Hundred Crore Only)(including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies - private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("SEBI ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of

ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations:

A) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution."

B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the

members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s),Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
A K DAS
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 23.05.2017

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 23rd June, 2017 being the immediate preceding working day to Sunday, 25th June, 2017 which is holiday.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative,

certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 23rd June, 2017 being the immediate preceding working day to Sunday, 25th June, 2017 which is holiday.

4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is enclosed with this notice. Shareholders/ proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / Authorised Representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "Proxy or Authorised Representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

6. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 27th June, 2017 (Tuesday) to 30th June, 2017 (Friday) (both days inclusive).

7. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

8. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

9. Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the Meeting.

10.1 Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

However, if you are still interested in holding the shares in physical form and not opting for demat, please provide us with the following Bank details to enable us to credit your Account with the dividend (as and when declared) directly.

- Name of the Bank
- Address of the Branch
- Bank Account Number
- 9 digit MICR code of the branch
- IFSC code of the Branch

(preferably, send us a cancelled cheque/ copy of a cheque leaf).

Please note that the Bank Account should be in the name of the 1st holder of shares.

10.2 Intimation to shareholders holding shares in dematerialised form:

It is our constant endeavor to provide the best services to our valued shareholders. We observe that there are some shareholders who are holding shares in demat form but have not registered/updated their Bank account details with their Depository Participants (DPs) for getting Dividend amount directly credited to their Bank accounts. Accordingly, Dividend declared earlier, was paid to them by sending Dividend Warrant (DW) to the addresses maintained by them with Depositories.

It is worth noting that if such shareholders had registered / updated their Bank Account particulars with their DPs, the Dividend Amount would have been credited directly to their bank account thus, ensuring faster receipt of Dividend right on due date, saving time spent on receiving dividend warrant by post, no requirement for visiting bank for depositing the Dividend Warrant, non-apprehension of loss / theft of dividend warrant in transit or the likelihood of fraudulent encashment thereof.

We accordingly suggest these shareholders to register/ update their Bank Account details i.e. Bank Name, Branch Address, Account No., Account Type, Nine Digit MICR Code Number as appearing on cheque issued by their banks, with their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat Account, to facilitate credit of dividend amount (as and when declared) directly to their Bank accounts right on due date. In addition to this, they may also send directly to the Bank or its RTA namely, Link Intime India Pvt. Limited abovesaid bank details with mandate to credit all future dividend amounts, refund amounts or other remittances, if any, to their bank accounts instead of sending any Dividend warrant, cheque, Demand Draft , etc.

11. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend for any of the previous years are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank for arranging payment thereof directly to their Bank A/c or for issue of duplicate dividend warrant/Demand Draft.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF**.

12. Voting through electronic means

I. In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate remote e-voting.

The process and instructions for remote e-voting are as under :

(i) The remote e-voting period begins on Tuesday, 27th June 2017 at 10.00 AM and ends on Thursday, 29th June 2017 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Saturday, 24th June 2017, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders/Members.

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on the Address Sticker pasted on the Annual Report, indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN of CENTRAL BANK OF INDIA on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.

- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xx) In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. 24th June 2017. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 24th June, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting/poll at AGM.

IV. Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 24th June, 2017, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.

V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.

VI. Shri Ankur Kumar of EZY Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.

VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

EXPLANATORY STATEMENT

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.5% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 1.88% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 8.88% and overall CRAR of 10.88% by March 31, 2018. To comply with the Basel III requirement, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

Based on the business estimates your Directors have decided to raise equity capital up to ₹ 6500 crore (Rupees Six Thousand Five Hundred Crore) and the Bank may use equity capital raising options such as through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placements and/ or any other mode(s) subject to approval of Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities and in accordance with all applicable regulations including the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;

ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;

iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.

v. The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;

vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/ sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.

vii. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
A K DAS
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 23.05.2017

TOTAL BUSINESS

(₹ IN CRORES)

PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16	MAR. 17
Total Business	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679
YoY Growth		35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)
Total Deposits	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671
YoY Growth		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%
Total Loans & Advances	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008
YoY Growth		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)
Investments	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792
YoY Growth		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%
CD Ratio	64.62%	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%
Return on Assets	0.62%	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)

PROFITABILITY

(₹ IN CRORES)

PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16	MAR. 17
Gross Income	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537
YoY Growth		30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)
Gross Expenses	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448
YoY Growth		38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)
Operating Profit	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089
YoY Growth		0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%
Net Profit	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)
YoY Growth		10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	----	----
NIM (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.78	2.51
Net Interest Income	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574
YoY Growth		(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)
Non Interest Income	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876
YoY Growth		66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%

DIRECTORS' REPORT 2016-17

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2017.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total Business of the Bank stood at Rs. 449679 crore as at March 31, 2017 compared to Rs. 456336 crore as at March 31, 2016.
- Total Deposits reached to Rs. 296671 crore in March 2017 from Rs. 266184 crore as at March, 2016 showing a y-o-y growth of 11.45 %.
- Total Advances of the Bank stood at Rs. 153008 crore in March 2017 as against Rs. 190152 crore in March 2016 which was due to sale of loan assets of Rs. 22991.22 crore through IBPC participation.
- Total Income for the financial year ended March 31, 2017 was Rs. 27537 crore as compared to Rs.27825 crore for the financial year ended March 31, 2016.
- Non-Interest Income of the Bank increased to Rs. 2876 crore for the financial year ended March 31, 2017 compared to Rs. 1938 crore for the financial year ended March 31, 2016, registering y-o-y growth of 48.38 %.
- Operating Profit of the Bank stood at Rs. 3089 crore for the financial year ended March 31, 2017 as compared to Rs. 2642 crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2016, registering y-o-y growth of 16.92 %.
- Net Loss for the quarter ended March 31, 2017 reduced to Rs. 592 crore in comparison to Net Loss of Rs. 898 crore for the quarter ended March 31, 2016. Net Loss of the Bank stood at Rs. 2439 crore for the financial year ended March 31, 2017.
- Expenses on employees decreased by Rs. 251 crore during the year to Rs. 4214 crore from Rs. 4465 crore in previous year.
- Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) stood at 11.28 per cent with Tier I at 7.16 percent as against 11.07 per cent in previous year. Capital Adequacy Ratio (as per Basel III) stood at 10.95 per cent with Tier I at 8.62 percent as against 10.41 per cent in previous year.
- Net worth stood at Rs. 14735.84 crore.
- Cash Recovery increased to Rs. 2378 crore in the financial year ended March 31, 2017 as compared to Rs.1287 crore in the previous financial year ended March 31, 2016.
- Upgradation of assets improved to Rs. 1183 crore in the financial year March 31, 2017 as compared to Rs.608 crore in the previous financial year ended March 31, 2016.
- Gross NPA to Gross Advances increased to 17.81 % as on March 31, 2017 from 11.95 % as on March 31, 2016, which was due to sale of loan assets of Rs. 22991.22 crore through IBPC participation.
- Net NPA to Net Advances increased to 10.20 % as on March 31, 2017 from 7.36 % as on March 31, 2016.
- Provision Coverage Ratio improved to 58.43% as on March 31, 2017 from 51.52 % as on March 31, 2016.
- Net Interest Margin (NIM) stood at 2.51 per cent in FY 2016-17.
- Business per Employee stood at Rs.11.81 crore in FY 2016-17.
- Return on Assets (ROA) is (0.80) per cent for the financial year ended March 31, 2017.
- The credit deployment under priority sector increased from Rs.82771 crore to Rs.88085.80 crore during 2016-17, recording a growth of Rs.5314.80 Crore over previous year. However, to take a benefit of excessive lending in PS advances, Bank sold PSLCs worth Rs.1065 Crore and IBPC Rs.8761.80 Crore Inspite of the sale; Bank's PS lending is in excess by Rs.1621.40 Crore.

- ❖ Agriculture Advance of the Bank increased to Rs.37537 crore from Rs.36760 crore in FY 2016-17 registering y-o-y growth of 2.11 per cent.
- ❖ MSME Advances for the Financial Year ended March 31, 2017 stood at Rs. 30701 crore constituting 20.06 % of the total loans and advances.
- ❖ Retail Loans for the Financial Year ended March 31, 2017 stood at Rs. 32008 crore constituting 20.92% of the total loans & advances.
- ❖ Housing Loan portfolio of the Bank stood at Rs. 12510 crore constituting 39.08 % of the total Retail Portfolio as on March 31, 2017.
- ❖ Bank has established 46 Rural Self Employment and Training Institute (RSETIs) in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1). During the year 2016-17, the RSETIs conducted 1153 training programmes and imparted training to 31961 candidates. Out of this, 26511 (i.e.83%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance.
- ❖ Bank has 3 RRBs as on 31st March 2017 in 3 states covering 47 districts with a network of 1629 branches.
- ❖ Under Financial Inclusion Bank has covered **4,330** villages with population above 2000 and **18,376** villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through **6,387** BC Agents. We have opened 176 Urban Financial Inclusion centres. Bank has opened **170.89** lacs Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is **2070.14 crores** as on 31st March, 2017.
- ❖ Total earning from Bancassurance business is Rs. 17.07 crore for FY 2016-17.
- ❖ As on 31st March 2017, Bank has a network of 4714 branches, 3677 ultra-small branches (USBs), 5285 ATMs, 10 Satellite Offices & 1 Extension Counters across the country.

2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the period 2016-17 are given hereunder:

₹ In Crores

		31.03.2017	31.03.2016	Variation	%
1	**INTEREST INCOME**	24661	25887	(1226)	(4.73)
	- Advances	16283	18978	(2695)	(14.20)
	- Investments	7372	6474	898	13.87
	- Others	1006	435	571	131.26
2	**NON INTEREST INCOME**	2876	1938	938	48.40
3	**TOTAL INCOME (1+2)**	27537	27825	(288)	(1.03)
4	**INTEREST EXPENDED**	18087	18822	(735)	(3.90)
	- Deposits	17330	17653	(323)	(1.83)
	- Others	757	1169	(412)	(54.43)
5	**OPERATING EXPENSES**	6361	6361	0	0
	- Establishment	4214	4465	(251)	(5.62)
	- others	2147	1896	251	13.24
6	**TOTAL EXPENSES (4+5)**	24448	25183	(735)	(2.92)
7	SPREAD (1-4)	6574	7065	(491)	(6.95)
8	OPERATING PROFIT (3-6)	3089	2642	447	16.91
9	PROVISIONS	5528	4060	1468	36.15
10	PROVISIONS FOR TAX	(1090)	(1251)	161	(12.87)
11	NET PROFIT/**(LOSS)**	(2439)	(1418)	(1021)	(72.00)

3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of Rs.5528 crore charged to the Profit and Loss Account during the year 2016-17 vis-a-vis previous year are detailed as under:

(Rs. in crore)

	31.03.2017	31.03.2016	Variation
Provisions for Standard Assets	(164)	470	(634)
Provisions for NPAs	6216	4913	1303
Provisions for Restructured Accounts	321	(1235)	1556
Provision on Investments	300	851	(551)
Provisions for Taxes	(1090)	(1251)	161
Others	(55)	312	(367)
TOTAL	5528	4060	1468

4. PROFITABILITY RATIOS

(In percentage)

	31.03.2017	31.03.2016
Cost of Deposits	6.20	6.86
Cost of Funds	6.27	6.95
Yield on Advances	9.01	10.09
Yield on Investments	7.38	7.46
Net Interest Margin	2.51	2.78
Cost Income Ratio	67.31	70.65

5. BUSINESS RATIOS

(In percentage)

	31.03.2017	31.03.2016
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	8.10	8.85
Non-Interest Income to AWF	0.94	0.66
Operating Profit to AWF	1.01	0.90
Return on Average Assets	(0.80)	(0.48)
Business Per Employee (Rs. in crore)	11.81	11.95
Net Profit per Employee (Rs. in lakh)	(6.49)	(3.76)

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2017		31.03.2016	
	Basel-II	Basel-III	Basel-II	Basel-III
Tier-I	7.16	8.62	7.44	8.20
Tier-II	4.12	2.33	3.63	2.21
Capital Adequacy Ratio	11.28	10.95	11.07	10.41

7. NET LOSS

The Bank has incurred net loss amounting to Rs.2439 crore during the financial year ended March 31, 2017. Accordingly, Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares for the Financial Year 2016-17.

8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- Shri S. B. Rode ceased to be the Officer Employee Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 01.04.2016 consequent upon completion of his tenure.
- Shri N. Nityananda was appointed as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant Category for a period of three years w.e.f 21st June 2016.
- Shri Gurbax Kumar Joshi ceased to be the Workmen Employee Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 09.07.2016 consequent upon completion of his tenure.
- Smt N. S. Rathnaprabha ceased to be the Part-Time Non-official Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 18.12.2016 consequent upon completion of her three years' tenure.
- Shri R. K. Goyal retired from the position of Executive Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 31.12.2016 on attaining superannuation.
- Shri P. Ramana Murthy was appointed as Executive Director of the Bank for a period of 3 years w.e.f. 17.02.2017.
- Shri R. C. Lodha retired from the position of Executive Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 28.02.2017 on attaining superannuation.

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri S. B. Rode, Shri Gurbax Kumar Joshi, Smt N. S. Rathnaprabha, Shri R. K. Goyal and Shri R. C. Lodha who ceased to be the directors of the Bank during the Financial Year 2016-17.

9. WHISTLE BLOWER POLICY

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees and directors without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee on need basis. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

10. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

Business Responsibility Report as stipulated under Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been hosted on the website of the Bank (www.centralbankofindia.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary at the Head Office of the Bank.

11. DIRECTORS' RESPONSIBILTY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2017:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the financial year ended March 31,2017;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India ; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis;
- Internal Financial Control are adequate and were operating effectively; and

- ❖ Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems were adequate and operating effectively.

12. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

13. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Place : Mumbai
Date : May 23, 2017

Rajeev Rishi
Chairman & Managing Director

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Part A: ECONOMIC SCENARIO

Global growth is expected to gain momentum in 2017 after a sluggish growth in 2016. US economic growth is likely to improve with increase in sentiments. Declining unemployment and inflation gaining strength resulted in Fed hike in rates. Anticipated fiscal stimulus by the new government should further boost growth prospects. Strengthening dollar, increasing protectionism, etc. may thwart growth to some extent in US. Eurozone should move in the path of moderate growth with continuous monetary stimulus. The growth prospect in the region also depends on the outcome of 'Brexit' negotiation. Increasing production and exports are helping the Japanese economy to some extent. The Chinese economy avoided a hard landing last year as it rebalances its economy and tries to focus more on domestic consumption driven growth. Rising commodity prices should benefit some of the commodity exporting economies.

Indian economy is recovering from the 'transitory' impact of demonetisation. The piled up deposits in the banking system due to demonetisation should support credit growth. This coupled with positive measures announced in the Union Budget 2017-18 should fuel growth. Goods and Service Tax (GST) should further help augment the economic growth. International Monetary Fund retained its growth forecast for India at 7.2% for FY 2017-18. Also it bumped up estimated growth of India to 6.8% from 6.6% estimated previously. Inflation moderated to 4.5% in FY 2016-17 from 4.9% in FY 2015-16. Prices of pulses and sugar continued to remain high. Rising global commodity prices along with currency volatility pose significant upside risk to inflation.

Export turned positive after prolonged slackness. Imports also had increased due to rising bill for oil imports. The current account deficit as a percentage of GDP expected to be around 1% in FY 2016-17. Foreign direct investment on cumulative basis had a double digit growth between April to December 2016-17. The portfolio investment has also turned positive in recent past.

The prospect of Indian economy is bright in the medium term with stable government, policy initiatives, reform measures and demographic dividend.

CHANGING BANKING SCENARIO

Tough time continues for public sector banks. The banking industry faces challenges from mounting non-performing assets. Public Sector banks will face competition from other institutions such as payment banks and private and foreign banks. Demonetisation has led to piled up of deposit in the banking industry and affected the cash intensive industries. The credit growth has stayed sluggish due to stress in corporate balance sheets. The Reserve Bank of India has revised the characteristics of Prompt Corrective Action (PCA) and stressed on asset quality and profitability to monitor banks and also defined three risk thresholds. Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is a welcome move that should speed up the recovery process.

Part- B- PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As on 31st March 2017, the Total Business of the Bank was Rs. 449679 crore, registering a decline of (1.46) per cent from the previous year figure of Rs. 456336 crore. There was a reduction of High Cost + CODs to the extent of Rs.1452 crores and Rs.2617 crores DISCOM advances converted into Bonds and sale of loan assets (IBPC) of Rs 22991 crores resulting in reduction of Business by Rs.27060 crores during FY 2016-17, otherwise, the Business growth over March 2016 would have been 4.47%.

The Operating Profit reached to Rs.3089 crore from previous year figure of Rs.2642 crore, showing a growth of 16.91 per cent. The Bank has posted a Net loss of Rs. 2439 crore in 2016-17 as against loss of Rs.1418 crore in previous year on account of increased provisions.

RESOURCE MOBILISATION

The Total Deposits as on March 31, 2017 stood at Rs. 296671 crore, registering a growth rate of 11.45 per cent over previous year, after reduction of High Cost + CODs to the extent of Rs.1452 crores, otherwise, the growth would have been 12%. Saving Bank Deposits increased to Rs. 103102 crore with a growth of 25.00% in 2016-17 from Rs. 82485 crore in last year and Current Deposits increased to Rs. 13207 crore in 2016-17 from Rs. 11970 crore in 2015-16. The share of CASA Deposits to

Total Deposits has increased to 39.20 per cent as against 35.48 % during the last year. Total Aggregate Deposits increased to Rs.290972 crore in 2016-17 with Y-o-Y growth of 11.87 per cent from Rs. 260101 crore in 2015-16 whereas Core Term Deposits grew by 7.94 per cent to reach the level of Rs.169384 crore in 2016-17 from Rs.156921 crore in 2015-16.

STRATEGY AND PROGRESS OF IND AS IMPLEMENTATION IN THE BANK

The Reserve Bank of India vide circular dated 11th February, 2016 has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) in Banks from the accounting period beginning from FY 2018-19 onwards. The Bank has engaged services of an Ind AS Consultant, constituted Core Ind AS Team and commenced the implementation. A Steering Committee headed by an Executive Director has been constituted to monitor the progress. The Board of Directors and Audit Committee of the Board periodically reviews the progress of Ind AS implementation. As directed by RBI, the Bank has submitted the Proforma Financial Statement for the half year ended 30th September, 2016 to Reserve Bank of India on 30.11.2016.

CREDIT

Total Advances of the Bank stood at Rs. 153008 crore in March 2017 as against Rs. 190152 crore in March 2016 which was due to sale of loan assets of Rs. 22991.22 crore through IBPC participation

Credit Monitoring Department

- Bank has introduced a well-defined Monitoring Policy, containing detailed guidelines on SMA (Special Mention Accounts) Management which encompasses all areas of SMA management, Early Warning Signals, Monitoring & Follow-up Measures and Reporting System.
- The policy was approved by the Board in May 2011 and implemented across the Bank with effect from 1st July 2011. Modifications to the policy are being carried out from time to time with the approval of the Board.
- An independent vertical for **Credit Monitoring** under the charge of General Manager is functioning w.e.f. 1st August 2011.
- As per Monitoring Policy guidelines, Monitoring Committee has been formed at Central Office level as well as at the field level at all Zonal/Regional Offices and Corporate Finance Branches, to review and monitor Standard irregular/ SMA accounts every month and entire gamut of credit monitoring is reviewed on monthly basis in a structured manner.
- Several workshops and training sessions have been conducted for field functionaries including Deputy Regional Managers/Loan Review Officers with a view to develop monitoring skills/awareness.
- Locational Meetings were conducted at different Regional Offices/Zonal Offices and/or meetings held with the SMA borrowers by field recovery team/Regional Manager/Zonal Manager/Central Office, depending upon the size of the exposure, to chalk out strategies for asset quality management of the stressed accounts.
- The Bank has also implemented Centralized Loan Appraisal System & Supervision **(CLASS)** Monitoring Module software for monitoring Corporate, SME, Retail and Priority Sector advances on real-time basis.
- Steps have also been initiated for offsite monitoring surveillance mechanism to ensure intensive credit monitoring, through Early Warning Signals(EWS) report.
- Pre-release audit for fresh/enhancement of Rs.5 crore and above advances is carried out and credit audit for fresh/ enhancement of Rs.1 Crore and above advances within 30 days of disbursement is introduced.
- SMA accounts are being followed up by Call-Centre from 01.02.2017.

PRIORITY SECTOR CREDIT

As per RBI directives, 40% of adjusted net bank credit or credit equivalent amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher, is to be lent to priority sector. Lending under this sector is therefore, the thrust area of the Bank. We have focused on the growth in lending to Agriculture, MSME, Housing, Education and others which are the major constituents of Priority Sector. As a result, our growth under Priority Sector lending has been quite impressive.

The performance of the Bank under various segments of priority sector as on 31.03.2017 is as under:-

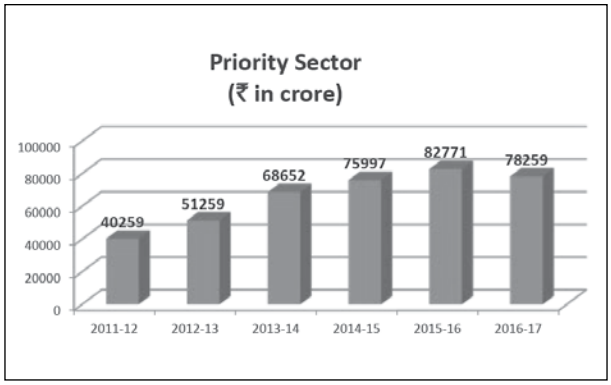
Rs. In crore

S No.	Particulars	March 2016	March 2017	Growth (%)
	Adjusted Net Bank Credit (ANBC)	199535	206155.21	3.32
1	Priority Sector Advance **(Percent to ANBC)**	82771 (41.48)	78259.00 (37.96*)	(5.45) (3.52)
2	Total Agriculture Advance **(Percent to ANBC)**	36760 (18.42)	37537.00 (18.21)	2.11 (0.21)
3	MSME	30526	29531.00	(3.26)
4	Education Loan	3081	1909.00	(38.04)
5	Housing Loan (upto Rs.25.00 lacs)	12340	8547.00	(30.74)
6	Other Priority Sector	169	94.00	(44.38)
7	Renewal Energy	22	8.00	(63.64)
8	Social Infrastructure	11	10.00	(9.09)

***After adjusting the sale of PSLCs worth Rs.1065 Crore and IBPC Rs.8761.80 Crore**

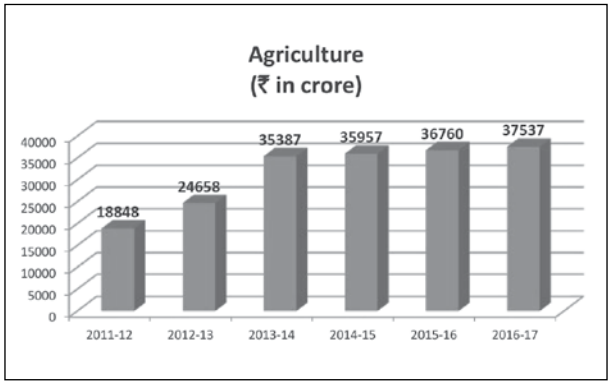
Note: The average Priority Sector Lending is Rs.82,465.00 Crore as against the mandatory (40% of ANBC) requirement of Rs.80,843.61 Crore

- The credit deployment under priority sector increased to Rs.88085.80 crore during 2016-17, recording a growth of Rs.5314.80 Crore over previous year. However, to take a benefit of excessive lending in PS advances, Bank sold PSLCs worth Rs.1065 Crore and IBPC of Rs.8761.80 Crore Inspite of the sale; Bank's PS lending is in excess by Rs.1621.40 Crore.



AGRICULTURE

Total Agricultural credit increased by 2.11 % from the level of Rs. 36760 crore as on 31.03.2016 to Rs. 37537 crores as on 31.03.2017. The percent of agricultural credit to adjusted net bank credit (ANBC) is 18.21% as against the stipulated target of 18%.



INITIATIVES TAKEN TO ACCELERATE FLOW OF CREDIT TO AGRICULTURAL SECTOR:

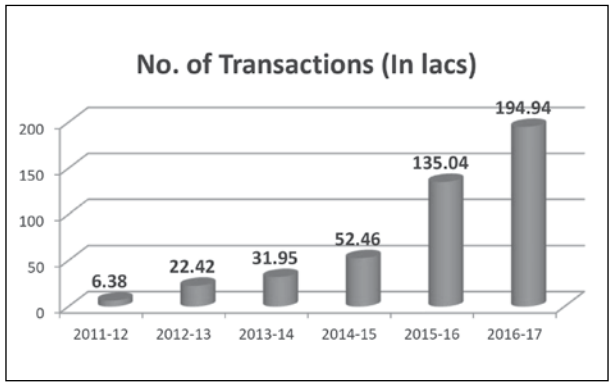
Special Credit Campaigns:

- All the Rural and Semi-urban branches organised minimum one Mega Credit camp each month to canvass and sanction agricultural loans.

FINANCIAL INCLUSION (FI)

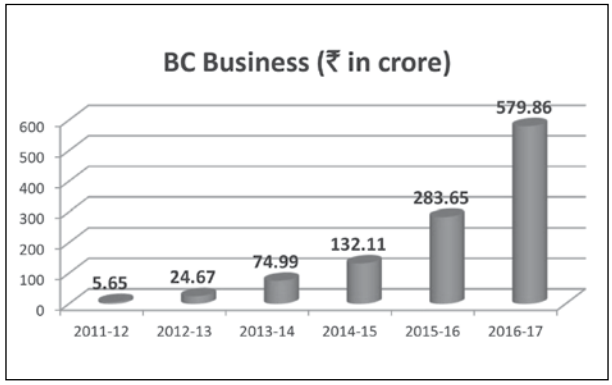
- Bank has covered 4,330 villages with population above 2000 and 18,376 villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through 6,387 BC Agents.

 1. We have opened 176 Urban Financial Inclusion centres.
 2. No. Of Transactions:



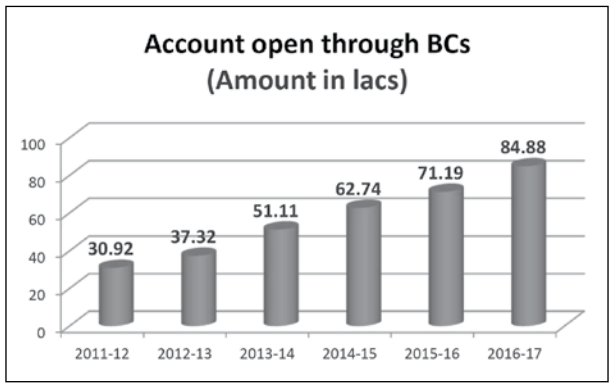
Transactions in FI Accounts opened through BCs have increased to 194.94 lacs in FY 2016-17 from 135.04 lacs in FY 2015-16 (YoY growth of 44.35%).

3. Business through BC



Business through BCs increased from Rs. 283.65 Crores on 31 March 2016 to Rs. 579.86 Crores on 31 March 2017: an increase of 104.42%.

4. Account Opening through BCs:



No. of accounts opened through BCs increased from 71.19 lacs on 31 March 2016 to 84.88 lacs on 31 March 2017: increase of 19.23%.

5. Bank has opened 170.89 lacs Basic Saving Bank Deposit Account (BSBDA) accounts through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is 2070.13 crores.

Social Security Schemes (Jan-Dhan se Jan-Suraksha)

After getting huge success under PMJDY, under the tagline of Jan-Dhan se Jan-Suraksha three social security schemes namely Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) both under micro insurance sector and Atal Pension Yojana (APY) under micro pension sector have been launched by Government of India on 09th May, 2015. These schemes are targeted especially to the unorganized sector and economically weaker section of population but others can enroll themselves as well.

Progress under Social Security Scheme

Scheme	2015-16	2016-17
PMJJBY	1256559	1284321
PMSBY	2933664	3020463
APY	54067	86740

Claim settlement under SSS

FY	Scheme Name	Total nos. of Insurance Claims registered with the bank	Nos. of claim Lodge with the company	No. of claims disposed off		No. of claim pending with the bank	No. of claim pending with the company as on Date
				Claim paid	Claim repudiated		
2015-16	**PMJJBY**	1147	1147	872	28	0	0
	PMSBY	288	288	185	66	0	0
	Total	**1435**	**1435**	**1057**	**94**	**0**	**0**
2016-17	**PMJJBY**	2887	2863	2730	46	24	87
	PMSBY	823	818	742	45	5	31
	Total	**3946**	**3917**	**3677**	**119**	**29**	**121**

Major Achievements under FI-PMJDY during F.Y.2016-17

- **Business through BC Outlets** increased by **104.43%**, from Rs. 283.65 Crores to Rs. 579.86 Crores.
- **FI Business** increased by 61.99**%**, from Rs. 1277.92 Crores to Rs.2070.14 Crores.
- Percentage of Aadhaar seeding is increased to **83.94%** from 49% in PMJDY operative accounts and increased to 74.99**%** from 28% in all operative SB accounts.
- **No. of Transactions through BC-Outlets** increased by **44.38%** i.e. from 135.04 lacs to 194.97 lacs.
- No. of BSBD Accounts increased by 8.67%; from 157.26 lacs to 170.89 lacs.
- No. of BC with **business more than Rs. 10 lac** is increased by **104.35%** i.e. from 758 to 1549. Similarly No. of BC with **business more than Rs. 1.00 Crore** is increased by **320%** i.e. from 10 to 42.

Performance under Lead Bank.

- ❖ We have the Lead Bank responsibility in 51 districts spreading in seven States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(7), Uttar Pradesh(5), West Bengal(4), Rajasthan(3) and Chhattisgarh (4). More than 50% and about 25% of our total branches are located in these States and Lead Districts respectively.
- ❖ For effective implementation of Lead Bank Scheme, the office of Lead District Managers has been sufficiently equipped and empowered with right kind of staffing supplement and infrastructure like independent/good premises, vehicle, computers/laptops (with skype installed) & printers, telephone, internet connections, e-mail id, mobile, fax, establishing websites.
- ❖ To make the public/masses aware of various products of bank, we have displayed some products relating to Kisan Credit Card, Central Artisan Credit Card, Swabhiman/Aadhar etc. relevant to the rural masses on the vehicle provided to LDMs.
- ❖ The overall achievement under Annual Credit Plan by our branches is 83% comparing to the achievement of 82% by all banks in Lead Districts.
- ❖ We have selected one village in each Lead District for inclusive growth through empowerment, training skill development of youth and credit linkages. All developmental activities like complete implementation of Financial Literacy/Financial Inclusion Programmes, Training unemployed rural youth in RSETIs, Formation of SHG/Farmers Club/JLG, Lending activities have been implemented to bring complete socio-economic change. This is being replicated in other selected villages also in lead districts.

State Level Bankers Committee:

- Our bank is the only convenor of SLBC in the State of Madhya Pradesh. During the year 2016-17, three regular SLBC meeting were held to review and monitor the progress made in the State under various parameters including Government sponsored programmes by different agencies. During last SLBC meeting held on 4th March 2017, Ms Anjuly Chib Duggal-Secretary DFS, GOI also participated.
- Time to time, we have been raising the issues of banks with the government for their resolution. During last SLBC meeting held on 04.03.2017, we informed that some RTOs in the state have made "Trade License" mandatory for vehicle finance companies including banks. We strongly protested the issue, and now the State Government has issued suitable instructions to exempt the banks.
- Despite various adversities in some of districts, the CD Ratio of the State has been 71.25% as on 31.03.2017.
- Due to constant follow ups, target under Mukhyamantri Swarojgar Schemes have been achieved by banks to the level of more than 100%.
- SLBC has been continuously monitoring the performance of banks under Annual Credit Plan. Resulting 100% target of State Credit Plan achieved during FY 2016-17.
- RBI in coordination with SLBC has chalked out a plan to train a targeted group i.e. Business Correspondents, Aanganwadi workers etc. simultaneously at all 51 FLCs under common training programme.
- Our vision for the State is "An all-round and all-inclusive development of the State through which the life of citizens can become prosperous and they should have opportunities for putting in their best efforts according to their potential and contributing to the nation's development".
- We are the pioneer to hold Review Conference/Workshop of all Lead District Managers of the State to discuss various strategies to achieve the target of ACP, action plan relating to implementation of Financial Inclusion and integrating their roles & responsibilities in achieving the objectives. As on 17.05.2017 RBI in coordination with SLBC hold a conference of all 51 LDMs, LDOs and DDMs of banks, RBI and NABARD respectively.
- Through the constant follow ups with banks and LDMs, enrolments under social security schemes could reach in the State around 1 crore.

Financial Literacy and Credit Counseling Centre (FLCC)

- We have opened 48 FLCCs in 7 States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(7), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Rajasthan(3) and Chhattisgarh (2).
- All these centres have conducted 6154 outdoor visits to the villages extending literacy/counselling to 599252 persons. Both mass campaigning and individual counselling are being done.
- Bank has provided them vehicle fitted with Public Address System and LCD for displaying various products/schemes being launched by banks for bringing awareness among the masses and opportunities to them for availing benefits to uplift their economic status and standard of living. Besides, we provide literacy material, kits, books etc while extending counselling as also visiting villages.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

- Bank has established 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1).
- During the year 2016-17, the RSETIs conducted 1153 training programmes and imparted training to 31961 candidates. Out of this, 26511 (i.e.83%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance.
- 39 RSETI centres are graded A, AA, 04 centres graded AB, and only 02 centres graded BB. There is no RSETI Centre graded C & D.

Other Initiatives

- ❖ Our bank has established one Society/Trust in the name of "Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan (CBI-SUAPS)" to control & supervise the operations and functioning of RSETIs and FLCCs.
- ❖ We have formed Governing Council at Apex Level with Chairman & Managing Director as Patron, Executive Director as President and General Managers as members for overall control and supervision of the affairs & functions of RSETIs and FLCCs.
- ❖ We have started engaging retired senior bank officials with requisite competencies to act as Director, RSETI and Counsellor, FLCC with adequate man power support.
- ❖ Local Advisory Committee and Training Committee have been formed at District level with the representatives from all local development bodies.
- ❖ We have developed a model plan common to all 46 RSETI for constructions of building, 30 RSETI Building constructions have been completed out of 46 RSETI Buildings and rest are in progress.

MSME DEPARTMENT

1. PERFORMANCE : (Amount in Crore)

Particulars	**31.03.2016 (Audited)**	**31.03.2017 (Audited)***	**Y-O-Y % Growth**
MICRO Enterprises	9155	9397	2.58%
MSE	28180	26956	(-)4.34%
MSME (PS)	30526	29531	(-)3.26%
TOTAL MSME	31590	30701	(-)2.81%
% OF MSME ADVANCE TO TOTAL ADVANCE	17%	20%**	
RBI MANDATES (PRIME MINISTER TASK FORCE)	**31.03.16 (Audited)**	**31.03.17 (Audited)**	**TARGET MAR-17**
No. of Accounts in Micro Ent.	515769	654726	567346
% Y-O-Y Growth in Number of Accounts under Micro Enterprises	20%	27%	10%
RBI MANDATES (PRIME MINISTER TASK FORCE)	**31.03.16 (Audited)**	**31.03.17 (Audited)**	**TARGET MAR-17**
MSE Portfolio (Amt.)	28180	26956	35700
% Y-O-Y Credit Growth under MSE	6.33%	(-)0.79%	20%
% of Micro Credit to MSE Credit	35%	33%	60%

(*) After excluding IBPC portion of MSME Loan of Rs.1637 Crore under Sale of loan assets of Rs. 22991 Crore.

(**) 20% of Total Advance of Rs.153008 Crore after sale of loan assets of Rs.22991 Crore through IBPC Participation.

Performance under MICRO Enterprises:

MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.16	**MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.17**	**ANBC**	**STATUS ON 31.03.2016**	**STATUS ON 31.03.17**	**TARGET MAR-17**
					(7.50% OF ANBC)
9155	9397**	**199535**	**4.59%**	**4.56%***	**15500**

(*) 4.56% of ANBC Rs.206155 Crore. Achievement index- 60.76%

(**) Excluding IBPC portion of MSME loan under sale of loan assets.

INDICATORS	DETAILS
PERFORMANCE HIGHLIGHTS	➢ Our Bank surpassed the RBI Mandatory target of 10% in number of accounts and achieved 27% due to increase in Micro accounts by way of MUDRA Loans under Micro Enterprises. ➢ As against target of 7.50 % of ANBC under Micro Enterprises, our Bank achieved 4.56 % as on Mar-17 compared to 4.59 % as on Mar-16 . ➢ % of Micro Credit to MSE Credit is 33% as against 60% target stipulated under PMTF. During corresponding period it was 35% as well. ➢ Y-o-Y growth under Micro Enterprises Segment is 2.64% (Amount wise) ➢ 79877 fresh accounts under MSME were opened with sanctioned amount of Rs. 6710 crore and disbursed an amount of Rs. 5163 crore from 01.04.2016 to 31.03.2017 . From 01.01.2017 to 31.03.2017 after demonetization, fresh 24698 accounts were opened with sanctioned amount of Rs.2369 crore and disbursed amount of Rs.1662 crore. ➢ During the Financial Year 2016-17, settlement of claims under CGTMSE is Rs. 46 crore in 1776 accounts. Claims approved as percentage of claims lodged in terms of accounts is 92%. Claims approved as percentage of claims lodged in terms of amount is 51%. ➢ Under PMMY our Bank's achievement is 75% of Target given by DFS, M.O.F, Govt. of India. As against Target of Rs. 2500 crore our Bank could achieve Rs.1883 crore fresh disbursements as of Mar-2017 . ➢ 497 MUDRA Cards issued for Rs.0.64 crore in this Financial Year. ➢ Our bank was the 5th amongst the PSBs to mobilize Stand Up India loan accounts. During the FY 2016-17, 1250 loan accounts were sanctioned under Stand Up India to Women & SC/ST Entrepreneurs for Greenfield (New) Projects.
INITITATIVES	**UPDATION OF MSME MANUAL**: For the first time MSME Manual was prepared by the department, covering all the MSME lending Schemes, Govt. guidelines, RBI guidelines for the benefit of field functionaries. The same has been also uploaded on bank's intranet site for ready reference. **Updated Master Circular** on classification of MSME advances was made available for the field functionaries in the bank's intranet site for ready reference.
WAY FORWARD	Like last year, this year also thrust is on Micro Enterprises for achieving Micro Enterprises target set by RBI and PMTF of 7.5% of ANBC. ➢ To achieve this target, our thrust is on extending finance under MUDRA Scheme, Stand Up India Scheme, loans under KVIC/PMEGP Schemes, and Cent Weaver Mudra Scheme. ➢ To give a thrust to financing to MSME sector, 20 New SME Cells will be designated which will facilitate for reducing Turn Around Time (TAT).

RETAIL CREDIT

Total outstanding under Retail Lending Schemes was Rs.32008 crore as on 31.03.2017. The Retail portfolio of the Bank was over 20 % of its total advances.

PRODUCTS and SERVICES:

1. The Bank has 37 schematic products on offer to general public catering to the distinctive requirements of the potential customers with clear differentiation.

Sr. No	Name of Scheme
1	Cent Home Loan Scheme.
2	Cent Home Double Plus Scheme.
3	Cent Home –CRGFTLIH Scheme.
4	Cent Home Loan Plus.
5	Cent Earnest Money Finance Scheme.
6	Pradhan Mantri Awas Yojna.
7	Cent Mortgage.
8	Cent Mortgage for Educational Institutions.
9	Cent Trade.
10	Cent Rental.
11	Cent Shop.
12	Cent Vidyarthi.
13	Educational Loan for Executive MBA.
14	Education Loan to the students of IIMS & 4 Reputed Institutions.
15	Cent Vehicle Scheme.
16	Cent Sahyog.
17	Cent Doctor.
18	Cent Personal Loan.
19	Cent Corporate Employee Loan.
20	Personal Loan to Pensioners.
21	Cent Suvidha.
22	Cent Personal Gold loan Scheme.
23	Personal Loan to Teachers and Employees of Educational Institutions.
24	Comprehensive Scheme on Channel Financing.
25	Loan Against Future Fees Receivable.
26	Reverse Mortgage Loan – Cent Swabhiman.
27	Cent Param.
28	Cent Combo.
29	Cent Liquid.
30	Cent School to HNI Customers.
31	Cent Home loan Scheme for purchasing 3rd or 4th house or flat.
32	OD Top-up facility to Cent Home beneficiaries.
33	Bihar Student Credit Card Scheme.
34	Cent Skill Loan Scheme.
35	Cent OD facility to Pensioners.
36	Cent Swabhiman Plus.
37	Cent Vidyarthi – NCGTC Guaranteed.

These products are directed at different target groups and for specified niche segments.

2. Six new schemes were launched during the year. An education loan scheme for providing collateral-free loans up to Rs 7.50 lakh with credit default guarantee cover provided by National Credit Guarantee Trustee Company Ltd., Housing Loan scheme for acquiring third or subsequent house as an investment option to HNI clients, an overdraft facility on the residual valuation of residential properties mortgaged for housing loans, short term school fees financing facility aimed at HNI customers, Upfront overdraft facility to pensioners for whom our Bank is the Pension Disburser, and an education loan to students of Bihar where the State Government is providing 100% credit default guarantee for limits up to Rs 4 lakh were the new introductions. Reverse Mortgage Loan enabled Annuity Scheme, Cent Swabhiman Plus, was revamped and re-launched after a brief hiatus taken for remodeling the scheme in accordance with the requirements stipulated by Insurance Regulatory and Development Authority of India. This is a unique scheme of our Bank which is implemented in association with Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.

3. Owing to overlapping of target-customers and convergence of product features over the course of time, some schemes have been merged, and removed from the list of active products. Cent Dentist has been merged with Cent Doctor, Personal Loan to Corporate Employees and Cent Ratna to Cent Personal Loan, Vocational Education and Training to Cent Skill Scheme, and following the Government decision, Rajiv Rinn Yojna has been subsumed into Pradhan Mantri Awas Yojna.

4. One more Centralised Credit Processing Centre was established during the year. With this centre at Kota in Rajastan, the total number of CCPCs are 49, and 1071 Branches are linked to them. More than 55% of all Housing Loans and more than 50% of Mortgage / Cent Trade / Education Loans were processed at CCPCs. All CCPCs and branches are processing all Retail Credit proposals in the CLASS Module.

5. We are integrated with Vidya Lakshmi Portal for sourcing, processing, disposal and monitoring of Education Loan requests from students.

6. New Retail Loans sanctioned during the year were 2.30 lakh accounts. It is projected to double in the current year.

INTERNATIONAL DIVISION

- Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 91 Authorized Dealer ('B" category) Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational convenience.
- As on 31.03.2017 the Export Credit portfolio of the Bank is Rs 5452 crore in comparison to Rs.5628 crore as on 31.03.2016.
- Merchant trade foreign exchange turnover was Rs. 38,269 crore in FY 2016-17 as against Rs. 44,027 crore in FY 2015-16.
- NRE Deposits increased from Rs. 3,819 crore as on 31.03.2016 to Rs. 4457 crore as on 31.3.2017; an increase of 17% over the previous year.
- FCNR Deposits increased from USD 204.21 million as on 31.3.2016 to USD 217.86 million as on 31.03.2017; an increase of 6.27% over the previous year.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

- The investment portfolio of the Bank has increased to Rs.93,792 crore as on 31st March 2017 as against Rs. 89,895 crore as on 31st March 2016 thereby recording an increase of 4.28% over the previous year. The ten year benchmark yield closed at 6.66% as on 31st March 2017 vis-à-vis 7.42% on 31.03.2016.
- RBI reduced the Repo rates in FY 2016-17 by 0.5 % (0.25% in April 2016 and 0.25% in October 16) to 6.25% and narrowed the policy rate corridor from 1% to 0.5% in April 2016. Thus the Bank rate reduced to 6.75%.
- The Repo borrowing limit was reduced to 0.25% of NDTL and term repo to 0.75% of NDTL, along with discretionary variable term repo and reverse repo over and above the 1% NDTL, aiming to keep the rates closer to repo rate. Banks are required to bid in the auction to borrow in term LAF.
- In the volatile market and critical liquidity management situations, treasury recorded trading profit of Rs.1542 crore which is considerably higher as compared to previous year trading profit of Rs. 587 crore. This was due to rate cut by RBI and surplus liquidity in the system aided by demonetisation. The yield on investment (excluding trading profit) decreased from 7.46 % during 2015-16 to 7.38 % during 2016-17.

- In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on shifting of securities, the Bank has transferred Central and State Govt. securities amounting to Rs. 3940 crore from AFS to HTM and Rs 8657 crore from HTM to AFS during 2016-17.
- The composition of investment portfolio of the Bank as on 31st March 2017 is as under:

(Rs. in crore)

Sr. No.	Composition	31.03.2016	31.03.2017
1.	SLR	66532.69	74070.73
2.	Non-SLR	23362.06	19720.83
	TOTAL	**89894.75**	**93791.56**

RISK MANAGEMENT

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

Risk Management Structure

- At operational level, various Committees like Asset Liability Management Committee (ALCO) for Market Risk, Credit Risk Policy Committee (CRPC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORCO) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team.
- These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.
- The Bank has identified officers in the rank of Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Zonal/Regional Offices. The Risk Managers act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Zonal/Regional Level. The Bank has also identified officers at the senior level in various functional departments of Central Office to act as 'Nodal Officers' to look into various aspect of control & management of risk in the Bank.

Market Risk Management

- The Mid Office reviews the market position, funding patterns and ensures compliance in terms of exposure, duration, counter party limits and various sensitive parameters and the reports are presented at regular intervals to the top management.
- The tools such as VaR and Duration analysis are used on an ongoing basis to measure and manage the risk to Bank's Profit in the short run and equity value in the long run.
- A model to estimate Capital charge on trading portfolio on ongoing basis is developed and being implemented as per the Basel III guidelines on the Market Risk.
- The Bank has board approved Market Risk Management Policy to monitor the market risk in the portfolio. Counter party limits for Treasury operation have been fixed / reviewed as per their latest standing of the counterparties.

Credit Risk Management

- Bank has a well-documented Integrated Risk Management Policy, which was last reviewed by the Board on 21/01/2017
- The Bank has procured the Rating Module from CRISIL Ltd.
- The Bank has also developed Rating Models (score card) for grading retail loans, and same is in use.
- The developments in credit risk management are being reported and monitored by the Credit Risk Policy Committee headed by the Executive Director.

- As preparedness for moving to advanced approaches, bank is in the process of developing models for calculating PD, EAD & LGD for both Corporate & Retail portfolio.

Operational Risk Management

- The Operational Risk Management in the Bank is guided by a well laid down Operational Risk Management Policy.
- Operational Risk Management Committee (ORCO) reviews the risk profile of the Bank on quarterly intervals and the oversight by the Board of directors strengthens the qualitative aspects related to Operational Risk.
- Bank is developing models and building up qualitative and quantitative information for applying to RBI towards graduating to Advanced Measurement Approach. New Product Approval Policy Framework guides the Bank in mitigating the risks associated with new products or activities.

Capital Planning

Bank has a robust ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in place. Bank has framed its risk appetite framework and intends to maintain capital ratios over and above the minimum requirements as per Basel III norms. Review of the capital vis a vis the estimates are undertaken on a quarterly basis.

Asset & Liability Management Systems

- ALM mainly deals with measuring and managing the liquidity and Interest rate risk of the bank with an objective of profit maximization. ALCO (Asset & Liability Committee) met 23 times during the year to review the position of the bank with regard to liquidity and other related matters.
- Besides regulatory reporting, ALM is also engaged in Interest determination on Deposits as well as Base rate, MCLR and BPLR fixation. During the year 2016-17, revision was made Six (6) times in deposit interest rates and MCLR was reviewed Twelve (12) times.
- In terms of new RBI guidelines Bank has started calculating LCR (Liquidity Coverage Ratio) effective from 1st Jan'2015 on a monthly basis & the ratio is well above the threshold limit (i.e. 80% for 2017) fixed by RBI. The average LCR for FY 2016-2017 is 176.97%.

Implementation of Basel III Guidelines

- Reserve Bank of India has issued updated master circular on implementation of the New Capital Adequacy Framework in July 2015. As per the guidelines, the Bank has adopted Basel III norms and provided capital as per Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration method for Market Risk.
- Bank is in the process of implementation of IRMS (Integrated Risk Management Solution) for moving to Advanced Approaches.
- All necessary policies such as Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Market Discipline and Disclosures Policy, ICAAP etc are in place duly approved by the Board.
- Bank is undertaking the necessary steps to graduate to IRB (Internal Rating Based) Approach.

RECOVERY DEPARTMENT

The bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, Staff Accountability, SARFAESI Act, Appointment of Recovery/Enforcement Agencies, Sale of assets to ARCs, Willful Defaulters, One Time settlement Schemes and MIS. The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in Economy and trends in NPA Resolution/Management.

1. During the year 2016-17, though the Cash Recovery of Rs.2378 crore, Upgradation of Rs.1183 crore aggregating to Rs.3561 crore, the performance was impacted by the fresh accretion of some high ticket accounts. (40 accounts of Rs.50.00 crore and above amounting to Rs.6116 crore).

- ❖ Gross NPA level has gone up from Rs.22721 crore to Rs.27251 crore, i.e. by Rs.4530 crore.
- ❖ Net NPA has increased from Rs.13242 crore to Rs.14218 crore i.e. by Rs.976 crore
- ❖ Gross NPA and Net NPA Ratios have increased from 11.95% to 17.81% and 7.36% to 10.20% respectively.
- ❖ Cash Recovery has increased from Rs.1287 crore to Rs.2378 crore.(84.77%).

2. The One Time Settlement (OTS) schemes for recovery in NPA accounts were revised and two OTS schemes have been introduced i.e. up to Rs.20.00 lakh and Suit filed accounts from Rs.20.00 Lakh to Rs.5.00 crore. The schemes had overwhelming response from field functionaries and reported maximum NPA accounts were settled under the schemes. The performance under OTS schemes - proposals settled for outstanding (RLB) amount of Rs.761 crore and amount of OTS Rs.559 crore.
3. Besides these OTS proposals, aggregating to Rs.748 crores have been sanctioned at Central Office and against which Rs.96 crore has already been recovered during the FY 2016-17.
4. During the year Bank has sold NPAs to ARCs - NIL.
5. All NPA accounts have already been classified into 3 categories i.e Very critical, critical, manageable for monitoring of recovery in these accounts.
6. NPA Borrowers having outstanding of Rs 50 lacs & above are being contacted individually by RO recovery team along with branch staff for recovery of loan.
7. Wilful defaulter exercise is being done in a very systematic way and all NPA accounts of above 25 lacs are being examined for identifying & declaration as wilful defaulter. During the year 20 borrowers had been declared as wilful defaulters.
8. The thrust area for the year 2016-17 was recovery in NPA accounts. The movement of NPA are being monitored closely by our executives on monthly basis. The recovery in NPA accounts through legal actions and action under SARFAESI are reviewed in review meetings and video conferences held with RMs and ZMs and emphasis also given to small accounts, agriculture and SME loan accounts.
9. All NPA accounts above Rs.1.00 cr have discussed and recovery action initiated by RMs, ZMs in the accounts and progress made in the NPA accounts were reviewed in video conferences held on monthly basis.
10. Recovery Camps are being conducted every month. In such camps recovery in written off accounts and JMFARC accounts will also be part of this Recovery Drive.
11. We are closely monitoring ARB Branches across the country to improve the Recovery performance.
12. We had vigorously followed up with all the eligible NPA accounts and ensured action under SARFAESI act is completed in the bracket of Rs 1 Crore and above. The entire process of SARFAESI action is concluded within six months of account turning in to NPA.
13. Special Lok Adalat at District level being organized on quarterly basis with active participation of RO/ZO and Law Officer.
14. SPBT College, CBOTC Bhopal & Kolkata had conducted one week training programmes on NPA Recovery Management. Executives from Recovery Department are closely coordinating such training programmes.
15. Vigorous follow up with DRTs by the Legal Officers /Co-ordinators is being made to dispose off the pending cases.
16. Separate targets for recovery in write off accounts have been allotted to Regions / Zones to improve the position of recovery in write off accounts.
17. High value NPA accounts of Rs. 5.00 crores and above are assigned to Zonal Co-ordinators at Central Office to take legal/ SARFAESI action in the accounts.
18. All the Field General Managers/Zonal Managers were advised to identify NPA accounts of Rs. 10 lacs and above and assign such accounts to officers for regular follow-up to upgrade /adjust NPA accounts.

BANCASSURANCE

Insurance services are provided by our bank under corporate agency of LIC of India for life insurance and Chola MS General Insurance Company for non-life insurance products.

The performance highlights for the year ended on 31.03.2017 :

- Bank stood 3rd in canvassing number of life insurance policies and 2nd in mobilizing insurance premium amongst all Bancassurance partners of LIC. Bank has canvassed 25406 policies with premium of Rs.149 Crores.
- Under General Insurance business, Bank has mobilized 244012 policies with premium collection of Rs.96 Crores.
- Total earning from Bancassurance business is Rs. 17.07 crores.
- Augmented number of Specified Persons (SP) by 263 during the year. Now we have 2589 Specified Persons to carry Bancassurance Business.

DEPOSITORY SERVICES

Bank is a Depository Participant with arrangement with Central Depository Services Limited (CDSL). All the operations are centralized and the services are offered through the nodal branch, Capital market Services Branch located at Fort Mumbai. The branches in major centres facilitate opening of the accounts, buying & selling, pledge of shares and dematerialization of physical securities. Bank is having around 24000 Demat account holders.

ON- LINE TRADING

Bank is offering “On-Line Trading” facility with Trade name “Cent –e-trade”. Customers maintaining bank account and Demat account with the bank are offered on-line-trading facility for trading in Equity Shares and Derivatives under arrangement with leading broking firm, M/s. Angel Broking Ltd. As on 31.03.2017, Bank is having 650 accounts for On-Line Trading.

Capital Market Services Branch opened in Mumbai exclusively for offering capital market facilities such as ASBA, Demat, Clearing Bank, Payment of Dividend Warrants and Credit/Guarantee facilities to Brokers etc. and is the controlling branch for on-line trading and ASBA.

INFORMATION TECHNOLOGY

1. CORE BANKING SOLUTION:

- The Bank achieved 100% coverage of branches under Centralised Banking Solution (CBS) in December 2010.
- The Bank has put in place state of the Art IT infrastructure and automated the business processes to ensure operational efficiency and promptness of the service to customers.
- Updation/ augmentation of existing computing resources viz. hardware, networking, software, security and other associated requirements are done in tune with future business projections and other statutory and security obligations.
- Bank has setup a Disaster Recovery Centre and is conducting regular DR Drills as per regulatory guidelines in line with Bank’s policy.
- All Policies and Procedures are also introduced to safeguard the assets of the bank to safeguard interests of the customers.
- Bank has implemented Near Site to ensure Business continuity with Zero Data loss.
- Many new functionalities are being implemented as per requirements on an ongoing basis.

2. NETWORK & CONNECTIVITY

- Bank’s Corporate Network covers 4951 locations consisting of branches, extension counters, ARBs and administrative offices. Completed procurement of 2 Mbps Backup Link at 1922 locations, 1314 locations with leased line and VSAT Back up links from multiple Service Providers.

- Bank has also tied up with M/s TATA communication Ltd, M/s Bharti Airtel Ltd and M/s Reliance communications Ltd for procurement of Wired/ Wireless Link as backup.
- Constant monitoring and controls are introduced for maintaining almost 100% uptime during branch working hours.
- IPv6 Implementation for internet facing applications completed.

ALTERNATE DELIVERY CHANNELS:

3. INTERNET BANKING

- The Internet Banking (INB) facility is capable of catering to 10000 users concurrently. Some technical upgradations have been done in this year which include introduction of TLS 1.2 by replacing the SSL 3.0 to ensure better security of the transactional data. Internet Banking Database has been upgraded from Oracle 11g to 12c.
- Internet Banking facility with new look and feel has been extended for our customers with a wide array of products and facilities. They include On line password generation for Retail & Corporate customers, Funds transfer, On line Tax credit view, Utility bill payments, On line Tax payment for various Govt., Airlines / Movie ticketing, shopping, temple donations, Prime Minister's National Relief fund donations, Fees collection for various Institutions/Universities, Govt. e-payments/receipts, customized account statements in addition to regular statement of account, On line time deposits including NRE/NRO deposit creation.
- New facilities such as:
 1. Password generation for corporate INB customer through OTP.
 2. Integration with Port Community System website for fee collection
 3. Revamping of PFMS system, with use of NACH for processing of bulk transactions implemented.
 4. Introduction of OTP as 2FA for Internet Banking transactions.
 5. Introduction of multiple 2FA (OTP, GRID, & Digital Signature) options for customers to make transactions using their choice and convenience.
 6. INB online transaction page has been made compatible for Mobile Based transactions.
 7. Atal Pension yojna registration through INB.
 8. Online Savings account opening using Aadhaar.
 9. INB in Hindi launched.
- Revamping of IMPS setup with extension of facility to Branches.
- IRCTC ticket booking, e-Freight for on-line Railway Freight booking by corporate customers etc. RTGS/ NEFT facility is also available through Internet Banking and NEFT functionality is currently available 24*7 through INB including Bulk upload for Corporate (Non personal) INB customers. The facility of a light weight payment page has been introduced to facilitate faster online transaction processing.
- Bank has deployed entirely new module through Payment aggregator, for tax collection for Odisha, Bihar Govt. and Prime Minister National Relief Fund where customers of more than 40 banks can pay taxes. Bank has also implemented payment systems for Ministry of civil services, Food and other e-PAO's.
- Central Bank is one of the first banks to integrate with e-biz, mission project launched by DIPP for facilitating online payments. Various state Govt. taxes / fee collection has been enabled through our Bank.
- Additional facility of customized statement of account for corporate customers is available. Facility for bulk upload through NEFT is also available under Corporate Internet Banking. Corporate customers can choose various options while availing Internet Banking as per the requirement of customer.
- Corporate customers can now be offered INB with view only / INB with tax & Utility Bill payment only facility in line with the facility already available for personal INB customers.

4. M-PASSBOOK

- Mobile based M-Passbook has been introduced for customers, which has been highly rated by our customers in Google play store.

5. SMA-NPA TRACKER

- Loan and NPA Monitoring forms an important part of the Bank's regular activities. SMA-NPA Tracker solution has been implemented in our Bank which aims to facilitate the field functionaries and ensures better monitoring of loan portfolio and tracking of their day to day activities. The solution is deployed on centralized server and can be accessed from Mobile Apps, browser of desktop/ laptop/ tablets and phones.
- The product is made available to staff members through
 1. Desktop PCs within Bank's Network.
 2. Mobile Phones through the Application (Android, Windows, Blackberry and IOS)
 3. On mobile website accessible through internet.

6. BHARAT BILL PAYMENT SYSTEM (BBPS)

This is a new initiative by NPCI to address the concerns of Bill payment business. Our Bank has got regulatory licence to participate as an operating Unit under this initiative same is being implemented.

7. SMS BANKING/ ALERTS

- SMS banking setup provides account information to the customers with real-time alerts on business transactions carried out by them. Presently, SMS alerts are sent to customers in 15 different Indian languages as per their choice for the 1) Debit / Credit in account above Rs.1000/- in saving account and Rs. 10,000/- in Current/ OD accounts 2) clearing Cheque is bounced. 3) Account balance is below the prescribed minimum level 4) Fixed Deposit maturity before 7 days.
- SMS alerts are also sent for maintaining control and monitoring to Branch Managers and higher officials to enable them to monitor critical activities of branches for better housekeeping and maintenance of accounts including monitoring of NPA.

8. MOBILE BANKING

- Cent Mobile is a Mobile Banking Application which has been re-launched recently with enhanced features. Users can access most of the banking services anywhere anytime through internet enabled handsets. Cent Mobile is available for Android, Apple (iOS), Windows and Blackberry platforms. It can be downloaded from respective Play Store/ App Store. Pre login options are accessible to all. Post login options can be accessed by customers of Central Bank of India after completing one time registration process.
- Bank has launched new Mobile Banking solution with enhanced functionalities as follows:-

Pre Login Options:

- Contact details of Central Office/ Zonal/ Regional Offices/ Branches including- office address, phone number, email address, MICR Code, Pin Code, IFSC Code.
- Branch and ATM Locations - mobile handset GPS based list of nearby ATMs or Branches. State, District, Centre or Pin code based pan India search option is also available.
- Map showing distance/ driving directions for ATM/ Branch/ Admin Offices.
- Touch dial to display phone numbers of Branches/ Admin Offices/ Call Centre.
- Link for Corporate website, Official social media pages (Facebook, Twitter), email address.
- Information banners related to products and services of Bank with zoom option.
- Interest rates on Savings and Time Deposit for different maturity periods.

- Interest rates on selected Retail Loan Schemes.
- Buying/ Selling Forex rates (for Cash, TT and Bills) for selected currencies.
- Touch dial to Missed Call service of Bank for getting Account Balance or last few transactions over SMS (available to Customers registered for this service).
- Real time Notifications/ Alerts regarding new launch/ offers/ modification in schemes etc.
- Search FAQ content based on key words.

Post Login Options:

- **Account Related Features**: Account Balance Enquiry, Account Details, Mini Statement, Fund transfer to accounts with Central Bank of India, Fund transfer to other bank accounts through NEFT, Fund transfer to other banks through IMPS, Donation to selected Institutions and Open New Time Deposit Account (RDS, FDR and MMDC Accounts).
- **Requests**: ATM (Debit) Card Blocking, Link Account to Aadhar Number, Request for personalized ATM (Debit) Card, Request for Cheque Book, Request for Stop Payment, Request to Revoke Stop Payment, Cheque Status Enquiry, Registration for getting Account Statement over Email and NEFT Status Enquiry.
- Option to Submit feedback/ suggestion/rating for Cent Mobile Application.
- **Bill Payment services**: Utility Bill payment, Mobile/ DTH Recharge.
- **Credit Card Services** : Central Bank Card related information such as Available Limit, Billed Amount, Unbilled Amount, Last bill summary, Card Statement, Reward Points, Central Card contact details and Central Card Bill payment and Request for Credit Card Blocking.

Card Control Features

- Card Control features introduced in Mobile Banking app enabling customers to perform the following functions through mobile banking related to Debit card:
 - Temporary suspension of Debit cards.
 - Re-activation of suspended Debit cards
 - Setting of ATM Cash withdrawal and E-Com/POS purchase per day limits of Debit Card for Domestic and International transactions.

9. MISSED CALL ALERTS:

- This facility is available to our CASA customers, whereby customers receive SMS regarding balance and last three transactions free of cost by giving missed call to 9555244442 and 9555144441 respectively. Bank is also in receipt of appreciation from Indian Banks' Association for this new customer initiative.
- The facility has been upgraded to accommodate account balances and mini-statement for multiple accounts of the same account holder.

10. APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA):

- Securities and Exchange Board of India has streamlined the existing process of Initial Public offer of shares by companies and introduced a supplementary process called as Application supported by Blocked amount (ASBA). We offer ASBA facility to all our customers by which an investor can subscribe to public issues (IPO) through the Bank by authorizing the Bank to block the application from his/her Bank account and thereafter remit the allotment amount. The facility is also extended to syndicate ASBA and e-IPO.

11. KIOSK BANKING:

Bank has implemented 254 self-service kiosk machines with facilities viz. cash deposit, balance enquiry and 407 Multi-function Kiosks with facilities viz. cash deposit, balance enquiry, mini statement, passbook printing, Cheque deposit and Internet Banking.

12. UNIFIED PAYMENT INTERFACE (UPI)

The UPI solution launched on Android Mobile providing variety of services as under:

1. Send Money using
 a. Virtual Payment Address(VPA),
 b. Account Number and IFSC
 c. Mobile number and MMID
 d. Aadhaar Number
2. Collect Money
3. Creation of Payment address for Bank Accounts
4. Manage Payee
5. Balance enquiry
6. Transaction history
7. Know Transaction status
8. Raise Complaints
9. Generate / Change MPIN
10. Notification for collect request
11. Approval of collect request

 In addition to the above, the following features also available in UPI application:-

 a. Integrated UPI 1.5 library
 b. Send Money using QR code
 c. Auto detection of OTP
 d. Resending of OTP
 e. Virtual keypad during PIN set

 Bank has also done integration with NPCI facilitating its customers for on-boarding on BHIM app for carrying out banking transactions .

13. DIGIDHAN LUCKY GRAHAK YOJNA AND VYAPAR YOJNA

Under Government Of India, Digidhan Lucky Grahal Yojna and Vyapar Yojna for promoting digital payments, a large number of bank's customers having carried out digital payment transactions using bank alternate delivery channels, received prize money during daily and weekly draw. During this scheme period, total of around 64855 customers of our Bank got prize money of around Rs.9.60 crores. The prize money of Rs. 1 crore was also received by the customer of our Bank in the Mega Draw of the scheme announced on 14th April 2017.

OTHER PROJECTS

14. WEB SITE:

- Sensing the need of customers, look and feel of the website is undergoing constant change. Website also provides apply online facility for Retail Loans , Deposit Accounts and availability of Lockers at Branches etc . Grievance can be logged by the customer. Bank has taken all measures to ensure security on Internet Banking and Bank's official website. Security Audit is done on quarterly basis.

15. RBI PAYMENT GATEWAY SYSTEMS:

- 4,811 Branches/ ECs/ SSBs/ Offices have been enabled for RTGS and 4,823 Branches/ ECs/ NBOs/ offices enabled for NEFT as on 31st March 2017. Both NEFT & RTGS are under Straight Through Processing (STP) in our Bank.
- RTGS/ NEFT facility is also available through Internet Banking System for Retail and Corporate Customers. RRBs have also been provided NEFT facility through our Bank's Payment Gateway. Additionally, bank has extended NEFT facility to 40 Co-operative Banks under Sub-membership arrangement.
- Next Generation RTGS (NG-RTGS) is functional in our Bank since its launch by RBI

16. ENTERPRISE SERVICE BUS (PAYMENT INTEGRATOR SOLUTION)

Capacity building exercise has been done to avoid delays in payment processes due to queue up and introduced multi thread processing to meet timelines. Bank implemented a payment integrator solution viz. Finacial Transaction Manager (FTM) for effective functioning of various batch processing functionalities like Electronic Clearing System (NECS), Govt. Payments (GEPG), Pension Processing, EFMS –Account No. Based, Lien Lifting and Transaction processing (source app ASBA), HRMS Integration for salary payments, Integration of Inward SWIFT Message (MT103), Co-operative Bank NEFT, Speed Remittance, NGRTGS, CPSMS – Digital signature validation, PAN validation (at the time of CIF creation in CBS), E- Remittance (Flash Remittance), Integration of Treasury, RTGS for DDA, Aadhar Based EFMS, MNREGA Aadhar Seeding, CTS, CMS with core banking System, IMPS, Unified Payment Interface, Khazana, PMJBY etc.

17. CHEQUE TRUNCATION SYSTEM (CTS)

As per RBI guidelines, Cheque Truncation System (CTS) has been successfully implemented at:

- 50 identified Centers for CTS in Southern Grid
- 46 identified Centers for CTS in Northern Grid
- 55 identified Centres in Western Grid

18. CALL CENTRE

- Bank has established a Call Centre since July 6, 2011 and is functioning smoothly.
- Presently the Call Centre is offering various services like Information on Bank's products and services, Information on Branch/ ATM Location, Information on Interest Rates and Services Charges, Balance Enquiry, Transaction Enquiry, Enquiry on Cheque Number, Debit Card Hot-listing, Enquiry on Interest Earned / Interest Paid, TDS Enquiry, Transaction Details, Status of Cheque issued or deposited, CD/CC/OD limit and Interest enquiry, Recording of grievances and feeding it in Bank's Customer Grievances system for its redressal at an appropriate level.
- Bank has implemented CRM at Call Center.
- Taking into account the increased expectation of the customers and to reach out to them in a most effective way, a new Call Centre is being established. With this , Bank will be making outbound calls to create awareness of products offered.
- Bank has upgraded to an advanced call centre with more seats and covering more functional areas with new call centre number 1800221911.

19. SINGLE DATA REPOSITORY (SDR)

Bank has set up a Single Data Repository which will be the source to provide information/ reports across the Bank. This will ensure consistency in reporting maintaining single version of truth providing various Dashboards to Top Management thus enhancing the Decision Support System. Static ALM, Dynamic ALM, Fund Transfer pricing, Analytical CRM and Corporate Performance Management (Planning & Budgeting) modules are already implemented. Majority of the ADF/ MIS reports are implemented. Some of the reports and dashboards are in advance stage of implementation.

20. HRMS

- ❖ Bank has implemented a State of the Art HRMS solution (CENT SWADARPAN) from Peoplesoft, covering functionalities such as Employee Self Service, Performance Appraisal Management, Payroll Management, Tour Approval and Claim Processing, Management of LFC, Leave and attendance administration, Employee Information System, Staff Loan Processing, Management of Medical Aid, HRD / Legal Department, Disciplinary Action Division (DAD), Gratuity Management/ Payment, Provident Fund Data Management and Payment, NRW Payment Processing, Allotment of Residential Quarters, Newspaper/ Conveyance reimbursement, Reports (Staff Strength, Payroll, Form 16, Leave, Union, Increment Report), Training Management and Manpower Training (MPT), Investment, Promotion Exam Request Form, Annual Performance Appraisal Form and related reports, Brief case, Silver Jubilee Award Reimbursement, Furniture & Fixtures, Transfer of officers, Rent reimbursement facility.
- ❖ Bilingual facility is made available in HRMS. Bank has also established a DR set up for HRMS.

21. INHOUSE DEVELOPMENT

- ❖ Bank has a robust IT development Team which effectively handles software requirements of the Bank thus avoiding outsourcing of developmental activities, wherever possible.
- ❖ Bank has developed a Centralised Pension module for Railway, Defence, Civil, Telecom, Postal, Central Silk Board, DUSIB, DDA etc., which is a major achievement of the team. The in-house team also caters to the requirements of various departments and administrative offices, thus reducing dependency on outsider vendors.
- ❖ **Following In-house development completed**:
 - e-Vigilance – complaints Monitoring System (V-CMS)
 - OROP- One Rank One Pension- Arrears for Defence pensioners
 - e-VRS (Electronic Visit Reporting System) For Zonal/ Regional Manager
 - Portal for PMJBY, PMSBY and APY schemes
 - Lease Deed Portal: Revamped the portal with changes suggested by user department.
 - DBTL: Development of DBTL for enabling branches for seeding Gas consumer number is available.
 - Jeevan Praman portal - Updation of Life Certificate in Pension database
 - CFSL - FDR and Share module developed. Modules like Merger, Amalgamation, Demerger are also made live
 - Customer Service Committee Meeting Portal: made available to Branches/ ROs/ ZOs for creation of details of customer meeting.
 - LDM portal - Portal for Lead Districts Manager is developed starting from creation of related data to generation of various MIS Reports.
 - Education Subsidy : Development completed for data cleansing.
 - Disciplinary Inquiry Module for Vigilance Department to register and track the progress of disciplinary inquiry cases.
 - GAD Vendor Payment-I phase

❖ **Projects under Development**:-

- E-channel Manager:- Development completed, Generation of some reports under development and will be completed by end of month
- Portal for updation of data to generate xml files for NCGTC (MSME, RETAIL).
- DIT Payment System
- Central Rent Payment System

22. RRBs SPONSORED BY THE BANK:

Currently Bank has 3 RRBs with 1629 branches. All the branches are under Core Banking solution and efforts have been made to bring up the technology initiatives of RRBs at par with the initiatives undertaken in the Bank. The entire system is revamped to take on the requirement of the bank till August 2020. Hardware, Network and Security equipment etc. are being procured through RFP process. Renewal is being done envisaging expansion of branches and business growth of the RRBs. At present RRB branch network is primarily on VSATs. Therefore, implementation of MPLS Leased Lines has also been considered for all the branch locations in the renewal process. Leased Lines will be commissioned at the locations which are found feasible.

Efforts have been made to implement all technical initiatives of the sponsor bank and major initiatives are as under:-

- EMV chip based ATM card facility for RRB customers
- SMS alert introduced at RRBs
- Online interface for FI transactions
- Introduction of Kisan Credit Cards
- Implementation of CPSMS
- Ultra Small Branches functionality
- Introduction of APBS/ACH
- CIBIL data extraction
- Implementation of Biometric Authentication solution for branch CBS users.
- POS facility through Rupay Debit Card
- Implementation of AEPS
- Comprehensive IS Audit of RRB is completed
- DBTL/ ACH is implemented in all 3 RRBs
- Implementation of eKYC
- Implementation of Rupay Card transactions through MicroATMs.
- Introduction of Circular Portal.

23. FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES:

- All financial inclusion initiatives are implemented as directed by the government by providing required technology support.
- Aadhaar Payment Bridge System (APBS) is live.
- DBT for LPG Consumer implemented and monitored for lowering rejections
- Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) is live.
- Facility for Bulk Aadhaar Seeding for seeding of MNREGA beneficiaries Aadhaar

- Aadhaar seeding through alternate channels also – ATM, SMS and Internet Banking
- Total of 239 lakh Aadhaar seeded till 31st March 2017
- Central Biometric authentication for FI customers
- CSC Kiosk Banking Model in FI implemented by replacing TCS' KIOSK Banking model
- E-KYC - implemented at all branches
- Demographic Authentication – Live into production environment and performing DemoAuth transactions via NPCI
- Introduction of 3 Social Security Schemes in CBS viz. Atal Pension Yojana, PM Suraksha Bima Yojana and PM JeevanJyoti Bima yojana.
- RuPay card transactions via BC devices is live in production
- New RFP Technical Service Provider has been made live.
- Aadhaar-based login for BCs functionality has been moved to production environment and all active TSPs are live on the same.
- Bulk SMS facility is implemented in production for those BCs who are not logging in on a particular day.
- Separation of Aadhaar seeding and Aadhaar Mapping moved in production as per NPCI guidelines.
- Mandatory field for Aadhaar, Mobile and Nomination is moved in production.
- Aadhaar based merchant payment functionality moved to productions and made live.

24. IT GOVERNANCE.

- ❖ The necessary structure for IT Governance has been set up with the formation of IT Strategy, IT Steering & IT Risk Management Committees in the Bank. Approval of IT Policy and Hardware Disposal Policy for disposal of IT Assets is approved by the Board.
- ❖ Electronic Gadget Policy was adopted to provide clarity regarding allotting electronic gadgets to the executives, surrendering/ carrying the same on transfer/ reallocating the same in case of surrender and retaining the same at the time of superannuation. In course of time, procurement of these gadgets may be required for various user groups/ individuals and hence it is essential to have clarity for the entire procedure.
- ❖ IT Policy Version 1.4 was approved and adopted by the Board. The IT organizational structure should commensurate with the size, scale and nature of business activities carried out by the bank and the underlying support provided by information systems for the business functions. The broad areas or functions considered for IT organizational structure will include 'technology and development', 'IT operations', 'IT assurance', and 'supplier and resource management'. IT Department should ideally be headed by a Top Executive in the Rank of General Manager supported by Deputy General Managers. Each functional vertical of IT department should be headed by suitably experienced and trained senior officials, preferably not less than the rank of Assistant General Manager.
- ❖ The Bank has also adopted Patch Management Policy, Acceptable Use Policy and Anti Piracy Policy for better Management.
- ❖ Preparation and submission of Balance Scorecard is carried out on regular basis and Performance rating under various parameters of IT projects are being done as per the advice of IT Strategy committee. Internal Audit and Surveillance for ISO-27001 certification and BSMS-25999 certification was conducted.

25. INFORMATION SECURITY.

- ❖ Bank₹s Data Centre (DC) and Disaster Recovery Centre (DRC) are certified for ISO 27001:2013 ISMS standards and ISO 22301:2012 BCMS standards.
- ❖ Measuring the effectiveness of various information security controls/activities on quarterly basis through the concept of Information Security Balanced Score Card.

- ❖ Participated in Cyber Drill conducted by RBI and CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team).
- ❖ Privilege Identity Management (PIM) solution has been implemented to manage the activities of privileged users of various systems at DC/ DR.
- ❖ Initiated steps for implementation of DLP (Data Loss Prevention) in more effective manner.
- ❖ Security awareness initiatives for customers as well as staff on regular basis.
- ❖ Initiated necessary steps for strengthening the cyber security posture of the bank in line with industry best practices and RBI guidelines on "Cyber Security Framework for Banks".

26. BIOMETRIC AUTHENTICATION FOR CBS USERS (STAFF):

- ❖ Bank has completed implementation of Biometric authentication system (BAS) as an additional security measure.
- ❖ All the branches and offices enabled for biometric authentication and all the users with transaction capability have been made mandatory to login on CBS through Biometric Authentication

27. JEEVAN PRAMAAN

Jeevan Pramaan application for Digital Life Certificate Generation for Pensioners has been installed at all the RO/ ZO/ branches of our Bank. Central Govt/ Defense/ State Govt pensioners can be enrolled for Digital Life certificate from any ZO/ RO/ Branch Location.

28. CENTRALIZED LOAN APPRAISAL SYSTEM AND SUPERVISION (CLASS)

- ❖ This is implemented with Monitoring Module for Retail, Agriculture, MSME and Corporate Loans.
- ❖ After the introduction of this system, the enforcement of credit rules for sanctioning of loans has become easy and the procedures have become uniform across the branches.
- ❖ At present, this software is used by all the branches for Loan origination of Retail Loans etc. A facility for online submission of retail Loan applications under this software is available.
- ❖ Both online and offline loan applications tracking facility is also available through this software over the internet.
- ❖ Newly Launched NSDL Vidyalakshmi Portal for education Loans is linked with CLASS already and Phase II implementation for automation of NSDL Portal is under implementation in UAT.
- ❖ This software is capable of displaying RBI defaulters list. And NPA module is under Testing phase & will be put to production.
- ❖ Revamping of CLASS Module is under process with Pure Scale Architecture for which first part is implemented at DRC and Second part implementation of DC is going to start shortly.
- ❖ Consolidated 5 Years of AMC/ ATS of Application, Middleware, Hardware & Licences is under process and will be finalized shortly.

29. SARAL TDS WEB APPLICATION

Centralised e-TDS Management Solution implemented on 06-10-2015 which facilitates monthly IT challan generation for remittance of TDS and filing IT returns.

30. CASH MANAGEMENT SERVICES (CMS)

Cash Management system implemented on 01-01-2015 which facilitates corporate customers to manage liquidity, account balances, payments and other Cash management functions. The application has two main modules viz. Payments and Collections.

31. ANTI MONEY LAUNDERING (AML)

AMLOCK application implemented on 15-06-2015 which facilitates generation of the mandatory reports (daily/ monthly) like STR, CTR, NTR, CCR and CBWTR which are being filed with FIU.(Financial Intelligence Unit). **32. M I S C E L L A N E O U S**

PROJECTS.

- Implementation of Integrated Risk Management System
- Implementation of Fraud Risk Management System
- Bank is in the process of Digitalisation of documents with implementation of Document Management System (DMS).
- Procurement of Hardware for Market Risk.
- Implementation of Host 2 Host connectivity for NACH products
- Implementation of System Driven IBR
- Mail Messaging System & Video Conferencing through NIC
- Review of existing IT related policies
- Implementation of Digital signature for Corporate INB customers
- Regularization of usage of licensed products like Microsoft Office
- Implementation of Ku Band VSAT on OPEX model at all feasible locations as backup link
- Implementation of OTP as a second factor of Authentication for Debit Cards
- Wide usage of Video Conferencing facility, which is made available on Bank's corporate network, Internet & iPads
- All regulatory compliance requirements that came up during the period.
- Off-site Monitoring: 89 alerts have already been provided to Audit department for Off-site monitoring.

AUDIT AND INSPECTION

Branches of the Bank are subjected to Risk Based Internal Audit through Internal Auditors and Risk Rating is awarded to each branch as per Composite Risk Matrix. Accordingly 3661 Branches were subjected to RBIA & Branches were rated. There are 2330 branches with Medium Risk Rating, 2315 branches with Low Risk Rating and 51 branches with High Risk Rating as on 31.03.2017. No branch of the Bank is rated under Very High Risk or Extremely High Risk category.

During FY 2016-17, 32 Regional Offices, 11 Zonal Offices and 11 Central Office Departments were subjected to Management Audit.

Bank has covered 1064 Branches/SSB/CO Depts. under Concurrent Audit by the Firms of Chartered Accountants. All 7 Corporate Finance branches are under concurrent audit by Bank's own official of Senior Management Grade. Around 56% of aggregate deposits and 74% of aggregate advances as of 31.03.2017 are covered under Concurrent Audit. Concurrent audit assignment was awarded to 1057 Chartered accountant Firms, out of which 407 firms are RBI Category I, 328 are category II, 183 are category III and 139 are RBI Category IV firms. Out of these, 841 firms are those whose partners/employees have undergone Certificate Course on Concurrent Audit of banks, conducted by the ICAI.

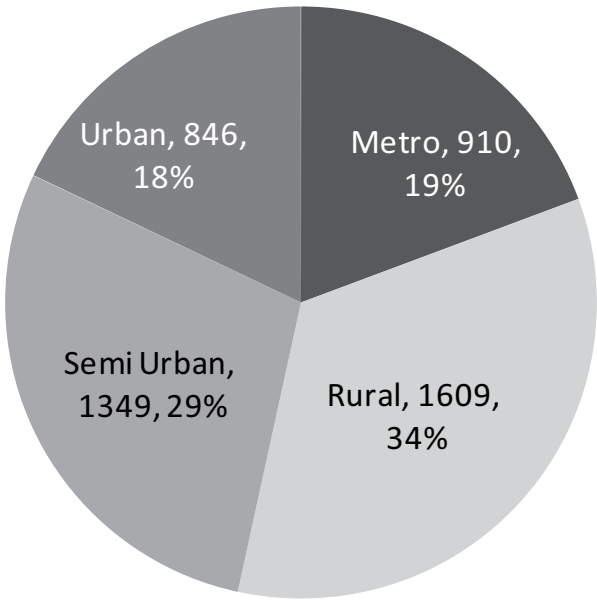
Bank is also under Offsite Monitoring system to monitor the transactions at branches, above the threshold limits fixed under various scenarios. Presently alerts are generated on 89 scenarios.

During and after the Demonetisation process, Audit Department played proactive role through monitoring of alerts and conducted audit of branches/currency chests. Audit Department also conducted special audit at branches along national border, branches in Left Wing Extremism (LWE) affected areas, branches of North-Eastern region of the country and branches in far flung areas. Your directors are pleased to inform that, nothing significant was detected in the Demonetisation audit process.

BRANCH EXPANSION

As on 31st March 2017, Bank has network of 4714 branches, 3677 Ultra Small Branches, 5285 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter. Bank is having pan India presence covering all 29 States, 5 out of 6 Union Territories and NCT Delhi, 574 District Head Quarters and 626 Districts out of 707 districts in the country.

DISTRIBUTION OF BRANCHES



OPERATIONS

- **Demonetization –** The Bank has efficiently managed the receipt /exchange of SBN notes and issuance of small denomination /new currency notes to customers /general public.
- **New Call Centre-** Bank's new expanded modernized Call Centre has started functioning to provide better Customer Service 24x7x365. The new Toll free number of Call Centre is 1800-22-1911.
- **BCSBI Rating** – BCSBI has rated our bank "**ABOVE AVERAGE " in** Customer service Code compliance . The raking of our bank has also improved upward .
- **OROP & 7th pay arrears –** Bank has paid three instalments of OROP as well as arrears of 7th Pay Commission to all eligible Central Pensioners as per time line.
- **Mystery Shopping –** In order to gauge the level of Customer service provided by branches , Bank is conducting Mystery Shopping through independent agency. So far 721 branches have been covered and corrective steps have been taken on the basis of reports received from agency.
- **Redressal of Grievances -** Complaints received on various platforms are being resolved promptly. Complaints of Staff misbehavior are investigated through retired General Managers of other banks and actions are initiated against erring staff.

RAJBHASHA

- In the category of nationalized banks, our Bank was awarded with " Rajbhasha Kirti Puraskar" in linguistic region "B" for the best implementation of Official Language Policy in our Bank.
- Our Bank was awarded with First Prize in all three linguistic regions - "A" "B" and "C" By Reserve Bank of India under "Reserve Bank Governor Shield".
- Our Bank's house Magazine was awarded with " Reserve Bank Governor Shield" under the "Bi-lingual house magazine Prize scheme".
- Zonal Offices - Mumbai and Guwahati were awarded with "First Prize" by the Ministry of Home affairs, Rajbhasha Vibhag for the best implementation of Official Language policy of Government of India.

- Our Guwahati Branch and Regional Office - Panji were awarded with "Third Prize" by the Ministry of Home affairs, Rajbhasha Vibhag for the best implementation of Official Language Police of Government of India.
- Our Regional Offices at Meerut, Aurangabad, Akola, Delhi (South) and Tiruannantpuram were awarded with "First Prize" by their respective Town Official Language Committee for the best implementation of Official Laguage policy.
- Our Lead Bank Office, Hoshangabad, Regional office Jaipur, Kota and Dehradun were awarded by their respective Town Official Language Committee with "Second Prize".
- Varanasi and Jalandhar regional offices were awarded by their respective Town Official Language Committee with " Third Prize".
- Haridwar Branch and Zonal Office - Delhi were awarded with "Consolation Prize" by Town Official Language Committee.
- Our Regional office - Kochi received "Best participation award" from Tolic Kochi.
- Hindi E-Magzines are being published by all Zonal and Regional Offices.
- Parliamentary Committee on Official Language visited our Central Office on 23rd January 2017 and appreciated our efforts in implementation of Official Language Policy of the Govt.
- All India conference of Rajbhasha Officers was organized in Goa on 22nd March, 2017 that was hosted by MMZO. Dr. Mridula Sinha, Governor of Goa was the Chief Guest of this conference.

CORPORATE COMMUNICATIONS

It continued to be our endeavor this year to make consistent efforts with thrust on Low cost advertising to generate public awareness about our products & services through print, electronic, outdoor and other mass communication vehicles, to sustain and enhance our brand image while adopting go-green measures and to augment the business of our Bank with active engagement/involvement of field staff. For enhancement of visibility on pan India basis various publicity activities such as branding on Traffic barricades, No Parking Boards, Police booth, Utility Kiosks, Wall painting, Auto rickshaw, Bus & Train branding were done in addition to the sponsorship of Local sports/Yatras/Events/Kisan camps/conferences at the field level. To support these activities Local cable, FM Radio, Mobile app, UFO movies, PVR cinemas were also used.

- Bank organized 143 health check-up camps cum blood donation camps for the customers and staff members during the year.
- Road Indicator Board at Sidhivinayak Temple, placement of traffic barricades at important locations attracted the attention of masses.
- Due to branding activities carried out using print, electronic and outdoor media vehicles, Bank's Brand was at 9th Rank amongst PSU Banks in India and 393rd Rank amongst the Banks in the world as per annual ranking of most valuable 500 brands published by Brand Finance.
- Bank stood at 6th position as Trusted Brand under PSU Bank category as per Economic Times survey.
- ABCI has given 5 Awards to the Bank in recognition of its Corporate Communication initiatives.

VIGILANCE

- In order to ensure effective management of the Vigilance Dept. and to improve operational efficiency, e-Vigilance Portal has since been introduced. This would help to monitor the movement of DI cases and Complaints on real time basis.
- There has been considerable improvement in disposal of Vigilance cases.
- All Branches/Regional Offices of the Bank were fully involved in propagating this year 'Vigilance Awareness Programme', public participation to promote integrity and to eradicate corruption. More than 180 workshops were conducted at schools/ colleges and Gram Panchayats across the country.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

1. MANPOWER:

At the end of March 2017 the staff strength of the Bank stood at 37,044 as against 37,685 in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below:

Category	March 2017	March 2016
Officers	16,247	16,115
Clerks	13,001	13,103
Sub-staff	7,796	8,467
Grand Total	37,044	37,685

2. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT:

(i) Executive Development Programme for five star rated Branch Managers:

The objective of the scheme is to encourage the spirit of competition among the employees towards achieving the targets and to promote performance differentiation by recognizing and rewarding the performing officers for their contribution in Business development. It has been approved in our training plan 2016-17 and envisaged in our Training Budget to provide overseas training to five star Branch Managers, 3 BMs (Repeaters) were nominated in the 27th Forex Association of India Annual Conference at Bangkok and 44 BMs attended training in two batches at NIBM & IMT Dubai conducted by NIBM, Pune.

(ii) Provision of Ceiling on cost of House Building Advance to Officers and Award Staff:

The quantum of HBA to employee (Officer & Award staff) arrived by taking into account left over service plus period upto reaching age of 70 years, subject to maximum repayment period of 240 months in respect of officers and 300 months for award staff and provision of converting House Building Advance to Direct Housing finance Scheme (Cent Home) at time of superannuation/VRS/Resignation with effect from 27.05.2016. The enhancement of quantum of loan become effective from 08.02.2014.

(iii) Payment of bonus effective from the financial year 2015-16:

Effective from 01st April 2015, Bonus payable @8.33% of the "Salary/Wage" to all the eligible employees of our bank working in India and whose salary/wage does not exceed Rs.21000/- per month (as per the provisions of the Payment of Bonus (Amendment) Act 2015). The maximum amount of Bonus payable will be Rs.7000/-.

(iv) Norms for Transfer of Mainstream Officers in Scale-I, II, & III –Revised document incorporating amendments:

Certain provisions in the Transfer Norms of Mainstream officers in scale-I, II and III have been amended keeping in view the present business needs and staff aspirations of our bank and the same has been duly approved by the Board of Director in its meeting held on 04.02.2017.

(v) Mandatory Leave Policy for employees posted in Sensitive/ Non-sensitive positions:

All employees, including officers and award staff, are covered under Mandatory Leave Policy and all such employees are required to compulsory avail a leave or asked to be away from his/her desk (Training/Deputation at other place etc.) for 10 working days in a single spell every year during their posting at Sensitive place and similarly 6 days for others in Non-sensitive positions. Further, it should be ensured that when such employees is on leave, he/she should not have access to any physical or virtual resources (viz. Cent mail, etc.) related to his/her work responsibilities.

(vi) Payment of Overtime & Out of pocket expenses on account of Demonetization of Rs.1000/ & Rs.500/- Notes:

On account of Demonetization of Rs.1000/- & Rs.500/- notes, employees working in the branches are compensated with overtime and Out of pocket expenses.

(vii) SAFETY OF WOMEN EMPLOYEES WORKING LATE AT OFFICES/BRANCHES:

It is imperative that our Bank ensures safety of our lady colleagues . Accordingly all administrative offices and branches were advised to ensure that normally lady staff members are not required to work late in the evening . However, if due to work exigencies the women employees are required to work very late in the evening , it should be ensured that they are not made to work alone in the office and the authorities need to ensure the safe return of lady colleagues to their home.

(viii) Renewal premium for the IBA Group Mediclaim insurance for retirees for 2016-17 (Policy expiring on 31.10.2016):

The Group Health Insurance policy for retired employees/family pensioners as envisaged by IBA under 10th BPS/ Joint Note dated 25.08.2015 got expired on 31.10.2016. All eligible retirees covered/opted in the said Policy & willing to renew the same were requested to submit their fresh "Consent Letter with Option".

3. TRAINING:

Training Plan and Training Calendar was been prepared for the year 2016-17. In the approved training plan, priority is given to training on Credit (Retail, MSME and Agriculture), Recovery, Forex, and Risk Management and Behavioral aspects**.**

Special Training initiatives taken during the year 2016-17 are as under:-

- The first programme for General Managers on "Effective Change Management" was held at IIM, Bangalore covering all 26 GMs and FGMs.
- The Management Development Programme for SRMs and RMs was conducted at IIM, Calcutta for the first time.
- The Faculty Development Programme was conducted for 28 Faculty Members at NIBM, Pune.
- As per recommendations of succession planning, Advanced Credit Management Programme was conducted at IDBP Noida, NIBM, Pune ASCI, and Hyderabad and at SPBT College by CRISIL, Mumbai. Total 10 Programmes were conducted for Asst. General Managers and Chief Managers covering all AGMs and CMs.
- The customized Training Programme " Harnessing the opportunities in Rural & Semi-urban area was" conducted for BMs & AFOs of Rural & Semi-urban areas at Andhra Bank Apex Training College, Hyderabad for Hyderabad Zone and at Indian Bank Training College IMAGE, Chennai for Chennai Zone.
- A Special Training Programme for "On-Field Trainers" from the officers of Scale I-IV, working in Branches/Offices was conducted at SPBT College. The services of On-field Trainers will be utilized at ZSTCs and Training Colleges as per requirement.
- Executive Development Programme for forty four 5star rated Branch Managers was conducted during the year at NIBM Pune and IMT Dubai and 3 Repeater BMs Attended 27th Forex Association of India Annual Conference at Bangkok.
- "MANTHAN" a specially designed soft skill programme started during the year 2015.The programme was conducted till December 2016 at different ZSTCs, Training Colleges and other centres and covered all the employees upto Scale-V of the bank. The programme aims at bringing attitudinal change amongst the employees.
- The Induction Training Programme for newly recruited POs & 185 AFOs held with the support of the faculties of IIBF at CETTM, Powai for the Financial Year 2016-17.
- 26 courses on E-learning are available in E-learning portal manage by SPBT College.
- Due to demonetisation of Rs. 1000 and Rs 500 notes all the training programmes at ZSTCs/CBOTCs & SPBT were cancelled from 09.11.2016 to 31.12.2016.

During the year 2016-17, 2787 Programme including Class room, Locational, Manthan and Special Training were conducted covering all staffs attending one or two training programmes each i.e. 52,252 participants and 1,43,115 man days by three training colleges and 15 Zonal Staff Training Centres. These apart 1555 Officers in various scales were

nominated for specialized training programme conducted by external training agencies like NIBM, CAB, IDBP NOIDA, BIRD, IIBF, ASCI, and IDRBT etc. Further 44 Five Star Branch Managers and 12 Officers have been sent for foreign training programme / workshop/summits/exposure visit in the year 2016-17.

4. RECRUITMENT & PROMOTIONS:

- In the year 2016-17, recruitment process was held for 2631 posts encompassing Probationary Officers, Agriculture Finance Officers, HR Officers, Clerical Staff and Sub-staff.
- The promotional exercise has been made more motivating and as such as a corporate goal, it has been resolved to held the promotion processes as possible for all scales/categories. Accordingly, during the year 2016-17 inter-scale and inter-cadre promotion processes were conducted and employees/officers were elevated to higher cadre/scale, out of which 309 sub-staff were promoted to clerical cadre, 1355 clerks were promoted to Scale-I officers and 3837 officers were elevated to higher cadre/scale.

5. IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY:

- The Bank has implemented the guidelines/instructions received from Govt. of India/ Indian Banks' Association on Reservation Policy and concessions / relaxations are extended to SCs/STs/OBCs/PWDs as admissible in the Reservation Policy.
- Shri Ashok Kumar Saini, Hon'ble member of National Commission for Backward Classes attended meeting held on 29.04.2016 and 04.01.2017 at Chandigarh and interacted with SC/ST/OBC representatives.
- Shri Raju Parmar, Hon'ble member of National Commission for Scheduled Castes meeting held on 05.11.2016 at Ahmedabad on implementation of reservation and maintenance of Roster including action taken report on previous meeting and inspection of Roster.

6. INDUSTRIAL RELATIONS:

The Industrial Relations during the year remained generally cordial.

CREDIT CARD OPERATIONS:

- The Bank has Credit Card base of 112943 & Prepaid Card base of 430550 as on 31st March 2017.
- The bank issues Credit Cards with major Card Association's viz. MasterCard & Visa. Prepaid Cards are issued in association with MasterCard.
- Bank issues only EMV Chip based Credit Cards for customers.
- Bank has launched dedicated Web Portal for Credit card.
- Credit Card functionality is also developed on mobile banking.
- EMI option for on line purchases by Credit Card is developed and implemented.

ATM /DEBIT CARD OPERATIONS:

- Total number of ATMs as on 31st March 2017 is 5285. During 2016-17, 121 ATMs have been installed & 9 low hit / damaged ATMs have been closed.
- Cash Replenishment by Bank staff is being done for 88 ATMs.
- Out of 4624 Branches which were opened upto 31.03.2015, 4464 Branches have been linked with ATM as on 31st March 2017.
- 60% of the Bank's ATMs are located in Rural & Semi-Urban areas.
- ATM Uptime at present is 60%.
- Post-demonetization, all the ATMs have been recalibrated for dispensing 2000 & 500 denomination currency notes.

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

i. CENTBANK HOME FINANCE LIMITED

- Owned funds stood at Rs 88.35 crores as on March 2017.
- During the year the total advances of the company improved to Rs.1322.62 Crores in March, 2017 from Rs.1110.21 Crores as on March, 2016, Y-o-Y growth of 19.13%.Housing Loan increased to Rs 1085.53 Crores as on 31.03.2017 as against 886.06 Crs as on 31.03.2016 registering growth at rate of 22.51%.
- The retails deposits and institutional deposits have increased from Rs 562.61 crore in March 2016 to Rs 680.58 crore in March 2017, a Y-o-Y growth of 20.94%
- The Net Profit of the Company stood at Rs. 11.04 Crores for full year 2016-17, as against the level of Rs.13.44 Crores for full year 2015-16.
- Earnings per Share is Rs. 4.42 (Rs.10 per share) [Previous Year Rs.5.38].
- NPA stands at Rs. 21.48 crores in March 2017 as against Rs 23.29 crores in March 2016.
- Net NPA to Net Advances is at 1.05% as on March 2017.
- Return on Assets is 0.58%. [Previous year 1.34%].
- CAR works out at 17.52% as on 31st March 2017.

ii. CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

- Centbank Financial Services Limited is essentially providing Trusteeship Services including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc.
- The Company is registered with SEBI to undertake Debenture Trusteeship activities.

Financial Update:

- The company earned a Net Profit after Tax of Rs.2.77 crore for the year ended 31 March 2017 against Net Profit of Rs.2.00 crore in the previous year.
- Segment-wise earnings:

(Amounts in Rupees)

Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16
Fees from Executor Trusteeship	36,97,765	40,97,743
Fees from Debenture & Security Trusteeship	2,69,31,110	2,56,73,602
Other income (Interest)	3,02,88,904	3,23,,96,472
Total	**6,09,17,779**	**6,21,67,817**

iii INDO-ZAMBIA BANK LTD

- The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three India Banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian Banks hold 20% equity, Govt. of Republic of Zambia holds the balance 40% equity.
- Bank's financial year is the calendar year.
- The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth largest bank in Zambia.
- As at the end of December 2016, our Bank is holding total 8,32,00,000 shares of Kwacha 1 each value.
- Deposits of the Bank have increased by 3.76% and advances have increased by 2.63% over the previous year.
- Bank has made net profit of Kwacha 83.61 Mio. (Rs. 55.74 Crore) for the calendar year 2016.

- ❖ During the year the Bank declared dividend for the year 2016. Accordingly, our Bank received dividend of USD 616,748/- equivalent to Rs. 4,79,90,324 /- on 15/03/2017.

iv. Regional Rural Banks :

- ❖ We have 3 RRBs as on 31st March 2017 in 3 states covering 47 districts with a network of 1629 branches.

(Amount in Rs. Crore)

Name of RRBs with its HO & State	No. of Dist. & Branches	Total Deposits	Total Advance	Gross NPA	Net Profit
Central Madhya Pradesh GB. Chhindwara (M.P).	25 / 455	6964.37	4000.98	479.92	3.38
Uttar Bihar GB. Muzaffarpur (Bihar)	18 / 1032	13505.24	7042.63	1707.51	(77.98)
Uttarbanga Kshetriya GB. Coochbehar (W.B.)	4 / 142	2702.40	1237.16	223.36	1.48
Total	**47 / 1629**	**23172.01**	**12280.77**	**2410.79**	**(73.12)**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- ❖ CSR is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.
- ❖ It is our continuing commitment to donate under CSR through the organization/Trust working for poor, downtrodden people of society for their upliftment for education, health, natural calamities and overall social welfare of the society
- ❖ CSR Budget for the financial year 2016-17 was NIL as Bank had incurred loss during the financial year 2015-16.

ACHIEVEMENTS

- ❖ During the year, MSME department had launched following new products :
 1) CENT STAND UP INDIA
 2) CENT WEAVERS MUDRA SCHEME
- ❖ During the year 7 (seven) New SME Cells were formed to give a boost to MSME financing in the bank. For the F. Y. 2016-17 all the 14 SME Cells sanctioned fresh loan of 322 accounts for Rs.464 Crore and disbursed 293 accounts for Rs. 236 Crore. With the implementation of Cent Stand Up India Scheme many borrowers were sanctioned fresh loans for new entrepreneurship in improving their livelihood. Among the borrowers who have got benefitted by improving their livelihood are:
 - ➢ **Success story** displayed in the Stand Up India portal whose details are as follows:

 Ms. Manju Chandak approached our Sausar Branch for Stand up India (SUI) loan for herself. She was successfully disbursed SUI loan for Rs. 49.90 lakh for setting up of her business activity as Bichhayat Kendre (providing Tent House and other Equipments required for marriage and other social and cultural functions). Subsequently, she employed 5 women and 4 men to manage her business activity smoothly. She is also taking continued services for each function from many others like rickshaw puller, auto driver, carpenter, welding person, electrician etc. thus providing employment to all.
- ❖ Bank has launched modified deposit based Cent Aspire Credit Card with 100% credit limit equivalent to deposit amount w.e.f 01/04/17

WAY FORWARD

- ❖ Initiatives are being taken for introducing MSME CLASS module in this financial year wherein online applications will be made available in MSME CLASS module for branches to process and sanction of loan applications. Applications are made available in Bank's Website, in www.standupmitra.in & www.udyamimitra.in portal with Central Bank of India as

first preference, will be made available in CLASS module to enable Branch Manger to take quick decisions on sanction including acknowledgement.

- Integration of www.standupmitra.in portal with Bank's CBS (intranet) through API.
- In order to increase flow of credit to Micro Enterprises segment for achieving 7.5% of ANBC, we are conducting **MSME Campaign** during 15th to 25th of every month, wherein at least 2 Micro Enterprise loan proposals will be logged in CBS system by each branch.
- Rupay Credit Card is shortly being launched by NPCI. Central Bank of India Rupay Credit Card is developed and our Bank is ready with the launch and will be participating in the First launch

Awards & accolades

- During the Financial Year 2016-17, Bank received three first prizes for all three linguistic regions under "RBI Governor Shield Scheme."
- Bank was awarded "Rajbhasha Kirti Puraskaar" by President of India.
- Bank was also awarded first prize for Excellent Implementation of Official Language Policy of Government of India in Mumbai by a renowned organization "Ashirwad".

CORPORATE GOVERNANCE

1) Bank's Philosophy of Corporate Governance

- Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.
- The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.
- ICRA Limited has reaffirmed the "CGR3+" (pronounced CGR Three plus) rating to the Corporate Governance practices of our Bank. This rating implies that in ICRA's current opinion, the Bank has adopted and follows such practices, conventions and codes as would provide its financial stakeholders a high level of assurance on the quality of Corporate Governance.

2) BOARD OF DIRECTORS

A) COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.
- The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.
- During the year under review i.e. 2016-17, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2017	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2017		Directorship of other Companies as on 31.03.2017	Whether attended last AGM held on 30.06.2016
						Member	Chairman		
1.	Shri Rajeev Rishi	Chairman and Managing Director	From 01.08.2013	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, CIWD	MCB, RMC, LVFC, CSC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, CIWD	-Indo Zambia Bank Ltd. -India Infrastructure Finance Co. Ltd. -Indian Banks Association -National Credit Guarantee Trustee Company -Exim Bank -Export Credit Guarantee Corporation	Yes

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2017	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2017		Directorship of other Companies as on 31.03.2017	Whether attended last AGM held on 30.06.2016
						Member	Chairman		
2.	Shri R.K.Goyal	Executive Director	From 11.01.2013 To 31.12.2016	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	-Cent Bank Home Finance Ltd.	Yes
3.	Shri B.K. Divakara	Executive Director	From 23.01.2014	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	-Cent Bank Home Finance Ltd. -Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes
4.	Shri R. C. Lodha	Executive Director	From 11.03.2015 To 28.02.2017	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	-Cent Bank Home Finance Ltd.	Yes
5.	Shri P Ramana Murthy	Executive Director	From 17.02.2017	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM
6.	Dr. Saurabh Garg	Government of India Nominee Director	From 19.02.2014	NIL	Finance and Economics	ACB, RMC, LVFC, RC, VIG, MRC, HR, NOMINATION	RC, NOMINATION	NIL	No
7.	Shri Shekhar Bhatnagar	RBI Nominee Director	From 13.03.2014	NIL	Banking and Finance	MCB, ACB, RC, VIG	NIL	NIL	No
8.	Shri S.B. Rode	Officer Employee Director	From 02.04.2013 To 01.04.2016	133	Banker	MCB, RMC, HR	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2017	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2017		Directorship of other Companies as on 31.03.2017	Whether attended last AGM held on 30.06.2016
						Member	Chairman		
9.	Shri Gurbax Kumar Joshi	Workmen Employee Director	From 10.07.2013 To 09.07.2016	NIL	Banker	MCB, CSC, ITS, RMC, LVFC, NOMINATION, HR	NIL	NIL	No
10.	Smt. N.S. Rathnaprabha	Part Time Non-official Director	From 19.12.2013 To 18.12.2016	NIL	Social Service	ACB RMC, SRC, CSC, RC, CIWD, LVFC, MC, NOMINATION	SRC	NIL	Yes
11.	Shri S. Bandyopadhyay	Shareholders' Nominee Director	From 01.07.2015	100	Administration	ACB, RMC, ITS, SRC, CSC, MRC, HR	SRC, IT, ACB	LIC Pension Fund	No
12.	Shri K.R. Patel	Shareholders' Nominee Director	From 01.07.2015	163	Professional	MCB, LVFC, ITS, SRC, CIWD, RMC, MRC, CSC	NIL	NIL	No
13.	Shri N Nityananda	Part Time Non-official Director	From 21.06.2016	NIL	Chartered Accountant	ACB, RMC, LVFC, SRC, CSC, NOMINATION	NIL	NIL	No

The Chairman and Managing Director and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

MCB	-	Management Committee of the Board
ACB	-	Audit Committee of the Board
RMC	-	Risk Management Committee
LVFC	-	Large Value Fraud Committee
CSC	-	Customer Service Committee
ITS	-	Information Technology Strategy Committee
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee
RC	-	Remuneration Committee
VIG	-	Vigilance Committee
CAC	-	Credit Approval Committee
HR	-	Human Resources Committee
MRC	-	Monitoring of Recovery Committee
CRC	-	Capital Raising Committee
CIWD	-	Committee of the Board to Review the Identification of Wilful Defaulter
NOMINATION	-	Nomination Committee

Brief Profile of the New Directors

1. Shri P Ramana Murthy, Executive Director (D.O.B. 16.05.1964)

Shri P Ramana Murthy is a science graduate in Agriculture and CAIIB. He joined Allahabad Bank on 16.01.1989 as Agriculture Field Officer. He got elevated to the post of General Manager on 10.05.2014 and have been functioning as Field General Manager since 19.05.2014 before joining Central Bank of India as Executive Director w.e.f 17.02.2017.

Shri Murthy has undergone many prestigious training programs like Leadership for Corporate Excellence at Kelloggs School of Management, Chicago, USA and Leadership Excellence at IIM, Kolkata.

2. Shri N Nityananda, Non-Official Part Time Director (D.O.B. 20.05.1955)

Shri N Nityananda is a Commerce Graduate, D.B.A., LLB, FCA and Gold Medalist in Post Graduate Diploma in Business Administration.

Shri Nityananda is a professional Chartered Accountant with more than 3 decades value addition services to clients, Government and Economy. He represented Karnataka at the Southern India level and National level for nearly 16 years (longest by any Kannadiga). He also represented India at the International Federation of Accountants (IFAC), New York, USA which is the apex body Accounting and Auditing in the world and in the South Asian Federation of Accountants (a member body of SAARC) at Karachi, Pakistan and chaired the mega international conference on 'Corporate Governance'. He has served the Trade, Commerce and Industry at State and National Level including as Advisor of Economic Affairs Committee, Chairman and Co-advisor of Central Taxes Committee of Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry (FICCI). He has also served on several important committees of Government of Karnataka, Reserve Bank of India (RBI), Securities Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Bureau of Indian Standards (BIS).

Details of other Directors

1. Shri Rajeev Rishi, Chairman & Managing Director (D.O.B.30.08.1959)

Shri Rajeev Rishi has been a University Rank holder, National Merit Scholar and is a Law Graduate from Punjab University, Chandigarh. He is also a Sport Enthusiast and represented his college in Table Tennis and Chandigarh in National Roller Skating Meet.

Prior to his present assignment, as CMD of the Bank w.e.f. 01.08.2013 he was Executive Director in Indian Bank which responsibility he was holding since October 2010.

He started his banking career with Oriental Bank of Commerce as a Probationary Officer on 12.05.1979 and served for 3 decades in various positions and geographies. He has 25 years of field exposure in branches and regions. He was General Manager-Human Resources, Third Party Product Marketing & Board Secretariat from 2005 to 2010. He has successfully handled the HR integration in Global Trust Bank's merger with Oriental Bank of Commerce. He is a member of IBA Standing Committee on HR.

2. Shri R.K. Goyal, Executive Director (D.O.B. 01.01.1957)

Shri Raj Kumar Goyal joined Bank of India (BOI) on 12.05.1977. A career Banker and a thorough professional, he has worked in various capacities during the last 37 years. His diverse assignments at various stages include General Operations, Credit, International Banking and HR. He has worked extensively in Credit, particularly Large Credit and has successfully headed three Large Corporate Banking branches of BOI. During his tenure of 4 years at BOI"s London Branch, he handled many important portfolios including Loan Syndication and Investments. He is known for his administrative capabilities and believes in team work. Shri Goyal joined as Executive Director, Central Bank of India w.e.f. 11th January 2013. He retired on superannuation on 31st January, 2017.

3. Shri B.K.Divakara, Executive Director – (D.O.B. 17.07.1960)

Shri Divakara is a chartered accountant, cost accountant and a Company Secretary. He started his career as a Chartered Accountant in Corporation Bank in 1986. He was promoted as Chief Manager in 1997, AGM in 2000, DGM in 2007 and GM in 2010. He joined Central Bank of India as ED w.e.f. 23.01.2014. He has worked as a Zonal Head and also handled various portfolios such as Corporate Sanctions, Printing & Stationery, Official Language Policy Implementation, Support Services, ATM Mgt, Credit Rating, Fee Income, CDR, Loan Syndication etc.

4. Shri R.C. Lodha, Executive Director (D.O.B. 14.02.1957)

Shri R.C. Lodha before his elevation as an Executive Director of Central Bank of India w.e.f. 11.03.2015, was General Manager in Union Bank of India – on deputation to Oriental Bank of Commerce as Chief Vigilance Officer at HO, Gurgaon.

The path of his banking journey is enriched with varied experience of every banking department. He has worked at different locations pan India and has headed rural, semi urban and metro branches. He has headed Regional Office, Delhi and had a successful tenure as FGM at Pune & Delhi Zones. He also had the opportunity to work as the Board Secretary at MDO at Union Bank's Central Office, Mumbai.

He has been conferred many internal awards, notable being the twice won Super Achiever Award for 2006-07 & 2007-08 for all round performance at Baroda & Ahmedabad branches. He also had the privilege of being Chairman's Club Member three times.

Outside the Bank, he has been conferred the C.H. Bhabha Research and Scholarship Award 2000-2001 from the Indian Banks' Association, Mumbai, besides other awards.

He retired on superannuation on 28th February, 2017.

5. Dr. Saurabh Garg, Government Nominee Director – (28.07.1964)

Dr. Saurabh Garg is an eminent scholar. He has completed B. Tech from IIT-Delhi in Chemical Engg-Bio Technology. He has done MBA (Mgt. Finance) from IIM-Ahmedabad. He has received certification in Globalisation & Urban Development from London School of Economics & Political Science, London, UK. He has completed his Ph. D. from Paul Nitze School of International Studies, Hopkins University, Washington, USA.

Dr. Garg is also an IAS 1991 Orissa Cadre. After serving in Orissa State Cadre, he joined as Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi in April, 2002. During his tenure in State Cadre, he held various important portfolios like Project Director, DRDA, Kalahandi & Project Director, Energy Dept., during 1993-1996. He also held the post of MD, IDCOL Cement Ltd. during 1996-98. He worked as a Collector of Bargarh & Keonjhar Districts and also as a Director, Watershed Dev Deptt. He has been working as a Joint Secretary in Dept. of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 04.05.2012.

Details of awards received by Dr. Garg :

1988 – Gold Medal for Academic Excellence

1993 – Best All round probationer of 1991 IAS Batch

Details of Publications:-

2000 (Public Administration)

Some intervention and experiences in improving service through Government Delivery Systems 2010 (Finance)

Indian Infrastructure Vision – Financing challenges.

6. Shri Shekhar Bhatnagar, RBI Nominee Director – (17.07.1958)

Shri Bhatnagar is B.Sc., M.A. (Lucknow University) and MBA (In Finance) from FMS, New Delhi. He joined Reserve Bank of India (RBI) in 1984 as officer (Grade "B') and worked in different capacities, in different departments of RBI like Currency Management, Banking, Department of Banking Supervision and Department of Non-Banking Supervision. He also worked as Regional Director, Reserve Bank of India in Kanpur, Uttar Pradesh. He is presently working as Chief General Manager-Foreign Exchange Department, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai.

7. Shri S. B.Rode, Officer Employee Director – (D.O.B.15.03.1957)

Shri Rode has been nominated by Government of India as a Officer Employee Director under clause (f) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period of 3 years with effect from the date of notification (02.04.2013) or until he ceases to be an Officer Employee of the Bank

8. Shri Gurbax Kumar Joshi, Workmen Employee Director-(D.O.B.10.07.1958)

Shri Joshi has been nominated by Government of India as a Workmen Employee Director under clause (e) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period of 3 years with effect from the date of notification (10.07.2013) or until he ceases to be a Workmen Employee of the Bank.

Shri Joshi joined the Bank on 27.07.1981 and has held the position of Vice President, All India Central Bank Employees Federation.

9. Smt. N.S. Rathnaprabha, Non-Official Part Time Director (D.O.B. 19.07.1962)

Smt. Rathnaprabha is an eminent social worker & member of AICC. She holds the post of General Secretary of KPCC. She was former Chairperson of Karnataka State Handicraft Development Corporation Ltd., a Government of Karnataka Undertaking.

She is actively engaged in social work. Her participation in public welfare works includes organization of eye donation camps, blood donation camps, family planning camps, mass marriages and workshops for women on various legal awareness.

10. Shri Supratim Bandyopadhyay, Shareholder Director (D.O.B. 17.01.1958)

Shri Supratim Bandyopadhyay is a Science Graduate in Chemistry from Kolkata University and an Associate Member of the Institute of Chartered Accountants of India.

He joined LIC of India in the year 1985 as a Direct Recruit Officer and has handled various portfolios/responsibilities including Treasury functions, Fixed Income & Corporate Bond Investments, Equity Market Investments and Back Office functions etc. in his career span of over 30 years. With effect from June 2014 he took charge as MD & CEO of LIC Pension Fund Ltd. He is also on the board of Infrastructure Leasing & Financial Services Limited.

11. Shri Ketul R. Patel, Shareholders' Nominee Director (D.O.B. 10.08.1974)

Shri Ketul Patel is a Commerce & Law Graduate from Gujarat University and a member of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He also holds Diploma in Information Systems from ICAI.

Shri Patel is presently the Managing Partner of R.S. Patel & Co., a 47 year old accounting & consulting firm.

He was professional director on the board of largest Multi State Scheduled Coop. Bank of Gujarat. He was secretary to Chartered Accountants Association., Ahmedabad (CAA) from 1999-2001. He was also a member on the committee of Banking, Finance & Insurance of Gujarat Chamber of Commerce & Industry for a period of two years.

B) CONDUCT OF BOARD MEETINGS

During the year, 17 Board Meetings were held on the following dates:

13.04.2016	13.05.2016	27.05.2016	16.07.2016	12.08.2016
23.09.2016	16.10.2016	17.10.2016	27.10.2016	04.11.2016
15.11.2016	28.11.2016	21.12.2016	23.01.2017	04.02.2017
23.02.2017	28.03.2017			

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Rajeev Rishi	17	17	01.04.2016–31.03.2017
Shri R.K. Goyal	13	14	01.04.2016–31.12.2016
Shri B.K. Divakara	17	17	01.04.2016–31.03.2017
Shri R.C. Lodha	17	17	01.04.2016–28.02.2017
Shri P. R. Murthy	2	2	17.02.2017–31.03.2017
Dr. Saurabh Garg	10	17	01.04.2016–31.03.2017
Shri Shekhar Bhatnagar	14	17	01.04.2016–31.03.2017
Shri Gurbax K. Joshi	3	3	01.04.2016–09.07.2016
Smt. N.S. Rathnaprabha	13	13	01.04.2016–18.12.2016
Shri S. Bandyopadhyay	14	17	01.04.2016–31.03.2017
Shri K.R. Patel	15	17	01.04.2016–31.03.2017
Shri N. Nityananda	13	14	21.06.2016–31.03.2017

3. SUB-COMMITTEES OF THE BOARD

i) Management Committee of the Board:

❖ The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2017, it comprised 8 members consisting of the Chairman & Managing Director, 3 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director, and 3 other Directors which include 1 Shareholders' Nominee Director, 1 Workmen Employee Director and 1 Officer Employee Director. The Part-Time/Workmen directors are rotated every six months. However, as on 31.03.2017 the position of 1 Executive Director, 1 Workmen Employee Director and 1 Officer Employee Direct is vacant.

The Management Committee of the Board met 14 times during the year on the following dates:

13.04.2016	13.05.2016	24.06.2016	16.07.2016	24.08.2016
23.09.2016	18.10.2016	28.11.2016	21.12.2016	23.01.2017
04.02.2017	23.02.2017	18.03.2017	27.03.2017	

Attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Management Committee (From – To)
Shri Rajeev Rishi	14	14	01.04.2016 – 31.03.2017
Shri R.K. Goyal	9	9	01.04.2016 – 31.12.2016
Shri B.K. Divakara	14	14	01.04.2016 – 31.03.2017
Shri R.C. Lodha	12	12	01.04.2016 – 28.02.2017
Shri P.R. Murthy	3	3	17.02.2017 – 31.03.2017
Shri Shekhar Bhatnagar	14	14	01.04.2016 – 31.03.2017
Smt N. S. Rathanaprabha	5	5	01.04.2016 – 18.12.2016
Shri Gurbax K. Joshi	3	3	01.04.2016 – 09.07.2016
Shri K.R. Patel	13	14	01.04.2016 – 31.03.2017

ii) Credit Approval Committee:

- Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercises the powers of the Board with regards to credit proposals upto Rs.400.00 crore, compromise / write off proposals upto Rs.10.00 crore, premises proposals upto Rs.15.00 lacs per annum (Rural Area), upto Rs.25.00 lacs per annum (Semi-urban Area), upto Rs. 50.00 lacs per annum (Urban Area) and upto Rs.1.00 crore per annum (Metro Area). The Present Committee comprises of Chairman and Managing Director, Executive Directors and General Managers in charge of Risk Management, Credit, Credit Monitoring, and Recovery.
- The Credit Approval Committee met 21 times during the year on the following dates:

26.04.2016	19.05.2016	02.06.2016	17.06.2016	30.06.2016
21.07.2016	30.07.2016	26.08.2016	12.09.2016	22.09.2016
13.10.2016	26.10.2016	10.11.2016	25.11.2016	15.12.2016
27.12.2016	17.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	10.03.2017
31.03.2017				

iii) Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections conducted by RBI. The terms of reference to the Audit Committee are:

- Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;
- Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI;
- Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- Following-up, in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report and interacting with the External Auditors before finalisation of the quarterly/half yearly/annual financial accounts and reports;
- Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;
- Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit;
- Qualifications in the Draft Audit Report;
- To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern;
- Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to, by the Audit Committee.

The Audit Committee of the Board shall comprise of Executive Directors, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB.

Composition of the Audit committee as on 31.03.2017 is as under:

1	Shri S. Bandyopadhyay	Chairman
2	Shri B.K. Divakara	Member
3	Dr. Saurabh Garg	Member
4	Shri Shekhar Bhatnagar	Member
5	Shri N. Nityananda	Member

During the year, the Audit Committee met 12 times on the following dates:

13.05.2016	27.05.2016	16.07.2016	12.08.2016	23.09.2016	04.11.2016
15.11.2016	28.11.2016	23.01.2017	24.01.2017	04.02.2017	27.03.2017

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From – To)
Shri S. Bandyopadhyay	11	12	01.04.2016-31.03.2017
Shri B.K. Divakara	12	12	01.04.2016-31.03.2017
Dr. Saurabh Garg	7	12	01.04.2016-31.03.2017
Shri Shekhar Bhatnagar	10	12	01.04.2016-31.03.2017
Smt. N.S. Rathnaprabha	2	2	01.04.2016-18.12.2016
Shri N. Nityananda	10	10	21.06.2016-31.03.2017

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board and placed before the Board of Directors for approval.

iv) Risk Management Committee

In terms of Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC)BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda N.BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and vide Board Agenda No.BM/09/2002-03/3.9 of meeting dated 25.11.2002, the Risk Management Committee of the Board is formed. The committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors, GOI Nominee Director, RBI Nominee Director and three Non Official Part Time Directors. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year.

The objective of Risk Management Committee of the Board is to evaluate overall risks faced by the Bank and determining the level of risks which will be in the best interest of the Bank and to coordinate with the other risk managing entities to identity, monitor and measure the risk arising out of the Bank's operations.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

16.07.2016	23.09.2017	23.01.2017	23.02.2017

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri Rajeev Rishi	4	4	01.04.2016-31.03.2017
Shri R.K. Goyal	2	2	01.04.2016-31.12.2016
Shri B.K. Divakara	4	4	01.04.2016-31.03.2017
Shri R.C. Lodha	4	4	01.04.2016-28.02.2017

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri P.R.Murthy	1	1	17.02.2017-31.03.2017
Dr. Saurabh Garg	2	4	01.04.2016-31.03.2017
Smt. N.S. Rathnaprabha	1	1	01.04.2016-18.12.2016
Shri S. Bandyopadhyay	4	4	01.04.2016-31.03.2017
Shri K. R. Patel	4	4	01.04.2016-31.03.2017
Shri N. Nityananda	2	2	21.06.2016-31.03.2017

v) Remuneration Committee and Remuneration of Directors:

- The Remuneration Committee of the Board of Directors was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20.1.2005-Bo-I dated 09.03.2007 for payment of performance-linked incentive to wholetime Directors. The Committee consists of Govt. of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two Independent Directors. During the Financial Year 2016-17, no meeting of the Remuneration Committee was held to consider performance linked incentive to Wholetime Directors.

- The Non Official Independent Directors / Non- Executive Director were paid sitting fees of Rs.20,000/- for attending every meeting of the Board of Directors and Rs.10,000/- for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board, apart from the Bank incurring the usual travelling and stay expenses. Sitting fees are not paid to the Chairman & Managing Director, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India / Reserve Bank of India.

- During the financial year 2016-17, the following amounts have been paid to the Chairman & Managing Directors and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr	Name	Rupees in lacs
1.	Shri Rajeev Rishi (CMD)	28.70
2.	Shri Raj Kumar Goyal (ED)	38.94
3.	Shri B K Divakara (ED)	23.11
4.	Shri R C Lodha (ED)	39.54
5.	Shri P. R. Murthy (ED)	2.58

- During the year under review, the Bank has paid Rs.10,00,000/- (Rupees Ten lac only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and Rs.14,50,000/- (Rupees Fourteen lac Fifty thousand only) towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

vi) Nomination Committee :

In terms of the RBI Circulars nos. DBOD. No.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with DBOD. No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011, Nomination Committee of the Bank has been constitued to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected director(s)/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act (i.e. Shareholder Director) based on the broad criteria i.e. (i) Educational qualification, (ii) Experience and field of expertise & (iii) Track record and integrity

During the financial year 2016-17, meeting of the Nomination Committee was held on 16.07.2016 to determine the fit & proper criteria of Shareholder Directors namely - Shri S. Bandyopadhyay and Shri Ketul R. Patel and the committee accorded 'fit and proper status' to Shri S. Bandyopadhyay and Shri Ketul R. Patel who had been elected as a Shareholder Directors under Sec 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years w.e.f. 1st July 2015 to 30th June 2018.

vii) Stakeholders' Relationship Committee

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with stock exchanges, the Bank is having Stakeholders' Relationship Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non- receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors and two Independent Directors. Smt. N.S. Rathnaprabha was chairperson of the Committee during financial year 2016-17. After the expiry of her tenure on 18.12.2016, Shri S. Bandyopadhyay was appointed as Chairman of the Committee. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

13.04.2016	23.09.2016	21.12.2016	23.02.2017

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Smt. N.S. Rathnaprabha	2	4	01.04.2016-18.12.2016
Shri Rajeev Rishi	4	4	01.04.2016-31.03.2017
Shri R.K. Goyal	3	3	01.04.2016-31.12.2016
Shri B.K. Divakara	4	4	01.04.2016-31.03.2017
Shri R.C. Lodha	4	4	01.04.2016-28.02.2017
Shri P.R. Murthy	1	1	17.02.2017-31.03.2017
Shri S. Bandyopadhyay	4	4	01.04.2016-31.03.2017
Smt. N.S. Rathnaprabha	2	2	01.04.2016-18.12.2016
Shri K.R. Patel	4	4	01.04.2016-31.03.2017
Shri N. Nityananda	2	2	21.06.2016-31.03.2017

The details of Investor Grievances for the year 2016-17 (01.04.2016 to 31.03.2017) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	NIL
2	Non Receipt of Share Certificate(s)/Non receipt of shares	6
3	Non Receipt of Dividend Warrants	169
4	Non Receipt of Annual Report/EGM Notice	61
5	Non Receipt of Refund Order	8
6	Correction in Refund Instrument	0
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	2
8	Total Grievances received	246
9	Total Grievances attended/resolved	246
10	Total complaints pending at the end of the year	NIL

We confirm that no investor's complaints remained unattended/pending for more than 30 days.

4. Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Assistant General Manager-MBD/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges besides acting as the Compliance Officer for activities pertaining to Bankers to Issue, Merchant Banking and Debenture Trusteeships.

5. Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the year, Bank has raised Rs. 1297.00 crore (including premium) from Government of India on 8th September, 2016 by allotment of 12,38,06,796 equity shares on preferential basis. Further, the Bank also raised Rs. 156.79 crore equity capital by issuance and allotment of 1,71,44,954 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis on 5th December, 2016.

Bank has raised equity capital of Rs. 583.00 crore arising out of extinguishment of 5830 Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) of the face value of Rs. 10.00 lac each held by Government of India and kept into Share Application Money Account, pending allotment of shares. Further, the Bank has also received capital funds of Rs. 100.00 crore from Government of India on 31.03.2017 and the same has been kept in the newly opened Bank Account namely,- "Central Bank of India Share Application Money Account" pending allotment of shares.

Bank has also raised Basel III Compliant Tier II Bonds of Rs. 500.00 crore on 7th March, 2017.

The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

6. Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi, Marathi and many regional languages in various leading newspapers, such as, Economic Times, Financial Express, Business Standard, Pudhari (Marathi), etc. The results were also uploaded on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

7. Code of Conduct

- The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management has been approved by the Board of Directors. Text of the same is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations". All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.
- The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prevention of insider trading in Bank's security, copy of the same is also available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations".

8. Other Disclosures

- Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.
- It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed. During the year, there was no materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any statutory Authority on any matter relating to capital markets during the year under review.
- Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees. "Cent Vigil" is also available for Directors. Further, Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee subject to his/her prior approval on need basis. During the year 2016-17, no personnel has

approached the Audit Committee on the subject-matter. This is further to affirm that no personnel has been denied access to the Audit Committee.

- ❖ The Bank has complied with the stipulated requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015 read with Listing Agreement to the extent that the requirements of these regulations and agreements do not violate the provision of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.
- ❖ Policy for determining 'material' subsidiaries is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations"
- ❖ Policy on dealing with related party transactions is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations"

9. Discretionary Requirements (Part E of Schedule II of SEBI Listing Regulations)

Sr. No.	Non-mandatory	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at entity's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	The Bank has sent financial results for the half year ended 30.09.2016 and the financial year ended 31.03.2017 to Stock Exchanges & published in Newspapers. Besides this, the financial results were also posted on Bank's website i.e. www.centralbankofindia.co.in
3.	Company may move towards regime of unqualified financial statements	The Bank is having unqualified financial statements
4.	Separate posts of Chairman and CEO	Composition of the Board of our Bank is governed under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) read with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. As of now, the Bank is having one post of Chairman & Managing Director.
5.	Reporting of Internal Auditor	Internal Auditor is accountable to the Audit Committee of the Board.

10. General Shareholder Information

10th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Friday, 30th June, 2017 at 11:00 AM at 9th Floor at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021.

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2016-17
2. Date of Book Closure: 27th June 2017 to 30th June, 2017 (Both days inclusive)
3. No dividend was recommended for the financial year 2016-17

11. Details of General Body Meetings held during the last three years are given herein below:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1.	Ninth Annual General Meeting	30th June, 2016 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021
2.	Eighth Annual General Meeting	30th June, 2015 11:00 AM	Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital / Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056
3.	Seventh Annual General Meeting	30th June, 2014 11:00 AM	------ Same as above ------

12. Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2017-18 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Bonds-Tier-II Capital position as on 31.03.2017

Series Particulars	Issue date	Total Value (Rs. in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series XII	03.03.2008	389.10	INE483A09161
Lower Tier II-Series XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Upper Tier II-Series I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
Upper Tier II-Series II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Basel III Compliant Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Basel III Compliant Sr II	07.03.2017	500.00	INE483A09278
Total		**5544.10**	

All these bonds are listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2017-18 to the Exchange.

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

NSE

Month	High Price (Rs.)	Low Price (Rs.)	No. of Shares	NSE Nifty	
				High	Low
April 2016	83.75	73.00	479474	7992.00	7516.85
May 2016	84.95	74.60	358181	8213.60	7678.35
June 2016	112.45	82.40	1230171	8308.15	7927.05
July 2016	110.25	96.75	538498	8674.70	8287.55
August 2016	112.00	85.60	1507881	8819.20	8518.15
September 2016	109.40	90.80	1162146	8968.70	8555.20
October 2016	97.60	88.10	716222	8806.95	8506.15
November 2016	96.00	76.40	571318	8669.60	7916.40
December 2016	89.55	81.50	278274	8274.95	7893.80
January 2017	85.90	80.00	117950	8672.70	8133.80
February 2017	93.30	83.10	351014	8982.15	8537.50
March 2017	107.20	85.90	1795729	9218.40	8860.10

The monthly high and low quotation and the no. of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

BSE

Month	High Price (Rs.)	Low Price (Rs.)	No. of Shares	SENSEX	
				High	Low
April 2016	83.00	73.15	1150256	26100.54	24523.20
May 2016	83.00	73.10	788076	26837.20	25057.93
June 2016	112.00	82.30	6817779	27105.41	25911.33
July 2016	110.00	96.55	3042562	28240.20	27034.14
August 2016	111.95	88.00	6626347	28532.25	27627.97
September 2016	109.50	91.20	5591148	29077.28	27716.78
October 2016	97.40	88.20	2902934	28477.65	27488.30
November 2016	95.60	76.35	2261586	28029.80	25717.93
December 2016	89.00	81.45	785615	26803.76	25753.74
January 2017	85.00	81.00	422608	27980.39	26447.06
February 2017	93.05	83.15	994511	29065.31	27590.10
March 2017	108.50	85.75	39965264	29824.62	28716.21

13. Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/ grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-101, 247 Park,
LBS Marg, Vikhroli (West),
Mumbai – 400 083
Tel: 022-49186270
Fax: 022-49186060
Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:

AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer
Central Bank of India
9th Floor, Chandermukhi
Nariman Point
Mumbai 400 021
Contact No. 022- 6638 7818
Fax No.: 022- 2283 5198
Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

14. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

i) Distribution of shareholdings as on 31.03.2017

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	**Number of shareholders**	**Percentage of Total**	**Shares**	**Percentage of Total**
1-500	131148	94.13	14664026	0.77
501-1000	4911	3.52	3796541	0.20
1001-2000	1817	1.30	2710869	0.14
2001-3000	513	0.37	1300358	0.07
3001-4000	253	0.18	895312	0.05
4001-5000	156	0.12	732281	0.04
5001-10000	271	0.19	1988256	0.10
10001 and above	263	0.19	1876083321	98.63
Total	**139332**	**100.00**	**1902170964**	**100.00**

ii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 1% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	**No. of Shares**	**%**
Life Insurance Corporation of India	263153380	13.83

iii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 5% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 5% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	**No. of Shares**	**%**
Life Insurance Corporation of India	263153380	13.83

iv) Shareholding pattern as on 31.03.2017

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2017						
Category of Shareholders	**No. of Shares**		**No. of Shareholders**		**Total Shares**	**% of holding**
	Demat	**Physical**	**Demat**	**Physical**		
Central Government	1546139179	0	1	0	1546139179	81.28
Clearing Member	7274267	0	366	0	7274267	0.38
Other Bodies Corporate	41976455	90	723	1	41976545	2.21
Directors	263	0	2	0	263	0.00
Financial Institutions	263153380	0	1	0	263153380	13.83
FII's	2212512	0	2	0	2212512	0.12
Government Companies	700	0	1	0	700	0.00
Hindu Undivided Family	1252298	0	4027	0	1252298	0.07
Nationalized Banks	244876	0	4	0	244876	0.01
Non Nationalized Banks	144055	0	4	0	144055	0.01
Non Resident Indians	438595	121600	701	1	560195	0.03
Non Resident (Non Repatriable)	137155	0	322	0	137155	0.01
Public	29547068	13950	133034	112	29561018	1.55
Trusts	106533	0	16	0	106533	0.01
G I C & Its Subsidiaries	6857218	0	4	0	6857218	0.36
Foreign Portfolio Investor (Corporate)	2550770	0	10	0	2550770	0.13
Total	1902035324	135640	139218	114	1902170964	100.00

v) Statement showing details of locked-in shares

Sr. No.	**Name of the Shareholder**	**Number of locked-in shares**	**Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C)**
1	PRESIDENT OF INDIA	349179854	22.58
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	48586042	18.46
	TOTAL	**397765896**	**20.91**

vi) Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

S r . No.	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C)
	NIL	NIL	NIL	NIL

vii) Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Sr. No.	Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C)
	NIL	NIL	NIL	NIL

viii) Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2017 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	114	135640	0.01
NSDL	88403	329322715	17.31
CDSL*	50815	1572712609	82.68
Total	**139332**	**1902170964**	**100.00**

* Including 1546139179 (81.28%) held IN DEMAT form by the Central Government.

There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.

ix) Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "Unclaimed Suspense Account" as on 31st March, 2017 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	240	33,219
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	6	366
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	6	366
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	234	32,853

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

Annexure I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members & Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2016-17.

Sd/-
[Rajeev Rishi]
Chairman and Managing Director

Place: Mumbai
Date : May 23, 2017

CERTIFICATE UNDER REGULATION 17(8) OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

a. We have reviewed financial statements and the Cash Flow Statement of Central Bank of India for the year 2016-17 and to the best of our knowledge and belief:

 I. These Statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading

 II. These Statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2016-17, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee

 I. Significant changes in internal control over financial reporting during the year 2016-17

 II. There is no significant changes in accounting policies during the year 2016-17 and the same have been disclosed in the notes to the financial statement and

 III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or any employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(B.K.SINGAL)	**(RAJEEV RISHI)**
GENERAL MANAGER & CFO	CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Place: Delhi
Date: May 13, 2017

C E R T I F I C A T E

To the Members of Central Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2017 as stipulated in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulation 2015.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Central Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Central Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that Central Bank of India has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Central Bank of India.

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA R.P. SINGH)
PARTNER
M.No.052438

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA S. K. MEHTA)
PARTNER
M.No.010870

Place: Delhi
Date: May 13, 2017

CHANDABHOY & JASSOOBHOY Chartered Accountants, 208, Phoenix House, A wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel MUMBAI-400013	**LODHA & CO.** Chartered Accountants, 14 Government Place East KOLKATA-700069
PATHAK H. D. & ASSOCIATES Chartered Accountants, 814-815, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, MUMBAI- 400021	**S. K. MEHTA & CO.** Chartered Accountants, 504, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place NEW DELHI-110008

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Central Bank of India

Report On the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Central Bank of India (the "Bank") as at March 31, 2017 which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2017 and the Profit and Loss Account, and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies, notes and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of **20** Branches, **23** Regional Offices audited by us and **2158** branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss Account are the returns of **2536** branches, **36** Regional Offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 14.51 per cent of advances, 31.74 per cent of deposits, 8.41 per cent of interest income and 29.90 per cent of interest expense.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The bank's management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India Guidelines and circulars issued from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

 a) the Balance Sheet, read with significant accounting policies and the notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

b) the Profit and Loss Account, read with significant accounting policies and the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. We draw attention to:

Note no. 6(h)(vi) of Schedule 18 regarding Inter- Bank Participation Certificate (IBPC) of ₹ 22,991.22 crores which have been issued on risk sharing basis, for a maximum period of 180 days, thereby reducing the Bank's total advances as on March 31, 2017 by ₹ 22,991.22 crores.

Our opinion is not qualified in respect of above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank, as supplemented with the information furnished by the Management, have been found adequate for the purposes of our audit.

10. We further report that:

a) the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA R.P. SINGH)
PARTNER
M.No.052438

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA S. K. MEHTA)
PARTNER
M.No.010870

Place: Delhi
Date: May 13, 2017

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2017

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	AS AT 31-Mar-17 Rs.	AS AT 31-Mar-16 Rs.
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	**19,021,710**	16,897,143
Reserves and Surplus	2	**153,659,690**	159,894,264
Share application Money pending allotment		**6,830,000**	5,350,000
Deposits	3	**2,966,711,934**	2,661,841,873
Borrowings	4	**92,824,453**	92,078,934
Other Liabilities and Provisions	5	**94,971,655**	118,598,782
TOTAL		**3,334,019,442**	**3,054,660,996**
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**750,867,551**	140,695,075
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**36,797,771**	14,715,384
Investments	8	**920,948,779**	888,675,375
Advances	9	**1,393,987,698**	1,800,095,880
Fixed Assets	10	**42,903,740**	43,592,873
Other Assets	11	**188,513,903**	166,886,409
TOTAL		**3,334,019,442**	**3,054,660,996**
Contingent Liabilities	12	**833,630,288**	768,034,422
Bills for Collection	-	**91,689,353**	118,375,835
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

P. RAMANA MURTHY	B.K. DIVAKARA	RAJEEV RISHI
EXECUTIVE DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Delhi
Date : May 13, 2017

SAURABH GARG	**SHEKHAR BHATNAGAR**	**SUPRATIM BANDYOPADHYAY**
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR
KETUL R. PATEL	**N. NITYANANDA**	
DIRECTOR	DIRECTOR	

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M. No.049289

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA R.P.SINGH)
PARTNER
M.No.052438

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P.CHATURVEDI)
PARTNER
M.No,015585

For S.K.MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA S.K. MEHTA)
PARTNER
M.No.010870

As per our report of even date
Place : Delhi
Date : May 13, 2017

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(000's Omitted)

	PARTICULARS	SCHEDULE NO.	YEAR ENDED 31-Mar-17 Rs.	YEAR ENDED 31-Mar-16 Rs.
I.	**INCOME**			
	Interest Earned	13	**246,614,083**	258,878,971
	Other Income	14	**28,756,440**	19,387,857
	TOTAL		**275,370,523**	**278,266,828**
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest Expended	15	**180,873,959**	188,222,689
	Operating Expenses	16	**63,610,278**	63,614,690
	Provisions and Contingencies		**55,277,265**	37,606,149
	TOTAL		**299,761,502**	**289,443,528**
III.	**PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR BEFORE PRIOR PERIOD ITEM**		**(24,390,979)**	(11,176,700)
	Less: Prior period Item		**-**	3,005,200
	Net Profit /(Loss) for the year after Prior period item		**(24,390,979)**	(14,181,900)
	Profit / (loss) brought forward		**(25,335,556)**	(10,227,726)
	TOTAL		**(49,726,535)**	**(24,409,626)**
IV.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to :			
	Statutory Reserve		**-**	-
	Investment Reserve		**3,837,383**	925,930
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		**-**	-
	Staff Welfare Fund		**-**	-
	Revenue Reserve		**-**	-
	Fund in lieu of Insurance		**-**	-
	Proposed Dividend - Preference Capital		**-**	-
	Proposed Dividend - Equity Capital		**-**	-
	Dividend Tax		**-**	-
	Balance Carried Over to Balance Sheet		**(53,563,918)**	(25,335,556)
	TOTAL		**(49,726,535)**	**(24,409,626)**
EPS (Basic & Diluted) in Rs. (nominal value Rs. 10/- per share)			**(13.35)**	(8.55)
Principal Accounting Policies		17		
Notes to Accounts		18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

P. RAMANA MURTHY	B.K. DIVAKARA	RAJEEV RISHI
EXECUTIVE DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Delhi

Date : May 13, 2017

SAURABH GARG	**SHEKHAR BHATNAGAR**	**SUPRATIM BANDYOPADHYAY**
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR
KETUL R. PATEL	**N. NITYANANDA**	
DIRECTOR	DIRECTOR	

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M. No.049289

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA R.P.SINGH)
PARTNER
M.No.052438

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P.CHATURVEDI)
PARTNER
M.No,015585

For S.K.MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA S.K. MEHTA)
PARTNER
M.No.010870

As per our report of even date
Place : Delhi
Date : May 13, 2017

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2017

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-2017		AS AT 31-Mar-2016	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		**50,000,000**		50,000,000
500,00,00,000 shares of Rs. 10/- each				
(previous year 500,00,00,000 shares) of Rs. 10/- each				
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares	**19,021,710**		16,897,143	
1902170964 Equity Shares (previous year period 1689714269 Equity shares) of Rs. 10/- each (includes				
1546139179 Equity shares (previous year period 1350827438 Equity shares) of Rs. 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		**19,021,710**		**16,897,143**
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	**20,635,979**		20,635,979	
Additions during the year	**-**		-	
		20,635,979		**20,635,979**
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**32,923,455**		18,141,600	
Additions on account of revaluation during the year	**-**		15,861,477	
Less : Transfer to Revenue and Other Reserves	**869,678**		242,973	
Deductions during the year	**-**		836,649	
		32,053,777		**32,923,455**
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**6,335,315**		5,409,385	
Additions during the year (Sinking Fund)	**3,837,383**		925,930	
		10,172,698		**6,335,315**
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	**100,895,300**		99,554,023	
Additions/ Adjustments during the year	**17,763,339**		1,341,277	
		118,658,639		**100,895,300**

(000's Omitted)

PARTICULARS			AS AT 31-Mar-2017		AS AT 31-Mar-2016	
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
IV.	**Revenue and Other Reserves**					
	i)	Revenue Reserves				
		Balance as per last Balance Sheet	**23,439,771**		23,473,130	
		Add : Transfer from Capital Reserves	**869,678**		242,973	
		Additions during the year	**393,064**		116,755	
		Less: Deductions during the year	**-**		393,087	
				24,702,513		**23,439,771**
V.	Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act			**1,000,000**		**1,000,000**
VI.	Balance in Profit and Loss Account			**(53,563,917)**		**(25,335,556)**
TOTAL				**153,659,690**		**159,894,264**

SCHEDULE 3 : DEPOSITS

A.	**I.**	**Demand Deposits**				
	i)	From Banks	**3,970,883**		2,703,264	
	ii)	From Others	**128,100,369**		117,000,456	
				132,071,252		119,703,720
	II.	**Savings Bank Deposits**		**1,031,024,978**		824,849,145
	III.	**Term Deposits**				
		i) From Banks	**53,016,251**		58,124,654	
		ii) From Others	**1,750,599,453**		1,659,164,354	
				1,803,615,704		1,717,289,008
TOTAL				**2,966,711,934**		**2,661,841,873**
B.	i)	Deposits of Branches in India		**2,966,711,934**		**2,661,841,873**
	ii)	Deposits of Branches outside India		**-**		-

SCHEDULE 4 : BORROWINGS

I.	**Borrowings in India**					
	i)	Reserve Bank of India	**110,053**		8,250,000	
	ii)	Other Banks	**28,920,664**		8,582	
	iii)	Other Institutions & Agencies	**6,961,736**		15,549,352	
	iv)	Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	**11,591,000**		18,591,000	
	v)	Upper Tier II bonds	**28,850,000**		28,850,000	
	vi)	Innovative Perpetual Debt Instrument	**1,391,000**		10,830,000	
	vii)	Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds (Tier II)	**15,000,000**		10,000,000	
				92,824,453		**92,078,934**
II.	**Borrowings outside India**			**-**		-
TOTAL				**92,824,453**		**92,078,934**
Secured Borrowings included in I & II above				**Nil**		Nil

(000's Omitted)

PARTICULARS			AS AT 31-Mar-2017		AS AT 31-Mar-2016	
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS						
I.	Bills Payable			**7,502,369**		6,624,509
II.	Inter Office Adjustments (Net)			**-**		-
III.	Interest Accrued			**8,133,757**		15,325,153
IV.	Deferred Tax Liability			**-**		-
V.	Others (including provisions)			**79,335,529**		96,649,120
TOTAL				**94,971,655**		**118,598,782**
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA						
I.	Cash in Hand			**17,694,112**		16,584,535
	(including foreign currency notes)					
II.	Balances with Reserve Bank of India					
	In Current Accounts		**126,173,439**		124,110,540	
	In Other Accounts		**607,000,000**		-	
				733,173,439		124,110,540
TOTAL				**750,867,551**		**140,695,075**
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE						
I.	**In India**					
	i)	Balances with Banks				
		a) In Current Accounts	**1,560,742**		1,676,098	
		b) In Other Deposit Accounts	**10,797**		16,650	
	ii)	Money at Call and Short Notice				
		a) With Banks	**-**		12,000,000	
		b) With Other Institutions	**34,999,852**		-	
				36,571,391		13,692,747
II.	**Outside India**					
	a)	In Current Accounts	**226,380**		1,022,637	
	b)	In Other Deposit Accounts	**-**		-	
	c)	Money at Call & Short Notice	**-**		-	
				226,380		1,022,637
TOTAL				**36,797,771**		**2,715,384**

(000's Omitted)

PARTICULARS			AS AT 31-Mar-2017		AS AT 31-Mar-2016	
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS						
I.	Investments in India in : *					
	i)	Government Securities	**740,707,328**		665,326,894	
	ii)	Other approved Securities	**-**		-	
	iii)	Shares	**13,570,132**		10,533,842	
	iv)	Debentures and Bonds	**103,512,402**		172,776,411	
	v)	Subsidiaries and Sponsored Institutions	**3,039,987**		3,039,987	
	vi)	Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	**59,644,045**		36,523,356	
				920,473,894		888,200,490
II.	Investments outside India in **					
	Subsidiaries and / or Associates abroad			**474,885**		474,885
TOTAL				**920,948,779**		**888,675,375**
* Investments in India						
Gross Value			**937,440,524**		898,472,375	
Less:Provision for Depreciation			**16,966,630**		10,271,885	
Net Value				**920,473,894**		**888,200,490**
** Investments outside India						
Gross Value			**475,100**		475,100	
Less:Provision for Depreciation			**215**		215	
Net Value				**474,885**		474,885
SCHEDULE 9 : ADVANCES						
A.	i)	Bills Purchased and Discounted	**16,294,564**		17,819,792	
	ii)	Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	**658,991,181**		746,950,803	
	iii)	Term Loans	**718,701,953**		1,035,325,285	
TOTAL				**1,393,987,698**		**1,800,095,880**
B.	Particulars of Advances :					
	i)	Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	**1,298,846,409**		1,636,078,107	
	ii)	Covered by Bank / Government Guarantees	**2,640,519**		5,150,950	
	iii)	Unsecured	**92,500,770**		158,866,823	
TOTAL				**1,393,987,698**		**1,800,095,880**
C.	Sectoral Classification of Advances					
	(I)	Advances in India				
		i) Priority Sectors	**692,204,013**		756,054,399	
		ii) Public Sector	**47,756,724**		99,953,724	
		iii) Banks	**9,461**		1,445	
		iv) Others	**654,017,500**		944,086,313	
TOTAL				**1,393,987,698**		**1,800,095,880**
	(II)	Advances outside India		**-**		-

(000's Omitted)

PARTICULARS		AS AT 31-Mar-2017		AS AT 31-Mar-2016	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS					
I.	**Premises**				
	(At cost / revalued cost)				
	Balance as at 31st March of the preceding year	**40,106,596**		24,850,974	
	Additions during the year (including Revaluation)	**21,941**		16,521,255	
	Total	**40,128,537**		**41,372,229**	
	Deductions / Adjustments during the year	**-**		1,265,633	
	Depreciation to date	**5,940,880**		4,980,991	
	Total		**34,187,657**		**35,125,605**
II.	**Other Fixed Assets**				
	(Including furniture and fixtures)				
	At cost as at 31st March of the preceding year	**24,685,893**		22,920,838	
	Additions / Adjustments during the year	**2,478,886**		2,400,009	
	Total	**27,164,779**		**25,320,847**	
	Deductions / Adjustments during the year	**822,924**		634,954	
	Total	**26,341,855**		**24,685,893**	
	Depreciation to Date	**17,625,772**		16,218,626	
	Total		**8,716,083**		8,467,268
	TOTAL (I & II)		**42,903,740**		**43,592,873**
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS					
I.	Interest accrued	**14,925,213**		14,944,334	
II.	Tax paid in advance / Tax deducted at source				
	(Net of Provisions)	**52,775,462**		40,116,339	
III.	Stationery and Stamps	**179,363**		180,736	
IV.	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**-**		-	
V.	Deferred Tax Assets	**23,536,800**		10,882,800	
VI.	Inter Office Adjustments (Net)	**3,061,559**		35,311,345	
VII.	Others	**94,035,506**		65,450,855	
TOTAL			**188,513,903**		**166,886,409**

(000's Omitted)

PARTICULARS			AS AT 31-Mar-2017		AS AT 31-Mar-2016	
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES						
I.	(a)	Claims against the Bank not acknowledged as Debts		**1,090,547**		1,307,819
	(b)	Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc		**32,981,381**		24,722,329
II.	Liability for partly paid Investments			**139,225**		249,303
III.	Liability on account of outstanding forward					
	Exchange Contracts			**547,105,565**		507,501,883
IV.	Guarantees given on behalf of constituents					
	a)	In India	**107,887,762**		103,472,432	
	b)	Outside India	**3,852,663**		7,676,745	
				111,740,425		111,149,177
V.	Acceptances, Endorsements and Other Obligations			**137,965,386**		121,103,911
VI.	Other item for which the bank is contingently liable			**2,607,759**		2,000,000
TOTAL				**833,630,288**		**768,034,422**

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(000's omitted)

PARTICULARS		YEAR ENDED 31-Mar-17 Rs.	YEAR ENDED 31-Mar-16 Rs.
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED			
I.	Interest / Discount on Advances / Bills	**162,834,121**	189,777,092
II.	Income on Investments	**73,718,485**	64,738,502
III.	Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Funds	**6,388,242**	953,046
IV.	Others	**3,673,235**	3,410,331
TOTAL		**246,614,083**	**258,878,971**
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME			
I.	Commission, Exchange and Brokerage	**9,292,944**	9,083,665
II.	Profit on Sale of Investments (Net)	**15,416,557**	5,868,186
III.	Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	**-**	-
IV.	Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	**(12,421)**	743,144
V.	Profit on Exchange Transactions (Net)	**1,690,688**	1,649,588
VI.	Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	**128,158**	100,269
VII.	Miscellaneous Income	**2,240,514**	1,943,005
TOTAL		**28,756,440**	**19,387,857**
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED			
I.	Interest on Deposits	**173,303,967**	176,533,417
II.	Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	**37,022**	2,074,637
III.	Others	**7,532,970**	9,614,635
TOTAL		**180,873,959**	**188,222,689**
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES			
I.	Payments to and Provisions for employees	**42,143,117**	44,656,742
II.	Rent, Taxes and Lighting	**4,460,406**	4,004,397
III.	Printing and Stationery	**437,860**	443,730
IV.	Advertisement and Publicity	**333,285**	309,297
V.	Depreciation on Bank's property	**2,573,712**	2,394,338
VI.	Directors' Fees, Allowances and Expenses	**8,160**	8,478
VII.	Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**299,163**	252,030
VIII.	Law Charges	**199,825**	180,140
IX.	Postages, Telegrams, Telephones etc.	**469,346**	745,660
X.	Repairs and Maintenance	**1,207,455**	695,128
XI.	Insurance	**3,253,411**	2,699,881
XII.	Other Expenditure	**8,224,538**	7,224,869
TOTAL		**63,610,278**	**63,614,690**

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. a) Basis of Preparation:

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting year. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/materialised.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

2.1 The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

2.2 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.

2.3 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.

2.4 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the year end rates notified by FEDAI.

2.5 Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/loss is recognized in Profit and Loss Account.

3. Investments:

3.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are categorised into “Held to Maturity”, “Held for Trading” and “Available for Sale” categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

i) Government Securities
ii) Other Approved Securities
iii) Shares
iv) Debentures and Bonds
v) Subsidiaries and sponsored institutions and
vi) Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

3.2 **Basis of Classification:**

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

i) Held to Maturity

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity. Investments in subsidiaries and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) Held for Trading

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

Investments that cannot be classified in the above categories.

3.3 Transfer of Securities between categories:

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.4 Valuation:

a) Held to Maturity:

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.

Investments in subsidiaries and associates are valued at acquisition cost.

b) Available for sale:

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i)	Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI.	
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government	On appropriate yield to maturity basis.	
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper	At carrying cost.	
iv)	Equity Shares	a) Quoted :	At market price.
		b) Unquoted:	At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1/- per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Shares	a) Quoted :	At market price.
		b) Unquoted:	On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a) Quoted :	(Traded in last 15 days) at last Trade Price.
		b) Unquoted:	On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	Quoted :	At market price.
		Unquoted:	At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital Fund (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.	
ix)	Security Receipts (SR)	At Net Asset Value (NAV) advised by SC/ARC.	

The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading:

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

3.5 Determination of Cost:

i) Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

ii) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.

iii) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.

3.6 Income Recognition:

i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.

ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and classified as Substandard/Doubtful/Loss as the case may be and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances or otherwise required as per RBI directives issued from time to time. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.

iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms or as otherwise required as per the RBI directions issued from time to time.

vi) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

4. Derivatives:

Derivatives used for hedging are accounted as under :

i) In cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market, resultant gain/ loss is recognised in the Profit & Loss Account.

ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.

iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

5. Advances:

5.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or otherwise required in terms of RBI directions issued from time to time.

5.2 Recoveries in NPA account is first appropriated towards the principal except in case of suit filed, decreed accounts and compromise cases where recovery is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.

5.3 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.

5.4 Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

5.5 Financial Assets sold are recognized as under:

5.5.1 In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is either charged to the Profit and Loss Account or such shortfall on assets sold on or after 26.02.2014 is spread over a period of two/one year in line with RBI guidelines subject to necessary disclosures.

5.5.2 In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

5.5.3 In case of sale to SC/ARC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/ loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

6. Fixed Assets/Depreciation:

6.1 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

i)	Premises	At varying rates based on estimated life
ii)	Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii)	Vehicles	20%
iv)	Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v)	Computers including Systems Software	33.33%
	(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)	

6.2 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over a period of lease.

6.3 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

6.4 In case of assets, which have been revalued, the depreciation / amortization is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account. Amount of incremental depreciation / amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

6.5 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.

7. Employee Benefits:

Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees. Short term employee benefits are recognised as an expense in the profit and loss account for the year in which the related service is rendered.

Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique. Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

8. Recognition of Income and Expenditure:

8.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.

8.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.

8.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guideline

9 Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such

deferred tax assets will be realised. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future taxable profits. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment / appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

10 Provisions, Contingencies and Contingent assets:

Provisions are recognized for present obligations, of uncertain timing or amount, arising as a result of a past event where a reliable estimate can be made and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required or the amount cannot be estimated reliably, the obligation is disclosed as a contingent liability unless the possibility of outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

P. RAMANA MURTHY	**B.K. DIVAKARA**	**RAJEEV RISHI**
EXECUTIVE DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
SAURABH GARG	**SHEKHAR BHATNAGAR**	**SUPRATIM BANDYOPADHYAY**
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR
KETUL R. PATEL	**N. NITYANANDA**	
DIRECTOR	DIRECTOR	

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY	**For LODHA & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS	CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-101647W	F.R.No.301051E
(CA AMBESH A. DAVE)	**(CA R. P. SINGH)**
PARTNER	PARTNER
M. No.049289	M.No.052438
For PATHAK H. D. & ASSOCIATES	**For S. K. MEHTA & CO.**
CHARTERED ACCOUNTANTS	CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W	F.R. No.000478N
(CA B. P. CHATURVEDI)	**(CA S. K. MEHTA)**
PARTNER	PARTNER
M.No,015585	M.No.010870

Place : Delhi
Date : May 13, 2017

SCHEDULE-18 : NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. Capital:

Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2017 is ₹ 1902.17 crore increased from ₹ 1689.71 crore of previous year by issue of fresh 212456695 equity shares of ₹ 10 each in three allotments.

a. 71504945 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 64.82 on 12.05.2016

b. 123806796 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 94.76 on 08.09.2016

c. 17144954 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Life Insurance Corporation on Preferential Basis at premium of ₹ 81.45 on 05.12.2016.

2. Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items are in progress :

- Inter Branch Office Balance
- Inter Bank Accounts
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Balances related to ATM
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department
- Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3. Income Tax:

3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 3298.14 crore (previous year ₹ 2472.23 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

4. Premises:

4.1 Premises owned by the Bank includes properties costing ₹ 1.63 Crore (previous year ₹ 1.63 Crore) for which registration formalities are still under progress.

4.2 In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 86.97 Crore (previous year ₹ 24.30 Crore) is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

5. Advances / Provisions

5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/

assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crores (previous year ₹ 100.56 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹ 47.34 Crore (previous year. ₹ 47.34 Crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.

5.3 In compliance with RBI directives on Asset Quality Review (AQR) of advance, Bank has kept incremental provision against Standard Advances of ₹ 289.69 Crore.

6. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India :

a. (i) Capital

(₹ in crore)

Sl. No	Items	31.03.2017	31.03.2016
1	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	**8.62%**	8.03%
2	Tier 1 capital ratio (%)	**8.62%**	8.20%
3	Tier 2 capital ratio (%)	**2.32%**	2.20%
4	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	**10.95%**	10.41%
5	Percentage of the shareholding of the Government of India	**81.28%**	79.94%
6	Amount of equity capital raised	**2136.79***	700.57**
7	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which Perpetual Non Cumulative Preference Share (PNCPS): Perpetual Debt Instruments (PDI):	**NIL**	NIL
8	Amount of Tier 2 capital raised; Of which Debt capital instruments: Preference Share Capital Instruments:[Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non Cumulative Preference Share (RNCPS) /Redeemable Cumulative Preference Share (RCPS)]	**500.00**	NIL

*Includes capital funds of ₹ 100.00 crore received from Government of India on 31.03.2017 and the same has been kept in the newly opened Bank account namely, " Central Bank of India Share Application Money Account".

*Further, it also include equity capital of ₹ 583.00 crore, arising out of extinguishment of 5830 Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) of face value of ₹ 10.00 Lakh each held by Government of India and kept into Share Application Money Account pending allotment of shares.

** Includes capital fund of ₹ 535.00 crore received from Government of India on 30.03.2016 and the same was kept in "Central Bank of India Share Application Money Account" pending allotment of share. Bank allotted the said shares to Government of India on 12.05.2016.

(ii) During the financial year 2016-17, Bank had offered Premature Redemption of 9.40% Perpetual Debt Instruments Tier I Bonds after Reserve Bank of India approval. Bank has paid ₹ 384.57 crore, which included Principal amount of ₹ 360.90 crore, Accrued Interest of ₹ 16.45 crore and Premium of ₹ 7.22 crore to investor who had opted for the Buy-back option on 24.03.2017, being the settlement date.

b. (i) Investments

(₹ in crore)

Items				31.3.2017	31.3.2016
1)	**Value of Investments**				
	i)	Gross Value of Investments		**93791.56**	89894.75
		a)	In India	**93744.05**	89847.24
		b)	Outside India	**47.51**	47.51
	ii)	Provisions for Depreciation		**1696.68**	1027.21
		a)	In India	**1696.66**	1027.19
			Excess provision for depreciation (held at shifting) over current valuation	**0.00**	0.00
		b)	Outside India	**0.02**	0.02
	iii)	Net Value of Investments		**92094.88**	88867.54
		a)	In India	**92047.39**	88820.05
		b)	Outside India	**47.49**	47.49
2)	**Movement of Provisions held towards depreciation on Investments**				
	i)	Opening Balance		**1027.21**	180.64
	ii)	Add: Provisions made during the year		**768.49**	912.26
	iii)	Less: Write Back/Utilized during the year		**99.02**	65.69
	iv)	Closing Balance		**1696.68**	1027.21

(ii) Investments includes ₹ Nil (previous year ₹ 47.30 Crore) being share application money pending allotment.

(iii) **Repo Transactions** (in face value terms)

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2017
Securities sold under Repo				
I. Government Securities	0.00	825.00	7.63	11.00
II. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under Reverse Repo				
I. Government Securities	0.00	64199.99	6092.26	64199.99
II. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

(iv) Non SLR Investment Portfolio

Issuer wise composition of Non SLR Investments

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	State Govt Special Bond	4441				
ii)	PSUs	4844	18	0	4489	18
iii)	FIs	292	127	0	44	60
iv)	Banks	354	0	0	0	0
v)	Private Corporates	5910	120	847	1097	3695
vi)	Subsidiaries/ Joint Ventures/ RRB/ Indo-Zambia	421	421	0	421	421
vii)	Others	3460	0	0	3460	2840
	TOTAL	**19721**	**686**	**847**	**9511**	**7034**
Less:	Provision held towards depreciation	1696	0	289	852	792
	NET	**18024**	**686**	**557**	**8659**	**6242**

Note: Amounts reported under Columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive

(v) Non Performing Non-SLR Investments (including Matured Investments)

(₹ in crore)

Particulars	31.3.2017	31.3.2016
Opening Balance	**474.03**	304.63
Additions during the year	**215.87**	215.28
Reductions during the year	**129.76**	45.88
Closing balance	**560.14**	474.03
Total provisions held	**389.41**	**315.55**

c. Derivatives

(i) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Items		31.3.2017	31.3.2016
i)	The Notional Principal of Swap agreements	**25.00**	200.00
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	**0**	0.23
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**NIL**	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps -- Foreign Bank	**NIL**	NIL
	-- Domestic Bank	**NIL**	NIL
v)	The fair value of the swap book	**-0.15**	-0.49

(ii) Forward Rate Agreement / Currency Rate Swap

(₹ in crore)

Items		31.3.2017	31.3.2016
i)	The Notional Principal of Swap agreements	**241.42**	NIL
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	**5.21**	NIL
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**NIL**	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps -- Foreign Bank	**NIL**	NIL
	-- Domestic Bank	**NIL**	NIL
v)	The fair value of the swap book	**1.04**	NIL

(iii) Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
	Interest Rate Futures		
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	**NIL**	8318.97
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding	**NIL**	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective	**NIL**	NIL
iv)	Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	**NIL**	NIL

(iv) Exchange Traded Currency Derivatives:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives undertaken during the year		
	a) Currency Futures	**30741.00**	22158.00
	b) Currency Options	**0.00**	0.00
ii)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives outstanding		
	a) Currency Futures	**0.00**	1459.47
	b) Currency Options	**0.00**	00.00
iii)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives outstanding and not "highly effective"		
	a) Currency Futures	**0.00**	0.00
	b) Currency Options	**0.00**	0.00
iv)	Mark-to market value of exchange traded currency derivatives outstanding and not "highly effective"		
	a) Currency Futures	**0.00**	0.00
	b) Currency Options	**0.00**	0.00

Disclosures on risk exposure in Derivatives

(v) Qualitative Disclosures

- Risk Management Policy approved by the Board of Directors for the use of derivative instruments to hedge/trade is in place.
- Policy for Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Currency Futures and Interest Rate Futures for Hedging the Interest Rate Risk in the Investment Portfolio and also for Market Making is in place.
- The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counter party exposure limits etc. as approved by the Board of Directors are in place. The risks are monitored and reviewed regularly. MIS reports are submitted periodically to Risk Management Committee.

Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/income on the IRS are accounted and recognized as income/ expense.
- If the swap is terminated before maturity, the Mark to Market (MTM) loss/gain and accrual till such date are accounted as expense/income under interest paid/received on IRS.

Trading positions

- Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
- MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit & loss account on final settlement.
- Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head

(vi) Quantitative Disclosures

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars		31.03.2017		31.03.2016	
			Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)					
	a)	For hedging	**6472.28**	**0.00**	32925.84	0
	b)	For trading	**46961.10**	**25.00**	17074.50	200
ii)	Marked to Market Positions					
	a)	Asset (+)	**1247.55**	**0.00**	567.23	0.23
	b)	Liability (-)	**1231.39**	**0.15**	537.49	0.72
iii)	Credit Exposure [1]					
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		**-**	**0.01**	-	0.01
	a)	On hedging derivatives	**-**	**0.00**	-	0.00
	b)	On trading derivatives	**-**	**0.01**	-	0.01
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year					
	a)	On hedging	**-**	**Max-0.00 Min-0.00**	-	Max-0.00 Min-0.00
	b)	On trading	**-**	**Max - 0.04 Min - 0.01**	-	Max-0.04 Min-0.01

d. Asset Quality

(a) Non Performing Assets

(₹ in crore)

Items			31.3.2017	31.3.2016
i)	Net NPAs to Net Advances (%)		**10.20**	7.36
ii)	Movement of NPAs (Gross)			
	a)	Opening balance	**22721**	11873
	b)	Additions during the year	**10487**	15145
	c)	Reduction during the year	**5957**	4297
	d)	Closing balance	**27251**	22721
iii)	Movement of Net NPAs			
	a)	Opening balance	**13242**	6807
	b)	Additions during the year	**4459**	9890
	c)	Reduction during the year	**3483**	3455
	d)	Closing balance	**14218**	13242
iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on Standard Assets)			
	a)	Opening balance	**8238**	4793
	b)	Provisions made during the year	**6028**	5255
	c)	Write off/ write back / Transfer	**2404**	1810
	d)	Closing balance	**11862**	8238

(b) Particulars of Accounts Restructured :

(₹ in crore)

Sr No	Type of Restructuring → / Asset Classification → / Details ↓		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
			Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Stand-ard	Doubt-ful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	No. of borrowers	28	8	18		54	312	39	125	0	476	18602	956	10066	0	29624	18942	1003	10209	0	30154
		Amount outstanding	3608.10	906.08	1784.01		6298.19	113.57	50.21	33.90	0.00	197.68	7247.94	2537.59	809.83	0.00	10595.36	10969.61	3493.88	2627.74	0.00	17091.23
		Provision thereon	231.69	75.26	71.62		378.57	3.23	0.17	0.97	0.00	4.37	428.98	92.33	28.45	0.00	549.76	663.90	167.76	101.04	0.00	932.70
2	Fresh restructuring during the year #	No. of borrowers	2	0	0		2	1080	224	2330	0	3634	194	2096	1003	0	3293	1276	2320	3333	0	6929
		Amount outstanding	977.64	0.00	0.00		977.64	45.34	2.77	90.38	0.00	138.49	239.27	468.14	815.54	0.00	1522.95	1262.25	470.91	905.92	0.00	2639.08
		Provision thereon	195.17	0.00	0.00		195.17	1.96	0.01	0.00	0.00	1.97	3.79	4.55	13.99	0.00	22.33	200.92	4.56	13.99	0.00	219.47
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0		0			0		0			5	-5	0			5	-5	0	0	0
		Amount outstanding	0.00		0.00			0.00		0.00			335.41	-335.41	0.00			335.41	-335.41	0.00	0.00	0.00
		Provision thereon	0.00		0.00			0.00		0.00			2.88	-2.88	0.00			2.88	-2.88	0.00	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances	No. of borrowers	-2				-2	0				0	-4				-4	-6				-6
		Amount outstanding	-146.61				-146.61	0.00				0	-2387.64				-2387.64	-2534.25				-2534.25
		Provision thereon	-30.21				-30.21	0.00				0	-105.01				-105.01	-135.22				-135.22
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-9	-3	7	5	0	-2	2	0	0	0	-26	19	7	0	0.00	-37	18	14	5	0
		Amount outstanding	-1259.47	-327.68	899.25	687.90	0.00	-7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	-712.87	571.56	141.31	0.00	0.00	-1979.51	251.05	1040.56	687.90	0.00
		Provision thereon	-70.72	-41.56	79.51	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.55	10.09	15.46	0.00	0.00	-96.27	-31.47	94.97	32.77	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during the FY $	No. of borrowers	-2	0	0	-5	-7	-1	-20	0	0	-21	-1502	-2001	-8745	0	-12248	-1505	-2021	-8745	-5	-12276
		Amount outstanding	-48.66	0.00	0.00	-687.90	-736.56	-26.92	-19	0.00	0	-45.92	-261.94	-2541.57	-84.67	0.00	-2888.18	-337.52	-2560.57	-84.67	-687.90	-3670.66
7	Restructured Accounts as on 31.03.2017 (closing figures)	No. of borrowers	17	5	25	0	47	1389	245	2455	0	4089	17269	1065	2331	0	20665	18675	1315	4811	0	24801
		Amount outstanding	2957.87	603.32	2777.69	0.00	6338.88	124.82	41.15	124.28	0.00	290.25	4460.17	700.31	1682.01	0.00	6842.49	7542.86	1344.78	4583.98	0.00	13471.62
		Provision thereon **	348.39	30.70	151.13	0.00	530.22	5.19	0.77	5.64	0.00	11.60	222.30	15.91	38.03	0.00	276.24	575.88	47.38	194.80	0.00	818.06

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

** provision held is figure of sacrifice provision

Includes account restructured in earlier years however identified during current financial Year.

$ Includes recovery during current Financial Year restructured accounts .

(c) Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

A. Details of Sales

(₹ in Crore)

Items		31.3.2017	31.3.2016
i)	No. of accounts	**NIL**	17
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	**NIL**	1040.40
iii)	Aggregate consideration	**NIL**	1142.35
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	**NIL**	NIL
v)	Aggregate gain/ loss() over net book value	**NIL**	101.95

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

The details of the book value of investments in security receipts is as under:

(₹ in Crore)

Particulars		31.3.2017	31.3.2016
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	**3327.19**	3330.14
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	**22.23**	33.51
Total		**3349.42**	**3363.65**

(d) Details of Non Performing Financial Assets purchased/ sold from/to other Banks

a. Details of Non Performing Financial Assets purchased:

(₹ in Crore)

Particulars			31.3.2017	31.3.2016
1	a	No. of accounts purchased during the year	**NIL**	NIL
	b	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL
2	a	Of these, number of accounts restructured during the year	**NIL**	NIL
	b	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL

b. Details of Non Performing Financial Assets sold:

(₹ in Crore)

Items		31.3.2017	31.3.2016
1	No. of accounts	**NIL**	NIL
2	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL
3	Aggregate consideration received	**NIL**	NIL

(e) Provision on Standard Assets

(₹ in Crore)

Items	31.3.2017	31.3.2016
Provisions towards Standard Assets held	540.03	681.88

(f) Business Ratios

Sr. No.	Items	2016-17	2015-16
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds *	**8.10**	8.85
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds*	**0.94**	0.66
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds *	**1.01**	0.90
(iv)	Return on Assets **	**(0.80)**	(0.48)
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee*** (₹ in lacs)	**1181.33**	1194.78
(vi)	Profit per employee (₹ in lacs)	**(6.49)**	(3.76)

* Working Funds comprise average of Total Assets (excluding Revaluation Reserve) during the 12 months of the Financial Year.

** Working Funds comprise average Total Assets (excluding Revaluation Reserve)

*** Based on aggregate Deposits (other than Inter Bank Deposits) plus Advances.

(g) Asset Liability Management

Maturity pattern of Total Deposits, Borrowings, Advances & Total Investments under various maturity buckets prescribed by Reserve Bank of India as of March 31, 2017

(₹ in crore)

Period	Total Deposit	Total Advances	Total Investment	Total Domestic Borrowings *	Foreign Currency	
					Assets	Liabilities
Day 1	1,633.46	4,259.96	-	30.31	328.54	303.02
2 days to 7 days	2,132.05	1842.65	1,132.56	2,903.07	0.58	6.05
8 days to 14 days	2,314.58	1,416.97	-	-	63.81	8.94
15 days to 30 days	4,817.48	5,051.43	18.20	-	106.75	12.74
31 days to 2 months	9,906.94	1,305.58	1,254.97	-	19.91	55.43
Above 2 months to 3 months	9,374.86	1,799.84	743.26	31.92	50.25	33.16
Above 3 months to 6 months	16,356.88	4,635.96	367.05	198.83	416.66	189.98
Above 6 months to 12 months	27,737.51	6,902.95	1,555.73	63.84	358.93	259.02
Above 1 years to 3 years	1,35,053.33	64,884.07	9,229.89	254.51	49.16	680.01
Above 3 years to 5 years	44,391.45	14,831.35	8,967.22	116.76	194.49	55.45
Over 5 years	42,952.63	32,468.00	68,826.01	-	12.78	-
Total	**2,96,671.19**	**1,39,398.77**	**92,094.89**	**3,599.24**	**1,601.86**	**1,603.80**

Note : -

*** Excluding those considered under Tier II Capital.**

The above data has been complied on the basis of the Guidelines of RBI and certain assumptions made by the Management and has been relied upon by the Auditors.

(h) Exposures

(i) Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Category			31.3.2017	31.3.2016
a)	Direct Exposure			
	(i)	Residential Mortgages -		
		Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented:	**20084.89**	17631.45
		(individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances included above)	**(13077.11)**	(11937.06)
	(ii)	Commercial Real Estate –		
		Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.)	**4019.29**	6442.60
		Exposure includes non-fund based (NFB) limit:		
	(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
		- Residential,	**0.00**	0.00
		- Commercial Real Estate.	**0.00**	0.00
b)	Indirect Exposure			
	(i)	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	**919.46**	6214.08
	TOTAL EXPOSURE TO REAL ESTATE SECTOR		**25023.64**	**30288.13**

(ii) Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

	Items	31.3.2017	31.3.2016
i)	Direct Investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	**747.86**	811.31
ii)	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	**1.68**	3.07
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equities-oriented mutual funds are taken as primary security.	**342.82**	210.82
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i,e, where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**0.01**	0.68

Items		31.3.2017	31.3.2016
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	**298.15**	85.04
vi)	Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**0.00**	331.80
vii)	Bridge Loans to the companies against expected equity flows/ issues.	**0.00**	0.00
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	**0.00**	0.00
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	**0.00**	550.00
x)	All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered)	**0.00**	0.00
	Total Exposure to Capital Market	**1390.52**	**1992.72**

(iii) Risk Category-wise Country Exposure :

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2017	Provision held as at March 31, 2017	Exposure (net) as at March 31, 2016	Provision held as at March 31, 2016
Insignificant	949.11	Nil	1557.90	Nil
Low	1156.65	Nil	597.39	Nil
Moderate	126.00	Nil	94.78	Nil
High	46.07	Nil	70.50	Nil
Very High	2.54	Nil	6.61	Nil
Restricted	0.00	Nil	2.25	Nil
Off-credit	0.00	Nil	2.21	Nil
Total	**2280.37**	**Nil**	**2331.64**	**Nil**

As the Bank's exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1% of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.

(iv) Details of Single borrower limit/Group Borrowers Limit exceeded by the Bank for which necessary Board approval has been obtained.

a. Single Borrower Limit exceeded by Bank : NIL

b. Group Borrower Limit exceeded by Bank : NIL

(v) Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz., Rights, Licenses, Authorizations etc. which is shown as unsecured in Schedule-9.

Advances amounting to ₹ Nil (previous year ₹ Nil) against charge over intangible security such as Rights, Licences, Authorization etc. are considered as unsecured.

The value of intangible security is ₹ Nil (previous year ₹ Nil)

(vi) In terms of RBI Guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) of ₹ 22991.22 crore has been issued on risk sharing basis for maximum period of 180 days, thereby reducing the Bank's Total Advances as on 31.03.2017 to same extent.

(vii) Sale and transfer to / from HTM category

During the year ended March 31, 2017, the value of sale and transfer of securities to/from HTM category had exceeded 5% of book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. The market value of investments held in HTM category was ₹ 70530 Crore at March 31, 2017 which includes investments in subsidiaries / joint ventures carried at cost. The book value of such investments being lower than market value, no provision is required to be made.

7. Disclosure of penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 0.12 Crore (pevious year ₹ 2.16 crore) in terms of Section 47A(1)(a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms.

8. I. Disclosure regarding concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:

8.1 Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a)	Total Deposits of twenty largest depositors	**25520.27**	25036.84
(b)	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	**8.60%**	9.41%

8.2 Concentration of Advances

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a)	Total Advances to twenty largest borrowers	**22282.75**	37488.76
(b)	Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	**14.56%**	15.00%

Advances represents credit exposure as per RBI norms

8.3 Concentration of Exposures

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a)	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	**39591.09**	39347.29
(b)	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	**15.76%**	11.58%

Advances represents credit and investment exposure as per RBI norms

8.4 Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a) Total Exposure to top four NPA accounts	**4429.82**	4870.77

II. Sectorwise advances:

(₹ in Crore)

S. No	Sector	March 31, 2017			March31, 2016		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**33519**	**2579**	**7.69**	33885	1891	5.58
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	**11346**	**1933**	**17.04**	11542	1605	13.90
3	Services	**17316**	**2116**	**12.22**	17843	1911	10.70
4	Personal loans	**10486**	**704**	**6.71**	15706	700	4.45
	Sub-total (A)	**72667**	**7332**	**10.09**	**78976**	**6107**	**7.73**
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2	Industry	**37600**	**13746**	**36.56**	56193	7179	12.77
3	Services	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
4	Personal loans	**5902**	**281**	**4.76**	5982	216	3.61
	Sub-total (B)	**43502**	**14027**	**32.24**	**62175**	**7395**	**11.89**
	Total (A+B)	**116169**	**21359**	**18.39**	**141151**	**13502**	**9.56**

III. Movement of NPAs

A. (₹ in crore)

Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
Gross NPAs *as on 1st April 2016 (opening Balance)	**22721**		11873	
Additions (Fresh NPAs) during the year	**10487**		15145	
Sub Total (A)		**33208**		27018
Less:-				
(i) Upgradation	**1183**		608	
(ii) Recovery (excluding recoveries made from upgraded accounts)*	**2378**		1287	
Sale of NPA	**—**		1123	
(iii) Technical/Prudential Write-Offs	**2327**		1245	
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	**69**		34	
Sub-total (B)		**5957**		4297
Gross NPAs as on 31st March 2017 (closing balance) (A-B)		**27251**		**22721**

B. Technical write-off and the recoveries:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts as at April 1	**4627.55**	3382.01
Add: Technical/Prudential write-offs during the year	**2385.02**	1300.00
Sub-total (A)	**7012.57**	4682.01
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B) *	**57.94**	54.46
Closing balance as at March 31 (A-B)	**6954.63**	**4627.55**

*includes conversion to Regular write off of ₹ 2.28 crores (Previous year ₹ 24.33 crore)

IV. Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Assets	**NIL**	NIL
Total NPAs	**NIL**	NIL
Total Revenue	**NIL**	NIL

V. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
NIL	NIL

VI. Disclosures relating to Securitisation:

(₹ in crore)

S. No.	Particulars		31.03.2017	31.03.2016
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions*		**NIL**	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank		**NIL**	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet		**NIL**	NIL
	a)	Off-balance sheet exposures	**NIL**	NIL
		First loss	**NIL**	NIL
		Others	**NIL**	NIL
	b)	On-balance sheet exposures	**NIL**	NIL
		First loss	**NIL**	NIL
		Others	**NIL**	NIL

S. No.	Particulars			31.03.2017	31.03.2016
4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR			**NIL**	NIL
	a)	Off-balance sheet exposures		**NIL**	NIL
		i)	Exposure to own securitizations	**NIL**	NIL
			First loss	**NIL**	NIL
			Loss	**NIL**	NIL
		ii)	Exposure to third party securitisations	**NIL**	NIL
			First loss	**NIL**	NIL
			Others	**NIL**	NIL
	b)	On-balance sheet exposures		**NIL**	NIL
		i)	Exposure to own securitisations	**NIL**	NIL
			First loss	**NIL**	NIL
			Others	**NIL**	NIL
		ii)	Exposure to third party securitisations	**NIL**	NIL
			First loss	**NIL**	NIL
			Others	**NIL**	NIL
*Only the SPVs relating to outstanding securitisation transactions may be reported here					

VII. Intra-Group Exposures:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a)	Total amount of intra-group exposures	**664.59**	736.41
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures(there are only 6 companies in this category)	**664.59**	736.41
(c)	Percentage of intra-group- exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	**0.26%**	0.22%
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	**Nil**	Nil

VIII. Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF):

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Opening balance of amounts transferred to DEAF	**32.72**	25.12
Add: Amount transferred to DEAF during the year	**29.17**	7.61
Less: Amount reimbursement by DEAF towards claims	**00.20**	0.01
Closing balance of amounts transferred to DEAF	**61.69**	32.72

9. Liquidity Cover

LCR Disclosure

(₹ in crore)

		FY 2016-17		FY 2015-16	
		Total Unweighted Value (average)	**Total Weighted Value (average)**	**Total Unweighted Value (average)**	**Total Weighted Value (average)**
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		**65177.71**		35470.80
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:				
(i)	Stable deposits	**66905.03**	**3345.25**	58359.64	2917.98
(ii)	Less stable deposits	**162127.87**	**16212.79**	140974.50	14097.45
3	Unsecured wholesale funding, of which:				
(i)	Operational deposits (all counterparties)	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	**52479.69**	**23576.73**	31964.92	15948.56
(iii)	Unsecured debt	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding		**0.00**		0.00
5	Additional requirements, of which				
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	**4071.93**	**4197.77**	6681.27	6681.27
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	**18815.67**	**2118.17**	19217.73	2332.39
6	Other contractual funding obligations	**1564.23**	**1585.56**	2221.08	2221.08
7	Other contingent funding obligations	**23881.59**	**725.11**	21960.95	1022.49
8	**Total Cash Outflows**		**51761.37**		**45221.23**
Cash Inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	**8815.28**	**0.00**	385.83	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	**2428.47**	**2261.81**	1779.17	1279.17
11	Other cash inflows	**18192.44**	**12669.42**	18369.74	13678.17
12	Total Cash Inflows	**29436.20**	**14931.23**	20534.74	14957.34
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
13	TOTAL HQLA		**65177.71**		35470.80
14	Total Net Cash Outflows		**36830.14**		30263.90
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		**176.97**		117.20

LCR Qualitative Disclosures:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) Qualitative Disclosures

Line items significant to LCR		Explanatory Notes
a	The main drivers of the LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation	The main drivers of LCR results are : 1) High Quality Liquid Asset (HQLA) is one of the major drivers of LCR, the major portion of HQLA consists of facility to avail liquidity under Marginal Standing Facility (MSF)& LCR. Other major heads impacting HQLA are investment in government securities/ guaranteed by government. 2) Cash Outflow is another major driver of LCR. The main components of cash outflows are less stable retail deposit, funding from other legal entity and net derivative cash outflow. 3) Yet another major driver of LCR is Cash Inflow.The main components of cash inflows are inflows by counterparty and net derivative cash inflow.
b	Intra-period changes as well as changes over time	In light of the RBI Circular no. RBI/2014-15/529 DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dt 31.03.2015, the computation of LCR has been changed as follows: "Data must be presented as simple averages of monthly observations over the previous quarter (i.e. the average is calculated over a period of 90 days).Banks must publish the number of data points used in calculating the average figures in the template. With effect from the January 1, 2017, the simple average should be calculated on daily observations over the previous quarter." In light of the RBI Circular No. RBI/2016-17/25 DBR.BP.BC.No.2/21.04.098/2016-17 dt 21/07/2016, Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) to be included in Level 1 Assets has been increased from 8% to 9% of NDTL.
c	The composition of HQLA	The HQLA comprises of the following: 1. Level 1 assets comprises of surplus SLR investments(net of encumbered against REPO, CBLO, MSF, CROMS, other securities pledged for RTGS, SGF, MCX, NSCCL etc) and 2% of NDTL applicable for MSF and 9% of NDTL (FALLCR) as per RBI guidelines 2. Level 2A assets comprises of Power Bonds issued by State Governments, Bonds issued by State Power Distribution Companies, Central Government PSUs excluding the finance companies. 3. Level 2A assets also comprises of bonds of private corporates having rating of AA- and above excluding the finance companies. 4. Level 2B assets comprises of bonds of corporates having rating of BBB- to A+ excluding the finance companies. 5. Level 2B assets also comprises of NIFTY/SENSEX shares excluding the finance companies.

	Line items significant to LCR	Explanatory Notes
d	Concentration of funding sources	Bank addresses the funding concentration by monitoring their funding from each significant counterparty, each significant product / instrument and each significant currency ('significant' is defined as aggregate amount is more than 1% of the bank's liabilities).
e	Derivative exposures and potential collateral calls	Derivative exposure of our bank consists of the following: 1. OTC Derivatives a) Forwards b) Currency Swaps c) Interest Rate Swap 2. Exchange Traded Derivatives a) Currency Futures b) Interest Rate Futures Potential collateral call comes into question if the trades take place on the Exchange or the settlement takes place through Central Counterparty and is guaranteed and also if the Credit Support Annex(CSA) which is an attachment to the ISDA Master Agreement, is signed with the counterparties. For our exposure of trades under Currency Futures and Interest Rate Futures we are maintaining margins in the form of collaterals (GSecs) and the same is being maintained depending on the amount of exposure and the volatility in the market. All our Interbank USD/INR Swaps and forwards are being settled through CCIL which is a Central Counterparty (CCP). We are maintaining margins in the form of collaterals (GSecs) with CCIL for guaranteed settlement of our Interbank USD/INR Swaps and Forwards. The amount of margin depends on the amount of exposure and the volatility in the respective markets. The additional margin is being maintained with the Exchange/ CCP as and when the call is made for the same. At present, we do not have in place the Credit Support Annex with any counterparty. As such, no potential collateral call will arise.
f	Currency mismatch in the LCR	To capture potential currency mismatches, the LCR in each significant currency is monitored.A currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities.Bank doesn't have currency mismatch as bank does not have exposure in 'significant' currency.
g	Degree of centralisation of liquidity management and interaction between the group's units	Liquidity management in the bank is centralized and monitored by ALM &Treasury team. Interaction between treasury, CBS, ALM team & other functional units are seamless.

Line items significant to LCR		Explanatory Notes
h	Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.	None
i	Other Information	Bank has done IBPC transaction (IBPC Borrowing) to the tune of ₹ 22991.22 Cr, which has been factored in the LCR Calculation.

10. Other Disclosures

Insurance Business :

Fees/ remunerations received in respect of the Bancassurance Business during the current year is as under :

(₹ in crore)

PARTICULARS	2016-17		2015-16	
	No. of policies	Amount	No. of policies	Amount
Life	**25427**	**6.78**	35368	8.56
Non Life	**244012**	**10.00**	279241	10.54
Total		**16.78**		**19.10**

11. The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

a) Accounting Standard - 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy No. 8. However, the said income is not considered to be material.

b) Accounting Standard - 15 (Revised)

Employee Benefits:

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Table showing change in Defined Benefit Obligation:				
Liability at the beginning of the year	**1490.34**	**11153.04**	1308.74	9713.80
Interest Cost	**116.92**	**869.55**	100.34	743.14
Current Service Cost	**50.26**	**86.00**	41.80	90.20
Past Service Cost(Non Vested Benefit)	**0**	**0**	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit)	**0**	**0**	0	0
Liability Transfer in	**0**	**0**	0	0
Liability Transfer out	**0**	**0**	0	0
Benefit Paid	**(180.07)**	**(901.19)**	(167.28)	(912.59)
Actuarial (gain)/loss on obligations	**369.68**	**1276.68**	206.74	1518.49
Liability at the end of the year	**1847.13**	**12484.08**	1490.34	11153.04
Table of Fair Value of Plan Assets:				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	**1493.19**	**10659.96**	1212.31	9312.55
Expected return on Plan Assets	**129.55**	**958.12**	128.08	899.78
Contributions	**204.15**	**1678.00**	343.50	1486.00
Transfer from Other Company	**0**	**0**	0	0
Transfer from to Company	**0**	**0**	0	0
Benefit paid	**(180.07)**	**(901.19)**	(167.28)	(912.59)
Actuarial Gain/(loss)on Plan Assets	**9.91**	**25.11**	(23.42)	(125.78)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	**1656.73**	**12420.00**	1493.19	10659.96
Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	**(359.77)**	**(1251.57)**	(230.16)	(1644.26)

Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Expenses recognized in the Profit & Loss Account:				
Current Service Cost	**50.26**	**86.00**	41.80	90.20
Interest Cost	**116.92**	**869.55**	100.34	743.14
Expected Return on Plan Assets	**(129.55)**	**(958.12)**	(128.08)	(899.78)
Past Service Cost(Non Vested Benefit) recognized	**0**	**0**	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit) recognized	**0**	**0**	0	0
Recognition of Transition Liability	**0**	**0**	0	0
Actuarial Gain or Loss	**359.77**	**1251.57**	230.16	1644.26
Expenses Recognized in P & L	**397.40**	**1249.00**	244.22	1577.83
Principal actuarial assumption used (%)				
Discount Rate Current	**7.27**	**7.45**	8.06	8.06
Rate of return on Plan Assets Current	**7.27**	**7.45**	8.06	8.06
Salary Escalation Current	**5.00**	**5.00**	5.00	5.00
Attrition Rate Current	**0.50**	**0.50**	0.50	0.50

c) Accounting Standard 17 – Segment Reporting

i) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognised Treasury Operations, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

BUSINESS SEGMENTS

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Revenue	9,864.04	7,529.68	9,512.76	11,932.63	8,160.26	8,364.37	-	-	27,537.06	27,826.68
Result	2,090.30	256.73	(5,613.16)	(3,321.33)	155.14	496.80	-	-	(3,367.72)	(2,567.80)
Unallocated Expenses									161.18	101.68
Operating Profit									(3,528.90)	(2,669.48)
Income Taxes									(1,089.80)	(1,251.29)
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit									(2,439.10)	(1,418.19)
Other Information:										
Segment Assets	152,959.41	108,293.74	96,187.54	116,235.07	74,001.25	74,554.90	-	-	323,148.20	299,083.71
Unallocated Assets									10,253.74	6,382.39
Total Assets									333,401.94	305,466.10
Segment Liabilities	154,779.06	109,389.55	85,288.91	108,359.20	75,382.83	69,503.21	-	-	315,450.80	287,251.96
Unallocated Liabilities									-	-
Total Liabilities									315,450.80	287,251.96

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets, wherever direct allocation is not possible. Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.

iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures

iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms, Companies and statutory bodies, which are not included under Retail Banking.

v) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.

vi) Retail Banking Segment is the Primary resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the Retail Banking Segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

d) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

1 List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personal -

	Name	Designation
i)	Mr. Rajeev Rishi	Chairman & Managing Director
ii)	Mr. B.K.Divakara	Executive Director
iii)	Mr. P.R. Murthy (w.e.f.17.02.2017)	Executive Director
iv)	Mr. R.K. Goyal (upto 31.12.2016)	Executive Director
v)	Dr.R.C. Lodha (upto 28.02.2017)	Executive Director

(b) Subsidiaries –

i) Cent Bank Home Finance Ltd.

ii) Cent Bank Financial & Custodial Services Ltd.

(c) Associates

(I) Regional Rural Banks –

i) Central Madhya Pradesh Gramin Bank

ii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur

iii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

(II) Indo – Zambia Bank Ltd.

2. Transactions with Related Parties:

Remuneration paid to key managerial persons:

(₹ In Lakhs)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		2016-17	2015-16
Mr. Rajeev Rishi	Chairman & Managing Director	**28.70**	29.64
Mr. B.K. Divakara	Executive Director	**23.11**	23.15
Mr. P.R. Murthy (w.e.f. 17.02.2017)	Executive Director	**2.58**	-
Mr. R.K. Goyal (upto 31.12.2016)	Executive Director	**38.94**	25.62
Dr.R.C. Lodha (upto 28.02.2017)	Executive Director	**39.54**	17.76
Mr. Animesh Chauhan	Executive Director	**-**	4.13
TOTAL		**132.87**	**100.30**

Note: Keeping in line with para 9 of the AS – 18, Related Party Disclosure issued by ICAI, transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed, which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

e) Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

Particulars	31.3.2017	31.3.2016
Net Loss after Tax available for Equity Share Holder (₹in Crore)	**(2439.10)**	(1418.19)
Weighted Average number of Equity Share (No.)	**1827463465**	1658359086
Basic Earnings per Share (₹)	**(13.35)**	(8.55)
Diluted Earnings per Share (₹)	**(13.35)**	(8.55)
Nominal Value per Share (₹)	**10.00**	10.00

f) Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI, tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 2353.68 Crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2017. Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2017 are as under:

(₹ in crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
Business Loss	**0.00**	**34.01**		
Depreciation on Fixed Assets		**12.59**	29.45	
Depreciation on Investments	**0.00**	**33.30**		
Staff Benefits	**0.00**	**5.52**		
Interest accrued but not due on investments			516.53	517.19
Provision for Leave Encashment	**194.11**	**194.11**		
Provision for Loans and Advances	**2740.16**	**1360.55**		
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961			34.61	34.61
TOTAL	**2934.27**	**1640.08**	**580.59**	**551.80**
Net Deferred Tax Asset/Liability	**2353.68**	**1088.28**		

g) Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the Management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2017, requiring recognition in terms of the Standard.

h) Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(i) Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	**31.3.2017**	**31.3.2016**
Provisions/Depreciation on Investment(Net)	**394**	848
Provision towards NPA	**6216**	4913
Provision towards Standard Asset	**(164)**	(15)
Provision made for Taxes	**(1090)**	(1251)
Provision for Restructured Advances	**321**	(1235)
Other Provisions	**(150)**	501
TOTAL	**5527**	**3761**

(ii) Floating Provisions

(₹ in crore)

Particulars		**31.3.2017**	**31.3.2016**
A	Opening balance in the Floating Provisions account	**100.56**	100.56
B	The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	**-**	-
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	**-**	-
D	Closing balance in the Floating Provisions account	**100.56**	100.56

(iii) Countercyclical Provisioning Buffer:

(₹ in crore)

Particulars		**31.3.2017**	**31.3.2016**
A	Opening balance in the Countercyclical Provisions account	**47.34**	47.34
B	The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	**-**	-
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	**-**	-
D	Closing balance in the Countercyclical Provisions account	**47.34**	47.34

(iv) Movement of Provision for Liabilities:

(₹ in crore)

Particulars	**31.3.2017**	**31.3.2016**
Opening Balance	**1.66**	1.66
Additions during the year	**-**	-
Amount used during the year	**-**	-
Closing Balance	**1.66**	1.66
Timing of any resulting outflow	**NA**	N.A.

12. Details of Complaints

	Customer Complaints(excluding ATM & Central Card)	No. of complaints	
		31.03.2017	31.03.2016
a)	Pending at the beginning of the year	**288**	396
b)	Received during the year	**11000**	12559
c)	Redressed during the year	**10607**	12667
d)	Pending at the end of the year	**681**	288

	Awards Passed by Banking Ombudsman	Numbers	
		31.03.2017	31.03.2016
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	**Nil**	Nil
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	**Nil**	Nil
c)	No. of Awards implemented during the year	**Nil**	Nil
d)	No. of unimplemented awards at the end of the year	**Nil**	Nil

As compiled by the Management and relied upon by the auditors.

	Investors' complaints	No. of complaints	
		31.03.2017	31.03.2016
a)	Pending at the beginning of the year	**0**	0
b)	Received during the year	**246**	236
c)	Redressed during the year	**246**	236
d)	Pending at the end of the year	**0**	0

Complaints pertaining to ATM Transactions

	Customer Complaints	31.03.2017	31.03.2016
a)	No. of complaints Pending at the beginning of the year	**221**	144
b)	No. of complaints Received during the year	**134206**	79599
c)	No. of complaints Redressed during the year	**131621**	79522
d)	No. of complaints Pending at the end of the year	**2806**	221

Complaints pertaining to Central Card Transactions

	Customer Complaints	31.03.2017	31.03.2016
a)	No. of complaints Pending at the beginning of the year	**11**	221
b)	No. of complaints Received during the year	**7794**	69992
c)	No. of complaints Redressed during the year	**7805**	70202
d)	No. of complaints Pending at the end of the year	**0**	11

13. Details of Letter of Comfort issued by banks and outstanding as on 31.3.2017

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Letter of Comforts issued during the year	2948.85	2137.83
Letter of Comforts matured/cancelled during the year	2971.23	4146.44
Letter of Comforts outstanding as at the end of year	1273.57	1295.95

The above mentioned Letters of Comfort are issued within the sanctioned Trade Credit Limits.

14. Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The PCR (ratio of Provisioning to Gross NPA) stood at 58.43 % (Previous Year 51.52%)

15. As per the information complied by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. This is relied upon by the Auditors.

16. Unhedged Foreign Currency exposure:

Unhedged Foreign Currency exposure as on 31.03.2017: ₹ 18322.28 crore

Provisions held as on 31.03.2017: ₹ 41.53 Crore

17. Provision for Frauds :

In terms of RBI circular RBI/2015-16/376/DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2016-16 dated 18.04.2016, details of Fraud and Provision are as below:-

(₹ in crore)

YEAR	No. of Frauds Reported	Amount Involved	Provision Made	Un-Amortised Provision	Un-Amortised Provision as on Date 31.03.2017
2016-17	186	801.54	801.54	NIL	NIL

(₹ in crore)

YEAR	No. of Frauds Reported	Amount Involved	Provision Made	Un-Amortised Provision	Un-Amortised Provision as on Date 31.03.2016
2015-16	218	178.22	138.91	39.31	NIL

18. Credit Default Swaps

Bank has not taken any position in Credit Default Swap in the financial year 2016-17.

19. Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds

The bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No.6/31.02.008/2010-11dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis.

20. Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (Accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2017

(₹ in crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
14	2849.44	0	1113.28	0	1736.16	0

21. Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2017

(₹ in crore)

NO of project Loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as Standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
1	27.82	27.82	0

22. Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A) as on 31.03.2017

(₹ in crore)

	No. of Accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held
			In Part - A	In Part B	
Classified as Standard	5	933.22	511.35	421.87	186.64
Classified as NPA	0	0	0	0	0

23. Disclosure of Flexible Structuring Of Existing Loans

(₹ in crore)

Period	No of Borrower taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
For year ended on 31.03.2017	6	629.11	0.00	7.56	18.08
For year ended on 31.03.2016	8	2454.66	1901.71	4.95	14.84

24. Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period) as on 31.03.2017

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

25. Disclosure of Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

As the additional provisioning requirements and additional Gross NPA assessed by RBI for FY 2015-16 exceeded 15% of the published Net Loss after Tax and incremental Gross NPA respectively, the following disclosure is made pursuant to RBI circular no. DBR.BP.BC.No. 63/21.04.018/2016-17 dated 18.04.2017 regarding Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Bank	22720.88
2.	Gross NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	24818.03
3.	Divergence in Gross NPAs (2 – 1)	2097.15
4.	Net NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Bank	13241.80
5.	Net NPAs as on March 31,2016 as assessed by RBI	14644.35
6.	Divergence in Net NPAs (5 – 4)	1402.55
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Bank	8238.00
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	8932.60
9.	Divergence in provisioning (8 – 7)	694.60
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016	(1418.19)
11.	Adjusted (Notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016 after taking into account the divergence in provisioning	(2112.79)

26. Priority Sector Lending Certificate (PSLC) sold under General Category. The details are as under:-

Sr. No.	Transaction date	Amount (₹ in Crore)	ROI(%)	Income (₹ in Crore)
1.	23.09.2016	200.00	1.90	3.80
2.	01.03.2017	300.00	1.00	3.00
3.	31.03.2017	65.00	0.10	0.07
4.	31.03.2017	500.00	0.05	0.25
	Total	**1065.00**		**7.12**

27. Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm to current year's classification.

P. RAMANA MURTHY	**B.K. DIVAKARA**	**RAJEEV RISHI**
EXECUTIVE DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

SUPRATIM BANDYOPADHYAY
DIRECTOR

KETUL R. PATEL
DIRECTOR

N. NITYANANDA
DIRECTOR

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M. No.049289

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA R.P.SINGH)
PARTNER
M.No.052438

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P.CHATURVEDI)
PARTNER
M.No,015585

For S.K.MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA S.K. MEHTA)
PARTNER
M.No.010870

Place : Delhi
Date : May 13, 2017

CENTRAL BANK OF INDIA
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2017	31- 03- 2016
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit/(Loss) before taxes	(3,528.90)	(2,669.48)
I	**Adjustments for:**		
	Depreciation on fixed assets	257.37	239.43
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	394.42	850.61
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	6,215.97	5,397.47
	Provision for Standard Assets	(163.81)	(1,250.42)
	Provision for Other items (Net)	170.95	314.76
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	1.24	(74.31)
	Dividend Received from Subsidiaries	(12.82)	(10.03)
	Sub total	**3,334.42**	**2,798.03**
II	**Adjustments for :**		
	Increase / (Decrease) in Deposits	30,487.00	10,611.80
	Increase / (Decrease) in Borrowings	657.56	(16,766.24)
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(2,511.47)	(978.09)
	(Increase) / Decrease in Advances	34,394.85	4,320.89
	(Increase) / Decrease in Investments	(3,621.76)	21.81
	(Increase) / Decrease in Other Assets	197.62	1,246.79
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(1,090.91)	(946.83)
	Sub total	**58,512.89**	**(2,489.87)**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**61,847.31**	**308.16**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	3.06	117.07
	Purchase of Fixed Assets	(191.53)	(305.97)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	12.82	10.03
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(175.65)**	**(178.87)**

CENTRAL BANK OF INDIA
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2017	31- 03- 2016
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Share Capital (Including Share Premium)	1,453.79	165.57
	Share Application Money	100.00	535.00
	Dividend - Equity shares Inculding Interim Dividend	-	(82.91)
	Dividend Tax	-	(16.18)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**1,553.79**	**601.48**
D	**Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)**	**63,225.45**	**730.77**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	14,069.51	14,114.85
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,471.54	695.43
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	**15,541.05**	**14,810.28**
F	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	75,086.76	14,069.51
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	3,679.74	1,471.54
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	**78,766.50**	**15,541.05**

Notes:

1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard-3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.

2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

P. RAMANA MURTHY	B.K. DIVAKARA	RAJEEV RISHI
EXECUTIVE DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Delhi

Date : May 13, 2017

SAURABH GARG	**SHEKHAR BHATNAGAR**	**SUPRATIM BANDYOPADHYAY**
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR
KETUL R. PATEL	**N. NITYANANDA**	
DIRECTOR	DIRECTOR	

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M. No.049289

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA R.P.SINGH)
PARTNER
M.No.052438

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P.CHATURVEDI)
PARTNER
M.No,015585

For S.K.MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA S.K. MEHTA)
PARTNER
M.No.010870

Place : Delhi
Date : May 13, 2017

PILLAR 3 (BASEL II) DISCLOSURES AS ON 31.03.2017

Table DF-1

1. Scope of application

Qualitative Disclosures:

a. Parent Bank: Central Bank of India

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

b. In the consolidated accounts, bank's subsidiaries/associates are treated as under:

(b.i) Bank's Subsidiaries: The details of Bank's subsidiaries are as under:

S. No.	Name of Subsidiary	Ownership
1	Cent Bank Home Finance Ltd.	64.40%
2	Cent Bank Financial Services Ltd	100%

The subsidiaries of parent bank are consolidated on line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of subsidiaries with the respective item of the parent and after eliminating material intra-group balances/transactions, unrealized profit/loss and making necessary adjustments wherever possible to confirm to accounting policies, based on data received from these subsidiaries duly certified by their respective auditors. The financial statements of the subsidiaries have been drawn up to the same reporting date as that of parent i.e. 31st March 2017. The accounting standard followed for the consolidation of the financial statements of subsidiaries is AS- 21.

(b.ii) Associates: The Bank's associates are as under:

S. No.	Name of Regional Rural Banks	Ownership
I	**Regional Rural Banks**	
1	Central Madhyapradesh Gramin Bank, Chhindwara	35%
2	Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur	35%
3	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Bihar	35%
II	Indo-Zambia Bank Ltd., Zambia.	20%

The accounting standard followed for accounting investments in Associates in consolidated financial statements is as per AS-23 issued by ICAI. The method followed is equity.

The financial statement of INDO Zambia Bank Ltd., considered as an associate has been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standard. All Regional Rural Banks and one associate are in the nature of financial entities.

For computation of CRAR of the Bank, investment in Subsidiaries and Regional Rural Banks are deducted from Tier I and Tier II capital equally.

CRAR is calculated for bank on standalone basis.

Quantitative Disclosures

(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries: NIL

(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities is NIL.

Table DF-2

2. Capital structure

Qualitative Disclosures

a) Equity capital

The bank has authorized capital of Rs.5000.00 Crore as on 31st March2017the bank has issued, subscribed and paid up equity capital of Rs.1902 crore, constituting 1902170964 Number of shares of Rs.10 each.

Out of this, 81.28% shareholding constituting 1546139179 numbers of equity shares is with the Government of India as of 31st March 2017.

2.1 Debt capital instruments

2.2.1 Details of TIER I Capital

TIER I CAPITAL	ISSUE DATE	PERIODS IN MONTH	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
IPDI	28.09.2012	Perpetual	Perpetual	139.10	9.40% p.a.
			TOTAL	**139.10**	

2.2.2 Details of Upper TIER II Bonds

SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
Upper Tier II (Sr-I)	14.11.2008	14.11.2023	300.00	11.45% p.a. Step up of 50bps from 11th year (11.95% till maturity)
Upper Tier II (Sr-II)	17.02.2009	17.02.2024	285.00	9.40% p.a Step up of 50bps from 11th year (9.90% till maturity)
Upper Tier II (Sr-III)	23.06.2009	23.06.2024	500.00	8.80% p.a. Step up of 50bps from 11th year (9.30% till maturity)
Upper Tier II (Sr-IV)	20.01.2010	20.01.2025	500.00	8.63% p.a. Step up of 50bps from 11th year (9.13% till maturity)
Upper Tier II (Sr-V)	11.06.2010	11.06.2025	1000.00	8.57% p.a. Step up of 50bps from 11th year (9.07% till maturity)
Upper Tier II (Sr-VI)	21.01.2011	21.01.2026	300.00	9.20%p.a. Till redemption
		TOTAL	**2885.00**	

2.2.3 Details of Subordinated Bonds

Lower Tier II SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
XII	03.03.2008	03.05.2017	389.10	9.20%p.a.
XIII	10.02.2009	10.04.2018	270.00	9.35%p.a.
XIV	21.12.2011	21.12.2026	500.00	9.33%p.a.
		TOTAL	**1159.10**	

2.2.4 Details of Basel III Compliant Bond –Tier 2

Tier II SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
SR I	08.11.2013	08.11.2023	1000.00	9.90% p.a.
SR II	07.03.2017	07.05.2027	500.00	8.62% p.a.
		TOTAL	**1500.00**	

Quantitative Disclosures

₹ in crores

b)	**Tier 1 capital**	**12358**
	with separate disclosure of:	
	■ paid-up share capital	**1902**
	■ reserves	**12822**
	■ innovative instruments: IPDI –	**139**
	■ amounts deducted from Tier 1 capital	
	investments	**152**
	intangibles - DTA	**2354**
(c)	**Tier 2 capital** (net of deductions from Tier 2 capital):	**7112**
(d)	**Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital**	
	■ Total amount outstanding-	**2885**
	■ Of which amount raised during the current year –	**NIL**
	■ Amount eligible to be reckoned as capital funds –	**2885**
(e)	**Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital**	
	■ Total amount outstanding –	**2659**
	■ Of which amount raised during the current year	**500**
	■ Amount eligible to be reckoned as capital funds –	**2054**
(f)	**Other deductions from capital –**	**152**
(g)	**Total eligible capital.**	**19470**

Table DF-3

3. Capital Adequacy

Qualitative disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assess the adequacy of its capital to support current and future activities

The bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the capital to Risk Weight Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.

The bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk.

The bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio prescribed under Pillar I; the risks that are not at all taken into account by the pillar I; and the factors external to the bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital as per the risk appetite. The bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario on its CRAR.

The bank reviews the ICAAP on quarterly basis.

Bank has taken initiatives to migrate to advanced approaches for Capital Adequacy Computation, Bank has already appointed the consultant & system integrator vendor for moving to advanced approach.

	₹ in Crores
Quantitative disclosures	
(b) Capital requirements for credit risk at 9%:	
Portfolios subject to standardized approach –	
■ Fund based	11363
■ Non-fund based	1160
■ Securitization exposures	NIL
(c) Capital requirements for market risk:	
■ Standardized duration approach:	
- Interest rate risk –	736
- Foreign exchange risk (including gold) –	4
- Equity risk –	753
(d) Capital requirements for operational risk:	
■ Basic indicator approach –	1181
(e) Total capital ratio –	11.28%
Tier 1 capital ratio	7.16%

General qualitative disclosure requirement

A committee of Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market etc. The bank also has separate committees for each risk comprising of top executives of bank headed by Chairman and Managing Director/ Executive directors such as Asset liability Management committee, Credit policy Committee, Operational Risk committee. These committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at central office level which is headed by General Manager; measures, control and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by various committees. The General Manager is assisted by Deputy General Manager and a team of Assistant General Managers, Chief Managers, Senior Managers and Managers.

At all zonal offices and Regional office, Risk Managers are posted who act as an extended arm of the Risk Management Department of Central Office.

The bank has in place various policies such as Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Stress testing policy, Market Discipline & Disclosure policy, Intra group transaction and exposure policy, Operational risk policy, ALM policy and Investment and Market risk management Policy.

Besides these, the Loan Policy prescribing broad parameters governing loan functions, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authorities, exposure norms, prudential limits and measures, monitoring and controlling the credit portfolio is also in place.

The Credit Monitoring Department headed by General Manager monitors the loan portfolio, identify special mention accounts and take corrective measures. Loan review mechanism is also carried out by the department apart from processing and monitoring of accounts under CDR mechanism.

The bank has introduced rating models for various segments of borrowers including retail lending schemes which measures the risk associated with counter parties and helps in credit and pricing decisions. In case of large borrowers, credit risk assessment models evaluate financial risk, Industry risk, Management risk and business risk of the counter party and each of these risks are scored separately then overall rating is accorded to the counter party. Facility rating module is also available in the rating tool. Where parental support is available the same is also factored in rating, if corporate guarantee is available to the borrower. In order to keep the portfolio of Bank as 100% rated, rating scoring sheets for Mudra loan viz Shishu, Kishor & Tarun have also been introduced.

Table DF-4

Credit risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

Credit risk

Definitions of past due and impaired

A Non Performing Asset shall be a loan or an advance where-

(i) Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90days in respect of a Term Loan;

(ii) The account remains out of order for 90 days

(iii) The bill remains overdue for a period of more than 90days in the case of bills Purchased and Discounted

(iv) In case of advances granted for Agricultural purposes

a) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops

b) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops

(v) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.

(vi) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark to- market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Out of Order:

An account should be treated as “out of Order” if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating accounts is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credit are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,

- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in inter Bank Exposure,
- Country risk and other operational matters.

		(Rs. in crores)
Quantitative Disclosures:		
(a)	**Total gross credit risk exposures:**	
	Fund based:	320929
	Non-fund based:	34135
(b)	**Geographic distribution of exposures:**	
	■ Overseas	23
	■ Domestic	355042

(c)

	Industry Name	Funded	Non-Funded
A.	Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	214	145
	A.1 Coal	78	140
	A.2 Others	136	5
B.	Food Processing (B.1 to B.5)	7509	2677
	B.1 Sugar	2946	558
	B.2 Edible Oils and Vanaspati	1267	1513
	B.3 Tea	272	1
	B.4 Coffee	2	0
	B.5 Others	3022	606
C.	Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	195	0
	C.1 Tobacco and tobacco products	10	0
	C.2 Others	185	0
D.	Textiles	7265	1809
	D.1 Cotton	3517	232
	D.2 Jute	146	36
	D.3 Man-made,	17	0
	D.4 Others	3585	1542
	Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	86	0
E.	Leather and Leather products	78	12
F.	Wood and Wood Products	101	46
G.	Paper and Paper Products	571	283
H.	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	1193	148
I.	Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	4273	1145
	I.1 Fertilizers	1336	2
	I.2 Drugs and Pharmaceuticals	1335	806
	I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	368	36
	I.4 Others	1234	301

Industry Name	Funded	Non-Funded
J. Rubber, Plastic and their Products	256	95
K. Glass & Glassware	48	2
L. Cement and Cement Products	1791	199
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	12385	2668
M.1 Iron and Steel	9687	2183
M.2 Other Metal and Metal Products	2698	485
N. All Engineering (N.1 + N.2)	5070	5187
N.1 Electronics	797	130
N.2 Others	4273	5057
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	925	791
P. Gems and Jewellery	1803	400
Q. Construction	7363	1669
R. Infrastructure (a to d)	49219	3724
R.a Transport (a.1 to a.6)	10573	564
R.a.1 Roads and Bridges	6933	285
R.a.2 Ports	685	60
R.a.3 Inland Waterways	108	0
R.a.4 Airport	1262	7
R.a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	1583	212
R.a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	4	0
b. Energy (b.1 to b.6)	29799	753
b.1 Electricity (Generation)	13539	645
b.1.1 Central Govt PSUs	1353	0
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	3331	350
b.1.3 Private Sector	8856	295
b.2 Electricity (Transmission)	895	90
b.2.1 Central Govt PSUs	0	0
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	370	90
b.2.3 Private Sector	525	0
b.3 Electricity (Distribution)	13174	18
b.3.1 Central Govt PSUs	0	0
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	13146	0
b.3.3 Private Sector	28	18
R.b.4 Oil Pipelines	1123	0
R.b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	841	0
R.b.6 Gas Pipelines	227	0
R.c. Water and Sanitation (c.1 to c.7)	1085	38
R.c.1 Solid Waste Management	80	0
R.c.2 Water supply pipelines	0	0
R.c.3 Water treatment plants	309	38
R.c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	696	0

Industry Name	Funded	Non-Funded
R.c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	1	0
R.c.6 Storm Water Drainage System	0	0
R.c.7 Slurry Pipelines	0	0
R.d. Communication (d.1 to d.3)	3051	2116
R.d.1 Telecommunication (Fixed network)	0	0
R.d.2 Telecommunication towers	2145	0
R.d.3 Telecommunication and Telecom Services	906	2116
R.e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	3812	49
R.e.1 Education Institutions (capital stock)	1152	32
R.e.2 Hospitals (capital stock)	368	0
R.e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	498	12
R.e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	1722	5
R.e.5 Fertilizer (Capital investment)	40	0
R.e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	32	0
R.e.7 Terminal markets	0	0
R.e.8 Soil-testing laboratories	0	0
R.e.9 Cold Chain	0	0
R.f. Others, if any, please specify	898	203
S. Other Industries, pl. specify	9896	405
All Industries (A to S)	110157	21405
Residuary other advances (to tally with gross advances)	114463	5263
Total	**224620**	**26668**

(d) Residual contractual maturity breakdown of Assets:

Day 1	4259
02days to 07days:	2975
08days to 14days:	1417
15days to 30days:	5070
31days to 3months:	5104
Above 3months to 6months:	5003
Above 6months to 12months:	8459
Above 12months to 36months:	74114
Above 36months to 60months:	23799
Over 60 month	101294
Total	**231494**

(e)	**Amount of NPAs (Gross) –**	**27251**
	■ Substandard	6033
	■ Doubtful	20536
	■ Loss	682
(f)	**Net NPAs**	**14218**
(g)	**NPA Ratios**	
	■ Gross NPAs to gross advances	17.81%
	■ Net NPAs to net advances	10.20%
(h)	**Movement of NPAs (Gross)**	
	■ Opening balance	22721
	■ Additions	10488
	■ Reductions	5957
	■ NPA (Gross)	27251
(i)	**Movement of provisions for NPAs**	
	■ Opening balance	8238
	■ Provisions made during the period	6028
	■ Write-off	-
	■ Write-back of excess provisions	2403
	■ Closing balance	11862
(j)	**Amount of Non-Performing Investments**	560
(k)	**Amount of provisions held for non-performing investments**	389
(l)	**Movement of provisions/depreciation on investments:**	
	■ Opening balance	1027
	■ Provisions made during the period	768
	■ Write-off	-
	■ Write back of excess provision	99
	■ Closing balance	1696

Table DF-5

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures

a. The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.

b. The Bank has recognized the ratings issued by six External Credit Rating Agencies identified by RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., India ratings and research pvt ltd, SMERA rating ltd and BRICKWORK to rate the exposures of its clients.

c. These agencies rate all fund and non-fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the bank's clients are adopted for assigning risk-weights.

d. In case of bank's investment in particular issues of Corporate, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight.

	₹ in crores
Quantitative Disclosures:	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	
■ Below 100 % risk weight:	253584
■ 100 % risk weight:	52531
■ More than 100 % risk weight:	48950
■ Amount Deducted-CRM	12609

Table DF-6

Credit risk mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

- Policies and processes for collateral valuation and management;

 Bank has well defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by bank are cash and near cash securities, land and building, plant and machinery etc.

- A description of the main types of collateral taken by the bank;

 Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines.

 RBI guidelines recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.

	₹ in crores
Quantitative Disclosures	
(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:	
■ eligible financial collateral;	
Fund based	10491
Non fund based	2118

Table DF-7

SECURITISATION: Disclosure for Standardized approach.

Qualitative Disclosures:		
NIL		
		₹ in crores
Quantitative Disclosures		
Banking Book		
(d)	The total amount of exposures securitized by the bank	NIL
(e)	For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken down by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g)	Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h)	The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i)	Aggregate amount of :	
	- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	Nil
	- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(j)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	Nil
	Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil
Quantitative Disclosures		
Trading Book:		
(k)	Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	Nil
(l)	Aggregate amount of :	
	- On balance sheet securitization exposures retained or	Nil
	purchased broken down by exposure type and	Nil
	- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(m)	Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	
	- securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure risk measure for specific risk: and	Nil
	- securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	Nil
(n)	Aggregate amount of :	
	- The capital requirement s for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	Nil
	- exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil

Table DF-8

Market risk in trading book

Qualitative disclosures

The bank has well defined Investment and Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.

Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market process, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.

The bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.

Policies for management of Market Risk:

The bank has put in place board approved Investment and Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policies which also deal with Market Risk Management are Asset Liability Management Policy and Policy on Foreign Exchange Operations.

The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with bank's expectations of return through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.

Asset-Liability Management

The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels of financial risk. The goal of bank is to maximize its profitability, but do so in a manner that does not expose the bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate a bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Bank is regularly submitting LCR return and has also put in place contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.

Interest rate risk

Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and economic Value of Equity.

Quantitative disclosures

Capital Requirement for Market Risk	Capital Charge
Interest Rate Risk	₹ 736 Cr
Equity Position Risk	₹ 753Cr
Foreign Exchange Risk	₹ 4 Cr
TOTAL	**₹ 1493 Cr**

Table DF-9

Operational risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk Management in the Bank is guided by a well defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and has started collation of data pertaining to Operational Risk loss events through Loss Data Management, Risk & control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI) & Scenario Analysis. Bank is also a member of loss data consortium 'CORDEx' for external loss data base.

The Bank had already approached RBI for moving to The Standardised Approach and is now making efforts to move directly to Advance Measurement Approach.

The bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2017 is Rs.1181 Crores.

Table DF-10

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosure:

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)

The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.

2) Economic Value of Equity:

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.

Quantitative Disclosure:	
Parameter of Change	**₹ in Crores**
1. Impact on Earnings at 100 bps increase in interest rate across assets and liability	274
2. Market value of Equity: 200 bps change	226

YOGESH RAI
DY. GENERAL MANAGER

REVATHI THIAGARAJAN
GENERAL MANAGER

(P. RAMANA MURTHY)
EXECUTIVE DIRECTOR

(B.K. DIVAKARA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJEEV RISHI)
CHAIRMAN &MANAGING DIRECTOR

PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES AS ON 31.03.2017

Table DF-1: Scope of Application

(i) Qualitative Disclosures:

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

In the consolidated accounts (disclosed annually), bank's subsidiaries/associates are treated as under

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21.	No	NA	NA	Deduction of Investments from capital
Cent Bank Financial Services Ltd./ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21	No	NA	NA	Deduction of Investments from capital
Central Madhyapradesh GB/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Bihar/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets
Indo-Zambia Bank Ltd. / Zambia.	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Risk Weighted Assets

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NO SUCH ENTITY					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs. in Mn	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs. in Mn
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	The main objective of the Company is to provide housing finance	250	14015
Cent Financial Services Ltd./ India	Providing investment banking products / services to corporate clients	50	440
Central Madhyapradesh GB/ India	Regional Rural Bank	2464	77418
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Regional Rural Bank	4545	187758
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Bihar/ India	Regional Rural Bank	908	30878

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted: NIL

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted: NIL

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: NIL

Table DF-2: Capital Adequacy

Qualitative disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assess the adequacy of its capital to support current and future activities

The bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the capital to Risk Weight Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.

The bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk.

The bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio

prescribed under Pillar I; the risks that are not at all taken into account by the pillar I; and the factors external to the bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital as per the risk appetite. The bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario on its CRAR.

The bank reviews the ICAAP on quarterly basis.

Bank has taken initiatives to migrate to advanced approaches for Capital Adequacy Computation, Bank has already appointed a consultant &a system integrator vendor for moving to advanced approach.

Quantitative disclosures		
(b)	**Capital requirements for credit risk:**	
	• Portfolios subject to standardized approach @9%	Rs. 130656 mn
	• Securitization exposures :	NIL
(c)	**Capital requirements for market risk:**	
	• Standardized duration approach;	
	- Interest rate risk	Rs. 7377 mn
	- Foreign exchange risk (including gold)	Rs. 40mn
	- Equity risk	Rs 7532 mn
(d)	**Capital requirements for operational risk:**	
	• Basic Indicator Approach	Rs. 11806mn
(e)	**Common Equity Tier 1, Tier 1and Total Capital ratios:**	
	• Common Equity Tier 1	8.62%
	• Tier 1	8.62%
	• Total Capital ratio	10.95%

General qualitative disclosure requirement

A committee of board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market etc. The bank also has separate committees for each risk comprising of top executives of bank headed by Chairman and Managing Director/ Executive directors such as Asset liability Management committee, Credit policy Committee, Operational Risk committee. These committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at central office level which is headed by General Manager; measures, control and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by various committees. The General Manager is assisted by Deputy General Manager and a team of Assistant General Managers, Chief Managers, Senior Managers and Managers.

At all zonal offices and Regional office, Risk Managers are posted who act as an extended arm of the Risk Management Department of Central Office.

The bank has in place various policies such as Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Stress testing policy, Market Discipline &Disclosure policy, Intra group transaction and exposure policy, Operational risk policy, ALM policy and Investment and Market risk management Policy.

Besides these, the Loan Policy prescribing broad parameters governing loan functions, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authorities' exposure norms, prudential limits and measures, monitoring and controlling the credit portfolio is also in place.

The Credit Monitoring Department headed by General Manager monitors the loan portfolio, identify special mention accounts and take corrective measures. Loan review mechanism is also carried out by the department apart from processing and monitoring of accounts under CDR mechanism.

The bank has introduced rating models for various segments of borrowers including retail lending schemes which measures the risk associated with counterparties and helps in credit and pricing decisions. In case of large borrowers, credit risk assessment models evaluate financial risk, Industry risk, Management risk and business risk of the counter party and each of these risks are scored separately then overall rating is accorded to the counter party. Facility rating module is also available in the rating tool. Where parental support is available the same is also factored in rating, if corporate guarantee is available to the borrower. In order to keep the portfolio of Bank as 100% rated, rating scoring sheets for Mudra loan viz Shishu, Kishor & Tarun also introduced.

Table DF-3

Credit risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

Credit risk

Definitions of past due and impaired

A Non-Performing Asset shall be a loan or an advance where-

(i) Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90days in respect of a Term Loan;

(ii) The account remains out of order for 90 days

(iii) The bill remains overdue for a period of more than 90days in the case of bills Purchased and Discounted

(iv) In case of advances granted for Agricultural purposes

 a) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops

 b) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops

(v) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.

(vi) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark to- market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Out of Order:

An account should be treated as “out of Order” if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating accounts is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credit are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,

- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in inter Bank Exposure,
- Country risk and other operational matters.

	(Rs. in Mn)
Quantitative Disclosures:	
(a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based*:	3209294
Non-fund based:	341349
*includes cash ,balances with banks , investments etc	
(b) Geographic distribution of exposures:	
■ Overseas	226
■ Domestic	3550417

(c)

Industry Name	Rs. in Mn	Rs. in Mn
	Funded	**Non-Funded**
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	2142	1446
A.1 Coal	778	1400
A.2 Others	1364	46
B. Food Processing (B.1 to B.5)	75089	26769
B.1 Sugar	29461	5576
B.2 Edible Oils and Vanaspati	12673	15126
B.3 Tea	2716	12
B.4 Coffee	17	0
B.5 Others	30222	6055
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	1949	0
C.1 Tobacco and tobacco products	99	0
C.2 Others	1850	0

Industry Name	Rs. in Mn	Rs. in Mn
	Funded	Non-Funded
D. Textiles	72649	18095
D.1 Cotton	35171	2320
D.2 Jute	1456	360
D.3 Man-made, of which	172	0
D.4 Others	35849	15415
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	858	0
E. Leather and Leather products	784	121
F. Wood and Wood Products	1007	459
G. Paper and Paper Products	5712	2832
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	11933	1479
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	42729	11448
I.1 Fertilizers	13361	18
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	13350	8061
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	3682	360
I.4 Others	12337	3009
J. Rubber, Plastic and their Products	2563	951
K. Glass & Glassware	482	23
L. Cement and Cement Products	17910	1992
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	123849	26678
M.1 Iron and Steel	96866	21830
M.2 Other Metal and Metal Products	26983	4849
N. All Engineering (N.1 + N.2)	50700	51865
N.1 Electronics	7967	1296
N.2 Others	42733	50569
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	9252	7914
P. Gems and Jewellery	18030	4003
Q. Construction	73630	16687
R. Infrastructure (a to d)	492195	37239
R.a Transport (a.1 to a.6)	105734	5643
R.a.1 Roads and Bridges	69327	2854
R.a.2 Ports	6846	600
R.a.3 Inland Waterways	1078	0
R.a.4 Airport	12616	68
R.a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	15825	2120
R.a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	43	0
b. Energy (b.1 to b.6)	297994	7535
b.1 Electricity (Generation)	135395	6448
b.1.1 Central Govt PSUs	13530	0
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	33310	3500
b.1.3 Private Sector	88555	2948

Industry Name	Rs. in Mn	Rs. in Mn
	Funded	Non-Funded
b.2 Electricity (Transmission)	8949	904
b.2.1 Central Govt PSUs	0	0
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	3701	904
b.2.3 Private Sector	5248	0
b.3 Electricity (Distribution)	131738	183
b.3.1 Central Govt PSUs	0	0
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	131459	1
b.3.3 Private Sector	279	182
R.b.4 Oil Pipelines	11230	0
R.b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	8412	0
R.b.6 Gas Pipelines	2270	0
R.c. Water and Sanitation (c.1 to c.7)	10852	380
R.c.1 Solid Waste Management	800	0
R.c.2 Water supply pipelines	0	0
R.c.3 Water treatment plants	3087	380
R.c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	6958	0
R.c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	7	0
R.c.6 Storm Water Drainage System	0	0
R.c.7 Slurry Pipelines	0	0
R.d. Communication (d.1 to d.3)	30513	21165
R.d.1 Telecommunication (Fixed network)	0	0
R.d.2 Telecommunication towers	21454	0
R.d.3 Telecommunication and Telecom Services	9060	21165
R.e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	38124	487
R.e.1 Education Institutions (capital stock)	11523	320
R.e.2 Hospitals (capital stock)	3678	0
R.e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	4976	122
R.e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	17223	45
R.e.5 Fertilizer (Capital investment)	400	0
R.e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	324	0
R.e.7 Terminal markets	0	0
R.e.8 Soil-testing laboratories	0	0
R.e.9 Cold Chain	0	0
R.f. Others, if any, please specify	8977	2030
S. Other Industries, pl. specify	98962	4053
All Industries (A to S)	1101567	214054
Residuary other advances (to tally with gross advances)	1144633	52628
Total	**2246200**	**266682**

Industry exposure is more than 5% gross exposure

	Funded	Non-Funded
Infrastructure	492195	37239
Basic Metal and Metal Products	123849	26678

(d) Residual maturity breakdown of Performing Assets:

Day 1	42600
02days to 07days:	29752
08days to 14days:	14170
15days to 30days:	50696
31days to 3months:	25606
Above 2 months to 3months:	25431
Above 3 months to 6 months	50030
Above 6 months to 12 months:	84587
Above 1 year to 3year	741140
Above 3 years to 5 years	237986
Over 5 Years	1012940
Total	**2314937**

(e)	**Amount of NPAs (Gross) –**	272513
	■ Substandard	60333
	■ Doubtful 1	88556
	■ Doubtful 2	90876
	■ Doubtful 3	25924
	■ Loss	6824
(f)	**Net NPAs**	142178
(g)	**NPA Ratios**	
	■ Gross NPAs to gross advances	17.81%
	■ Net NPAs to net advances	10.20%
(h)	**Movement of NPAs (Gross)**	
	■ Opening balance	227210
	■ Additions	104878
	■ Reductions	59574
	■ NPA (Gross)	272513

(i)	**Movement of provisions for NPAs**	
	■ Opening balance	82380
	■ Provisions made during the period	60280
	■ Write-off	----
	■ Write-back of excess provisions	24035
	■ Closing balance	118625
(j)	**Amount of Non-Performing Investments**	5601
(k)	**Amount of provisions held for non-performing investments**	3894
(l)	**Movement of provisions/depreciation on investments:**	
	■ Opening balance	10272
	■ Provisions made during the period	7684
	■ Write-off	NIL
	■ Write back of excess provision	990
	■ Closing balance	16966

Table DF-4

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures

a. The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.

b. The Bank has recognized the ratings issued by six External Credit Rating Agencies identified by RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., India ratings and research pvt ltd, SMERA rating ltd and BRICKWORK to rate the exposures of its clients.

c. These agencies rate all fund and non fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the bank's clients are adopted for assigning risk-weights.

d. In case of bank's investment in particular issues of Corporate, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight.

	Rs. in Mn
Quantitative Disclosures:	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	
■ Below 100 % risk weight:	2550659
■ 100 % risk weight	525308
■ More than 100 % risk weight	515962
■ Amount Deducted-CRM	126088

Table DF-5

Credit risk mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

- Policies and processes for collateral valuation and management;

 Bank has well defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by bank are cash and near cash securities, land and building, plant and machinery etc.

- A description of the main types of collateral taken by the bank;

 Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines.

 RBI guidelines recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.

	Rs. in Mn.
Quantitative Disclosures	
(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:	
■ eligible financial collateral;	104909
■ Fund based	21179
Non fund based	

Table DF-6

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures:		
NIL		
		Rs. in Mn
Quantitative Disclosures		
Banking Book		
(d)	The total amount of exposures securitized by the bank	NIL
(e)	For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken down by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g)	Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h)	The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i)	Aggregate amount of :	
	- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	NIL
	- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(j)	Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	Nil

	Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil
Quantitative Disclosures		
Trading Book:		
(k)	Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	Nil
(l)	Aggregate amount of :	
	- On balance sheet securitization exposures retained or	Nil
	purchased broken down by exposure type and-	Nil
	- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(m)	Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	
	- securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure risk measure for specific risk: and	Nil
	- securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	Nil
(n)	Aggregate amount of :	
	- The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	Nil
	- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil

Table DF-7

Market risk in trading book

Qualitative disclosures

The bank has well defined Investment and Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.

Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market process, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.

The bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.

Policies for management of Market Risk:

The bank has put in place board approved Investment and Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policys which also deal with Market Risk Management are Asset Liability Management Policy and policy on foreign exchange operation.

The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with bank's expectations of return through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.

Asset-Liability Management

The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels of financial risk. The goal of bank is to maximize its profitability, but do so in a manner that does not expose the bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate a bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Bank is regularly submitting LCR returns and has also put in place contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management. Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.

Interest rate risk

Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and economic Value of Equity.

Quantitative disclosures

Capital Requirement for MLarket Risk	Capital Charge (Rs. in Mn)
Interest Rate Risk	Rs.7377
Equity Position Risk	Rs.7532
Foreign Exchange Risk	Rs. 40
TOTAL	**Rs14949**

Table DF-8

Operational risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk Management in the Bank is guided by a well defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and has started collation of data pertaining to Operational Risk loss events through Loss Data Management, Risk & control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI) & Scenario Analysis. Bank is also a member of loss data consortium 'CORDEx' for external loss data base.

The Bank had already approached RBI for moving to The Standardized Approach and is now making efforts to move directly to Advance Measurement Approach.

The bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2017 is Rs.11806 mn.

Table DF-9

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosure:

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)

 The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.

2) Economic Value of Equity:

 Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.

Quantitative Disclosure	
Parameter of Change	**Rs. in Mn**
1. Impact on Earnings at 100 bps increase in interest rate across assets and liability	2741
2. Market value of Equity: 200 bps change	2257

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

<table>
<tr><td>Qualitative Disclosures</td><td>(a)</td><td>The bank assigns credit limits for counterparty exposure on the basis of capital adequacy, asset quality, earnings, liquidity and management quality.
The bank has well defined investment and market risk management policy.
The Bank deals in various derivative products and interest Rate Swaps. The bank used derivative products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Quantitative Disclosures</td><td>(b)</td><td>Rs. in Mn
<table><tr><th>Particulars</th><th>Amount</th></tr><tr><td>Gross positive value of contracts</td><td>638</td></tr><tr><td>Netting Benefits</td><td>0</td></tr><tr><td>Netted current credit exposure</td><td>638</td></tr><tr><td>Collateral held</td><td>0</td></tr><tr><td>Net Derivative Credit Exposure</td><td>1469</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>(c)</td><td>Rs. in Mn
<table><tr><th>Item</th><th>Notional Amount</th><th>Current credit Exposure</th></tr><tr><td>Forward Forex contracts</td><td>55054</td><td>1420</td></tr><tr><td>Cross Currency Swaps including cross currency interest rate swaps</td><td>2414</td><td>47</td></tr><tr><td>Interest rate Contracts</td><td>250</td><td>2</td></tr></table></td></tr>
</table>

Table DF-11: Composition of Capital

Part I: Template to be used only from March 31, 2017

Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017			**Ref No.**
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		**Rs. in Mn**	
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	19022	A1
2	Retained earnings	-49727	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	184977	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**154272**	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0	0
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	0
9	Intangibles (net of related tax liability)	0	0
10	Deferred tax assets	0	0
11	Cash-flow hedge reserve	0	0
12	Shortfall of provisions to expected losses	0	0
13	Securitisation gain on sale	0	0
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0	0
15	Defined-benefit pension fund net assets	0	0
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0	0
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	0	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0	0
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	269	
20	Mortgage servicing rights(amount above 10% threshold)	0	0
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0	0
22	Amount exceeding the 15% threshold	0	0
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0	0
24	of which: mortgage servicing rights	0	0
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0	0
26	National specific regulatory adjustments7 (26a+26b+26c+26d)	0	0
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0	0
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0	0

26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	0
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0	0
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0	0
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**269**	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**154003**	
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0	B1+B2
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0	
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	0
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**0**	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**0**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**154003**	
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	15000	C3
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	18275	C1+C2
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
50	Provisions (Revaluation reserves, Provision on Standard assets, sale of NPA etc)	8831	
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	42106	
52	Investments in own Tier 2 instruments		

53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	605	0
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**605**	
58	**Tier 2 capital (T2)**	**41501**	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**195504**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**1786172**	
60a	**of which: total credit risk weighted assets**	**1451732**	
60b	**of which: total market risk weighted assets**	**186872**	
60c	**of which: total operational risk weighted assets**	**147569**	
Capital ratios			
61	**Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)**	**8.62%**	
62	**Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)**	**8.62%**	
63	**Total capital (as a percentage of risk weighted assets)**	**10.95%**	
64	**Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)**	**6.75%**	
65	**of which: capital conservation buffer requirement**	**1.25%**	
66	**of which: bank specific countercyclical buffer requirement**	**0.00%**	
67	**of which: G-SIB buffer requirement**	**0.00%**	
68	**Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)**	**0.00%**	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.75%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.25%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.25%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		

79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

(Rs. in Millions)

		Balance sheet as in financial statements	
		As on 31.03.2017	Reference
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	19021	
	of which: Amount eligible for CET 1	19021	A1
	of which: Amount eligible for AT 1	0	B1
	Reserves & Surplus	160490	
	Minority Interest	0	
	Total Capital	**179511**	
ii	**Deposits**	**2966712**	
	of which: Deposits from banks	56987	
	of which: Customer deposits	2909725	
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	
iii	**Borrowings**	**92825**	
	of which: From RBI	110	
	of which: From banks	28921	
	of which: From other institutions & agencies	6962	
	of which: Others (Outside india)	0.00	
	of which:Subordinated Debt	11591	C1
	of which:Upper Tier 2	28850	C2
	of which: Unsecredem NC Basel III Bonds (Tier 2)	15000	C3
	of which: Innovative Perpetual Debt Instrument	1391	B2
iv	**Other liabilities & provisions**	**94972**	
	Total	**3334019**	
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	750868	
	Balance with banks and money at call and short notice	36798	
ii	Investments:	920948	
iii	Loans and advances	1393988	
	of which: Loans and advances to banks	**15**	
	of which: Loans and advances to customers	**1393973**	
iv	Fixed assets	42904	
v	Other assets	188513	
	of which: Goodwill and intangible assets	0	
	of which: Deferred tax assets	0	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0	
	Total Assets	**3334019**	

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

The main features of Tier - 1 capital instruments are given below:

Details	Equity
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, **ISIN** or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A01010
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Common Shares
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	19022
Par value of instrument	Rs. 10 per share
Accounting classification	Shareholder's Equity
Original date of issuance	Various
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A.
Issuer call subject to prior supervisory approval	No
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Floating
Coupon rate and any related index	N.A.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	N.A.
Convertible or non-convertible	N.A.
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and others Creditors, bonds, and PNCPS
Non-compliant transitioned features	No
If yes, specify non-compliant features	

SERIES DETAILS	Sr. II PDI
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, **ISIN** or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09252
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Ineligible
Post-transitional Basel III rules	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Perpetual Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	0
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY
Original date of issuance	28.09.2012
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	28.09.2022
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
Coupon rate and any related index	9.40% p.a.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other Creditors
Non-compliant transitioned features	Yes
If yes, specify non-compliant features	Fully derecognized, Not Basel III Loss absorbency features

The main features of Upper Tier - 2 capital instruments are given below

SERIES DETAILS	Upper Tier II (Sr. I)	Upper Tier II (Sr. II)	Upper Tier II (Sr.III)	Upper Tier II (Sr. IV)	Upper Tier II (Sr. V)	Upper Tier II (Sr. VI)
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA					
Unique identifier (e.g. CUSIP, **ISIN** or Bloomberg identifier for private placement)	INE 483A09179	INE 483A09195	INE 483A09203	INE 483A09211	INE 483A09229	INE 483A08015
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment						
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments
Amount recognized in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1500	1425	2500	2500	5000	1500
Par value of instrument	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn	Rs. 1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	14.11.2008	17.02.2009	23.06.2009	20.01.2010	11.06.2010	21.01.2011
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	14.11.2023	17.02.2024	23.06.2024	20.01.2025	11.06.2025	21.01.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	14.11.2018	17.02.2019	23.06.2019	20.01.2020	11.06.2020	21.01.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Coupons / dividends						
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	11.45%	9.40%	8.80%	8.63%	8.57%	9.20%
Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
Noncumulative or cumulative	Noncumula-tive	Noncumula-tive	Noncumula-tive	Noncumula-tive	Noncumula-tive	Noncumula-tive
Convertible or non-convertible	Nonconvert-ible	Nonconvert-ible	Nonconvert-ible	Nonconvert-ible	Nonconvert-ible	Nonconvert-ible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

SERIES DETAILS	Upper Tier II (Sr. I)	Upper Tier II (Sr. II)	Upper Tier II (Sr.III)	Upper Tier II (Sr. IV)	Upper Tier II (Sr. V)	Upper Tier II (Sr. VI)
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES	YES	YES
If yes, specify non-compliant features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Step up, Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features

The main features of Subordinated Debt capital instruments are given below:

SERIES DETAILS	Lower Tier II Sr XII	Lower Tier II Sr XIII	Lower Tier II Sr XIV
Issuer			
Unique identifier (e.g. CUSIP, **ISIN** or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09161	INE483109187	INE483A09245
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment			
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	0	1350	2500
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	03.03.2008	10.02.2009	21.12.2011

SERIES DETAILS	Lower Tier II Sr XII	Lower Tier II Sr XIII	Lower Tier II Sr XIV
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	03.05.2017	10.04.2018	21.12.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	N.A.	21.12.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.
Coupons / dividends			
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	9.20%	9.35%	9.33%
Existence of a dividend stopper	No	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.	N.A.	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.	N.A.	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.	N.A.	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES
If yes, specify non-compliant features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features	Not Basel III Loss absorbency features

The main features of BASEL III compliant Tier 2 Bonds are given below:

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS	
	SR I	**SR II**
Issuer		
Unique identifier (e.g. CUSIP, **ISIN** or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09260	INE483A09278
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment		
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	ELIGIBLE	ELIGIBLE
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	10000	5000
Par value of instrument	Rs.1.00 Mn	Rs.1.00 Mn
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	08.11.2013	07.03.2017
Perpetual or dated	DATED	DATED
Original maturity date	08.11.2023	07.05.2027
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	07.05.2022
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.
Coupons / dividends		
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	9.90%	8.62%
Existence of a dividend stopper	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS	
	SR I	**SR II**
Write-down feature	YES	YES
If write-down, write-down trigger(s)	These bonds, at the option of the reserve bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger'("ponv trigger")	These bonds, at the option of the reserve bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger'("ponv trigger")
If write-down, full or partial	Partial	Partial
If write-down, permanent or temporary	Temporary	Temporary
If temporary write-down, description of write-up mechanism	1) It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. 2) Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. 3) Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.	It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	NO	NO
If yes, specify non-compliant features	-	-

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sr. No.	Capital type	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity	Equity	As disclosed in Main features section
2.	TIER1	PDI	As disclosed in Main features section
3.	TIER 2	UPPER TIER 2 BONDS	As disclosed in Main features section
4.	TIER 2	SUBORDINATE BONDS	As disclosed in Main features section
5.	TIER 2	BASEL III COMPLIANT BOND	As disclosed in Main features section

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions As on 31.03.2017

Qualitative Disclosures

1	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including: • differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and • Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	Equity HTM investment are in Foreign associate, Indian Subsidiary, Joint Venture, Associates, Regional Rural Banks, IFCI, Central Warehousing Corporation, other strategic investments in FIs (SFCs) As soon as the deal is entered (whether settled or not) necessary vouchers are passed. These vouchers are passed on the basis of deal tickets received from front office, on obtaining of broker confirmation from counter party getting broker's contract note (if the deal is through broker).

Quantitative Disclosures			**Rs. in Mn**
		BOOK VALUE 31.03.2017	**FAIR VALUE 31.03.2017**
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments	3590	3590
	Publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	-	-
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:		
	Publicly traded	-	-
	Privately held.	3590	3590
	JV In India (Cent Bank Home Finance)	219	219
	Associate Outside India (JV in Indo Zambia Bank Ltd)	475	475
	RRBs	2771	2771
	Subsidiaries(Cent Bank Financial Services Ltd)	50	50
	Strategic Investments- Central Ware housing Corporation	21	21
	Strategic Investments-IFCI	40	40
	Strategic Investments-Other FIs (IFCI, GSFC, JKFC, WBFC)	20	20

Quantitative Disclosures			Rs. in Mn
		BOOK VALUE 31.03.2017	FAIR VALUE 31.03.2017
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	-	-
4	Total unrealised gains (losses)	-	-
5	Total latent revaluation gains (losses)	NIL	NIL
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	-	-
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	NA	NA

LEVERAGE RATIO DISCLOSURES AS ON 31.03.2017

LEVERAGE RATIO

The minimum risk-based capital requirements under Basel III will be supplemented by non-risked-based Tier 1 leverage ratio.

Table DF 17- Summary comparison of Accounting assets vs. leverage ratio exposure measure		
	Item	(Rs. in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	2706339
2	Less: Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	89
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	1982
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	613961
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	209468
7	Other adjustments	0
8	Leverage ratio exposure	**3531662**

DF-18: Leverage ratio common disclosure template		
		(Rs. in Million)
	On-balance sheet exposures	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2706339
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	89
3	**Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)**	2706250
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	638
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	1344
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0

8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	1982
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	613112
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0
14	CCR exposure for SFT assets	849
15	Agent transaction exposures	0
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	613961
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	797885
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(588416)
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**209468**
	Capital and total exposures	
20	**Tier 1 capital**	**157859**
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	**3531662**
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio (per cent)**	**4.47%**

YOGESH RAI
DY. GENERAL MANAGER

REVATHI THIAGARAJAN
GENERAL MANAGER

(P. RAMANA MURTHY)
EXECUTIVE DIRECTOR

(B.K. DIVAKARA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(RAJEEV RISHI)
CHAIRMAN &MANAGING DIRECTOR

CHANDABHOY & JASSOOBHOY Chartered Accountants, 208, Phoenix House, A wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel MUMBAI-400013	**LODHA & CO.** Chartered Accountants, 14 Government Place East KOLKATA-700069
PATHAK H. D. & ASSOCIATES Chartered Accountants, 814-815, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, MUMBAI- 400021	**S. K. MEHTA & CO.** Chartered Accountants, 504, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place NEW DELHI-110008

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To

The Board of Directors of Central Bank of India

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Central Bank of India (the "Parent Bank") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") and its associates at March 31, 2017 which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2017 and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies, notes and other explanatory information (hereinafter referred to as "Consolidated Financial Statements"), in which are incorporated:

 (i) Audited accounts of the Parent Bank, audited by us;

 (ii) Audited accounts of two subsidiaries and three associates (Regional Rural Banks) which are audited by other auditors;

 (iii) Audited accounts of one foreign associate has been audited by other auditor for a period of nine months and unaudited accounts for the three months period ended March 31, 2017.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. The management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group and its associates in accordance with the requirement of Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India Guidelines and recognized accounting policies and practices, including the applicable Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's and its associates' preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's and its associates' internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the Consolidated Financial Statements.

5. We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph 8 below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Consolidated Financial Statements.

Opinion

6. Subject to limitations of audit indicated in paragraph 1 to 5 above, disclosure required and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries and associates as noted in Other Matter paragraph 8 below, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Consolidated Financial Statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

 (i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at March 31, 2017;

 (ii) in the case of Consolidated Profit and Loss Account, of the loss for the year ended on that date of the Group and its Associates ; and

 (iii) In the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. We draw attention to:

 Note no. 10 of Schedule 18 regarding Inter- Bank Participation Certificate (IBPC) of ₹ 22,991.22 crores which have been issued on risk sharing basis, for a maximum period of 180 days, thereby reducing the Parent Bank's total advances as on March 31, 2017 by ₹ 22,991.22 crores.

Our opinion is not qualified in respect of above matter.

Other matter

8. We did not audit the following financial statements incorporated in the Consolidated Financial Statements:

 (i) two subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹ 1445.51 crores as at March 31, 2017, total revenue of ₹ 147.17 crores and net cash outflows of ₹ 18.12 crores for the year ended on that date;

 (ii) four associates reflecting share of net loss of ₹ 14.90 crores for the year ended on that date.

 These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion is based solely on the reports of the other auditors.

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA NIRAV J. SANGHVI)
PARTNER
M.No.147529

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA H.K. VERMA)
PARTNER
M.No.055104

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

Place: Mumbai
Date: May 23, 2017

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2017

(000's omitted)

Particulars	Schedule No.	AS AT 31-Mar-2017 Rs.	AS AT 31-Mar-2016 Rs.
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	**19,021,710**	16,897,143
Reserves and Surplus	2	**156,262,574**	162,828,564
Minorities Interest	2A	**346,226**	350,698
Share Application Money Pending Allotment		**6,830,000**	5,350,000
Deposits	3	**2,973,092,266**	2,666,863,037
Borrowings	4	**96,233,038**	95,031,181
Other Liabilities and Provisions	5	**95,163,415**	118,890,830
TOTAL		**3,346,949,229**	**3,066,211,453**
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**750,871,801**	140,702,036
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**37,077,881**	14,994,534
Investments	8	**922,765,612**	890,866,808
Loans & Advances	9	**1,404,643,626**	1,808,951,840
Fixed Assets	10	**42,910,404**	43,601,348
Other Assets	11	**188,591,009**	167,005,990
Goodwill on Consolidation		**88,896**	88,896
TOTAL		**3,346,949,229**	**3,066,211,452**
Contingent Liabilities	12	**833,678,266**	768,077,394
Bills for Collection		**91,689,353**	118,375,835
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet.

P. RAMANA MURTHY	B.K. DIVAKARA	RAJEEV RISHI
EXECUTIVE DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Mumbai
Date : May 23, 2017

SUPRATIM BANDYOPADHYAY	KETUL R. PATEL	N. NITYANANDA
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA NIRAV J. SANGHVI)
PARTNER
M.No.147529

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA H.K. VERMA)
PARTNER
M.No.055104

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

Place : Mumbai
Date : May 23, 2017

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(000's omitted)

	Particulars	Schedule No.	YEAR ENDED 31.03.2017 Rs.	YEAR ENDED 31.03.2016 Rs.
I.	**INCOME**			
	Interest and Dividend Earned	13	247,746,497	259,876,567
	Other Income	14	28,714,687	19,444,718
TOTAL			**276,461,184**	**279,321,285**
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest Expended	15	181,664,503	188,892,984
	Operating Expenses	16	63,782,732	63,776,909
	Provisions and Contingencies		55,426,865	37,708,130
TOTAL			**300,874,100**	**290,378,023**
III.	**PROFIT/(LOSS)**			
	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year of the parent & subsidiaries before Minority Interest & Prior Period Item		(24,412,916)	(11,056,738)
	Less: Prior Period Item		(5,865)	(3,004,923)
	Less: Minority Interest		(25,806)	(47,853)
	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year after deducting Minority's Interest & Prior Period Item		(24,444,587)	(14,109,514)
	Add: Share of earnings/(loss) in Associates		(149,023)	145,863
	Consolidated Profit/(Loss) for the year attributable to the Group		(24,593,610)	(13,963,651)
	Add: Brought forward consolidated Profit/(Loss) attributable to the Group		(22,369,074)	(7,389,809)
	Profit Available for Appropriation		(46,962,684)	(21,353,460)
IV.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to :			
	Statutory Reserve		-	10,000
	Investment Reserve		3,837,383	925,930
	Revenue Reserve		12,081	9,541
	Tax on Dividend		5,711	17,849
	Special Reserve U/S 36 (1) (viii)		38,322	28,710

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(000's omitted)

Particulars	Schedule No.	YEAR ENDED 31.03.2017 Rs.	YEAR ENDED 31.03.2016 Rs.
Appropriation of Deferred Tax Liability on Special Reserve as per NHB guidelines		**27,212**	21,128
CSR Reserves		**1,771**	2,456
Balance Carried over to the Balance Sheet		**(50,885,164)**	(22,369,074)
TOTAL		**(46,962,684)**	**(21,353,460)**
Earnings Per Share (In Rs.)- Basic (Nominal Value Rs 10/- per share)		**(13.46)**	(8.42)
Earnings Per Share (In Rs.)- Diluted (Nominal Value Rs 10/- per share)		**(13.46)**	(8.42)
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit and Loss Account

P. RAMANA MURTHY	B.K. DIVAKARA	RAJEEV RISHI
EXECUTIVE DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Mumbai
Date : May 23, 2017

SUPRATIM BANDYOPADHYAY	KETUL R. PATEL	N. NITYANANDA
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA NIRAV J. SANGHVI)
PARTNER
M.No.147529

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA H.K. VERMA)
PARTNER
M.No.055104

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

Place : Mumbai
Date : May 23, 2017

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2017

(000's Omitted)

Particulars	AS AT 31-Mar-17		AS AT 31-Mar-16	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		**50,000,000**		50,000,000
500,00,00,000 shares of Rs. 10/- each				
Issued Subscribed and Paid up Capital :	**19,021,710**		16,897,143	
1902170964 Equity Shares (previous year 1689714269 equity shares) of Rs. 10/- each (includes 1546139179 Equity Shares (previous year 1350827438 Equity Shares) of Rs. 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		**19,021,710**		**16,897,143**
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	**20,759,131**		20,749,131	
Additions during the year	**-**		10,000	
		20,759,131		20,759,131
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**32,923,456**		18,141,601	
Additions on account of revaluation during the year	**-**		15,861,477	
Less: Transfer to Revenue and Other Reserves	**(869,678)**		(242,973)	
Deductions during the year	**-**		(836,649)	
		32,053,778		32,923,456
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**6,335,315**		5,409,385	
Additions during the year	**3,837,383**		925,930	
		10,172,698		6,335,315
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	**100,895,300**		99,554,023	
Additions/Adjustments during the year	**17,763,339**		1,341,277	
		118,658,639		100,895,300
IV. Revenue and Other Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	**23,148,989**		23,195,883	
Add: Transfer from Capital Reserves	**869,678**		242,973	
Addition during the year	**405,145**		103,220	
Less: Deductions during the year	**-**		(393,087)	
(*) Less: Opening Balance Adjustments	**(94,089)**		-	
		24,329,723		23,148,989
V Special Reserve U/S 36 (1)(viii)		**1,173,769**		1,135,447
VI. Balance in Profit and Loss Account		**(50,885,164)**		(22,369,074)
TOTAL		**156,262,574**		**162,828,564**

(*) The adjustment is mainly on account of change in results of RRBs post audit. The consolidated financial statements of previous year was compiled based on unaudited financial statements of such RRBs.

(000's Omitted)

Particulars	AS AT 31-Mar-17		AS AT 31-Mar-16	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	**24,500**		24,500	
Subsequent increase / decrease	**321,726**		326,198	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		**346,226**		**350,698**
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	**3,970,883**		2,703,264	
ii) From Others	**127,996,864**		116,741,263	
		131,967,747		119,444,527
II. Savings Bank Deposits		**1,031,024,978**		824,849,145
III. Term Deposits				
i) From Banks	**55,146,215**		59,876,105	
ii) From Others	**1,754,953,326**		1,662,693,260	
		1,810,099,541		1,722,569,365
TOTAL		**2,973,092,266**		**2,666,863,037**
B. i) Deposits of Branches in India		**2,973,092,266**		2,666,863,037
ii) Deposits of Branches outside India		**-**		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	**110,053**		8,250,000	
ii) Other Banks	**32,039,249**		2,670,829	
iii) Other Institutions & Agencies	**6,961,736**		15,549,352	
iv) Unsecured Reedeemable Bonds (Subordinated Debt)	**11,881,000**		18,881,000	
v) Upper Tier II Bonds	**28,850,000**		28,850,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	**1,391,000**		10,830,000	
vi) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	**15,000,000**		10,000,000	
		96,233,038		95,031,181
II. Borrowings outside India		**-**		-
TOTAL		**96,233,038**		95,031,181

(000's Omitted)

Particulars		AS AT 31-Mar-17		AS AT 31-Mar-16	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS					
I.	Bills Payable	**7,502,369**		6,624,509	
II.	Inter Office Adjustments (Net)	**-**		-	
III.	Interest Accrued	**8,103,468**		15,276,239	
IV.	Deferred Tax Liailities (Net)	**-**		-	
V.	Others(including provisions)	**79,557,578**	**95,163,415**	96,990,082	118,890,830
TOTAL			**95,163,415**		**118,890,830**
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA					
I.	Cash in hand		**17,698,362**		16,591,496
	(including foreign currency notes)				
II.	Balances with Reserve Bank of India				
	In Current Accounts	**126,173,439**		124,110,540	
	In Other Accounts	**607,000,000**		-	
			733,173,439		124,110,540
TOTAL			**750,871,801**		**140,702,036**
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE					
I.	In India				
	i) Balances with Banks				
	a) In Current Accounts	**1,566,022**		1,676,097	
	b) In Other Deposit Accounts	**285,627**		295,800	
			1,851,649		1,971,897
	ii) Money at Call and Short Notice				
	a) With Banks	**-**		12,000,000	
	b) With Other Institutions	**34,999,852**		-	
			34,999,852		12,000,000
TOTAL…. I			**36,851,501**		**13,971,897**
II.	Outside India				
	a) In Current Accounts	**226,380**		1,022,637	
	b) In Other Deposit Accounts	**-**		-	
	c) Money at Call & Short Notice	**-**		-	
TOTAL…. II			**226,380**		**1,022,637**
TOTAL…. (I + II)			**37,077,881**		**14,994,534**

(000's Omitted)

Particulars	AS AT 31-Mar-17		AS AT 31-Mar-16	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	**741,004,932**		665,614,484	
ii) Other approved Securities	**-**		-	
iii) Shares	**13,570,132**		10,533,842	
iv) Debentures and Bonds	**103,512,402**		172,776,411	
v) Investment in Associates	**3,777,972**		4,215,494	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers Mutual Fund Units etc.)	**59,644,045**		36,523,356	
		921,509,483		889,663,587
II. Investments outside India in **				
i) Government Securities	**-**		-	
ii) Investment in Associates	**1,256,129**		1,203,221	
		1,256,129		1,203,221
TOTAL		**922,765,612**		**890,866,808**
* Investments in India :				
Gross Value of Investments	**938,476,113**		899,935,472	
LESS: Provision for Depreciation	**16,966,630**		10,271,885	
Net Investments		**921,509,483**		889,663,587
** Investments outside India :				
Gross Value of Investments	**1,256,129**		1,203,221	
LESS: Provision for Depreciation	**-**		-	
Net Investments		**1,256,129**		1,203,221
TOTAL		**922,765,612**		**890,866,808**
SCHEDULE 9 : LOANS AND ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	**16,294,564**		17,819,792	
ii) Cash Credits Overdrafts & Loans repayable on demand	**660,396,248**		748,150,651	
iii) Term Loans	**727,952,814**	**1,404,643,626**	1,042,981,397	1,808,951,840
TOTAL		**1,404,643,626**		**1,808,951,840**
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets (including advances against Book Debts)	**1,309,502,337**		1,644,934,067	
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	**2,640,519**		5,150,950	
iii) Unsecured	**92,500,770**	**1,404,643,626**	158,866,823	1,808,951,840
TOTAL		**1,404,643,626**		**1,808,951,840**

(000's Omitted)

Particulars			AS AT 31-Mar-17		AS AT 31-Mar-16	
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
C.	Sectoral Classification of Advances					
	(I)	Advances in India				
		i) Priority Sector	**705,314,049**		767,051,114	
		ii) Public Sector	**47,756,724**		99,953,724	
		iii) Banks	**9,461**		1,445	
		iv) Others	**651,563,392**	**1,404,643,626**	941,945,557	1,808,951,840
	TOTAL			**1,404,643,626**		**1,808,951,840**
	(II)	Advances outside India		**-**		-

SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS

I.	Premises					
	(At cost / revalued cost)					
	Balance as at 31st March of the preceding year		**40,106,596**		24,850,974	
	Additions during the year (including revaluation)		**21,941**		16,521,255	
	Total		**40,128,537**		**41,372,229**	
	Deduction/Adjustments during the year		**-**		1,265,633	
	Total		**40,128,537**		**40,106,596**	
	Depreciation to date		**5,940,880**		4,980,991	
	TOTAL…. I			**34,187,657**		**35,125,605**
II.	Other Fixed Assets					
	(Including furniture and fixtures)					
	At cost as on 31st March of the preceding year		**24,716,664**		22,949,060	
	Additions/Adjustments during the year		**2,480,698**		2,403,413	
	Total		**27,197,362**		**25,352,473**	
	Deductions/Adjustments during the year		**(823,878)**		(635,809)	
	Total		**26,373,484**		**24,716,664**	
	Depreciation to date		**17,650,737**		16,240,921	
	TOTAL…. II			**8,722,747**		**8,475,743**
	TOTAL…. (I + II)			**42,910,404**		**43,601,348**

(000's Omitted)

Particulars			AS AT 31-Mar-17		AS AT 31-Mar-16	
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS						
I.		Interest accrued	**14,945,208**		14,957,064	
II.		Tax paid in advance/tax deducted at source (Net of Provisions)	**52,821,130**		40,164,905	
III.		Stationery and Stamps	**179,363**		180,736	
IV.		Deferred Tax Assets	**23,443,616**		10,849,098	
V.		Inter office adjustments (Net).	**3,061,561**		35,311,345	
VI.		Others	**94,140,131**		65,542,842	
				188,591,009		167,005,990
TOTAL				**188,591,009**		**167,005,990**
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES						
I.	(a)	Claims against the Bank not acknowledged as Debts		**1,093,047**		1,310,319
	(b)	Disputed income tax demands under appeals, revisions etc		**33,024,359**		24,762,801
II.		Liability for partly paid Investments		**139,225**		249,303
III.		Liability on account of outstanding forward exchange contracts		**547,105,565**		507,501,883
IV.		Guarantees given on behalf of constituents				
	a)	In India	**107,887,762**		103,472,432	
	b)	Outside India	**3,852,663**		7,676,745	
				111,740,425		111,149,177
V.		Acceptances Endorsements and Other Obligations		**137,965,386**		121,103,911
VI.		Other items for which the bank is contingently liable		**2,610,259**		2,000,000
TOTAL				**833,678,266**		**768,077,394**

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(000's omitted)

	Particulars	YEAR ENDED 31-Mar-17 Rs.	YEAR ENDED 31-Mar-16 Rs.
SCHEDULE 13 : INTEREST AND DIVIDEND EARNED			
I.	Interest/Discount on Advances / Bills	163,916,830	190,737,578
II.	Income on Investments	73,767,956	64,775,511
III.	Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	6,388,242	953,046
IV.	Others	3,673,469	3,410,432
TOTAL		**247,746,497**	**259,876,567**
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME			
I.	Commission, Exchange and Brokerage	9,323,573	9,113,436
II.	Profit/ (Loss) on sale of Investments (Net)	15,416,557	5,868,186
III.	Profit / (Loss) on Exchange transactions (Net)	1,690,688	1,649,588
IV.	Profit / (Loss) on sale of land, buildings and Other Assets	(12,412)	743,181
V.	Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	-	66,131
VI.	Miscellaneous Income	2,296,281	2,004,196
TOTAL		**28,714,687**	**19,444,718**
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED			
I.	Interest on Deposits	173,272,028	176,497,091
II.	Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	843,086	2,775,487
III.	Others	7,549,389	9,620,406
TOTAL		**181,664,503**	**188,892,984**

(000's omitted)

	Particulars	YEAR ENDED 31-Mar-17 Rs.	YEAR ENDED 31-Mar-16 Rs.
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES			
I.	Payments to and Provisions for employees	42,212,011	44,721,541
II.	Rent, Taxes and Lighting	4,479,501	4,023,231
III.	Printing and Stationery	438,870	445,079
IV.	Advertisement and Publicity	333,911	309,973
V.	Depreciation on Bank's property	2,576,928	2,397,889
VI.	Directors' Fees, Allowances and Expenses	11,519	12,071
VII.	Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	302,344	253,403
VIII.	Law Charges	216,489	196,606
IX.	Postages, Telegrams, Telephones etc.	471,712	748,134
X.	Repairs and Maintenance	1,208,221	695,869
XI.	Bad Debts Written Off	5,130	14,197
XII.	Insurance	3,253,827	2,700,012
XIII.	Other Expenditure	8,272,269	7,258,904
TOTAL		**63,782,732**	**63,776,909**

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 a) Basis of Preparation:

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, National Housing Bank Act 1987, The Housing Finance Companies (NHB) Directions 2010, Companies Act 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

b) Use of Estimates:

The preparation of consolidated financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting year. Management believes that the estimates used in preparation of the consolidated financial statements are prudent and reasonable.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/materialised.

2 Consolidation Procedures:

2.1 Consolidated financial statements of the Group **(comprising of 2 Subsidiaries and 4 Associates [including 3 RRBs])** have been prepared on the basis of:

a. Audited financial statements of Central Bank of India (Parent)

b. Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of the subsidiaries with the respective item of Parent and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealized profit/losses as per Accounting Standard 21 “Consolidated Financial Statement” issued by the ICAI.

c. Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power has been accounted by using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements” issued by the ICAI. The financial statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards. Financial statements received from these associates form the sole basis for their incorporation in these consolidated financial statements.

d. The Accounting year of the Associate, viz. Indo Zambia Bank Ltd. is calendar year. In case accounting year of Associates are different than that of Parent Bank, proportionate share of profit is taken based on audited figures of audited period and for unaudited period proportionate share of profit is taken based on unaudited figures.

2.2 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consist of:

i. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made, and

ii. The minority share of movements in equity since date of parent – subsidiary relationship came into existence.

3 Transactions involving Foreign Exchange:

3.1 The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

3.2 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.

3.3 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.

3.4 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the year end rates notified by FEDAI.

3.5 Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/loss is recognized in Profit and Loss Account.

4 **Investments:**

(a) Parent Bank:

4.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are categorised into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

i) Government Securities

ii) Other Approved Securities

iii) Shares

iv) Debentures and Bonds

v) Subsidiaries and sponsored institutions and

vi) Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

4.2 **Basis of Classification:**

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

i) Held to Maturity:

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity. Investments in subsidiaries and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) Held for Trading:

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale:

Investments that cannot be classified in the above categories.

4.3 **Transfer of Securities between categories:**

The transfer / shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

4.4 **Valuation:**

a) Held to Maturity:

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity on day to day basis.

Investments in subsidiaries and associates are valued at acquisition cost.

b) Available for sale:

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i)	Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI.	
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government	On appropriate yield to maturity basis.	
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper	At carrying cost.	
iv)	Equity Shares	a) Quoted:	At market price.
		b) Unquoted:	At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1/- per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Shares	a) Quoted:	At market price.
		b) Unquoted:	On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a) Quoted:	(Traded in last 15 days) at last Trade Price.
		b) Unquoted:	On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	a) Quoted:	At market price.
		b) Unquoted:	At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital Fund (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.	
ix)	Security Receipts (SR)	At Net Asset Value (NAV) advised by SC/ARC.	

The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) **Held for Trading:**

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

4.5 **Determination of Cost:**

i) Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

ii) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.

iii) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.

4.6 **IIncome Recognition:**

i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.

ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and classified as Substandard/Doubtful/ Loss as the case may be and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances or otherwise required as per RBI directives issued from time to time. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.

iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms or as otherwise required as per the RBI directions issued from time to time.

iv) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

(b) Subsidiaries

4.7 In case of Subsidiaries, the Investments are classified as current and non-current Investments. Current Investments are carried at lower of cost or market value and non-current investments are carried at cost. Provision for diminution, if any, in the value of the non-current investment is made only, if the diminution in the value is of permanent nature.

5 Derivatives:

Derivatives used for hedging are accounted as under :

i) In cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market, resultant gain/ loss is recognised in the Profit & Loss Account.

ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.

iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

6 Advances:

6.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or otherwise required in terms of RBI directions issued from time to time.

6.2 Recoveries in NPA account is first appropriated towards the principal except in case of suit filed, decreed accounts and compromise cases where recovery is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.

6.3 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.

6.4 Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

6.5 Financial Assets sold are recognized as under:

i) In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is either charged to the Profit and Loss Account or such shortfall on assets sold on or after 26.02.2014 is spread over a period of two/one year in line with RBI guidelines subject to necessary disclosures.

ii) In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

iii) In case of sale to SC/ARC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

6.6 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., provisions on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank.

6.7 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., Interest income is recognized on accrual basis except in case of Non-Performing Assets (NPA) where interest is accounted on realization. In loans, the repayment is received by the way of Equated Monthly Installments (EMIs) comprising principal and interest. Interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the month. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI monthly interest is charged. Recovery in case of NPA is appropriated first towards interest portion of overdue EMIs and thereafter towards principal portion of overdue EMIs.

7 Fixed Assets/Depreciation:

(a) Parent Bank

7.1 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

i)	Premises	At varying rates based on estimated life
ii)	Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii)	Vehicles	20%
iv)	Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v)	Computers including Systems Software	33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

7.2 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over a period of lease.

7.3 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

7.4 In case of assets, which have been revalued, the depreciation / amortization is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account. Amount of incremental depreciation / amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

7.5 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.

(b) Subsidiaries

7.6 In case of subsidiaries, depreciation on fixed assets has been provided on straight line method at the rates specified in Schedule II to the Companies Act, 2013 except in case of Centbank Financial Services Ltd., intangible assets have been amortized considering the economic life of the asset to be 5 years by the Management and amortized accordingly.

8 Employee Benefits:

8.1 Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees. Short term employee benefits are recognised as an expense in the profit and loss account for the year in which the related service is rendered.

8.2 Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique. Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

8.3 In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the Gratuity amount has been provided on actuarial basis and invested in group maturity scheme administered by the Life Insurance Corporation of India. Company's contribution in respect of Employees' Provident Fund is made to Government Provident Fund and is charged to the Statement of Profit & Loss. The provision of leave encashment liability is calculated on the balance privilege leave of the employees as at the year end.

9 Recognition of Income and Expenditure:

9.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.

9.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.

9.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.

9.4 In case of Cent Bank Home Finance Ltd. income recognition on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank (NHB).

9.5 In case of Cent Bank Home Finance Ltd. income from fee and other charges viz. login fee, penal interest on overdue, prepayment charges etc. are recognized on receipt basis.

9.6 In case of Centbank Financial Services Ltd., income in relation to Executor Trusteeship business is accrued on occurrence of transactions relating to trust account. Revenue from Debenture & Security Trusteeship services is recognized on period basis and accounted on accrual basis except the income from Debenture Trusteeship business of suit filed and/or BIFR companies, which is accounted on receipt basis.

10 Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future taxable profits. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization. Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment / appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

11 Earnings per Share:

The basic and diluted earnings per share have been computed by dividing the Net Profit / Loss attributable to the equity share holders for the period by the weighted average number of equity shares outstanding during the reporting period.

12 Sundry Unallocated Income & Proceeds

In case of Centbank Financial Services Ltd. the amounts received on behalf of beneficiaries of whom details about the beneficiaries can not be ascertained, have been accounted in nominal account "Sundry Party Unclaimed Dividend / Interest" and "Unallocated / Unclaimed Proceeds on Redemption of Securities".

As and when the details are received from the payer about the beneficiaries, the amount is transferred to the respective beneficiary account.

13 Provisions, Contingencies and Contingent assets:

Provisions are recognized for present obligations, of uncertain timing or amount, arising as a result of a past event where a reliable estimate can be made and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required or the amount cannot be estimated reliably, the obligation is disclosed as a contingent liability unless the possibility of outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

P. RAMANA MURTHY	**B.K. DIVAKARA**	**RAJEEV RISHI**
EXECUTIVE DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
SUPRATIM BANDYOPADHYAY	**KETUL R. PATEL**	**N. NITYANANDA**
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA NIRAV J. SANGHVI)
PARTNER
M.No.147529

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA H.K. VERMA)
PARTNER
M.No.055104

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

Place : Mumbai
Date : May 23, 2017

SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1 **Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated Financial Statements**

1.1 The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (Parent Bank), its two Subsidiaries (collectively referred to as "the Group") and 4 Associates consisting of 3 Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited as per details given below :

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at March 31, 2017	Ownership interest as at March 31, 2016
Cent Bank Home Finance Limited (Subsidiary)	India	64.40%	64.40%
Centbank Financial Services Limited (Subsidiary)	India	100.00%	100.00%
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate)	India	35.00%	35.00%
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate)	India	35.00%	35.00%
Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara (Associate)	India	35.00%	35.00%
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Zambia	20.00%	20.00%

1.2 The audited financial statements of the Subsidiaries and Associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of Parent Bank i.e. March 31, 2017, except Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year and share in profit has been taken for 9 months based on audited figures and 3 months based on unaudited figures. Financial Statement of this associate are prepared as per the accounting policies adopted under local laws. In the opinion of the Management impact is not material.

1.3 The accumulated share of profit/loss of the Parent Bank in the associates has been added / reduced to/from the carrying cost of Investments with corresponding adjustments in accumulated Reserves of the Group.

1.4 Cent Bank Home Finance Ltd., like other Housing Finance Institutions grant loans for longer tenure, while deposits/ liabilities received are for shorter tenure, resulting in mismatch of Assets and Liabilities. The same is being addressed by sufficient credit lines available.

2 In the preparation of consolidated financial statements, in some of the cases, different accounting policies for similar transactions have been followed by subsidiaries and associates, for which appropriate adjustments have not been made in the absence of necessary information. In the opinion of the Management the same is not material.

3 **PARENT BANK**

3.1 **Capital:**

3.1.1 Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2017 is ₹ 1902.17 crore increased from ₹ 1689.71 crore of previous year by issue of fresh 212456695 equity shares of ₹ 10 each in three allotments.

a. 71504945 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 64.82 on 12.05.2016

b. 123806796 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Government of India on Preferential Basis at premium of ₹ 94.76 on 08.09.2016

c. 17144954 Equity Share of ₹ 10 each allotted to Life Insurance Corporation on Preferential Basis at premium of ₹ 81.45 on 05.12.2016.

3.1.2 Bank has received ₹100.00 crore from Government of India on 31.03.2017 towards Share Capital. Pending allotment of shares there-against, the amount is shown under Share Application Money pending allotment.

3.1.3 ₹ 583.00 crore arising out of extinguishment of 5830 Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) of face value of ₹ 10.00 Lakh each held by Government of India is kept into Share Application Money Account pending allotment of shares.

3.2 **Balancing of Books / Reconciliation:**

The reconciliation of the following items are in progress :

- Inter Branch Office Balance
- Inter Bank Accounts
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Balances related to ATM
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department
-Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances

The Management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3.3 **Income Tax / Deferred Tax:**

3.3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

3.3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 3298.14 crore (previous year ₹ 2472.23 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

3.4 Premises:

Premises owned by the Bank includes properties costing ₹ 1.63 Crore (previous year ₹ 1.63 Crore) for which registration formalities are still under progress.

In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 86.97 Crore (previous year ₹ 24.30 Crore) is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

3.5 **Advances / Provisions:**

3.5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

3.5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crores (previous year ₹ 100.56 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹ 47.34 Crore (previous year. ₹ 47.34 Crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.

3.5.3 In compliance with RBI directives on Asset Quality Review (AQR) of advance, Bank has kept incremental provision of ₹ 289.69 Crore against Standard Advances.

3.5.4 **Disclosure of Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs**

As the additional provisioning requirements and additional Gross NPA assessed by RBI for FY 2015-16 exceeded 15% of the published Net Loss after Tax and incremental Gross NPA respectively, the following disclosure is made pursuant to RBI circular no. DBR.BP.BC.No. 63/21.04.018/2016-17 dated 18.04.2017 regarding Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1	Gross NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Bank	22720.88
2	Gross NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	24818.03
3	Divergence in Gross NPAs (2 – 1)	2097.15
4	Net NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Bank	13241.80
5	Net NPAs as on March 31,2016 as assessed by RBI	14644.35
6	Divergence in Net NPAs (5 – 4)	1402.55
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Bank	8238.00
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	8932.60
9	Divergence in provisioning (8 – 7)	694.60
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016	(1418.19)
11	Adjusted (Notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016 after taking into account the divergence in provisioning	(2112.79)

3.6 **Disclosure of penalties imposed by RBI**

RBI has imposed a penalty of ₹ 0.12 Crore (pevious year ₹ 2.16 crore) in terms of Section 47A(1)(a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms.

4 **Compliance with Accounting Standards**

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

4.1 **Accounting Standard - 9**

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy No. 9 of Schedule 17. However, the said income is not considered to be material.

4.2 **Accounting Standard - 15 (Revised) - Parent Bank**

4.2.1 Employee Benefits: - Parent Bank

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Table showing change in Defined Benefit Obligation:				
Liability at the beginning of the year	**1490.34**	**11153.04**	1308.74	9713.80
Interest Cost	**116.92**	**869.55**	100.34	743.14
Current Service Cost	**50.26**	**86.00**	41.80	90.20
Past Service Cost(Non Vested Benefit)	**0**	**0**	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit)	**0**	**0**	0	0

Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
	Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
Liability Transfer in	**0**	**0**	0	0
Liability Transfer out	**0**	**0**	0	0
Benefit Paid	**(180.07)**	**(901.19)**	(167.28)	(912.59)
Actuarial (gain)/loss on obligations	**369.68**	**1276.68**	206.74	1518.49
Liability at the end of the year	**1847.13**	**12484.08**	1490.34	11153.04
Table of Fair Value of Plan Assets:				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	**1493.19**	**10659.96**	1212.31	9312.55
Expected return on Plan Assets	**129.55**	**958.12**	128.08	899.78
Contributions	**204.15**	**1678.00**	343.50	1486.00
Transfer from Other Company	**0**	**0**	0	0
Transfer from to Company	**0**	**0**	0	0
Benefit paid	**(180.07)**	**(901.19)**	(167.28)	(912.59)
Actuarial Gain/(loss)on Plan Assets	**9.91**	**25.11**	(23.42)	(125.78)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	**1656.73**	**12420.00**	1493.19	10659.96
Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	**(359.77)**	**(1251.57)**	(230.16)	(1644.26)
Expenses recognized in the Profit & Loss Account:				
Current Service Cost	**50.26**	**86.00**	41.80	90.20
Interest Cost	**116.92**	**869.55**	100.34	743.14
Expected Return on Plan Assets	**(129.55)**	**(958.12)**	(128.08)	(899.78)
Past Service Cost(Non Vested Benefit) recognized	**0**	**0**	0	0
Past Service Cost(Vested Benefit) recognized	**0**	**0**	0	0
Recognition of Transition Liability	**0**	**0**	0	0
Actuarial Gain or Loss	**359.77**	**1251.57**	230.16	1644.26
Expenses Recognized in P & L	**397.40**	**1249.00**	244.22	1577.83
Principal actuarial assumption used (%)				
Discount Rate Current	**7.27**	**7.45**	8.06	8.06
Rate of return on Plan Assets Current	**7.27**	**7.45**	8.06	8.06
Salary Escalation Current	**5.00**	**5.00**	5.00	5.00
Attrition Rate Current	**0.50**	**0.50**	0.50	0.50

4.2.2 The Cent Bank Home Finance Ltd provides for Gratuity covering eligible employees. To fund its liability, the Company has taken a Policy with Life Insurance Corporation of India, to cover the accumulated Gratuity Liability of its employees and the premium paid on this policy has been charged to Profit & Loss Account. The Provision for Leave Encashment Liability is calculated on the balance of privilege leave of the employees as on March 31, 2017. The same has been provided for the year ended 31.03.2017.

4.3 **Accounting Standard 17 – Segment Report of the Group**

SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(₹ in crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Revenue	9,864.04	7,529.68	9,512.76	11,932.63	8,269.32	8,469.82	-	-	27,646.12	27,932.13
Result	2,090.30	256.73	(5,613.16)	(3,321.33)	146.05	529.70	-	-	(3,376.81)	(2,534.90)
Unallocated Expenses									163.76	106.46
Operating Profit									(3,540.57)	(2,641.35)
Income Taxes									(1,081.21)	(1,244.98)
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit									(2,459.36)	(1,396.37)
Other Information:										
Segment Assets	152,959.41	108,293.74	96,187.54	116,235.07	75,294.23	75,709.95	-	-	324,441.18	300,238.76
Unallocated Assets									10,253.74	6,382.39
Total Assets									334,694.92	306,621.15
Segment Liabilities	154,779.06	109,389.55	85,288.91	108,359.20	76,415.52	70,329.75	-	-	316,483.49	288,078.50
Unallocated Liabilities									-	-
Total Liabilities									316,483.49	288,078.50

i) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognized Treasury Operations, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Business as Primary Reporting Segments. There are no Secondary Reporting Segments.

ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.

iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures.

iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts / Partnership Firms, Companies and Statutory bodies, which are not included under Retail Banking.

v) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.

vi) Retail Banking Segment is the Primary resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the Retail Banking Segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

vii) **Allocation of cost:**

a. Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment.

b. Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated on rational basis.

4.4 Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

1 List of Related Parties:

a. Key Managerial Personnel

S. No	Name	Designation
i)	Mr. Rajeev Rishi	Chairman & Managing Director
ii)	Mr. B.K.Divakara	Executive Director
iii)	Mr. P.R. Murthy (w.e.f.17.02.2017)	Executive Director
iv)	Mr. R.K. Goyal (upto 31.12.2016)	Executive Director
v)	Dr.R.C. Lodha (upto 28.02.2017)	Executive Director

b. Associates:-

(I) **Regional Rural Banks**-

i) Central Madhya Pradesh Gramin Bank, Chhindwara, M P

ii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur, Bihar

iii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar **,** West Bengal

(II) Indo-Zambia Bank Ltd.

2. Transactions with Related Parties:

Remuneration paid to key managerial persons:

(₹ in Lakh)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		2016-17	2015-16
Mr. Rajeev Rishi	Chairman & Managing Director	**28.70**	29.64
Mr. B.K. Divakara	Executive Director	**23.11**	23.15
Mr. P.R. Murthy (w.e.f. 17.02.2017)	Executive Director	**2.58**	-
Mr. R.K. Goyal (upto 31.12.2016)	Executive Director	**38.94**	25.62
Dr.R.C. Lodha (upto 28.02.2017)	Executive Director	**39.54**	17.76
Mr. Animesh Chauhan	Executive Director	**-**	4.13
TOTAL		**132.87**	**100.30**

Note: No disclosure is required in respect of related parties, which are state controlled enterprises as per Paragraph 9 of AS-18. Further, in terms of Paragraph 5 of AS-18, transactions in the nature of banker-customer relationship have not been disclosed including those with Key Managerial Personnel & relatives of Key Managerial Personnel.

4.5 **Accounting Standard 20 – Earnings per Share of the Group**

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.03.2017	**31.03.2016**
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹in Crore)	**(2459.36)**	(1396.37)
Weighted Average number of Equity Share (No.)	**1827463465**	1658359086
Basic Earnings per Share (₹)	**(13.46)**	(8.42)
Diluted Earnings per Share (₹)	**(13.46)**	(8.42)
Nominal Value per Share (₹)	**10.00**	10.00

4.6 Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income (of the Group)

4.6.1 Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI, tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 2344.36 Crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2017. Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2017 are as under:

(₹in Crore)

Particulars	**Deferred Tax Assets**		**Deferred tax Liability**	
	31.03.2017	**31.03.2016**	**31.03.2017**	**31.03.2016**
Business Loss	**0.00**	34.01		
Depreciation on fixed assets		12.60	**29.42**	
Depreciation on investments	**0.00**	33.30		
Staff benefits	**0.00**	5.52		
Interest accrued but not due on investments			**516.53**	517.19
Provision for leave encashment	**194.12**	194.12		
Provision for loans and advances	**2744.38**	1365.08		
Special reserve u/s 36(1) (viii) of IT Act 1961			**46.25**	40.70
Others			**1.94**	1.83
Total	**2938.50**	**1644.63**	**594.14**	**559.72**
Net deferred Tax Assets/ Liability	**2344.36**	**1084.91**		

4.6.2 Cent Bank Home Finance Ltd. has recognised Deferred Tax Liability on Special Reserves to the tune of ₹11.64 crore (previous year ₹6.09 crore**)** in pursuance of the guidelines issued by NHB vide circular No. NHB(ND)/DRS/Policy Circular 65/2014-15, dated August 22, 2014.

4.7 Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets of the Bank is not applicable. In the opinion of the Management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2017, requiring recognition in terms of the Standard.

5 Corporate Social Responsibility:

During the year Cent Bank Home Finance Ltd., has spent ₹0.27 crore towards Corporate Social Responsibility under section 135 of Companies Act 2013 and rules thereon.

6 In case of subsidiaries, sundry debit / credit balances are subject to confirmation.

7 Centbank Financial Services Ltd., holds investments in the nature of shares, securities and immovable properties on behalf of its clients in a fiduciary capacity on a Trustee-Beneficiary relationships, which in the opinion of the Board of Directors are adequately safeguarded and properly recorded and all duties arising from such fiduciary relationships are adequately fulfilled.

8 There are no amounts overdue and remaining unpaid by Centbank Financial Services Ltd., to Small Scale and /or ancillary Industrial suppliers on account of principal and / or interest as at the close of the year. This disclosure is based on the information available with the company regarding the status of suppliers as defined under the "Interest on delayed payments to Small Scale and Ancillary Industrial Undertaking Act 1993".

9 Centbank Financial Services Ltd has not transferred or allocated dividend, interest and other corporate benefits received over a period of time from various companies / undertakings, amounting to ₹1.33 crore to the trusts / beneficiaries, on whose behalf the investment portfolios are held under Trusteeship Services. The said amount stood at ₹1.26 crore as at 31.03.2016 and has increased to ₹1.33 crore as at 31.03.2017. Similarly, it has not transferred or allocated sales / redemption proceeds of shares / debentures amounting to ₹0.16 crore to the respective trust / beneficiary. The same is outstanding since 2005-06.

It has kept the above funds in current account with its bank.

10 In terms of RBI Guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) of ₹ 22991.22 crore has been issued on risk sharing basis for maximum period of 180 days, thereby reducing the Bank's Total Advances as on 31.03.2017 to same extent.

11 As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Parent Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

12 **Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds**

The bank has formulated policies on Cyber Frauds in CBS system as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC. BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the Management of the bank on periodical basis.

13 Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

14 Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm to current year's classification.

P. RAMANA MURTHY	**B.K. DIVAKARA**	**RAJEEV RISHI**
EXECUTIVE DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
SUPRATIM BANDYOPADHYAY	**KETUL R. PATEL**	**N. NITYANANDA**
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA NIRAV J. SANGHVI)
PARTNER
M.No.147529

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA H.K. VERMA)
PARTNER
M.No.055104

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

Place : Mumbai
Date : May 23, 2017

Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2017	31- 03- 2016
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit/(Loss) before taxes	(3,523.09)	(2,651.15)
I	**Adjustments for:**		
	Depreciation on fixed assets	257.69	239.79
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	394.44	850.61
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	6,219.53	5,399.92
	Provision for Standard Assets	(162.98)	(1,247.97)
	Provision for Other items (Net)	172.91	314.76
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	1.24	(74.32)
	Sub total	**3,359.74**	**2,831.64**
II	**Adjustments for :**		
	Increase / (Decrease) in Deposits	30,622.92	10,744.70
	Increase / (Decrease) in Borrowings	703.19	(16,595.47)
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(2,561.05)	(965.22)
	(Increase) / Decrease in Advances	34,211.29	4,020.39
	(Increase) / Decrease in Investments	(3,569.42)	(30.48)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	203.63	1,246.10
	Direct Taxes Paid (Net of Refund etc)	(1,099.63)	(970.37)
	Sub total	**58,510.93**	**(2,550.35)**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**61,870.67**	**281.29**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	3.06	157.35
	Purchase of Fixed Assets	(191.68)	(306.31)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(188.62)**	**(148.96)**

Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2017	31- 03- 2016
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Share Capital (Including Share Premium)	1,453.79	165.57
	Share Application Money	100.00	535.00
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(8.75)	(84.25)
	Dividend Tax	(1.78)	(17.03)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	1,543.26	**599.29**
D	**Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)**	**63,225.31**	**731.62**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	14,070.20	14,116.37
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,499.45	721.66
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	**15,569.65**	**14,838.03**
F	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	75,087.18	14,070.20
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	3,707.79	1,499.45
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	**78,794.97**	**15,569.65**

Notes:

1) The above Consolidated Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.

2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

P. RAMANA MURTHY	B.K. DIVAKARA	RAJEEV RISHI
EXECUTIVE DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place : Mumbai

Date: 23.05.2017

SUPRATIM BANDYOPADHYAY	KETUL R. PATEL	N. NITYANANDA
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA NIRAV J. SANGHVI)
PARTNER
M.No.147529

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA H.K. VERMA)
PARTNER
M.No.055104

For PATHAK H. D. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

Place : Mumbai
Date : May 23, 2017

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM 'B'
PROXY FORM
(To be filled in and signed by the shareholder)

10th Annual General Meeting

Folio No. or DP Id # / Client-Id #	
No. of Shares held	

I/We, _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholders of Central Bank of India hereby appoint Shri/Smt._____ _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 10th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of **CENTRAL BANK OF INDIA** to be held on Friday, 30th June, 2017 at 11.00 AM on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2017.

Signature of the Proxy _____

Please affix revenue stamp

Signature of the first named/ sole Shareholder

Name _____
(in Block Letters)

Address _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
 b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
 c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholders who is for any reason , unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 23rd June, 2017 being the immediate preceding working day to Sunday, 25th June 2017 which is holiday, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholders who have executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ATTENDANCE SLIP

10th Annual General Meeting – Friday, 30th June, 2017 at 11.00 AM

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name and address of the Member (In Block Letters) Joint Holders	
Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)	

Signature of the Member/Proxy/
Representative Present

Day and Date	Friday, 30th June, 2017
Place	Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 4000211

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

10th Annual General Meeting – Friday, 30th June, 2017 at 11.00 AM

Place: Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name of Member	
No. of Shares	

Name and signature of attending Member/

Proxy/Authorised Representative Present

Bank Stamp and Signature

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

NOTES



www.sapprints.com